वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2021-22

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2021-22

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस,
राँची - 834 029
झारखंड

भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन करना।

ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय:

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनीकिकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिक निकासी हेतु वैज्ञानिक खोज से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस-पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सीएसआर क्रियाकलाप विशेषकर आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य, सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ाना।

विषय सूची

4 अगस्त, 2022 को निदेशक मंडल	2
प्रबंधन	3
बैंकर्स एवं अंकेक्षक	5
सूचना - वार्षिक आम बैठक	6
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का संदेश	11
पुरस्कार एवं सम्मान	16
संचलनात्मक आँकड़े	18
वित्तीय स्थिति	19
निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	25
निगमित प्रशासन का प्रतिवेदन	73
निदेशकों का पार्श्वदृश्य	84
सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा निगमित शासन पर प्रमाण पत्र	90
सचिवीय अंकेक्षक प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	94
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	96
निदेशकीय प्रतिवेदन से संबंधित अनुलग्नक	100
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	142
स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम	149
31 मार्च 2022 को स्टैंडअलोन तुलन-पत्र	152
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा	154
वर्ष 2021-22 के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह का विवरण	156
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	159
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (नोट 38) पर अतिरिक्त टिप्पणयाँ	215
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब	254
(परिशिष्ट-1)	275
समेकित वित्तीय परिणाम	276
31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र	279
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा	281
वर्ष 2021-22 के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण	283
समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से 37)	286
समेकित वित्तीय विवरण (टिप्पणी 38) पर अतिरिक्त टिप्पणी	343
समेकित वित्तीय विवरण पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन जवाब (परिशिष्ट-1 सहित)	378
फार्म एओसी - 1	393

निदेशक मंडल

04 अगस्त 2022 को
(अर्थात 66वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार निदेशक (कार्मिक)

कार्यकारी निदेशक

श्री पवन कु. मिश्रा
निदेशक(वित्त)

श्री राम बाबू प्रसाद
निदेशक(तक./सं.)

श्री एस.के. गोमस्ता
निदेशक(तक./परि एवं यो)

प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक

सुश्री संतोष
उप महानिदेशक,
कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

श्री विनय रंजन
निदेशक(का. एवं औ.),
सीआईएल

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक

श्री रमेश कु. सोनी
सीए

स्थायी आमंत्रितगण

श्री सलिल कु. झा
सीओएम, पू. म. रे हाजीपुर

श्री रवि प्रकाश
कंपनी सचिव

वर्तमान प्रबंधन

04 अगस्त 2022 को
(अर्थात 66वीं आम वार्षिक बैठक के दिन)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद

कार्यकारी निदेशकगण

श्री पवन कुमार मिश्रा	:	निदेशक (वित्त)
श्री राम बाबू प्रसाद	:	निदेशक (तक./संचा.)
श्री एस के गोमस्ता	:	निदेशक (तक./परि. एवं यो.)
श्री पी. एम. प्रसाद	:	निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक निदेशकगण

सुश्री संतोष	:	उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री रमेश कुमार सोनी	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

स्थायी आमंत्रितगण

श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे

कंपनी सचिव

श्री रवि प्रकाश

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.09.2020 से प्रभावी)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री के आर वासुदेवन	:	निदेशक (वित्त) (01.07.2021 से प्रभावी)
श्री एन. के. अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त) (18.07.2019 से 30.06.2021)
श्री एस के गोमस्ता	:	निदेशक (तकनीकी) (01.11.2021 से प्रभावी)
श्री वी. के. श्रीवास्तव	:	निदेशक (तकनीकी) (15.05.2018 से 31.10.2021)
श्री भोला सिंह	:	निदेशक (तकनीकी) (15.01.2019 से 31.12.2021)
श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	:	निदेशक (कार्मिक) (24.07.2021 से प्रभावी)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक) (24.01.2020 से 23.07.2021)

अंशकालिक निदेशकगण

सुश्री संतोष	:	उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (03.01.2022 से प्रभावी)
श्री मुकेश चौधरी	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (05.06.2020 से 03.01.2022)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल, कोलकाता (05.08.2021 से प्रभावी)
श्री बिनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), सीआईएल, कोलकाता (11.02.2021 से 04.08.2021)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री सुभाउ कश्यप	:	एम.बी.बी.एस. (13.12.2018 से 12.12.2021)
श्रीमती जाजुला गौरी	:	अधिवक्ता (10.07.2019 से प्रभावी)
श्री शिव अरोड़ा	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (10.07.2019 से 20.03.2022)
श्री हरबंस सिंह	:	भूतपूर्व निदेशक, जेनरल एपेक्स, जी. एस. आई. (10.07.2019 से प्रभावी)
श्री रमेश कुमार सोनी	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (01.11.2021 से प्रभावी)

स्थायी आमंत्रितगण

श्रीमती पूजा सिंघल	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखंड सरकार (28.02.2022 से प्रभावी)
श्री के. श्रीनिवासन	:	सचिव (खान एवं भूगर्भ विभाग) झारखंड सरकार (14.07.2020 से 27.02.2022)
श्री सलिल कुमार झा	:	मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे (24.05.2016 से प्रभावी)

कंपनी सचिव

श्री रवि प्रकाश (13.07.2017 से प्रभावी)

बैंकर्स

बैंक आफ बड़ौदा
बैंक आफ महाराष्ट्र
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक
बैंक आफ इंडिया
केनरा बैंक
स्टेट बैंक आफ इंडिया
एक्सिस बैंक
यूको बैंक
एचडीएफसी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कं.
न्यू अनंतपुर,
राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स वी. रोहतगी एण्ड कं.
प्रथम तल, सर्जना भवन,
मेन रोड, राँची, झारखंड

मेसर्स सुशील शर्मा एंड कंपनी
तीरथ मेंशन, कमरा नंबर 222, ओवरब्रिज के पास,
मेन रोड रांची - 834001, झारखंड

मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एण्ड कं.
304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, 4 एच.बी. रोड,
तीसरी मंजिल, रांची - 834001, झारखंड

लागत अंकेक्षक

मेसर्स तन्मया एस. प्रधान एण्ड कं.,
स्वास्थान, ब्रुक्स हिल,
संबलपुर - 768001, ओडिसा

शाखा लागत अंकेक्षक

मेसर्स आर. के. सिन्हा एण्ड कं.
सेक्टर - 1सी, क्वार्टर नं. 1206
बोकारो स्टील सिटी - 827001
जिला: बोकारो, झारखंड

मेसर्स सौरभ सेठी एण्ड कं.
मुख्यालय: 9, नवमानक नगर,
डाकघर: मानक नगर,
लखनऊ -226011, उत्तर प्रदेश

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
फ्लैट नंबर 201, उर्मिला अपार्टमेंट, सेंट ऐनीज गर्ल्स स्कूल के पास, उद्धव बाबू लेन,
थरपखना, रांची-834002

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834 029 (झारखंण्ड)

सूचना

संदर्भ सं. सचिव.सीएस/3(4)/एजीएम-66/2022/211 दिनांक:01.08.2022

66वीं आम वार्षिक बैठक की सूचना

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की 66वीं वार्षिक बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची-834029, झारखंड में **4 अगस्त,2022, दिन गुरुवार को 12:00** अपराह्न से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी:

क. सामान्य कार्य:

1. विचार तथा अंगीकार करने के लिए:

   अ. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की **अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी** सहित 31 मार्च, 2022 तक अंकेक्षित तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की लाभ-हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां तथा वर्ष 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ, सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मंडल का प्रतिवेदन।

   आ. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की **अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणी** सहित 31 मार्च, 2022 तक अंकेक्षित तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की लाभ-हानि लेखा, सभी टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां तथा वर्ष 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ, सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा निदेशक मंडल का प्रतिवेदन।

2. **श्री पी एम प्रसाद (डीआईएन- 08073913)** जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुरूप पारी (रोटेशन) के समाप्त होने के कारण सेवानिवृत होने वाले हैं, तथा अहर्ता होने के कारण स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

3. दिनांक 05.02.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 511वीं बैठक में 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर घोषित ₹1,000/- प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश ₹404.20 करोड़ (अर्थात ₹ 430 प्रति इक्विटी शेयर) के भुगतान की पुष्टि करने तथा ₹423.00 करोड़ के अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 14.05.2022 को आयोजित 515वीं बोर्ड बैठक में प्रत्येक 1000/- रूपये के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹450/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश ₹ 423.00 करोड़ का अनुमोदन देने के लिए। अतः, वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सकल लाभांश ₹827.20 करोड़ रहा।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं आगामी वर्षों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों/ शाखा लेखा-परीक्षकों के लिए लेखा-परीक्षण शुल्क निर्धारित करना।

   विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतुः

   "**संकल्प किया गया** कि एतदद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कैग (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139 अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक मेस्सर्स केसी टाक एवं कंपनी तथा शाखा अंकेक्षक मेस्सर्स वी.रोहतगी एवं कं., रांची, मेस्सर्स सुशील कुमार शर्मा एवं कं., रांची, मेस्सर्स लोधा पटेल वाधवा एवं कं., रांची का परिश्रमिक शुल्क ₹28,33,700.00/- जोड़ लागु जीएसटी शुल्क अतिरिक्त तथा ₹7,08,200 मात्र के जेब खर्च की प्रतिपूर्ति दिनांक 23-09-2021 को संपन्न 507वीं बोर्ड-बैठक में अनुमोदित किया गया तथा एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।

ख. विशेष कार्य:

5. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 148 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतुः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधान 148(3) तथा कंपनी कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकगण मे. **तन्मय एस प्रधान एवं कं.,** मुख्य लागत लेखा परीक्षक तथा शाखा लागत लेखा परीक्षक मेस्सर्स **आर.के.सिन्हा एवं कं. और मेस्सर्स सोराभ सेठी एवं कं.** का परिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) ₹ 13,79,000/- तथा करों का भुगतान अतिरिक्त, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24-09-2020 की 491 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है तथा एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।""

   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल
के आदेश से

(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

दिनांक: 01.08.2022
स्थान: रांची

वार्षिक आम बैठक की तिथि	:	अगस्त 04, 2022
वार्षिक आम बैठक का समय	:	12:00 अपराह्न
एजीएम का स्थान	:	पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस रांची 834 029 (झारखंड)

टिप्पणी :

1. कोविड -19 महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ दिनांक 05 मई, 2020, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021 एवं 14 दिसंबर, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" रूप में संदर्भित) के परिपत्रों साथ पढ़ा जाय द्वारा किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'/'बैठक') आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है।

   कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के परिपत्रों व प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक को वीसी/अन्य ऑडियो विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कंपनी की वार्षिक आम बैठक का मान्य स्थल होगा।

   बैठक में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने हेतु कंपनी की अधिकृत ई-मेल आईडी द्वारा पहले ही अग्रिम लिंक उपलब्ध कराया जाएगा एवं बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम 15 मिनट पूर्व से उपलब्ध होगी तथा इसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा।

2. चूंकि यह आम बैठक वीसी/ ओएवीएम मे माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है , इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार, प्रतिनिधि के नामांकन की सुविधा नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसार वीसी या ओएवीएम द्वारा प्रतिभागिता एवं मतदान हेतु सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।

4. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने/या मतदान करने के साथ - साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल स्रोतों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। तथा बैठक के दौरान अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति को ई-मेल आईडी- gmcompsectt.ccl@coalindia.in पर ई-मेल कर दर्ज कर सकते हैं।

5. अंशधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (1) के अनुसार, अल्पावधि में आम वार्षिक बैठक बुलाने की स्वीकृति लिखित या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रदान करें।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखना आवश्यक है, ताकि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध रहे।

7. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण “अनुलग्नक ए” के रूप में साथ संलग्न है।

8. चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले तथा इस बैठक में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण "अनुलग्नक-बी" में दर्शाया गया है।

वितरण :

क) कोल इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष, सीआईएल द्वारा, कोलकाता

ख) श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल, कोलकाता

ग) श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ सं), सीआईएल, कोलकाता

घ) श्री पी. एम. प्रसाद, अ.प्र.नि., सीसीएल, रांची

ङ) श्री रमेश कुमार सोनी, अध्यक्ष, अंकेक्षण समिति, सीसीएल

च) समस्त निदेशकगण

छ) मेसर्स के. सी. टाक एंड कंपनी, रांची, सांविधिक अंकेक्षण

ज) मेसर्स तन्मय एस. प्रधान एंड कंपनी, सम्बलपुर, मुख्य लागत अंकेक्षण

झ) मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, रांची, सचिवीय लेखा परीक्षक

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक की सूचना का अनुलग्नक

अनुलग्नक-ए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण दिनांक 01.08.2022 की संलग्न सूचना की मद संख्या 5 के अंतर्गत उल्लिखित व्यवसाय से संबन्धित सभी भौतिक तथ्यों का निर्धारण करता है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की सम्पुष्टि

(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार -

14. लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक - धारा 148 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ

क. उन कंपनियों में जहां एक लेखा परीक्षण समिति का गठन आवश्यक है-

i. परीक्षण समिति की अनुशंसा पर लागत लेखा-परीक्षक के रूप में बोर्ड ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो लागत लेखा परीक्षक हो, या लागत लेखा परीक्षकों का एक फर्म हो; के साथ-साथ उक्त लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की भी अनुशंसा करेगी;

ii. लेखा परीक्षा समिति द्वारा (i) के अंतर्गत अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार उपरांत अनुमोदन दिया जाएगा तत्पश्चात शेयरधारकों द्वारा उक्त की संपुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 24-09-2020 को आयोजित अपनी 491वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 491.4(4) के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीसीएल मुख्यालय तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों की लागत लेखा परीक्षा हेतु लेखा समिति की संतुस्ति पर 13,79,000/- (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च तथा लागु कर को छोड़कर) के पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। उक्त का विवरण निम्नलिखित है:

लेखा परीक्षकों की सूची	क्षेत्र	भाग ए का शुल्क (लागत लेखा परीक्षण)	भाग बी का शुल्क (आईसीसीएस समीक्षा)	कुल (ए+बी)
तन्मय एस. प्रधान एवं कं	मुख्यालय, बरका सयाल, सीडब्ल्यूएस, अरगडा, रजरप्पा क्षेत्र के लिए	4,00,000	2,00,000	6,00,000
मेसर्स आर के सिन्हा एण्ड कं.	कथारा, धोरी, बी एवं के, गिरिडीह के लिए	2,67,000	1,34,000	4,01,000
मेसर्स सोरभ सेठी एवं कं.	एनके, पिपरवार, राजहारा, मगध आम्रपाली, हजारीबाग तथा कुजू क्षेत्र के लिए	2,52,000	1,26,000	3,78,000
कुल		9,19,000	4,60,000	13,79,000

यात्रा और जेबखर्च के वास्तविक व्यय प्रतिपूर्ति की सीमा कुल खर्च का 50% तक है। लागु करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अतिरिक्त उक्त संकल्प में किसी प्रकार का हित या संबंध नहीं है (वित्तीय या अन्यथा) या रुचि नहीं रखते हैं।

वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने संकल्प की अनुशंसा की।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल
के आदेश से

(रवि प्रकाश)
(कंपनी सचिव)

अनुलग्नक-बी

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण-

सामान्य बैठक ("एसएस-2") पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित है-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन	08073913
जन्म की तारीख	13-10-1965
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	01.09.2020
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक और अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से बी.टेक, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईआईटी-आईएसएम), धनबाद से 'ओपन-कास्ट माइनिंग' में एम.टेक और 1988 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी के माइन मैनेजर सर्टिफिकेट। साथ ही, नागपुर विश्वविद्यालय से 1997 में विधि की डिग्री प्राप्त की। श्री प्रसाद को खनन के क्षेत्र में संचालन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 38 वर्षों का अनुभव है।
कंपनी में शेयरधारिता	1 (एक) कोल इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक नामित शेयरधारक ₹ 1000 का इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2021-22 के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठक की संख्या।	12
अन्य कंपनियों में आयोजित निदेशक पद की सूची	शून्य
सीसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	सीसीएल के निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय अंशधारकगण,

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक मंडल की ओर से, मैं, कंपनी की 66वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हमारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रबंधन का उत्तर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और निदेशकीय प्रतिवेदन आपके पास उपलब्ध है।

कंपनी

आपकी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसके अंतर्गत अद्यतन:

- 52 परिचालित खदानें: 11 भूमिगत एवं 41 खुली;
- 5 वाशरियाँः 4 कोकिंग कोल वाशरी (कथरा, रजरप्पा, केदला और स्वांग), 1 गैर-कोकिंग कोल वाशरी (पिपरवार);
- बरकाकाना स्थित 1 केंद्रीय कर्मशाला (आईएसओ 9001) तथा जारंगडीह, उत्तरी तपिन, डकरा, गिरिडीह और भुरकुंडा में 5 क्षेत्रीय कर्मशालाएं (जिनमें से 3 आईएसओ 9001 अभिप्रमाणित कर्मशालाएँ हैं);
- 6 कोयलांचल (पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, रामगढ़ और गिरिडीह) का परिचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 हम सभी के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। प्रारंभ में, कोरोना महामारी की दूसरी विनाशकारी लहर ने राष्ट्र की मानवीय एवं महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। तदुपरांत, ऊर्जा की नित बढ़ती मांग के साथ-साथ व्यावसायिक परिवेश तथा अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य में अभूतपूर्व अस्थिरता दृष्टिगत हुई जिसके परिणामस्वरूप कोविड महामारी के चरम के दौरान गौण अवक्रमण के साथ कोयले की मांग निरंतर बढ़ती रही।

इस अनिश्चितता व अशांति के बीच, एक संवहनीय, न्यायसंगत और निरपेक्ष भविष्य के निर्माण के लिए समाज ने उद्यमों से अपेक्षा रखी। तमाम अवरोधों के होते हुए भी समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी कंपनी बारंबार सटीक व स्फूर्त हस्तक्षेप द्वारा उत्कृष्टता की नित नयी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है।

प्रदर्शन

कंपनी की परिचालनगत व वित्तीय उपलब्धियां इसके सुदृढ़ परिचालन तथा प्रक्रियाओं का सदृश प्रमाण हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सीसीएल द्वारा कुल 68.846 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.996% अधिक है। इसी प्रकार, कंपनी 71.81 मिलियन टन कच्चे कोयले का प्रेषण करने में सफल रही है, जो विगत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 9.80% की वृद्धि है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 100.066 मिलियन घन मीटर मलबा हटाया गया। वर्ष 2021-22 में उत्पादन का लगभग 82.13% अर्थात 59.167 मि. टन कोयला विद्युत प्रक्षेत्र को प्रेषित किया गया।

कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से हमें पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त हुई है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादकता मात्रिक (ओएमएस-टन) 9.37 रही है।

वर्ष 2021-22 में सीसीएल का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 2094.73 करोड़ तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 2021-22 करोड़ रही। 31 मार्च, 2022 को कंपनी की कुल संपत्ति ₹ 8,411.98 करोड़ थी जो विगत वर्ष ₹ 7,548.53 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय 11.44% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल लाभांश 827.20 करोड़ रुपये रहा।

भविष्य में, सीआईएल की एक बिलियन टन की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 की उपलब्धि 68.846 मि.टन कोयला उत्पादन को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में मि.टन तथा 2024-25 में 135 मि.टन किया जाएगा।

नवीन एवं विस्तार परियोजनाएं/तकनीकी का अंगीकरण

खनन क्षेत्र की आवश्यकताओं और प्रगति के अनुरूप, हम उत्पादकता प्रदर्शन मानक का संवर्धन, विद्यमान एवं नवीन परिचालन के माध्यम से विकास आदि हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। अभिकल्पना अनुरूप सीसीएल अत्याधुनिक प्रोद्यौगिकी द्वारा खुली तथा भूमिगत खदानों, दोनों में, हरित पट्टी व विस्तार परियोजनाओं को आरंभ करने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान सकल स्वीकृत क्षमता 198.77 मि.टन की 24 परियोजनाएं परिचालन में है तथा कुल स्वीकृत क्षमता 29.89 मि.टन की 22 पूर्ण परियोजनाएं विद्यमान हैं। साथ ही, 3 परियोजनाएं चल रहीं है और एक गैर-खनन परियोजना टोरी-शिवपुर रेलवे (ट्रिपल लाइन) है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 04 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रथम मील संयोजकता-1 (एफएमसी) के अंतर्गत 25 मि.टन/वर्ष की क्षमता युक्त 03 नवीन सीएचपीयों का कार्य-आदेश जारी किया गया है। इनके अलावा, एफएमसी-II के अंतर्गत 03 अतिरिक्त सीएचपीयों की योजना प्रक्रियाधीन है।

नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण व अनुकूलन के विवेकपूर्ण समायोजन से प्रौद्योगिकीय वक्र के सदैव ऊपर बने रहने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए, निम्नलिखित परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं:

- व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण के लिए सैप का क्रियान्वयन
- सौर परियोजनाएं: वर्ष के दौरान 375 किलो वॉट पीक क्षमता का संवर्धन
- रेल व रोड वेब्रिज: वर्ष के दौरान 11 नए (100 एमटी क्षमता) रोड वेब्रिज और 120 एमटी क्षमता के 4 नए इन-मोशन रेल वेब्रिज की संस्थापना
- जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम
- सीसीएल कमान क्षेत्रों में सीसीटीवी द्वारा निगरानी
- अस्पताल प्रबंधन प्रणाली हेतु नेटवर्किंग अवसंरचना का निर्माण
- सीसीएल के सभी क्षेत्रों के लिए लैन की सुविधा
- ब्रॉडबैंड से हाई स्पीड एफटीटीएच में स्तरोनत्ति
- केंद्रीकृत लीज्ड लाइन इंटरनेट का प्रावधान

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

हमारा सीएसआर मात्र लोकोपकार तक सीमित नहीं है, यह संगठन के संवहनीय विकास का महतवपूर्ण रणनैतिक उपकरण है। इसमें हमारे परिचालन क्षेत्रों के निकट सामुदायों के सर्वांगीण विकास, संस्था-निर्माण एवं स्थिरता से संबंधित पहल सम्मिलित हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आजीविका, पेयजल, समाज का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास समरूप महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारी सीएसआर पहल और हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) के अनुरूप हों।

सीसीएल द्वारा विभिन्न स्वीकृत सीएसआर गतिविधियों पर रु 34.95 करोड़ खर्च किए गए है, उक्त व्यय में पिछले वर्षों का रु 10.14 करोड़ का सेट-ऑफ सम्मिलित है। इस प्रकार वर्ष के दौरान कार्यान्वित गतिविधियों पर रु 24.81 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर व्यय के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा तय की गई वार्षिक थीम "कोविड संबद्ध उपायों पर विशेष ध्यान सहित स्वास्थ्य एवं पोषण, अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना" थी। उक्त विषयक कार्यक्रम पर 15.24 करोड़ रुपये (अर्थात लगभग 61%) का व्यय किया गया ,इस प्रकार हमने लो.उ.वि. द्वारा निर्धारित वार्षिक थीम पर 60% के तय मानदंड से अधिक व्यय किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए, झारखंड के विभिन्न जिलों में 5 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू उपकरण और अन्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे के वर्धन हेतु 6.36 करोड़ रुपये व्यय किए।

कोविड-19 महामारी ने लोगों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, विशेष रूप से उन बच्चों की शिक्षा पर जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता या परिवार के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों को खो दिया। वैसे बच्चों की शिक्षा को निर्बाध जारी रखने के लिए सीसीएल ने कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके अलावा, इस प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं में से "सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली" एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत प्रथम बैच (2012-14) से अब तक 100 से अधिक छात्रों ने जेईई मुख्य एवं जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है। आकांक्षी जिलों का ध्यान , चतरा जिले में रु 1.03 करोड़ की लागत से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित 54 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की गईं।

सीसीएल सीएसआर और झारखंड सरकार के संयुक्त निवेश के साथ स्पोर्ट्स अकादमी के परिचालन हेतु गठित जेएसएसपीएस के कैडेटों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब तक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में 376 स्वर्ण, 240 रजत और 231 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। आशा है कि भविष्य में भी ये कैडेट इसी प्रकार का प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रतिभा के आधार पर चयनित लगभग 96% कैडेट अनुसूचीत जाति-अनुसूचीत जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों से संबंध रखतें हैं।

कौशल विकास के कार्यक्षेत्र में, कंपनी ने प्लास्टिक उद्योग में 90% प्लेसमेंट की परिकल्पना करते हुए 320 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पैप) को 6 महीने का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिपेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। कंपनी ने संभावित रोजगार उत्पन्न करने वाले राज्य अनुमोदित केंद्रों पर ड्राइविंग लाइसेंस सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पैप) को भारी वाहन (एचएमवी) का ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है।

एक प्रमुख सीएसआर पहल के तहत सीसीएल ने जिला प्रशासन (रामगढ़) और अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले में एक केंद्रीकृत रसोई की स्थापना करना तथा सरकारी स्कूलों में 50,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है।

भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची में 3 साल तक एक शेर और एक बाघ को गोद लेने के लिए सीसीएल ने झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

सीसीएल के कमान क्षेत्र अंतर्गत तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में समुदायों तक पहुंच बनाने तथा उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से, इस प्रकार की विभिन्न प्रभावी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रहीं हैं।

सुरक्षा

सुनिश्चित संगठनात्मक सुरक्षा हमारी कार्य-संस्कृति का मूल है तथा कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारा प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक दिन सुरक्षित रहे।

शून्य-घटना का लक्ष्य करते हुए, प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों का एक युग्म बनाया गया है। तदनुसार, हमारे सुरक्षा मानदंड सही मार्ग में प्रशस्त हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, प्रति 10 लाख घन मी. 0.02 गंभीर चोट दर मानदंड सुधार करने में सक्षम हुए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु, प्रमुख खतरों की बेहतर पहचान एवं प्रबंधन हेतु तथा गंभीर और संघातक घटनाओं की संभावना समाप्त एवं न्यून करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सुरक्षा प्रबंधन योजना
- नियमित सुरक्षा बोर्ड बैठक का आयोजन
- सुरक्षा समिति को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान
- केंद्रीय सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) पोर्टल
- अंतर क्षेत्र सुरक्षा लेखा परीक्षा
- प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाएं (पीएचएमपी)

सुरक्षा की दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं:

- मैन-राइडिंग प्रणाली - चुरी भूमिगत खदान हेतु।
- एचईएमएम ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए बहु-आयामी एचईएमएम सिम्युलेटर योजना।
- रजरप्पा और कथारा जीवीटी के उन्नयन के लिए कार्य योजना।
- मोबाइल मिस्ट स्प्रे स्प्रिंकलर द्वारा धूलि शमन। साइडिंग पर धूल उत्सर्जन कम करने के लिए फिक्स्ड टाइप वाटर स्प्रिंकलर।

पूर्व सक्रियता के कारण, सीसीएल को वर्ष 2021-22 के लिए कारपोरेट सुरक्षा पुरस्कार (1 नवंबर 2021) मिला। सुरक्षा प्रक्षेत्र में हमारी यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भविष्य में भी, हमारा ध्यान उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन तथा शून्य दुर्घटना को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ करने पर रहेगा।

मानव संसाधन

हमारे प्रतिबद्ध कार्मिक जो अब तक कंपनी की निरंतर प्रगति के कारक एवं महत्वपूर्ण अभिप्रेरक शक्ति बने रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में नित कठिन होती प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत करते हुए, हम, मानव संपदा प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टि रखते हुए कार्मिकों की प्रतिबद्धता व कार्य-दक्षता सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को एक अधिगम संस्था के रूप में संस्थापित किए जाने में पूर्ण विश्वास करते हैं।

कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल एवं ज्ञान-संवर्धन, कल्याण तथा सामाजिक सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ-साथ परियोजना प्रभावित कुटुंब एवं सामान्य जन के ऑन-जॉब कौशल तथा नियोजनीयता-वर्धन हेतु विभिन्न कौशल संवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह वृहत उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), सीसीएल, बरकाकाना स्थित केन्द्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई), बीटीटीआई, भुरकुंडा सहित राज्य स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) के मध्य बांटा गया है। सीसीएल में कार्यरत समस्त कार्मिकों को संपूर्ण-भारत एवं वैश्विक संस्थानों के माध्यम से आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आवश्यकता के अनुरूप तथा अधिकतम उम्मीदवारों तक पहुंच की दृष्टि से, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ उठा रहे हैं।

वर्ष के दौरान 316 कर्मचारियों के लिए बीटीटीआई, भुरकुंडा में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कुल 1150 छात्रों को नि:शुल्क इंटर्नशिप/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के संदर्भ में शिक्षु अधिनियम,1961 में निर्धारित कुल श्रमशक्ति का 2.5% संविदा श्रमिक सहित कुल 1245 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है जो कि श्रमशक्ति का 2.89% है।

सामाजिक उत्थान के प्रयोजन से मा.सं.वि., सीसीएल ने भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षु प्रशिक्षण योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत वर्ष के दौरान 68 चयनित छात्रों के साथ सीसीएल अंतर्गत चार प्रतिष्ठानों में युवा विद्यार्थियों को आईटीआई एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपी) की पहल की है। इसके अतिरिक्त, कम श्रमशक्ति की आवश्यकता के अनुरूप, कंपनी की श्रमशक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिशिक्षुओं को छोड़कर) 31 मार्च, 2021 में 36,717 से घटकर 31 मार्च, 2022 को 35,861 हो गयी है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय शिक्षुता दिवस -2021 पर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) में सराहनीय योगदान के लिए 4 सितंबर 2021 को मानव संसाधन विभाग सीसीएल को इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया।

पर्यावरण प्रबंधन

हम देश की अर्थव्यवस्था और समाज के प्रति अपने उतरदायित्व के महत्व को समझते हैं। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए, सीसीएल ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन की परिकल्पना की है, अपने प्रयासों को आस-पास के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हुए प्रकृति को जितना हम लेते हैं उससे अधिक देने की कोशिश कर रहे हैं।

पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु तथा भविष्य में सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ, आपकी कंपनी के पास आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001:2018 जैसी अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के अंतर्गत संवहनीय विकास के लिए सुपरिभाषित एवं प्रलेखित नियमावली, नीति, प्रक्रियाएं व दिशानिर्देश हैं। सीसीएल ने 4 खानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की है। एक उत्तरदायी कारपोरेट के रूप में, पर्यावरण निगरानी और प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

1. सीसीएल की समस्त खानों/वाशरियों का पर्यवेक्षण एनएबीएल अधिकृत सीएमपीडीआई की प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने परिवेशी वायु की निगरानी के लिए 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की खरीद की है। उक्त प्रणाली सीसीएल के सभी क्षेत्रों में वास्तविक वायुमण्डलीय पैरामीटर का समयोचित विवरण प्रदान करता है।

3. सीएमपीडीआई द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से खदान प्रत्यास्थापन की वस्तुस्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। सीएमपीडीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीसीएल की बीस (20) खदानों का भूमि सुधार/बहाली प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. सीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और पलामू जिलों के लगभग 120 गांवों / टोलों के सामुदायिक उपयोग के लिए लगभग 86 लाख कि.ली. खदान जल उपलब्ध कराया है।

5. जैविक सुधार और वनीकरण के एक भाग के रूप में, 133.64 हेक्टेयर क्षेत्र में घासरोपण/ वृक्षारोपण का कार्य किया गया जिसमें 30.81 हेक्टेयर में घास-बीज युक्त गोलों को प्रसरित किया गया।

6. रेलवे साइडिंग में वायु अवरोधक प्रणाली की स्थापना एवं हरित पट्टी का विकास।

निगमित प्रशासन

पारदर्शिता, जवाबदेही और कारपोरेट सुशासन किसी संगठन की सफलता का मजबूत नींव होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम यह पूर्व सुनिश्चित कर रहे हैं कि सीसीएल में सिद्धांतों व नीतियों का पूर्ण अनुपालन हो जो हमारे नेमि कार्यों में डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित करने के लिए एक मजबूत निगमित प्रशासन ढांचे का निर्माण करता है। मई 2010 से सीपीएसई।

विभिन्न विधिक अनुपालनों के पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड सदस्यों एवं कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता, दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल की संरचना और कार्यक्षेत्र अनुसार लेखा परीक्षा समिति के कार्य हेतु कंपनी द्वारा एक प्रणाली निरूपित एवं अनुपालन की गयी है। सीसीएल बोर्ड ने कंपनी में जोखिमों की निगरानी के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। निदेशकीय प्रतिवेदन में कारपोरेट प्रशासन पर एक पृथक खंड जोड़ा गया है। कार्यरत कंपनी सचिव ने वर्ष 2020-21 के दौरान कारपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण-पत्र भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुपालन में, वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा पूरी की गई।

उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन के साथ आपकी कंपनी ने अपनी "उत्कृष्ट "एमओयू रेटिंग बरकरार रखी है।

आभार

सर्वप्रथम, मैं, हमारी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, चिकित्सीय सेवाओं से संबद्ध कार्मिकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान कार्मिकों तथा समुदायों की सुरक्षा व आरोग्यता सुनिश्चित करने की दिशा अथक प्रयास करते हुए अनवरत सेवा की।

अनिश्चितता के दौर में हमारे कार्मिकों ने मानसिक सुदृढ़ता का परिचय देते हुए अपने प्रयासों से प्रतिबद्धता, साहस और सिद्धि की संस्कृति प्रदर्शित की जिससे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम गर्व से अपना-अपना सिर को ऊंचा रख आगे बढ़ सके। अपनी भूमिका या स्थान की परवाह किए बिना सीसीएल में काम करने का क्या मतलब है, यह परिभाषित करना हमारी कार्य संस्कृति के मूल उत्स रहा है।

विगत दो वर्षों में अर्थव्यवस्था गर्त से निकल कर तीव्र गति से उभर रही है तथा ऊर्जा की नित बढ़ती मांग इसका परिचायक है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आनेवाले समय में आपकी कंपनी पहले की तरह सभी स्तरों पर राष्ट्र के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और विविध व्यावसायिक हितधारकों की चुनौतियों और अपेक्षाओं पर खरा उतरना जारी रखेगी।

मैं अंशधारकों, कोयला मंत्रालय, वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों, श्रमिक संघों, व्यवसाय के सहभागियों तथा उपभोक्ताओं को उनके पूर्ण समर्थन एवं अथक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

वर्ष के दौरान अनगिनत उतार-चढ़ाव के बीच कोरोना महामारी के कठिन दौर में कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्र की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए मैं पुनः सीसीएल वृहत परिवार के सभी सदस्यों, हितधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधकीय टीम तथा सीआईएल के निरंतर समर्थन व अथक प्रयास, समर्पित परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री पी एम प्रसाद
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

पुरस्कार एवं सम्मान

कॉर्पोरेट सुरक्षा पुरस्कार-2021

इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईयर 2021

कच्चा कोयला
उत्पादन एवं उठाव

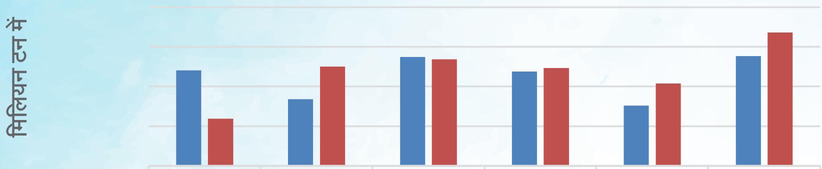

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन	67.05	63.41	68.72	66.89	62.59	68.85
उठाव	60.93	67.51	68.45	67.33	65.40	71.81

विक्रय

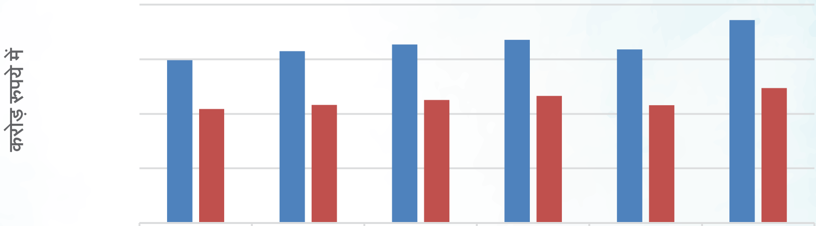

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सकल विक्रय (कोयला)	14899.71	15728.80	16343.92	16768.33	15900.51	18585.25
निवल विक्रय	10428.88	10817.89	11273.99	11642.64	10774.32	12352.13

लाभ

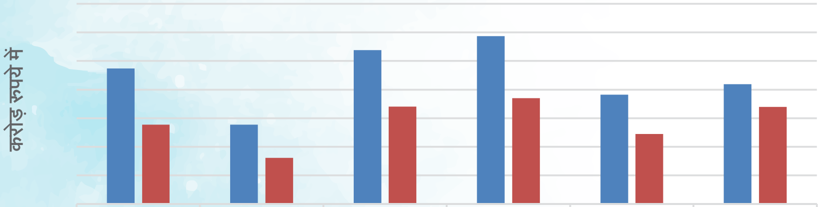

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर पूर्व लाभ	2371.30	1387.49	2692.20	2932.72	1913.18	2094.73
कर पश्चात लाभ	1387.11	807.78	1704.47	1847.75	1221.28	1696.92

निवल मालियत

संचालनात्मक आंकड़े

		31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1.	(क)	कच्चे कोयले का उत्पादन : (मि. टन)										
		भूमिगत	0.755	0.424	0.703	0.315	0.405	0.74	0.85	0.84	0.96	1.02
		खुली खदान	68.091	62.166	66.186	68.407	63.000	66.31	60.47	54.81	49.06	47.04
		योग	68.846	62.589	66.889	68.722	63.405	67.05	61.32	55.65	50.02	48.06
	(ख)	ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर.)	100.066	103.577	103.356	100.490	95.622	102.63	106.78	97.38	59.02	63.31
2.		ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)										
		स्टील	0.00	0.053	0.039	0.00	0.00	0.03	0.34	0.65	0.32	1.07
		बिजली	54.82	47.407	46.648	45.37	42.22	37.24	33.52	33.41	32.10	31.56
		सीमेंट	0.009	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उर्वरक	0.115	0.13	0.143	0.09	0.15	0.22	0.24	0.24	0.27	0.64
		अन्य	10.948	10.63	11.732	13.80	15.73	10.83	12.40	10.23	9.00	8.98
		वाशरी को कोल आपूर्ति	5.51	7.04	8.770	9.19	9.41	12.61	13.09	10.81	10.43	10.63
		कोलियरी खपत	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	71.81	65.40	67.332	68.45	67.51	60.93	59.59	55.34	52.12	52.89
3.		औसत श्रमशक्ति	36289	37444	38695	39919	41467	42919	44346	45849	47406	49076
4.		उत्पादकता:										
	(क)	प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (टन)	1897.16	1671.54	1728.62	1721.54	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81	1055.14	979.30
	(ख)	प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस)										
		(i) भूमिगत (टन)	1.17	0.44	0.540	0.214	0.194	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33
		(ii) खुली खदान (टन)	10.16	9.57	10.060	9.740	9.372	9.81	8.91	7.56	6.26	6.09
		(iii) समग्र (टन)	9.37	8.39	8.490	8.093	7.195	7.23	6.51	5.46	4.64	4.42
5.		लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना										
	(i)	प्रति मानव पाली अर्जन (रु)	4814.08	4185.94	4003.35	3794.70	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87	2377.57	2174.95
	(ii)	निवल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्या (रु प्रति टन)	1385.72	1343.69	1249.82	1125.09	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43	1079.17	1020.42
	(iii)	निवल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (रु प्रति टन)	1608.20	1456.20	1547.08	1497.68	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90	1414.86	1423.22

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	2021—22	2020—21	2019—20	2018—19	2017—18 (पुनर्लिखित)
ए.	गैर-चालू परिसंपत्तियां					
ए.	संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	5,737.61	5,532.00	4,670.11	2,496.09	2,421.09
बी.	प्रगतिशील पूँजी कार्य	900.83	907.26	736.75	2,355.18	1,640.62
सी.	आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	573.69	499.79	448.45	405.43	260.67
डी.	अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	19.93	10.93	4.37	5.74	2.16
इ.	वित्तीय परिसंपत्तियां					
i.	निवेश	345.63	64.63	32.00	32.00	32.00
ii.	ऋण	2.06	0.49	0.55	0.66	0.47
iii.	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,365.00	1,250.53	1,787.15	1,467.73	1,534.00
एफ.	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	679.47	674.14	843.44	1,039.09	1,047.58
जी.	अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	2,293.68	1,436.20	620.07	1,123.94	1,679.39
	कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)	**11,917.80**	**10,375.97**	**9,142.89**	**8,925.86**	**8,617.98**
बी.	चालू परिसंपत्तियां					
ए.	भंडारसूची	1,031.34	1,288.67	1,233.36	1,353.66	1,349.23
बी.	वित्तीय परिसंपत्ति					
i.	निवेश	64.72	—	0.48	52.56	—
ii.	व्यापार प्राप्य	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1,095.13	1,121.00
iii	नकद एवं नकद समतुल्य	664.91	226.69	117.94	244.55	161.98
iv.	अन्य बैंक शेष	1,413.04	986.69	490.85	841.51	1,194.23
v.	ऋण	—	—	—	—	—
vi.	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	97.84	256.70	591.44	628.38	537.60
सी.	चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	154.23	151.68	62.42	—	—
डी.	अन्य चालू परिसंपत्ति	3,217.82	2,711.04	2,399.05	2,575.01	2,093.56
	कुल चालू परिसंपत्ति (बी)	**8,793.55**	**9,024.00**	**7,387.65**	**6,790.80**	**6,457.60**
	कुल परिसंपत्ति (ए + बी)	**20,711.35**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**	**15,075.58**
	इक्विटी और देयता					
ए.	**इक्विटी**					
1.	**निर्गत, अभिदत्त एवं पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी**	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
2.	**पूँजी प्रतिदान शेष**	—	—	—	—	—
	प्रारंभिक शेष					
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
	अंतिम शेष	—	—	—	—	—
3.	**पूँजीगत संचय**	—	—	—	—	—
4.	**सामान्य संचय**					
	प्रारंभिक शेष	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48	2,029.00
	सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	84.85	61.06	92.39	85.22	39.48
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
	जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
	अंतिम शेष	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

वित्तीय स्थिति

भारतीय लेखा मानक के बाद (जारी...)

(रु करोड़ में)

क्र.				विवरण	2021—22	2020—21	2019—20	2018—19	2017—18 (पुनर्लिखित)
	5.			प्रतिधारित उपार्जन					
				प्रारंभिक शेष	4,475.46	3,315.24	1,914.58	653.43	215.71
				समायोजन	—	—	—	—	308.64
				वर्ष के लिए लाभ	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78
				विनियोजन					
				सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	(84.85)	(61.06)	(92.39)	(85.22)	(39.48)
				अन्य संचयों में स्थानान्तरण	—	—	—	—	—
				अंतरिम लाभांश	(404.20)	—	(294.22)	(297.04)	(531.10)
				अंतिम लाभांश	(377.88)	—	—	—	—
				निगमित लाभांश कर	—	—	(60.48)	(61.06)	(108.12)
				वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
				जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
				अंतिम शेष	**5,305.45**	**4,475.46**	**3,315.24**	**1,914.58**	**653.43**
	6.			**अन्य विस्तृत आय**					
				पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	(174.08)	(109.80)	134.44	154.13	52.39
				परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74
				अंतिम शेष	(225.47)	(174.08)	(109.80)	134.44	154.13
	7.			अन्य इक्विटी	7,471.98	6,608.53	5,451.53	4,202.72	2,876.04
	8.			कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी	8,411.98	7,548.53	6,391.53	5,142.72	3,816.04
	9.			गैर-नियंत्रित ब्याज	—	—	—	—	—
	10.			**कुल इक्विटी (ए)**	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**	**3,816.04**
बी.	**देयता**								
	गैर-चालू देयताएँ								
	ए.			वित्तीय देयताएँ					
		i.		उधारी	—	—	—	—	—
		ii.		व्यापार देयताएँ	—	—	—	—	—
		iii.		अन्य वित्तीय देयताएँ	146.25	84.40	81.21	70.61	60.09
	बी.			प्रावधान	5,118.65	4,876.36	4,116.22	3,411.37	3,324.05
	सी.			आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	—	—	—	—	—
	डी.			अन्य गैर-चालू देयताएँ	496.58	537.33	578.07	540.84	438.46
	कुल गैर-चालू देयताएँ (बी)				**5,761.48**	**5,498.09**	**4,775.50**	**4,022.82**	**3,822.60**
सी.	**चालू देयताएँ**								
	ए.			**वित्तीय देयताएँ**					
		i.		उधारी	—	—	—	—	150.00
		ii.		व्यापार देयताएँ	1,555.34	1,360.82	1,404.78	484.15	487.01
		iii.		अन्य वित्तीय देयताएँ	1,123.19	1,268.08	439.21	502.75	367.64
	बी.			अन्य चालू देयताएँ	3,037.75	2,889.75	2,577.22	4,556.45	4,903.02
	सी.			प्रावधान	821.61	834.70	942.30	1,007.77	1,529.27
	कुल चालू देयताएँ (सी)				**6,537.89**	**6,353.35**	**5,363.51**	**6,551.12**	**7,436.94**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए + बी + सी)				**20,711.35**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**	**15,075.58**

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

आय एवं व्यय का विवरण

भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.			विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
				2022	2021	2020	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)
ए.			से आय						
	1.		सकल विषय (कोयला)	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16343.92	15,728.80	14,899.71
			घटाव: उत्पाद शुल्क एवं अन्य लेवी	6,233.12	5,126.19	5,125.69	5069.93	4,910.91	4,470.83
	2.		निवल विक्रय	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11,273.99	10,817.89	10,428.88
	3.	i.	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चार्ज	—	—	—	—	—	—
		ii.	बालू भराई एवं सख्ती कार्य हेतु सब्सिडी	—	—	—	—	1.05	1.42
		iii.	परिवहन और लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निवल)	725.62	664.23	597.39	562.51	428.62	344.52
		iv.	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निवल)	408.67	326.34	340.69	343.40	102.55	—
		v.	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निवल)	—	—	—	—	—	—
	3.		अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निवल)	1,134.29	990.57	938.08	905.91	532.22	345.94
	4.	i.	निवेश एवं जमा का ब्याज	93.99	78.65	143.44	115.29	264.81	258.78
		ii.	म्युचुअल फंडों से लाभांश	—	0.01	3.15	4.92	10.59	23.25
		iii.	अन्य गैर-संचालन आय	239.70	212.62	458.86	192.82	233.56	279.44
	4.		अन्य आय	333.69	291.28	605.45	313.03	508.96	561.47
			कुल (ए)	13,820.11	**12,056.17**	**13,186.17**	**12,492.93**	**11,859.07**	**11,336.29**
बी.			के लिए प्रदत्त/प्रावधानित						
	1.	i.	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	4,247.07	3,863.35	3,866.92	3,755.20	3,754.14	3,442.45
		ii.	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान.	681.91	643.43	673.03	699.23	448.80	383.91
		iii.	ग्रेच्युटी	100.75	216.69	144.50	246.45	1,014.03	161.84
		iv.	अवकाश नकदीकरण	78.79	227.62	201.70	193.60	66.38	202.39
		v.	अन्य	367.10	281.61	374.15	234.38	195.20	211.14
	1.		कर्मचारी लाभ व्यय	5,475.62	5,232.70	5,260.30	5,128.86	5,478.55	4,401.73
	2.		उपभुक्त सामान की लागत	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02	799.50
	3.		तैयार माल भंडार में बदलाव/प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	278.86	(57.43)	126.37	(23.44)	512.66	(612.61)
	4.		बिजली एवं ईंधन	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35	290.92
	5.		सामाजिक निगमित उत्तरादायित्व में व्यय	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90	30.29
	6.		मरम्मति	273.20	287.91	347.09	374.57	326.69	205.39
	7.		संविदात्मक व्यय	1,867.10	1,638.11	1,604.04	1,322.13	1,294.38	1,320.99
	8.		वित्त लागत						
			छूट का अनवाईनडिंग	81.77	78.91	75.09	69.53	67.21	68.11
			अन्य वित्तीय लागत	—	4.98	0.53	5.72	103.60	3.77
	9.		मूल्यह्रास/अमूर्तिकरण/क्षति	647.55	554.26	490.39	344.28	351.52	372.63
	10.		स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	725.21	365.87	180.41	347.60	284.51	91.03
	11.		प्रावधान एवं राइट ऑफ	3.44	12.93	35.52	93.95	1.73	471.50
	12.		अन्य व्यय	1,202.79	1,011.26	1,091.02	1,069.09	1,020.46	1,521.74
			कुल (बी)	**11,725.38**	**10,142.99**	**10,253.45**	**9,800.73**	**10,471.58**	**8,964.99**

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

आय एवं व्यय का विवरण

भारतीय लेखा मानक के बाद (जारी...)

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2022	2021	2020	2019	2018 (पुनर्लिखित)	2017 (पुनर्लिखित)
13.	**कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (ए-बी)**	**2,094.73**	**1,913.18**	**2,932.72**	**2,692.20**	**1,387.49**	**2,371.30**
14.	अपवादात्मक वस्तु	—	—	—	—	—	—
15.	**कर पूर्व लाभ**	**2,094.73**	**1,913.18**	**2,932.72**	**2,692.20**	**1,387.49**	**2,371.30**
16.	घटाव: कर व्यय	397.81	691.90	1,084.97	987.73	579.71	984.19
17.	**वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ**	**1,696.92**	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**	**1,387.11**
18.	समाप्त संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	—	—	—	—	—	—
19.	संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लाभ/(हानि) में अंश	—	—	—	—	—	—
20.	**वर्ष के लिए लाभ**	**1,696.92**	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**	**1,387.11**
21.	**अन्य विस्तृत आय**						
	ए. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	(68.68)	(85.90)	(326.38)	(30.27)	155.59	20.05
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	(17.29)	(21.62)	(82.14)	(10.58)	53.85	8.32
	बी. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—	—	—	—
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—	—	—	—
22.	**अन्य कुल विस्तृत आय**	**(51.39)**	**(64.28)**	**(244.24)**	**(19.69)**	**101.74**	**11.73**
	वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ/(हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	**1,645.53**	**1,157.00**	**1,603.51**	**1,684.78**	**909.52**	**1,398.84**
23.	**आरोप्य लाभ:**						
	कंपनी के स्वामी	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		1,696.92	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**	**1,387.11**
24.	**अन्य आरोप्य विस्तृत आय:**						
	कंपनी के स्वामी	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		(51.39)	**(64.28)**	**(244.24)**	**(19.69)**	**101.74**	**11.73**
25.	**कुल आरोप्य विस्तृत आय:**						
	कंपनी के स्वामी	**1,645.53**	**1,157.00**	**1,603.51**	**1,684.78**	**909.52**	**1,398.84**
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		1,645.53	**1,157.00**	**1,603.51**	**1,684.78**	**909.52**	**1,398.84**

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना

भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17 (पुनर्लिखित)
ए.	**परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित**						
1.	i. रू. 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या.	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
	ii. शेयरधारकों की निधि						
	ए. इक्विटी शेयर पूँजी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	बी. आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48	2,029.00
	सी. संचित लाभ/हानि	5,079.98	4,301.38	3,205.44	2,049.02	807.56	268.10
	निवल संपत्ति	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**	**3,816.04**	**3,237.10**
	डी. पूँजीगत शेष	—	—	—	—	—	—
	शेयरधारकों की निधि	**8,411.98**	**7548.53**	**6391.53**	**5142.72**	**3816.04**	**3237.10**
2.	i. चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	—	—	—	—	1500.00
	ii. चालू परिपक्वता दीर्घकालिक उधारी छोड़ण	—	—	—	—	—	1200.00
3.	i. सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	8,602.80	7,838.14	6,568.64	3960.35	3531.70	3190.10
	ii. संचित मूल्यह्रास/क्षति	2,865.19	2,306.14	1,898.53	1464.26	1110.61	763.70
	iii. निवल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5,737.61	5,532.00	4,670.11	2496.09	2421.09	2426.40
4.	i. चालू परिसंपत्ति	8,793.55	9,024.00	7,387.65	6790.80	6457.60	7338.02
	ii. चालू देयताएँ	6,537.89	6,353.35	5,363.51	6551.12	7436.94	6956.83
	iii. निवल चालू परिसंपत्तिया/कार्यशील पूँजी	**2,255.66**	**2,670.65**	**2,024.14**	**239.68**	**(979.34)**	**381.19**
5.	**i. नियोजित पूँजी [3 (iii) + 4 (iii)]**	**7,993.27**	**8,202.65**	**6,694.25**	**2735.77**	**1441.75**	**2807.59**
	ii. निवल पूँजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	1,494.45	1,417.98	1,189.57	2766.35	1903.45	1381.98
	iii. सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूँजी [5 (i) + 5 (ii)]	**9,487.72**	**9,620.63**	**7,883.82**	**5502.12**	**3345.20**	**4189.57**
6.	i. व्यापार प्राप्य	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1095.13	1121.00	1673.79
	ii. नकद एवं नकद समतुल्य	664.91	226.69	117.94	244.55	161.98	325.07
	iii. अन्य बैंक शेष	1,413.04	986.69	490.85	841.51	1194.23	1349.08
7.	i. कोयले का अंत स्टॉक (निवल)	881.21	1,163.03	1,103.27	1229.85	1206.37	1925.17
	ii. भंडार एवं कलपुर्जों का अंत स्टॉक (निवल)	144.46	123.03	125.51	119.15	137.92	164.78
	iii. अन्य अंत स्टॉक (निवल)	5.67	2.61	4.58	4.66	4.94	6.31
बी.	**लाभ/हानि संबद्ध**						
1.	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	2,824.05	2,551.33	3,498.73	3111.73	1909.82	2815.81
	ii. सकल लाभ (पीबीडीआईटी)	2,176.50	1,997.07	3,008.34	2767.45	1558.30	2443.18
	iii. कर पूर्व लाभ	2,094.73	1,913.18	2,932.72	2692.20	1387.49	2371.30
	iv. वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1704.47	807.78	1387.11
	v. निवल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	914.84	1,221.28	1,553.53	1407.43	276.68	(2246.93)
	vi. कुल विस्तृत आय	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1684.78	909.52	1398.84
2.	i. कोयले का सकल विक्रय	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16343.92	15728.80	14899.71
	ii. निवल विक्रय	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11273.99	10817.89	10428.88
	iii. उत्पादन का विक्रय मूल्य	12,073.27	10,831.75	11,516.27	11297.43	10305.23	11041.49
3.	बेचे गए सामान का विक्रय मूल्य (निवल विक्रय-पीबीटी)	10,257.40	8,861.14	8,709.92	8581.79	9430.40	8057.58
4.	कुल व्यय	11,725.38	10,142.99	10,253.45	9800.73	10471.58	8964.99
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	5,475.62	5,232.70	5,260.30	5128.86	5478.55	4401.73
	ii. उपयुक्त सामग्री की लागत	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02	799.50
	iii. बिजली एवं ईंधन	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35	290.92
	iv. वित्तीय व्यय एवं मूल्य ह्रास	729.32	638.15	566.01	419.53	522.33	444.51
5.	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	71.26	60.87	63.58	66.36	59.59	66.63
6.	i. वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	36,313.5	37,444	38,989.5	40000	41467	42919
7.	i. सीएसआर व्यय	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90	30.29
	ii. प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (रु'0000)	14.63	12.41	13.57	10.29	9.14	7.06
8.	अभिवृद्धित मूल्य	10,956.57	9,864.72	10,526.47	10270.13	9312.86	9951.07
	i. प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (रु'0000)	3,017.22	2,634.53	2,699.82	2567.56	2245.88	2318.60

संचालनात्मक आंकड़े (स्टैण्डअलोन)

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात

भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017—18 (पुनर्लिखित)	2016—17 (पुनर्लिखित)
ए.	**लाभकारित अनुपात**						
1.	**प्रतिशत के रूप मे निवल विक्रय**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	22.86	23.68	30.05	27.60	17.65	27.00
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	17.62	18.54	25.84	24.55	14.40	23.43
	iii. कर पूर्व लाभ	16.96	17.76	25.19	23.88	12.83	22.74
2.	**प्रतिशत के रूप में कुल व्यय**						
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	46.70	51.59	51.30	52.33	52.32	49.10
	ii. उपभुक्त सामान की लागत	7.29	7.20	7.44	8.12	6.83	8.92
	iii. बिजली एवं ईंधन	2.23	2.23	2.21	2.36	2.65	3.25
3.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	35.33	31.10	52.26	113.74	132.47	100.29
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	27.23	24.35	44.94	101.16	108.08	87.02
	iii. कर पूर्व लाभ	26.21	23.32	43.81	98.41	96.24	84.46
4.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	29.77	26.52	44.38	56.56	57.09	67.21
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	22.94	20.76	38.16	50.30	46.58	58.32
	iii. कर पूर्व लाभ	22.08	19.89	37.20	48.93	41.48	56.60
5.	**कार्य संचालन अनुपात (निवल विक्रय - पीबीटी/निवल विक्रय)**	**0.83**	**0.82**	**0.75**	**0.76**	**0.87**	**0.77**
बी.	**तरलता अनुपात**						
	1. चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएँ)	1.35	1.42	1.38	1.04	0.87	1.05
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियां /चालू देयताएँ)	1.19	1.22	1.15	0.83	0.69	0.75
सी.	**टर्नओवर अनुपात**						
	1. पूँजीगत टर्नओवर अनुपात						
	i. निवल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूँजी)	1.55	1.31	1.74	4.12	7.50	3.71
	ii. निवल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूँजी)	1.30	1.22	1.48	2.05	3.23	2.49
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निवल)						
	i. सकल विक्रय	1.39	2.57	1.78	0.80	0.86	1.35
	ii. निवल विक्रय	2.09	3.79	2.57	1.17	1.24	1.93
	3. निवल विक्रय के अनुपात के रूप में						
	i. व्यापार प्राप्य	0.17	0.32	0.21	0.10	0.10	0.16
	ii. कोयले का भंडार	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.18
	4. कोयले का भंडार						
	i. माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	0.88	1.29	1.15	1.31	1.40	2.09
	ii. माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.03	1.58	1.52	1.72	1.54	2.87
	iii. माह की संख्या अनुसार निवल विक्रय	0.86	1.30	1.14	1.31	1.34	2.22
डी.	**संरचनात्मक अनुपात**						
	1. दीर्घकालिक ऋण: इक्विटीगत शेयर पूँजी	—	—	—	—	—	1.28
	2. दीर्घकालिक ऋण: निवल संपत्ति	—	—	—	—	—	0.37
	3. निवल संपत्ति: इक्विटी	8.95	8.03	6.80	5.47	4.06	3.44
	4. निवल अचल संपत्ति : निवल संपत्ति	0.68	0.73	0.73	0.49	0.63	0.75
इ.	**शेयरधारकों का ब्याज**						
	1. शेयर का अंकित मूल्य (रु.) (निवल संपत्ति/इक्विटी की संख्या)	8,948.91	8,030.35	6,799.49	5,470.98	4,059.62	3,443.72
	2. प्रति शेयर लाभांश (रु.)	430.00	402.00	313.00	316.00	565.00	3866.00

निदेशकीय प्रतिवेदन

प्रति,
अंशधारकगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकीय मंडल की ओर से अंकेक्षित वित्तीय विवरणी सहित कंपनी की 66वीं वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उक्त के सापेक्ष प्रबंधन के उत्तर के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षित लेखा पर समीक्षा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

1. उत्पादन

वर्ष 2020-21 की वास्तविक आंकड़ों तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	2021-22		2020-21	विगत वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (एमटी)	73.290	68.091	62.166	9.531
भूमिगत खदान से (एमटी)	0.710	0.755	0.424	78.285
कुल (एमटी)	**74.000**	**68.846**	**62.589**	**9.996**
ओबीआर (एमएम3)	**128.000**	**100.066**	**103.577**	**-3.389**
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (एमटी)	0.600	0.400	0.437	-8.513
प्रेषण (एमटी)	0.600	0.528	0.358	47.574
धुला कोयला (नॉन-कोकिंग)				
उत्पादन (एमटी)	5.700	4.267	5.510	-22.556
प्रेषण (एमटी)	5.700	4.213	5.515	-23.613
उत्पादकता (ओएमएस-टीई)				
खुली खदान	12.54	10.16	9.57	
भूमिगत खदान	0.64	1.17	0.44	
कुल	**10.65**	**9.37**	**8.39**	

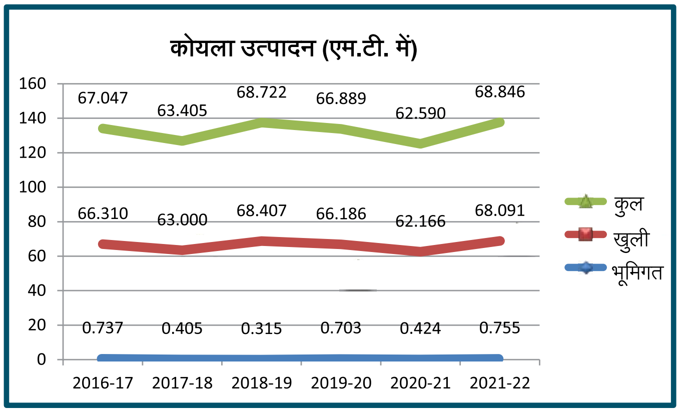

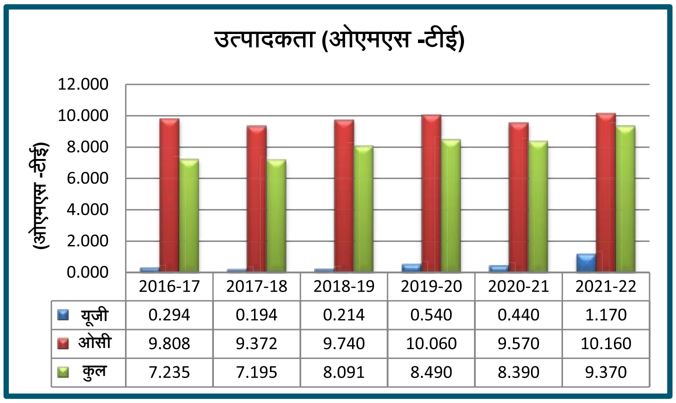

2. वाशरी का प्रदर्शन

आपकी कंपनी कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोयले के परिष्करण व्ययवसाय में है। सीसीएल में कोयले के परिष्करण/ बेनीफिशिएशन हेतु कोकिंग कोयले की चार तथा गैर-कोकिंग कोयले की दो गैर-कोकिंग कोल वाशरियां अवस्थित हैं।

उपलब्धियां 2021-22

1. कथारा वाशरी के परिप्रेक्ष्य में क्षमता उपभोग वित्त-वर्ष 2020-21 में 13% के सापेक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18% हुई है।
2. कथारा वाशरी में फ़ीड एवं परिष्कृत कोयले में क्रमश: 33% एवं 13% वृद्धि हुई है।
3. स्वांग वाशरी में क्षमता उपभोग वित्त-वर्ष 2020-21 में 6% के सापेक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 में बढ़कर 26% हुई है।
4. केदला वाशरी में, परिष्कृत कोयले की उत्पादकता वित्त-वर्ष 2020-21 में 30% के सापेक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 में बढ़कर 37% हुई है।
5. कोकिंग कोल वाशरी में, परिष्कृत कोयले की सकल उत्पादकता वित्त-वर्ष 2020-21 में 29 % के सापेक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33 % हुई है।
6. वित्त वर्ष 2020-21 में 3.58 लाख टन के मुकाबले गैर-कोकिंग कोल वाशरीयों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में 5.25 लाख टन परिष्कृत कोयले का प्रेषण किया गया है|

अनुकरणीय कार्य:

- केदला वाशरी के दोनों जिगों का नवीनीकरण/ विशद रखरखाव का सफल संपादन किया गया।
- कथारा वाशरी के विभिन्न अनुभागों में नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।
- रजरप्पा वाशरी के वृहत नवीकरण हेतु कार्य आवंटित कर दिया गया है।
- मेसर्स एसजीएस द्वारा सेल और आरआईएनएल को परिष्कृत मध्यम कोकिंग कोल की आपूर्ति हेतु तृतीय पक्ष सैंपलिंग का कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया है।

नयी वाशरी इकाईयों की स्थापना से संबद्ध उपलब्धियां:

- 3 मि.ट./वर्ष न्यू कथारा और 4 मि.ट./वर्ष बसंतपुर तपिन कोकिंग कोल वाशरी हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना सहमति स्वीकृति दी गई है|
- 3 मि.ट./वर्ष न्यू रजरप्पा वाशरी की स्थापना हेतु निविदा तथा सीआर एवं आईबीडी अनुमोदन के स्तर पर है |
- 5 मि.ट./वर्ष कारो वाशरी के स्थान पर, दो नई वाशरियां क्रमश: ढ़ोरी क्षेत्र अंतर्गत ढ़ोरी वाशरी (3 मि.ट./वर्ष), तथा मौजूदा स्वांग वाशरी के समीप न्यू स्वांग वाशरी (1.5 मि.ट./वर्ष) प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित ढ़ोरी तथा न्यू स्वांग वाशरी का पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन (पीएफ़आर) तैयार करने का कार्य सीएमपीडीआईएल को सौंपा गया है। उक्त दोनों वाशरीयों से संबद्ध परियोजना पूर्व गतिविधियां संपन्न की जा रहीं हैं |

3. प्रेषण

वर्ष 2021-22 में कच्चे कोयले का सकल प्रेषण 71.81 मि.टन रहा। विगत वर्ष की तुलना में माध्यमवार प्रेषण निम्नानुसार है:

(आंकड़े मि. ट. में)

साधन	2021-22	2020-21	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	48.92	48.12	1.66%
सड़क	17.38	10.23	69.89%
वाशरी को फीड	5.51	7.04	-21.73%
कोलियरी खपत	0.00	0.00	-
कुल प्रेषण	71.81	65.40	9.80%

वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीएल द्वारा रोड-माध्यम से कोयला-प्रेषण में 69.89% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रेषण 72.04 मिलियन टन रहा। वर्ष 2021-22 में कोयले एवं इसके विभिन्न उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण निम्नलिखित है:

(आंकड़े करोड़ रु में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	स्वच्छ कोयला	धुला कोयला शक्ति	नन- कोकिंग धुला कोयला	स्लरी	रेजेक्ट्स	कुल
पावर	54.82	0.00	0.197	4.15	0.00	0.00	59.167
स्टील	0.00	0.487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.487
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	0.417	0.00	0.573	0.00	0.00	0.00	0.99
उर्वरक	0.115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.115
अन्य*	10.948	0.041	-0.015	0.063	0.138	0.103	11.278
कुल	**66.3**	**0.528**	**0.755**	**4.213**	**0.138**	**0.103**	**72.037**

* अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई-ऑक्शन, भूतपूर्व नॉन-कोर ग्राहक, स्पंज लोहा, सी.पी.पी. एवं राज्य ऐजेंसियाँ

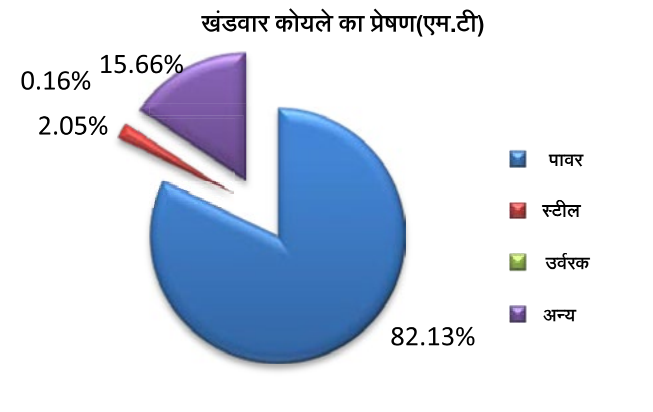

4. कोयला भंडार

दिनांक 31.03.2021 को 10.491 मिलियन टन कोयला*-भंडार की तुलना में 31 मार्च 2022 को अपरिष्कृत कोयले का भंडार' 7.521 मिलियन टन था।

*(*सभी उत्पादक ईकाइयों, कोयला वाशरियों एवं कोक संयंत्रों में अपरिष्कृत कोयला-भंडार सहित)*

5. सकल विक्रय तथा विक्रय-प्राप्ति

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी का सकल विक्रय रु 18,585.25 करोड़ एवं विक्रय-प्राप्ति रु 16,859.62 करोड़ रही (सभी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि सहित)। 31 मार्च 2022 तक कर्जदारों (सकल) की क्षेत्रवार सारणी निम्नवत है:

(आंकड़े करोड़ रु में)

क्षेत्र	31.03.2022 को	31.03.2021 को
पावर	2,116.31	3,265.39
स्टील	813.25	907.89
अन्य	40.33	40.33
कुल	2,969.89	4,213.61

6. एचइएमएम की संख्या एवं उपलब्धियां:

2021-22 के दौरान सीसीएल में उपलब्ध एचईएमएम की संख्या, उपलब्धियां तथा प्रणाली धारिता उपयोग:

एचईएमएम	निम्नदर्शित तिथि पर संख्या	
	31.03.22	31.03.21
शॉवल	72	82
डंपर	292	272
डॉज़र	180	174
ड्रिल	104	106
सकल	**648**	**634**

एचईएमएम	उपलब्धता %			धारिता %		
	मानक	वास्तविक		मानक	वास्तविक	
		21-22	20-21		21-22	20-21
शॉवल	80	80.2	79.3	58	45.0	45.2
डंपर	67	78.0	76.0	50	41.4	40.0
डॉज़र	70	79.8	77.9	45	14.9	16.8
ड्रिल	78	88.7	87.9	40	20.8	20.6

7. प्रणाली धारिता उपयोगिता:

01-04-21 के आंकलन अनुसार वर्ष 2021-22 की कुल प्रणाली क्षमता (एमएम 3)	खुली खदानों द्वारा उत्पादन उपलब्धि (2021-22)			धारिता %	
	कोयला	ओबीआर	सम्मिलित		
	(एमटी)	(एमएम 3)	(एमएम 3)	2021-22	2020-21
199.57	68.095	99.454	142.827	71.6	73.5

8. कोयला विपणन

8.1 एएपी के अनुसार मांग पूर्ती

(आंकड़े करोड़ रु में)

क्षेत्र	मांग (एएप)	प्रेषण	% संतुष्टि	मांग (एएप)	प्रेषण	% संतुष्टि	विगत वर्ष पर वृद्धि %
	2021-22	2021-22	2021-22	2020-21	2020-21	2020-21	
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	1.5	1.477	98%	1.328	1.237	93%	19%
पावर	62	59.17	95%	58.66	52.897	90%	12%
उर्वरक	0.15	0.115	77%	0.15	0.13	87%	-12%
अन्य	16.35	11.28	69%	13.862	11	79%	3%
कुल	80	72.04	90%	74	65.27	88.19%	10%

8.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 में कोलफील्डवार लोडिंग की वस्तुस्थिति निम्न सारणी में दी गयी है:

(आंकड़े रेक/दिन)

रेलवे फील्ड्स	2021-22	2020-21	विगत वर्ष पर वृद्धि %
साउथ कर्णपुरा	4.77	3.98	20%
नार्थ कर्णपुरा	27.36	27.39	0%
उप-कुल कर्णपुरा	32.13	31.38	2%
झरिआ	8.10	6.76	20%
पू.म.रेलवे कुल	40.23	38.13	6%
गिरिडीह	0.07	0.08	-18%
पू. रेलवे कुल	0.07	0.08	-18%
रांची	0.88	0.83	6%
द.पू. रेलवे	0.88	0.83	6%
सीसीएल कुल	41.18	39.04	5%

8.3 कोयले की ई-नीलामी

वि.व. 2021-22 के दौरान स्पॉट ई-नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार हैः

अवधि	स्पॉट ई-नीलामी योजना	पेशकश की मात्रा (मिलियन टन)	दर्ज मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचीत कीमत पर % लाभ
2021-22	रेल	0.818	0.409	6%
	सड़क	15.56	9.999	98%
	स्लरी	0.355	0.283	58.19%
	रेजेक्ट्स	0.182	0.151	322.10%
	कुल	**16.915**	**10.842**	**93.27%**

9. कोयले का चूर्णण :

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार उपभोक्ताओं को सिर्फ -100 मि.मी. चूर्ण कोयला प्रेषित किया जाना चाहिए। खनित कोयले को वांछित आकार में चूर्ण करने के लिए क्रशर/फीडर ब्रेकर/सीएचपी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर -100 मि.मी. आकार में कोयला चूर्णन हेतु चल-क्रशर का उपयोग किया जा रहा है|

कोनार कोयला हैंडलिंग संयंत्र (5 मि.टन./वर्ष) स्थापना पश्चात 5 वर्ष की अवधि तक परिचालन तथा रख-रखाव हेतु रु250,15,52,800.00 का कार्य-आदेश मेसर्स हेवी हैमटेक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पत्रांक सं. जीएम (ईएंडएम)/ सीएचपी(कोनार)/ एलओए/22/658, दिनांक 17.03.2022 द्वारा दिया गया है|

साथ ही, उत्तरी उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र (7.5 मि.टनपीए) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और फरवरी 2023 तक पूरा होने की आशा है|

विभिन्न सीएचपीयों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। सीएचपीयों की स्थापना से खदान से रेल-वैगनों तक कन्वेयर-बेल्ट के माध्यम से कोयले का परिवहन सुनिश्चित होगा। यह प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है तथा ट्रक/टिपर आदि के माध्यम से कोयले के परिवहन की आवश्यकता को समाप्त होगी |

10. तुलन गृहों का प्रदर्शन

i. **रोड वेब्रिज:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सीसीएल में 11 नए रोड वेब्रिज (क्षमता 100 मि.ट.) स्थापित किए गए हैं। अद्यतन सीसीएल में कुल 152 रोड वेब्रिज का परिचालन किया जा रहा है |

ii. **रेल-वेब्रिज:**

आरडीएसओ मानक के अनुरूप 140 मि.टन क्षमता युक्त इन-मोशन रेल वेब्रिज के 14 सेट की आपूर्ति के लिए जनवरी, 2020 में एक आपूर्ति-आदेश जारी किया गया है। समस्त 14 सेट की

आपूर्ति की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, शिवपुर साइडिंग तथा न्यू कोनार साइडिंग में 03 रेल-वेब्रिज स्थापित किए जा चुके हैं। फूलबसिया साइडिंग में 140 मि.टन क्षमता के 02 रेल-वेब्रिज को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है|

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में 03 स्थानों यथा सीपी साइडिंग, गिरिडीह, स्वांग वाशरी, राजधर साइडिंग तथा केडी (ओल्ड) में 120 मि.टन क्षमता के नए इन-मोशन रेल-वेब्रिज लगाए गए हैं|

अद्यतन, सीसीएल में कुल 28 रेल-वेब्रिज परिचालन में हैं|

वेब्रिज संचालन में सुधार और ब्रेकडाउन अवधि को कम करने और कोयला प्रेषण को कारगर बनाने हेतु सीसीएल में रोड एवं रेल-वेब्रिज के संचालन और रखरखाव से संबद्ध एक मानक संचालन प्रक्रिया क्रियान्वित की गई है|

10.1 सीसीएल की सौर परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन विवरण:

क्र	विवरण	
1.	मार्च 2022 तक रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता (किलोवॉट पीक में)	1247.5 किलोवॉट पीक
2.	31.03.2021 तक कुल स्थापित रूफ टॉप किलोवॉट पीक की क्षमता में	872.5 किलोवॉट पीक
3.	वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर वित्त वर्ष 2021-22 में रूफ टॉप सौर क्षमता में वृद्धि	375 किलोवॉट पीक
4.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न सौर ऊर्जा (किलोवॉट घंटे)	7,46,234 किलोवॉट घंटे

10.2 ऊर्जा-उपभोग में ह्रास

क. सीसीएल के क्षेत्रों को डीवीसी तथा जेबीवीएनएल के विभिन्न आपूर्ति बिंदुओं से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीएल का विद्युत उपभोग 669.60 मिलियन किलोवॉट घंटा रही, जबकि 2020-21 के दौरान विद्युत की खपत 702.01 मिलियन किलोवॉट घंटा रही थी। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ऊर्जा-उपभोग में 4.62% का ह्रास हुआ है|

ख. 2021-22 में, सीसीएल को ₹4.66 करोड़ का लोड फैक्टर छूट और त्वरित भुगतान हेतु ₹1.62 करोड़ की छूट मिली|

ग. सीसीएल के लगभग समस्त क्षेत्रों में पावर फैक्टर 0.90 से ऊपर बना हुआ है। अधिक कैपेसिटर बैंक स्थापित करके इसे और बेहतर बनाया जा रहा है|

घ. वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न रेटिंग की 9731 एलईडी लाइटों का क्रय आदेश दिया गया। 70 सुपर पंखों के लिए क्रय आदेश दिया गया। 136 ऊर्जाक्षम एसी के लिए क्रय आदेश दिया गया है। 238 ऑटो टाइमर के लिए क्रय आदेश दिया गया। 37 ऊर्जाक्षम वॉटर हीटर के लिए आदेश दिया गया। 21 कैपेसिटर बैंक के लिए क्रय आदेश दिया गया। सीसीएल मुख्यालय के लिए 16 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने का आदेश दिया गया|

ङ. वित्त वर्ष 2021-22 में 8*300 वॉट एलईडी फिटिंग्स युक्त 190 लाइटिंग टावरों का क्रय किया गया है तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं/लगाए जा रहे हैं|

च. सीसीएल में कैपेसिटर बैंक की कुल स्थापित क्षमता 30,440 केवीएआर है। 11,900 केवीएआर कैपेसिटर बैंक के लिए क्रय आदेश दिया गया था। उक्त कैपेसिटर बैंक स्थापित किए जा रहे हैं|

11. उपभोक्ता संतुष्टि

कोयला उपभोक्ता के संतुष्टि को ध्यान में रखकर उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता तथा चूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए हैं। इस संबंध में व्यवहृत उपाय निम्नवत हैं :

- सीसीएल में क्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर पूर्ण-प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारीण युक्त गुणवत्ता प्रबंधन विभाग अवस्थित है|
- सीसीएल में प्रेषण हेतु कोयले के नमूना चयन एवं विश्लेषण हेतु पर्याप्त अवसंरचना के साथ सुसज्जित 11 प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं|
- उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीएसआईआर-सिंफर तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद को लदान छोर पर प्रेषित कोयले का नमूना चयन एवं विश्लेषण के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी (TPSA) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है|
- उपरोक्त टीपीएसए के अलावा, दो नई एजेंसियों, मेसर्स कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीआईएल द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और इन एजेंसियों ने 2021-22 में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है|
- सीसीएल के सभी क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2021-22 को 'गुणवत्ता वर्ष' के रूप में मनाया गया। गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पादन और कोयले के प्रेषण में लगे श्रमशक्ति के लिए कोयला गुणवत्ता प्रबंधन पर वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए|
- इस वर्ष तृतीय पक्ष द्वारा अनुमानित 47.68 एमएमटी कोयले का नमूना चयन तथा विश्लेषण किया गया|

- उपभोक्ताओं की शिकायतों हेतु एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली है। इसमें उपभोक्ताओं के शिकायतों की जांच की जाती है तथा प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई ढंग से की जाती है|
- उपभोक्ताओं को (-) 100 मि.मी. आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई जाती है जिसे सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी हेतु सीसीएल में रेलवे साइडिंग पर फीडबैक रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है|
- कोयले की लोडिंग देखने के लिए उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जाता है|
- गुणवत्ता हमारे व्यवसाय का एक प्रमुख पहलू है और कोयला गुणवत्ता निगरानी, उत्पादन, डिस्पैच आदि में नियोजित श्रमशक्ति को संवेदनशील बनाया जाता है ताकि वांछित गुणवत्ता और परिमाण का कोयला उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके|
- प्रेषित कोयले की गुणवत्ता प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसे सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है|
- आईटी पहलः सीआईएल ने कोयला गुणवत्ता निगरानी पोर्टल विकसित किया है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में किया जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन डेटाबेस को उत्तम पोर्टल (अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइन्ड कोल) के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है|

12. सीसीएमसी विभाग की उपलब्धियां

1. वित्त वर्ष 2021-22 में सीसीएल की 33 खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत का मानदंड सीएमपीडीआईएल के सहयोग से तय किया गया। ईंधन संरक्षण हेतु सीएमपीडीआईएल की संतुस्ति का परिचालन ईंधन संरक्षण से जुड़े समस्त कार्मिकों के मध्य किया गया|
2. सीसीएल परियोजनाओं में डीजल खपत की नियमित और सख्त निगरानी की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में विभागीय एचईएमएम में एचएसडी की खपत 44138 केएल थी जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 47374 कि.ली. थी। इस प्रकार, कुल मिलाकर 3236 केएल डीजल की कमी हुई जो कि वर्ष 2020-21 में कुल खपत का 6.83% है।

   वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल किया गया एसडीसी 1.21 लीटर/क्यू.मी.था और इस प्रकार, 1.27 लीटर/क्यू.मी. के सीएमपीडीआईएल बेंचमार्क से 4.38% का सुधार हुआ है।
3. वित्त वर्ष 2021-22 में सीसीएल की कुल विद्युत खपत 669.60 मि.किलोवाट घंटे रही जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 702.01 मि.किलोवाट घंटे रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 के विद्युत खपत की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में ऊर्जा उपभोग में 4.62% का सुधार दृष्टिगत हुआ है|
4. प्रयुक्त तेल के विश्लेषण हेतु तापिन नॉर्थ में टीबीएन के अतिरिक्त सीसीएल के तीन क्षेत्रीय कर्मशालाओं यथा तपिन उत्तरी, कथारा और ढकरा में क्रमशः तीन टीएएन, टीबीएन तथा आद्रतांश विश्लेषक उपस्कर कमीशन किए गए|.
5. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा पर एक रिपोर्ट संकलित एवं प्रकाशित की गई थी। अग्रेत्तर सुधारात्मक उपाय करने के लिए सभी संबंधित कार्मिकों के मध्य उक्त रिपोर्ट को परिचालित किया गया|
6. पीईएसओ दिशानिर्देश अनुसार तेल कंपनियों द्वारा कुछ परियोजनाओं में डीजल बाउसर की टॉप लोडिंग सुविधा प्रदान की गयी है तथा कुछ परियोजनाओं में उक्त का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इस वर्ष जून माह के अंत तक कार्य समाप्त होने की प्रत्याशा है|
7. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 से सीआईएल ऑडिट प्रेक्षण के अनुपालन में असामान्य ऊर्जा का उपभोग करने वाले सीसीएल की पांच खादानों में विद्युत ऊर्जा ऑडिट सीएमपीडीआई के समन्वय से किया गया तथा वर्तमान वर्ष में उक्त ऑडिट किया जा रहा है|
8. ज्ञान संवर्धन और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रांची में ऊर्जा संरक्षण उपायों पर बहु-कार्यात्मक डीजल योजक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय से सभी संबंधित सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई|

13. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार

आधुनिक 'डिजिटल इंडिया' में किसी भी संगठन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीसीएल के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विभाग द्वारा कई नवोन्मेषी योजनाएँ कार्यान्वित की गयी हैं जिनके क्रियान्वयन से दैनिक सम्प्रेषण, डेटा-अंतरण सुगम हुआ है तथा हमारे वृहत प्रसरित क्षेत्र निकट हुए हैं तथा उनके अनुप्रयोग से कोयला प्रेषण एवं परिवहन में पारदर्शी आई है। कुछ मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं

13.1 सीसीएल का वाइड एरिया नेटवर्क

रांची में स्थित सीसीएल मुख्यालय सहित सीसीएल 13 क्षेत्रों एवं केंद्रीयकृत इकाइयों का परिचालन किया जा रहा है |

i. वैन/लैन की कनेक्टिविटी समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, वेब्रिज (सड़क एवं रेल), क्षेत्रीय भंडार एवं केंद्रीकृत इकाइयों में प्रदान की जाती है। सीसीएल में वैन 5 वर्षों के लिए किराए के आधार पर मेसर्स टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। प्रत्येक कमान क्षेत्र, क्षेत्रीय भंडार और केंद्रीकृत इकाइयों को ओएफसी या आरएफ लिंक द्वारा 2 एमबीपीएस एमपीएलएस लिंक उपलब्ध कराया गया। सीसीएल (मुख्यालय) में रिडनडेन्सी सहित 10 एमबीपीएस एमपीएलएस उपलब्ध था। क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय भंडारों में न्यूनतम

5 पॉइंट लैन उपलब्ध था। वैन/लैन की यह प्रणाली वास्तविक समय के आधार पर समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार, परियोजना कार्यलयों, केंद्रीय अस्पताल, खान बचाव केंद्र आदि के विभिन्न स्थानों के बीच ऑनलाइन डेटा विनिमय सुनिश्चित करती है। उक्त मुख्य कनेक्टिविटी का उपयोग जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीएल में सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ आरएफआईडी द्वारा किया जाता है। उक्त अनुबंध की अवधि 3 विस्तारों के पश्चात 18.03.2022 को समाप्त हुई (6 महीने के दो विस्तार तथा 3 महीने के लिए तीसरा विस्तार) ।

ii. ***बीएसएनएल वैन (ईआरपी के लिए सेकेंडरी एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वैन नेटवर्क) :*** सीसीएल के समस्त कमान क्षेत्रों में बेहतर वैन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मेसर्स टीसीआईएल की मौजूदा वैन नेटवर्क के अतिरिक्त दिनांक 26.02.2018 को मेसर्स बीएसएनएल को कार्य- आदेश जारी किया गया। कुल 57.09 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस नेटवर्क के अंतर्गत 5 साल तक किराए पर 279 लिंक उपलब्ध है। सीसीएल मुख्यालय में 100 एमबीपीएस एमपीएलएस-वीपीएन लिंक और एमआरएस, रामगढ़ में 40 एमबीपीएस एमपीएलएस-वीपीएन लिंक प्रदान किया गया है। 10 एमबीपीएस एमपीएलएस-वीपीएन लिंक का उपयोग सीसीएल मुख्यालय से समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों, केंद्रीय इकाइयों और क्षेत्रीय भंडारों को जोड़ने के लिए किया जाएगा । सीसीएल के सम्बद्ध क्षेत्रों एवं विक्रय कार्यालयों, परियोजना अधिकारी कार्यालय, इकाइयों, सड़क और रेल वेब्रिज के ऑनलाइन कार्यों हेतु 2 एमबीपीएस लिंक का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण एवं क्रियान्वित कर लिया गया है । सीसीएल के कमान क्षेत्रों में उक्त नेटवर्क पर ई- ऑफिस को नेटवर्क सुविधाएं प्रदान की गयी है । साथ ही एमपीएलएस-वीपीएन आधारित नेटवर्क का उपयोग करके सीसीएल मुख्यालय में स्थित वेब्रिज से केंद्रीय सर्वर तक रियल-टाइम डेटा-ट्रान्सफर को भी पूरा किया जाता है। बीएसएनएल वैन के अतिरिक्त 168 एमपीएलएस लिंक की स्थापना का प्रस्ताव ईसीओडी में रखी तथा मंजूरी दी गई है। इन अतिरिक्त लिंक का उपयोग आवश्यकतानुसार ईआरपी तथा अन्य अनुप्रयोगों हेतु अधिक दूरस्थ स्थानों को अतिरिक्त के साथ जोड़ने के लिए किया जाएगा |

iii. ***रेलटेल वैन (ईआरपी हेतु प्राथमिक एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वैन नेटवर्क):*** सीसीएल में 5 वर्षों के लिए किराए के आधार पर मेसर्स रेलटेल को उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी (2 स्थानों पर 500 एमबीपीएस लिंक, 1 स्थान पर 100 एमबीपीएस लिंक, 18 स्थानों पर 40 एमबीपीएस लिंक), 50 स्थानों पर 10 एमबीपीएस लिंक, 40 स्थानों पर 4 एमबीपीएस लिंक और 336 स्थानों के लिए 2 एमबीपीएस लिंक) प्रदान करने के लिए दिनांक 19.03.2021 को कार्य-आदेश जारी किया गया। कुल 447 साइटों में से 378 साइटों को मेसर्स रेलटेल को सौंप दिया गया है। मेसर्स रेलटेल ने 378 स्थलों में से 352 स्थल के तैयार होने की सूचना दी है। उक्त नेटवर्क मेसर्स टीसीआईएल के पूर्व वैन नेटवर्क से उन्नत है तथा यह पूर्व स्थापित वैन को प्रतिस्थापित कर सीसीएल में ईआरपी कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक कनेक्टिविटी के मुख्य आधार के रूप में कार्य करेगा|

13.2 सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में लोकल एरिया नेटवर्क

सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि हेतु किराए पर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करने हेतु दिनांक 06.11.2021 को मेसर्स रेलटेल को कार्य-आदेश निर्गत किया गया। यह लोकल एरिया नेटवर्क मेसर्स टीसीआईएल के लैन से स्तरोन्नत है तथा उक्त लैन को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें सीसीएल के समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय, परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, लेखा कार्यालय, क्षेत्रीय भंडार, सेंट्रल भंडार, रिपेयर शॉप, खान बचाव केंद्र तथा अन्य सभी प्रमुख साइटों पर अपेक्षित समस्त सामग्री सहित 2338 लैन बिंदुओं का प्रावधान किया गया है|

13.3 अस्पताल प्रबंधन प्रणाली हेतु नेटवर्किंग अवसंरचना

अस्पताल प्रबंधन प्रणाली हेतु सीसीएल के चार केंद्रीय अस्पतालों में नेटवर्किंग अवसंरचना संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना तथा प्रारंभ करने हेतु दिनांक 18.11.2021 को जीईएम पर कस्टम बोली के आधार पर कार्य-आदेश जारी किया गया। केंद्रीय भंडार तथा सीसीएल के चार केंद्रीय अस्पतालों क्रमशः गांधीनगर अस्पताल, रांची, केंद्रीय अस्पताल, रामगढ़, ढोरी तथा उत्तरी कर्णपुरा में सामग्री की आपूर्ति की गयी है । नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रक्रियाधीन है|

13.4 सीसीएल कमान क्षेत्रों हेतु सीयूजी सेवाएं

सीसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3 वर्षों के लिए सीसीएल के समस्त अधिकारियों तथा निर्धारित कर्मचारियों के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) सुविधा के अंतर्गत दूरभाष सुविधा दी जा रही है। उक्त हेतु कार्य-आदेश 25.01.2022 को जारी किया गया। इसके योजना के अंतर्गत असीमित कॉलिंग सुविधा के साथ कुल 4228 कनेक्शन दिये गए जिसमें प्रति दिन न्यूनतम 1 जीबी डेटा और प्रति माह 500 (स्थानीय + एसटीडी) एसएमएस की सुविधा दी गयी है |

13.5 मगध एवं आम्रपाली की परियोजनाओं के लिए डिजिटल वॉकी-टॉकी, ट्रांसीवर तथा रिपीटर सेट :

3 वर्षीय वारंटी सहित 100 डिजिटल वॉकी-टॉकी ,18 ट्रांसीवर तथा 4 रिपीटर सेट की आपूर्ति हेतु दिनांक 19.02.2022 को जीईएम के माध्यम से कार्य-आदेश जारी किया गया है। वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस

प्राप्त होने के बाद सामग्री का वितरण किया जाएगा। इनका उपयोग ब्लास्टिंग, सीआईएसएफ के परिचालन कार्य, ओपन कास्ट खनन कार्यों, सुरक्षा, कोयला वाशरी संचालन तथा अन्य संयंत्र एवं रखरखाव जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा|

13.6 ब्रॉडबैंड से हाई स्पीड एफटीटीएच अपग्रेडेशन :

सीसीएल मुख्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शन को लैन के अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु उच्च गति वाले एफटीटीएच कनेक्शन में स्तरोन्नत किया गया है|

13.7 केंद्रीयकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन

सीसीएल द्वारा विभिन्न इंटरनेट प्रदाताओं के माध्यम से सीसीएल मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रों में इंटरनेट लीज्ड लाइनों की विभिन्न बैंडविड्थ उपलब्ध कराई गयी है। सीसीएल मुख्यालय में लैन में वितरण के लिए आईएलएल की 310 एमबीपीएस बैंडविड्थ का क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त, मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सेर्विसेस के जीपीएस/जीपीआरएस और आरएफआईडी सर्वर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को आईएलएल उपलब्ध कराया गया है। सीसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में बीएसएनएल एमपीएलएस वीपीएन स्थानों पर केंद्रीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने एवं न्यूनतम 128 सार्वजनिक आईपी के साथ 1 जीबीपीएस असंपीड़ित (1:1) आईएलएल के प्रावधान हेतु मेसर्स बीएसएनएल को संदर्भ संख्या : सीसीएल (मुख्यालय)/ईएंडटी/डब्ल्यूओ/1 जीबी पीएस_आईएल/2021-22/126, दिनांक 26.02.2022 द्वारा एक कार्य-आदेश जारी किया गया है|

13.8 सीसीएल तथा क्षेत्रों में वीसी सिस्टम

सीसीएल के समस्त क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित एवं परिचालित है। रिकॉर्डिंग सर्वर एवं सेंट्रल स्ट्रीमिंग के साथ मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू) सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थापित है। सभी दूरस्थ स्थानों में 01 वीडियो एंडपॉइंट के साथ एक पब्लिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट प्रदान किया गया है। यह प्रणाली इंटरनेट पर काम करती है, जिसके कारण सीआईएल (कोलकाता) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के एमसीयू और सार्वजनिक आईपी की किसी भी वीसी सिस्टम से जोड़ा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, सभी कार्यकारी निदेशकों के कार्यालय, सीवीओ कक्ष, सीएमडी के आवासीय कार्यालय और गांधीनगर अस्पताल में वीसी सिस्टम प्रदान किया गया है। सार्वजनिक आईपी के साथ उपर्युक्त वीसी प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विभाग ने कोविड के दौरान प्रतिबंधों को दृष्टिगत करते हुए लिंक के साथ सॉफ्टवेयर/ वेब आधारित वीसी की सुविधा भी प्रदान की है । इस पूरी वीसी प्रणाली ने निरंतर समन्वय के साथ लॉकडाउन अवधि में भी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, कोयला मंत्रालय, सीआईएल मुख्यालय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि के साथ बैठकें आयोजित करने में सहायता की है, जिसके कारण प्रशासनिक और प्रबंधन सम्बद्ध निर्बाध निर्णय लेने में आसानी हुई |

13.9 सीसीएल कमान क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी

कोयला मंत्रालय तथा सीवीओ, सीआईएल के निर्देशानुसार कोयला चोरी की किसी भी संभावना की रोकथाम के लिए सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है । भंडार गृह, विस्फोटक मैगज़ीन, प्रवेश- निकास बिन्दु, रेल वेब्रिज और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है |

सीसीएल कमान क्षेत्रों अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर 1650 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए है और क्रियान्वित हैं । समस्त क्षेत्र के कैमरों को क्षेत्रीय मुख्यालय से नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा गया है तथा इसकी केंद्रीकृत निगरानी की व्यवस्था सीसीएल मुख्यालय एवं सीआईएल मुख्यालय में की गयी है। सीआईएल द्वारा चिन्हित सीसीएल की पांच प्रमुख खदानों के सीसीटीवी कैमरों का सजीव प्रसारण सीआईएल मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है |

13.10 वेब्रिज संचालन और रखरखाव

एफओआईएस के अनुपालन हेतु ईएंडटी विभाग द्वारा रेल वेब्रिज की एएमसी, सॉफ्टवेयर स्थापना और उन्नयन का कार्य किया है। एफओआईएस के अनुपालन तथा एफओआईएस सर्वरों को डेटा ट्रान्सफर हेतु रेल वेब्रिज की कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गयी है, जो पूर्व मध्य रेलवे और पूर्वी रेलवे के छोर पर प्रक्रियाधीन है । सीसीएल के 14 रेल वेब्रिजों हेतु एफओआईएस एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। तथा ई एंड टी विभाग द्वारा एसएपी के साथ वेब्रिज डेटा ट्रांसफर एवं एकीकरण भी पूरा कर लिया गया है |

13.11 सीसीएल कमान क्षेत्रों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ आरएफआईडी

सीसीएल ने मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेस इंडिया टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से एकीकृत सिस्टम स्थापित की है जो कोयले के ट्रकों, डंपरों और निजी टिप्परों, आरएफआईडी, पर सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण हेतु 112 रोड वेब्रिज निगरानी प्रणाली, 52 परियोजना कार्यालय का कम्प्युटरीकरण तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय में नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गयी ताकि 24X7 निगरानी की जा सके । एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थित है|

चूंकि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त इंटरनेट लीज लाइन बैंडविड्थ उपलब्ध है, अतः सीसीएल मुख्यालय से सभी सड़क वेब्रिजों से 112 सीसीटीवी कैमरों के लाइव सीसीटीवी फुटेज द्वारा सफलतापूर्वक निगरानी की

जा रही है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन से खदानों के आसपास काम करने वाले श्रमिकों और लोगों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिली है, ट्रक चालकों द्वारा ड्राइविंग के नियमों के पालन में सुधार हुआ है और लापरवाही से वाहन चलाने, निर्धारित गति से अधिक गति एवं ट्रकों के ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हुआ है|

मगध- आम्रपाली क्षेत्र में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागु किया गया है जिसमें वर्तमान में 1000 जीपीएस डिवाइस लगाए गए हैं। मगध- आम्रपाली क्षेत्र में चेक-पोस्ट पर बूम- बैरियर आधारित प्रणाली के साथ आरएफआईडी भी स्थापित किए गए हैं|

13.12 जेम पटल से अन्य क्रय गतिविधियां

ई.एंडटी. विभाग ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा विभाग (तकनीकी विभाग जैसे - ई एंड टी) हेतु मल्टीफंक्शन मशीन, यूपीएस, आदि के साथ-साथ पोर्टेबल पीए सिस्टम एवं मेगाफोन जैसी वस्तुओं का सफलतापूर्वक क्रय किया है। साथ ही जीईएम से 10 लाख एसएमएस की सेवा क्रय की गयी जिनका उपयोग कर्मचारियों/अन्य हितधारकों को एसएमएस के रूप में विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के संवितरण के लिए किया जाता है|

14. सुरक्षा

सीसीएल में, खान-सुरक्षा प्राथमिक विषय है। अतः हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्र-बिन्दु संसाधनो की 'शून्य-क्षति' सुनिश्चित करना है। कंपनी में आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) द्वारा खान-सुरक्षा की देखरेख की जाती है। महाप्रबंधक (सुरक्षा) के नेतृत्व में आईएसओ में अनुभवी और तकनीकीक्षम बहुसंवर्गीय अधिकारियों की एक टीम कार्य कर रही है |

सीसीएल ने वर्ष 2021-22 हेतु दिनांक (1 नवंबर, 2021) को सुरक्षा के क्षेत्र में कॉर्पोरेट पुरस्कारों में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित खानों को वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया

वर्ष	खदान का नाम	पुरस्कार	पुरस्कार श्रेणी
2019	गोविंदपुर फेज-II ओसीपी	विजेता	न्यूनतम चोट आवृत्ति दर (एलआईएफआर) प्रति मिलियन क्यू.मी. आउटपुट.
2019	एसडीओसीएम, ढोरी क्षेत्र	हरकारा	प्रति लाख मैनशिफ्ट की न्यूनतम चोट आवृत्ति दर (एलआईएफआर)

सुरक्षा प्रबंधन योजना:

i. डीजीएमएस अधिकारियों के सहयोग से समस्त गतिविधियों व प्रत्येक गतिविधि से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी खुली एवं भूमिगत खदानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार की गयी है। सुरक्षित संचालन प्रक्रियाएं विनिर्मित की गयी हैं एवं संबद्ध कर्मियों के मध्य संवितरित की गयी है|

ii. साइट- विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण तथा अनुपालन |

iii. एसएमपी की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं यह एक निरंतर क्रियाशील प्रक्रिया है |

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक :

प्रत्येक माह आवर्तन के आधार पर सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक किसी एक क्षेत्र में आयोजित की जाती है। निदेशक (तकनीकी/संचालन) अथवा निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें क्षेत्रीय महाप्रबंधकगण, सीसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्षगण, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि और आईएसओ अधिकारियों की उपथिति रहती है |

ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिगण, आईएसओ नोडल अधिकारी सहित क्षेत्र के प्रत्येक खदान का निरीक्षण करते हैं | निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक खदान की खामियों को दूर करने के लिए खदान प्रबंधन द्वारा की गयी कार्रवाई को सदस्यों के समक्ष रखा जाता है|

सुरक्षा अभियान :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईएसओ द्वारा चलाए गए विभिन्न सुरक्षा अभियान इस प्रकार हैं :

- सीसीएल की खुली खदानों और भूमिगत खदानों में स्थित सब-स्टेशन एवं अन्य विद्युत केन्द्रों में विद्युत रख-रखाव पर सुरक्षा-अभियान चलाया गया |
- मई, 2021 में खुली खदान और भूमिगत खानों में मानसून की तैयारी पर सुरक्षा - अभियान चलाया गया |
- जनवरी, 2022 में आउटसोर्स की गई खदानों में "ठेकेदार श्रमिकों की सुरक्षा" पर सुरक्षा अभियान चलाया गया |
- फरवरी 2022 में, समस्त खुली खदानों में हॉल रोड, प्रकाशन तथा हाउसकीपिंग पर सुरक्षा अभियान चलाया गया |
- मार्च 2022 में समस्त भूमिगत खदानों में सुरक्षित कार्यप्रणाली विषय पर सुरक्षा अभियान चलाया गया।

सुरक्षा समिति का सुदृढ़ीकरण

खदान में पिट सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और सीसीएल सुरक्षा सदस्य भी शामिल होते हैं | सुरक्षा संबद्ध जानकारी देने हेतु खनन कार्य में लगे संवेदकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है|

सुरक्षा समिति की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु सीसीएल की सभी खदानों में सुरक्षा समिति की सक्रियता और कामगार निरीक्षकों की भूमिका पर विशेष अभियान चलाया गया।

यह सबसे प्रभावी मंच है जहां प्रतिभागी जमीनी स्तर पर अपना बहुमूल्य सुझाव देते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक

प्रत्येक माह सीसीएल की समस्त खदानों में सुरक्षा की वस्तुस्थिति पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय सुरक्षा -अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाती है। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (तक.) (सं.) या निदेशक (तक.) (यो. एवं परि.) द्वारा की जाती है तथा इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी एवं आईएसओ अधिकारी शामिल होते हैं। इससे मुख्यालय एवं क्षेत्र के मध्य परस्पर संचार प्रणाली स्थापित व सुरक्षा सम्बद्ध मुद्दों के समाधान में सहायक सिद्ध होती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीएल में सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति:

सीसीएल ने हाल के वर्षों में अपने सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए जारी सुरक्षा संबंधी पहलों सह वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं|

- सीसीएल मुख्यालय, रांची में द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन क्रमशः दिनांक 15.09.2021 और 25.11.2021 को किया गया|
- समस्त खुली एवं भूमिगत खदानों के अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा लेखा परीक्षा बहुसंवर्गीय समूह द्वारा दो चरणों में अर्थात अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित की गयी।
- कर्मियों को उनकी नौकरी की सुरक्षा के साथ उनके वातावरण तथा सहकर्मियों के बारे में जानकारी अद्यतन रखने हेतु उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी सुझाव दिये जाते हैं।
- सीसीएल के समस्त खदानों में संचालन एवं रखरखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर लागु की गई है।
- किसी भी प्रकार की खान दुर्घटना से बचने हेतु प्रधान जोखिम प्रबंधन योजनाएँ (PHMP) तैयार तथा नियंत्रण उपायों को लागु किया जाता है।
- सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह एक क्षेत्र के सभी खदानों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान दृष्टिगत प्रेक्षणों को समयबद्ध रूप से सुधारा जाता है।
- पिट सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा खदानों का मासिक निरीक्षण किया जाता है तथा पीएससी की बैठकों में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार के प्रतिनिधिगण के साथ आईएसओ अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं।
- समस्त कर्मचारियों के मध्य विभिन्न खान सुरक्षा प्रक्रिया, संचालन तथा दुर्घटना के विश्लेषण से संबंधित किया जाना चाहिए या और क्या न करें विषय पर वीडियो क्लिप/एनिमेशन फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न वीटीसी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान उक्त वीडियो क्लिप तथा एनिमेशन फिल्मों का प्रदर्शन जाता है। इस प्रयास से समस्त कर्मचारियों के मध्य मूल स्तर पर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने तथा सर्वोत्तम सुरक्षा संस्कृति में विकास होने की प्रत्याशा है।
- सुरक्षा सम्बद्ध वीडियो को परदर्शित करने के उद्देश्य से विभिन्न इकाइयों में प्रोजेक्टर स्क्रीन सहित 32 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर उपलब्ध कराये गए हैं।

सुरक्षा लेखा

सीआईएल की समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के तहत वित्त वर्ष 2021-22 हेतु जुलाई 2021 में सुरक्षा ऑडिट का आरंभ किया गया।

क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में बहुसंवर्गीय अधिकारियों युक्त 10 अंकेक्षण टीमों का गठन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, सीसीएल की 35 खुली खदानों में कुल 317 तथा 04 भूमिगत खानों में 33 कमियां दृष्टिगत हुईं थीं। उक्त कमियों पर विधिवत सुधार 31.01.2022 तक कर लिया गया है।

कृत्रिम पूर्वाभ्यास

सीसीएल में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भूमिगत और खुली खदानों में 71 कृत्रिम पूर्वाभ्यास आयोजित किए गए। उक्त अभ्यासों का विषय एचईएमएम में लगी आग, कर्मियों के डूबने, भूमिगत पंपिंग स्टेशन के निकट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, जल अंर्तप्रवाह आदि रहा।

2021-22 में आईएसओ द्वारा की गयी पहल

मैन - राइडिंग सिस्टम - चुरी भूमिगत खदान में डीजीएमएस द्वारा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात 02 "फ्री स्टीयर्ड व्हीकल" का परिचालन किया जाएगा।

- सीसीएल एक बहुआयामी एचईएमएम सिम्युलेटर क्रय करेगी ताकि एचईएमएम के संचालकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- रजरप्पा और कथारा जीवीटी के उन्नयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।
- सीसीएल में मोबाइल मिस्ट स्प्रे-स्प्रिंकलर द्वारा धूलि शमन किया जा रहा है। साइडिंग पर धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं।

केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) पोर्टल

सीएसआईएस पटल सक्रिय किया गया जिसमें खान प्रबंधक द्वारा समस्त रिपोर्ट, आंकड़े और डेटा यथा सांविधिक श्रमशक्ति, सांविधिक दस्तावेज़, प्रशिक्षण निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना/ घटना आदि अपलोड किया जाता है। इसे और अधिक प्रभावी और अद्यतनतम रखने हेतु आईएसओ अधिकारियों द्वारा पटल की नियमित समीक्षा की जाती है |

सांविधिक श्रमशक्ति

वित्त वर्ष 2021-2022 में जूनियर ओवरमैन पद के 61 कर्मियों की नियुक्ति तथा पदस्थापना की गयी |

सुरक्षा प्रदर्शन

विवरण	अप्रैल 2020- मार्च 2021	अप्रैल 2021 – मार्च 2022
गंभीर दुर्घटना	1	2
संघटक दुर्घटना	1	2
गंभीर दुर्घटना	8	2
घटक जख्म	8	3
मृत्यु दर प्रति क्यू. मि. कुल (ओबी+कोयला) (यूजी+ओसीपी))	0.01	0.01
मृत्यु दर प्रति 3 लाख मानव- शिफ्ट कुल	0.04	0.08
गंभीर चोट दर प्रति मि. क्यू. मि..	0.05	0.02
प्रति 3 लाख मानव- शिफ्ट पर गंभीर चोट की दर	0.32	0.12

वैज्ञानिक अध्ययन

कोयला खान नियम - 2017 के विनियम 106 के अनुरूप सीसीएल के समस्त खदानों में खड्डे एवं डंप ढलान स्थिरता संबद्ध 15 वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं |

क्रय :

1. एक (01) गैस क्रोमैटोग्राफ का क्रय किया गया है |
2. बाईस (22) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का क्रय किया गया |
3. उन्नासी (79) मेगा फोन क्रय किए गए |
4. 32000 जोड़े खनन जूतों का क्रय किया गया है|

सुरक्षा जागरूकता के लिए वृतचित्र फिल्म

सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संघातक व गंभीर दुर्घटनाओं/घटनाओं पर आधारित 14 सुरक्षा विडियो क्लिपों का निर्माण किया गया तथा विभागीय और संविदा कर्मचारियों के मध्य व्यापक रूप से प्रदर्शित/साझा किया गया|

15. कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

15.1 कार्मिक प्रबंधन

क. दिनांक 31.03.2021 को कंपनी की श्रमशक्ति संख्या 36717 की तुलना में दिनांक 31.03.2022 की वर्तमान श्रमशक्ति 35861 है। 31.03.2021 की तुलना में 31.03.2022 को श्रम-शक्ति निम्न सारणी में श्रेणीवर प्रदर्शित है।

वर्ग	31.03.2022	31.03.2021
अधिकारी	2285	2107
सुपरवाइजरी	3255	3148
अत्यधिक कुशल / कुशल	11206	11591
कुशल/अकुशल(टिआर)	14910	15004
कुशल/अकुशल (पीआर)	215	902
अनुसचिवीय कर्मचारी	3677	3610
अन्य	313	355
कुल	35861	36717

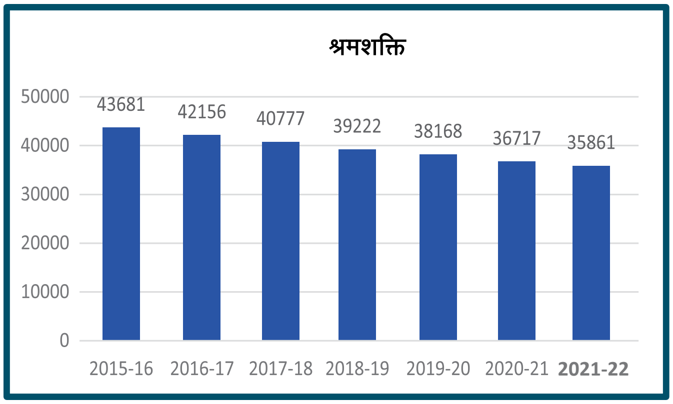

वर्ष 2021-22 के दौरान श्रमशक्ति-संख्या में 856 का घटाव हुआ। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी 2059 कर्मचारी घटे। मौजूदा श्रमशक्ति-संख्या में 1203 कर्मचारियों की वृद्धि हुई।

कटौती:

श्रम-शक्ति में कटौती	कर्मचारियो की संख्या (31.03.2022)
सेवानिवृति	1180
मृत्यु	608
अंतर कंपनी स्थानांतरण	196
इस्तीफा	30
निष्कासन/बर्खास्तगी	44
वी.आर.एस(जीएचएस)	1
चिकित्सीय अयोग्यता	0
अन्य	0
कुल कटौती	**2059**

वृद्धिः

श्रम-शक्ति में वृद्धि	कर्मचारियो की संख्या (31.03.2022)
9.3.0 के तहत नियुक्ति	476
भू-विस्थापन के अंतर्गत नियुक्ति	163
मृतक अधिकारियो के आश्रितो की नियुक्ति	5
9.4.0 के तहत नियुक्ति	0
अंतर कंपनी स्थानांतरण	200
नयी भर्ती	354
पुनर्नियुक्ति	4
अवार्ड केस	0
अन्य (एसएफ्विआरएस)	1
कुल	1203

15.2 भर्ती विभाग

- जूनियर ओवरमैन हेतु विज्ञापित 75 पदों में से 62 उम्मीदवारों द्वारा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया जा चुका है।
- 44 चिकित्सा अधिकारियों (वरीय चिकित्सा विशेषज्ञ ई-4, चिकित्सा विशेषज्ञ ई-3, वरीय चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) ई-3 तथा वरीय चिकित्सा अधिकारी (दंत) ई-3) की भर्ती हेतु सूचना विज्ञापित की गयी थी। 522 उम्मीदवारों का साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया। दस्तावेज सत्यापन उपरांत सफल 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र निर्गत किया गया था जिसमें से 12 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सीसीएल में योगदान किया गया। 13 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा-सूची (2तीय चरण) प्रकाशित की जा चुकी है तथा कंपनी निदेशक सिद्धांत अनुरूप उनकी भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- भर्ती विभाग में ओएमआर मशीन संस्थापित है तथा ओएमआर मशीन द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न भर्ती/विभागीय अभ्यर्थियों की डीपीसी आदि के लिए ओएमआर मूल्यांकन की विस्तारित सुविधा सीसीएल के विभिन्न विभागों/क्षेत्रों को उपलब्ध करायी जा रही है।

16. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रबंधकों, कर्मचारियों, श्रमिकों और संविदात्मक श्रमिकों तथा हितधारकों में सिद्धांत एवं प्रयोग को संश्लेषित करने का कौशल प्रदान करने की पहल की जाती है। यह विभाग प्रबंधन के प्रयोजन मूलक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारियों के मध्य क्रॉस फंक्शनल इनपुट, अधिकारियों हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं तथा नव-नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रवेश व अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन करता है।

जहां तक प्रशिक्षण एवं विकास का संबंध है मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल द्वारा मुख्यतः दो केंद्रीय क्षेत्रों पर प्रश्रय दिया जा रहा है:

- ज्ञान संवर्धन
- कौशल विकास

ज्ञान संवर्धन परिक्षेत्र के अंतर्गत, प्रबंधन के प्रयोजनमूलक प्रक्षेत्र, कार्यकारी अधिकारियों को क्रॉस फंक्शनल इनपुट प्रदान करना, अधिकारियों हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं नव नियुक्त अधिकारियों हेतु प्रवेश तथा अभिविन्यास कार्यक्रम, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ई-ऑफिस का प्रशिक्षण, ईआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानक संचालन प्रक्रिया के लिए जागरूकता कार्यक्रम, गैर-वित्त कार्मिकों हेतु वित्त संबंधी, सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम, कार्मिक संवर्गीय अधिकारियों हेतु प्रयोजनमूलक कौशल विकास कार्यक्रम मा.सं.वि. के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, सीसीएल में आयोजित किए गए हैं।

एचआरडी सीसीएल में ज्ञान वृद्धि सत्र

फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों का कौशल विकास तथा कर्मचारियों हेतु कौशल स्तरोन्नत्तिकरण कार्यक्रम प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल के नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हिंदी कार्यशाला, कंप्यूटर बोध कार्यक्रम तथा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रयोजनमूलक कौशल विकास जैसे कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा और सीईटीआई, बरकाकाना, प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि. में आयोजित किए गए हैं।

हितधारकों के मध्य रोजगार कौशल विकसित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम

उपर्युक्त के अलावा, अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को वर्ष पर्यंत विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल वर्धन हेतु प्रशिक्षण के लिए बाहरी संस्थानों में भेजा जाता है जो महामारी के कारण इस वर्ष नहीं किया जा सका है।

उपर्युक्त के आलोक में, मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल की वर्ष 2020-21 द्वारा लब्ध प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त सहायक कंपनियों में सीसीएल भुरकुंडा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पाठ्यक्रम का प्रवर्तक रहा है। अद्यतन 19 छात्र बीटीटीआई, भुरकुंडा में उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे है, और साथ ही सीसीएल की विभिन्न इकाइयों/परियोजनाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है।

बीटीटीआई, भुरकुंडा में पाठ्यक्रम

- 316 कर्मचारियों के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा में आयोजित किए गए हैं; जैसे सामान्य जागरूकता एवं सुरक्षा कार्यक्रम, कैरियर विकास कार्यक्रम, विस्फोटक हैंडलिंग कार्यक्रम और मानसून की प्रारम्भिक तैयारी कार्यक्रम आदि।
- डंपर, ड्रिल, पे-लोडर, मोटर ग्रेडर, ऑपरेटर जैसे एचईएमएम ऑपरेटरों को विभिन्न बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारियों की प्रारंभिक सैद्धांतिक कक्षाएं

बीटीटी भुरकुंडा में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीईटीआई, बरकाकाना में संचालित की जाती है एवं तत्पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर एचईएमएम संचालन में उनकी दक्षता जाँचने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा, परियोजना प्रभावित जन को प्रशिक्षण एवं बेसिक ऑपरेटर कोर्स के अतिरिक्त कंपनी के अनुभवी कर्मचारियों हेतु विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें उन्हें सीईटीआई/ सीआरएस बरकाकाना के प्राध्यापकों सहित ओईएम/ ओईएमएस द्वारा विभिन्न तकनीकी प्रगति/ सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। सीईटीआई, बरकाकाना ने वर्ष 2021-22 में 349 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। .

- उपरोक्त के अतिरिक्त, सीसीएल देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के इंजीनियरिंग/ एमबीए/ बीबीए/ एमसीए / बीसीए और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को निःशुल्क इंटर्नशिप/ व्यवसायिक प्रशिक्षण का अवसर देता है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 1150 छात्रों को सीसीएल के कॉर्पोरेट मुख्यालय, क्षेत्रों, परियोजनाओं और इकाइयों में उक्त अवसर प्रदान किए गए।

एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए मूल उपकरण निर्माता प्रशिक्षण

शिशिक्षु अधिनियम के अनुसार शिक्षु प्रशिक्षण

- वर्ष 2021-22 के दौरान, कोल इंडिया और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुरूप सीसीएल को संविदा कर्मी सहित कुल श्रमशक्ति के न्यूनतम 2.5% शिशुओं की नियुक्ति करनी थी। मानव संसाधन विकास विभाग ने निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक 2.5% प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

संविदा कर्मियों सहित सीसीएल की कुल श्रमशक्ति 31/03/2021 तक	2021-22 में नियुक्त शिक्षुओं की कुल संख्या (31/03/2022 की स्थिति)	वर्ष 2121-22 में नियुक्त शिक्षुओं का प्रतिशत
42995	1245	2.89%

एनएटीएस: 580

एनएपीएस: 665 (ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई एवं बीटीपी)

बीटीपी का सफल आयोजन

इस वित्त वर्ष से सीसीएल में बीटीपी प्रारंभ किया गया है। बीटीपी एक निकाय है जहां व्यापार के लिए पर्याप्त/ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। बीटीपी में किसी संस्था नियुक्त वैसे नए प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनके पास संबद्ध ट्रेड से कोई औपचारिक शिक्षा और/या प्रशिक्षण नहीं हैं तथा वे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंध रखते हों।

अनुमोदित पाठ्यक्रम में विहित निर्दिष्ट अवधि के लिए उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी अवधि अधिकतम 500 घंटे या 3 महीने प्रति प्रशिक्षु होगी तथा बीटी लागत की प्रतिपूर्ति 15 रुपये प्रति घंटे की दर से अधिकतम 7500 रुपये प्रति प्रशिक्षु (500 घंटे) की जाएगी। एनएपीएस अंतर्गत नवागत उम्मीदवार की नियुक्ति का लक्ष्य सकल उम्मीदवारों (मार्च 2020 तक 50 लाख अपरेंटिस) का 20% (10 लाख अपरेंटिस) है । प्रतिपूर्ति पहले आओ के आधार पर की जाएगी अर्थात प्रतिष्ठान और प्रशिक्षुओं के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि होगी।

सीसीएल में बीटीपी स्थापना

क्र सं	स्थापना का नाम	ट्रेड	चयनित उम्मीदवार
1.	प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास विभाग	आईटीईएसएम, मल्टीमीडिया और वेबपेज डिजाइनिंग	**05**
2.	गांधी नगर अस्पताल, राँची	पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी	**26**
3.	बीटीटीआई भुरकुंडा	वायरमैन, शिफ्ट बोर्ड अटेंडेंट, सर्वेयर, शॉट फायरर	**27**
4.	सीईटीआई भुरकुंडा	वेल्डर, मैकेनिक अर्थमूविंग, मैकेनिक मोटर वाहन	**10**

- योग व ध्यान प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास विभाग में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची में किसी भी संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों हेतु जीवन-शैली एवं योग-सत्र अनिवार्यतः आयोजित किया जाता है।
- मासंवि विभाग,सीसीएल द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान,सीसीएल, आईआईसीएम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसों तथा राष्ट्र के अन्य बाह्य प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण व सेमिनारों के मद में समीक्षाधीन वित्त वर्ष 2021-22 में **3,97,71,450.00 रुपये** (तीन करोड़ सतानवे लाख इकहत्तर हजार चार सौ पचास) व्यय किया गया है।

जागरूकता प्रशिक्षण

- मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल द्वारा भारत सरकार के अवर सचिव के पत्र संख्या सी-18015/1/2015-स्था, दिनांक 30/11/2021 के आलोक में 9 दिसंबर, 2021 को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

एसएच एक्ट-2013 पर जागरूकता प्रशिक्षण

- आंतरिक शिकायत समिति, सीसीएल सदस्यों सहित सीसीएल के लगभग 15 अधिकारियों (पुरुष और महिला दोनों) ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया।

उक्त कार्यक्रम में लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 विषयक संपूर्ण जानकारी और जागरूकता सफलतापूर्वक प्रदान की गई। सत्र के विषय रहे :

- लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति होने पर नेतृत्वकर्ता की मुख्य जवाबदेहियाँ
- निष्पक्ष शिकायत दस्तावेजीकरण के सोपान
- जांच के लिए आंतरिक समिति का सहयोग
- जांच पश्चात किए जाने वाले कार्य
- दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सक्रिय उपाय
- आंतरिक समिति के दायित्व

आयोजित उक्त कार्यक्रम में इसके इतिहास, विभिन्न परिभाषाओं, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा हमारे दैनिक कार्य में इसके व्यावहारिक उपयोग की संपूर्ण जानकारी दी गयी।

गैर-पारंपरिक प्रशिक्षण

कोविड की तत्कालीन स्थिति के कारण ऑफलाइन/भौतिक प्रशिक्षण संभव नहीं था, इसके स्थान पर मा.सं.वि., सीसीएल द्वारा विभिन्न ऑनलाइन एवं वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

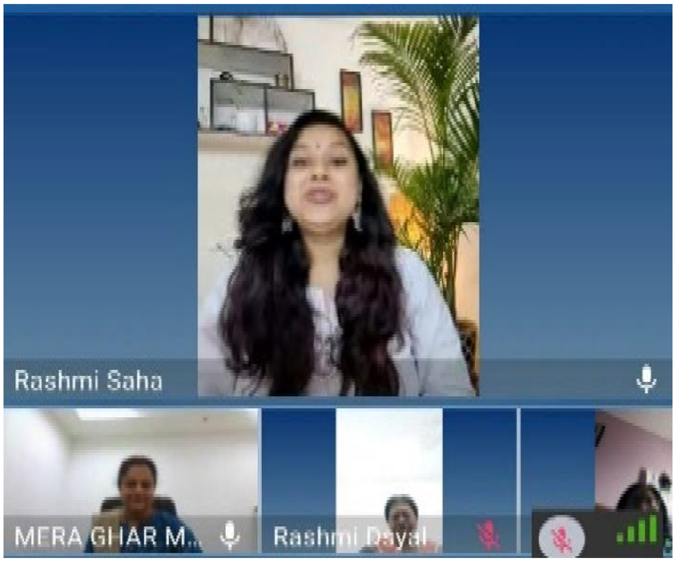

सीसीएल की कामकाजी महिलाओं तथा सीसीएल में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की पत्नियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण

उक्त अवधि के दौरान सीसीएल की महिला कार्मिकों व सीसीएल कार्मिकों के पत्नियों के लिए लीक से हटकर एक गैर-पारंपरिक **"मेरा घर, मैं घर की रानी"** विषयक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। मौजूदा कोविड संकट के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से किया गया था। इसका विधिवत उद्घाटन आदरणीय सीएमडी महोदया द्वारा किया गया। अब तक इसके **17 वेबकास्ट प्रसारित** किए जा चुके हैं। चिकित्सा, स्त्री रोग, जीवन शैली में बदलाव, वित्त, पेरेंटिंग तकनीकों, सौंदर्य, शिष्टाचार, रिश्तों का प्रबंधन, गृह वित्त का प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, आपात कालीन सेवा, घर और कार्यस्थल में डीआईवाई , सोशल मीडिया का बच्चों में प्रभाव आदि में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इससे गृहणियों एवं कामकाजी महिलाओं के मध्य आकर्षण एवं जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस कार्यक्रम से गृहणियों के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं को कोविड संकट के दौरान घर पर रहकर वस्तुस्थिति का सामना करने में राहत मिली। भविष्य में भी इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।

उपलब्धि

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय शिक्षुता दिवस -2021 पर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) में सराहनीय योगदान के लिए 4 सितंबर 2021 को मानव संसाधन विभाग सीसीएल को **इस्टैब्लिशमेंट ऑफ़ द ईयर 2021** से सम्मानित किया गया।

भविष्य की पहल

- कुल कार्यबल (संविदा कर्मचारियों सहित) के विभिन्न ट्रेडों से न्यूनतम 5% प्रशिक्षुओं की नियुक्ति;

एचआरडी विभाग को इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड

- जीवीटीसी के बुनियादी स्तरोन्नति;
- लेक्चर हॉल और कंप्यूटर लैब में आधुनिक ऑडियो-विजुअल उपकरणों की खरीद एवं संस्थापना द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मा.सं.वि., सीसीएल का बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना;
- मौजूदा शॉवेल, डम्पर और डोजर ऑपरेटरों का कौशल विकास तथा ऑपरेटरों के प्रवेशकीय स्तरीय प्रशिक्षण हेतु बहु-आयामी एचईएमएम सिमुलेटर की खरीद;
- सीसीएल के मौजूदा अधिकारियों से आंतरिक संकाय व प्रशिक्षकों के एक समूह का विकास;
- प्रबंधन के मुद्दों पर आउटरीच कार्यक्रमों के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों का नामांकन;
- सीसीएल के मगध आम्रपाली और राजहरा क्षेत्रों में जीवीटीसी का निर्माण
- मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल, रांची में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण
- चयनित वीटीसी में लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा का सृजन;
- यूजर इंटरफेस का उपयोग करके ऑनलाइन इंटर्न/वीटी एप्लिकेशन प्रदान करके डिजिटल मा.सं.वि. बनाना।
- यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिजिटल कोचिंग।

17. कल्याण

सीसीएल को 'झारखंड का आभूषण' माना जाता है। यह झारखंड राज्य का प्रथम केन्द्रीय सार्वजनिक मिनीरत्न उपक्रम है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सदैव सार्वभौम विकास को लक्ष्य किया है जिसमें कोयला उत्पादन और कल्याण दोनों समाहित हैं। कंपनी ***"गरीबों, ग्रामीणों और श्रमिकों के सर्वांगीण विकास"*** को केंद्र में रखते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पेय जल और स्वच्छता जैसे बहुआयामी कल्याणकारी दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है। सीसीएल का

कल्याण विभाग अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कंपनी के ध्येय अनुरूप अपनी भूमिका निभा रहा है।

मुख्य कार्यक्षेत्र:

- **जलापूर्ति:** राष्ट्रीयकरण के पश्चात जलापूर्ति की वस्तुस्थिति में विपुल प्रगति हुई है। उपयोग हेतु शुद्ध, शोधित व स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दिशा में संगठित प्रयास किए गए है। अद्यतन 10 जल प्रशोधन संयंत्र, 78 दाब प्रशोधन संयंत्र, 182 डीप बोर-होल विद्यमान है। इनके अतिरिक्त, अरगडा, बोकारो एवं करगली, कथारा और हजारीबाग क्षेत्र में छह (6) जल प्रशोधन संयंत्र प्रस्तावित हैं। रजरप्पा, उ.कर्णपुरा, हजारीबाग और बरकाकाना क्षेत्रों में चार (4) मलजल प्रशोधन संयंत्र अवस्थित हैं, जिनका नवीनीकरण और उन्नयन किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त कथारा क्षेत्र में एक (1) नए मलजल प्रशोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

- **चिकित्सीय सुविधाएँ:** सीसीएल में चिकित्सीय सेवा त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर पर सेवा डिस्पेन्सरी के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय अस्पतालों/ केंद्रीय अस्पतालों के द्वारा क्रमशः द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

  यहाँ चार केंद्रीय अस्पताल अवस्थित है :

  - गांधीनगर अस्पताल, रांची
  - केन्द्रीय अस्पताल, रामगढ़
  - केन्द्रीय अस्पताल, ढोरी
  - केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी कर्णपुरा

क. अवसंरचना:

क्रं.	चिकित्सीय अवसंरचना का प्रकार	संख्या
1	अस्पताल	
	- केंद्रीय अस्पताल	04
	- रीज़नल अस्पताल	05
	- क्षेत्रीय अस्पताल	10
2	बिस्तर	892
3	डिस्पेंसरी	63
4	चिकित्सक	226
5	एम्बुलेंस सेवा	87

*(72 किराए पर और 15 रोगी परिवहन के लिए, 65 बीएलएस तथा 7 एएलएस)

ख. केंद्रीय अस्पतालों में मूल्य संवर्धित सेवाएं, रांची

i. केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर में प्रत्येक महीने हृदय-रोग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक लगाया जाता है। इस क्लीनिक में मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली के हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉ.राजीव राठी तथा यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉ. पी.के. कुचलकांति गांधीनगर अस्पताल में परामर्श देते हैं।

ii. गांधी नगर अस्पताल में 17 बिस्तर की क्षमता युक्त सघन चिकित्सा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है :

क. आई.सी.यू. : 06 बिस्तर
ख. सी.सी.यू. : 05 बिस्तर
ग. डायलिसिस : 03 बिस्तर
घ. रिकवरी : 03 बिस्तर

iii. कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने तथा कर्मचारियों, उनके आश्रितों और वृहत्तर समाज को ससमय व प्रभावी नैदानिक उपचार हेतु निम्नलिखित कार्य किए गए:

- सीसीएल के 06 अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में स्थापित किया गया
- 02 आक्सीजन उत्पादन संयंत्र केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर एवं रामगढ़ में स्थापित किए गए
- सीसीएल अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, फाउलर बेड, सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन, बीआई पैप, वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला, कार्डिएक मॉनिटर्स, बी-टाइप और डी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए
- एबीपीएमजेएवाई (अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत दस (10) अस्पताल सूची बद्ध किए गए हैं।
- जन औषधि योजना के तहत (4) जन औषधि केंद्र सीसीएल में स्थापित किए गए हैं जहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

❖ **शिक्षा :** सीसीएल द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है।

- सीसीएल कमान क्षेत्र में संचालित विद्यालयों का विवरण:

क्र.	विद्यालय का नाम	विद्यालयों की संख्या
1	डीएवी	14
2	केन्द्रीय विद्यालय	01
3	पी एम एस	44 (34 स्कूलों में अनुदान दिया जा रहा है)

- वर्ष 2021-22 में निजी प्रबंधन विद्यालयों सहित विद्यालयों को प्रदत्त अनुदान :

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

कंपनी	विद्यालय	राशि (2021-22)
सीसीएल	पूर्ण वित्तपोषित डीएवी विद्यालय(07)	रु. 12,31,46,875
	निजी प्रबंधन स्कूल	शून्य
	केन्द्रीय विद्यालय	रु. 3,10,81,978

❖ **छात्रवृति:** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मेघावी छात्रों को सीसीएल छात्रवृति प्रदान करता है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का विवरण निम्नानुसार है:

- **सीआईएल छात्रवृति**

क्रं.	विवरण	वर्ष	
		2020-21	2021-22
1	व्यय	रु 2.39 लाख	रु 3.17 लाख
2	छात्रों की संख्या	125	161

- **शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति:** एन.सी.डबल्यू.ए-10 के तहत कर्मचारियों के बच्चों हेतु:

क्रं.	विवरण	राशि (लाख में)	
		2020-21	2021-22
1	व्यय	रु 34.90 लाख	रु 48.38 लाख
2	छात्रों की संख्या	47	61

❖ **खेल:** कोविड-19 प्रतिबंधों की समाप्ति के पश्चात झारखंड सरकार से खेल गतिविधियों के आयोजन की अनुमति मिलने के बाद, सीसीएल में निम्नलिखित खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया:

1. अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट
2. अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट
3. अंतर क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट
4. आरडीसीए टूर्नामेंट (रांची जिला क्रिकेट संघ) में सीसीएल क्रिकेट टीम की भागीदारी।

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2022 से पुनः झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में खेल गतिविधियों के आयोजन में प्रतिबंध लगाया गया।

❖ **कल्याण बोर्ड की बैठक:** कल्याणकारी सुविधा की उपलब्धता की समीक्षा, कल्याणकारी सुविधाओं की नियमित निगरानी एवं स्तरोन्नत्तिकरण हेतु कार्य-योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को कंपनी कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।

❖ **क्रेच एवं कैंटीन :** वर्तमान में सीसीएल में दो (2) क्रेच अवस्थित हैं। एक क्रेच सीसीएल मुख्यालय में तथा एक अन्य उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र चल रहा है। कैन्टीनः कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में कर्मचारियों हेतु कैंटीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आवश्यकता अनुरूप भोजनालयों के निर्माण का सामयिक निरीक्षण तथा उपलब्ध भोजनालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा कैंटीन की क्षेत्रवार उपलब्धता की भौतिक निरीक्षण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

क्रं.	क्षेत्र	कैंटीन (वातानुकूलित)
1	अरगड़ा	6
2	बोकारो एवं करगली	3
3	बरका सयाल	6
4	चरही (हजारीबाग)	9
5	सीआरएस/सीडबल्यूएस बरकाकाना	1
6	ढोरी	4
7	कथारा	8
8	कुजू	3
9	उत्तरी कर्णपुरा	7
10	मगध- संघमित्रा	3
11	आम्रपाली- चन्द्रगुप्त	3
12	पिपरवार	4
13	रजहारा	1
14	रजरप्पा	2
15	गिरिडीह	2
16	गांधीनगर अस्पताल	1
17	सीसीएल, मुख्यालय परिसर, राँची	1
	कुल	61

❖ **सम्मान समारोहः** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह प्रत्येक महीने के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, समस्त बकाया सहित अन्य उपहार भी दिये जाते है।

❖ **सीसीबीएफ़एस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ :** इस योजना के अंतर्गत, सोसाइटी के सदस्य कर्मचारियों (उनके वार्ड / आश्रितों) की सहायता तथा विभिन्न लाभ प्रदान किया जा रहा है।

क्र.	लाभ	2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)
1	मृतक भुगतान	468	218.56
2	छात्रवृत्ति	प्रस्तावित (132)	प्रस्तावित (7.23)
3	बीमारी	12	9.20
4	चाँदी के सिक्के (सेवानिवृत्ति उपहार स्वरूप)	1026	51.30

18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

राष्ट्र की ऊर्जागत आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ सीसीएल अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएसआर, संगठनों के सतत विकास का एक रणनैतिक उपकरण है। सीएसआर सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों पर व्यय के साथ समाज की क्रिया-प्रतिक्रियाओं का व्यवसाय के साथ एकीकरण भी है।

सीसीएल में सीएसआर का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा अंगीकृत सीआईएल सीएसआर नीति, अनुवर्ती संशोधनों सहित कंपनी अधिनियम-2013, कंपनी सीएसआर नियम 2014, डीपीई दिशा-निर्देश, नीति आयोग व अन्य सरकारी नियम/ दिशानिर्देश/ कार्यक्रम पर आधृत है।

सीआईएल की सीएसआर नीति अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का प्रक्षेत्र निरूपण कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार किया जाता है। उक्त नीति अनुरूप सीएसआर मद पर न्यूनतम व्यय तात्कालिक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष कोयला उत्पादन के रु 2.00 प्रति टन में से जो भी अधिक हो, किया जाता है।

सीआईएल सीएसआर नीति के अनुसार, सीसीएल सीएसआर फंड का 80% सीसीएल की परिचालित इकाइयों के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के विकास के लिए समर्पित है, तथा 20% का प्रावधान परिचालन वाले राज्य के लिए किया गया है। सीसीएल वर्तमान में झारखंड के 8 जिलों यथा राँची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, लातेहार, पलामू और चतरा में परिचालित है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा उपक्रम की सीएसआर गतिविधियों के विषय वस्तु का निर्धारण कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर सं. 08/0002/2018-डीआईआर (सीएसआर), दिनांक 12/05/2021 द्वारा "कोविड संबद्ध उपायों पर विशेष ध्यान सहित स्वास्थ्य एवं पोषण, अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना" किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन में उक्त विषय अनुरूप किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 में रु 50.25 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले कुल सीएसआर पर रु 34.95 करोड़ का व्यय किया गया है। उक्त व्यय में पिछले वर्षों का रु 10.14 करोड़ का सेट-ऑफ सम्मिलित है। इस प्रकार वर्ष के दौरान कार्यान्वित गतिविधियों पर रु 24.81 करोड़ का व्यय किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर मद में निर्धारित रु 24.81 करोड़ में से थीमगत कार्यक्रमों के लिए रु 15.24 करोड़ खर्च किया गया है जो कि 2021-22 में कुल सीएसआर व्यय का लगभग 61% है।

वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर गतिविधियों पर क्षेत्रवार व्यय (रु. लाख रुपये में) निम्नवत है:

क्र.	क्षेत्र	व्यय. (रु. करोड़ में)
1	भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	0.05
2	विशेष शिक्षा और रोजगार संवर्धक व्यवसायिक कौशल विकास सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	3.45
3	पर्यावरणीय स्थिरता	0.63
4	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण	3.84
5	विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को योगदान	0.00
6	ग्रामीण विकास योजनाएं	0.40
7	स्लम क्षेत्र का विकास	0.00
8	पेय-जल	3.16
9	स्वास्थ्य देखभाल	11.37
10	स्वच्छता	0.64
11	दिव्यांग कल्याण	0.09
12	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.23
13	अन्य	0.95
	कुल	24.81
	अतिरिक्त : पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च में अतिरिक्त राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेट-ऑफ के रूप में उपयोग किया गया	10.14
	कुल योग	34.95

18.1 स्वास्थ्य एवं पोषण

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य की देखभाल पर होने वाला व्यय प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर व्यय के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा तय की गई वार्षिक थीम *" कोविड संबद्ध उपायों पर विशेष ध्यान सहित स्वास्थ्य एवं पोषण, अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना"* थी। इसलिए, सीसीएल के सीएसआर व्यय का अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया, जिसमें कोविड निरोधक उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

सीसीएल द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क. सीएसआर डिस्पेंसरी तथा नियमित एवं विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरों का संचालन

सीसीएल अपने कमान क्षेत्रों में क्षेत्रीय सीएसआर डिस्पेंसरियों के माध्यम से कमान क्षेत्रों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य

सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है तथा गांवों व विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22

स्वास्थ्य शिविर

में कुल 428 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिससे 132154 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

एम एंड ए एवं पिपरवार क्षेत्र द्वारा चतरा जिले में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

ख. अलिम्को के माध्यम से कृत्रिम अंग का वितरण

सीसीएल की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कमान क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के मध्य अलिम्को, कानपुर की सहायता से कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए हैं। रांची,

नि:शक्तजनों को उपकरणों का वितरण

रामगढ़, चतरा और बोकारो जिलें में लगभग 587 लाभार्थियों को संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपकरण उपलब्ध कराए गए।

उपकरणों में कृत्रिम अंग जैसे प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस, ट्राइसाइकिल, मोटर युक्त ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, जॉयस्टिक व्हीलचेयर, बीटीई हियरिंग एड, क्रच एक्सिला एडजस्टेबल, ब्रेल केन, एमएसआईईडी किट, ब्रेल किट, डेज़ी प्लेयर आदि शामिल थे।

ग. कंबल वितरण

"आज़ादी का अमृत महोत्सव" के राष्ट्रव्यापी महोत्सव अंतर्गत अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों आदि तथा सीसीएल कमान क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जिनकी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती हैं के मध्य लगभग 1400 कंबल वितरित किए गए।

कंबल वितरण

घ. टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना में बिस्तर तथा उपकरणों की व्यवस्था:

तुपुदाना स्थित टीबी सेनेटोरियम झारखंड के सबसे पुराने क्षय रोग उपचार केंद्रों में से एक है, जहां संपूर्ण झारखंड से

आए मरीजों का इलाज किया जाता हैं। केंद्र द्वारा क्षय रोगियों की संपूर्ण चिकित्सा एवं पोषण सहित अंतःकेंद्र उपचार व देखभाल की जाती है। यह केंद्र रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किया जाता है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। वित्त वर्ष 2021-22 में, सीसीएल ने टीबी रोगियों के गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा के लिए 25 सेमी-फाउलर बेड और एक एक्स-रे मशीन प्रदान की है।

ङ. पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर का वितरण

कोविड-19 महामारी के विनाशक प्रभाव को दृष्टिगत करते हुए, उक्त के विरुद्ध निवारक उपाय के रूप में सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीसीएल द्वारा ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर 1250 पल्स-ऑक्सीमीटर तथा 200 थर्मल स्कैनर वितरित किए गए।

च. कोविड संबंधित उपाय:

अप्रैल ’21 में कोविड दूसरी लहर के दौरान, सीसीएल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोविड-19 से बचाव हेतु विभिन्न उपाय किए:

महामारी के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सीसीएल द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों में 636 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिसका उपयोग लातेहार में आईसीयू की संस्थापना, रामगढ़ ज़िले में कोविड कंटेनमेंट सेंटर, बोकारो में अस्थायी अस्पताल में किया गया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा उपकरण और दवाएं आदि की खरीद भी शामिल है।

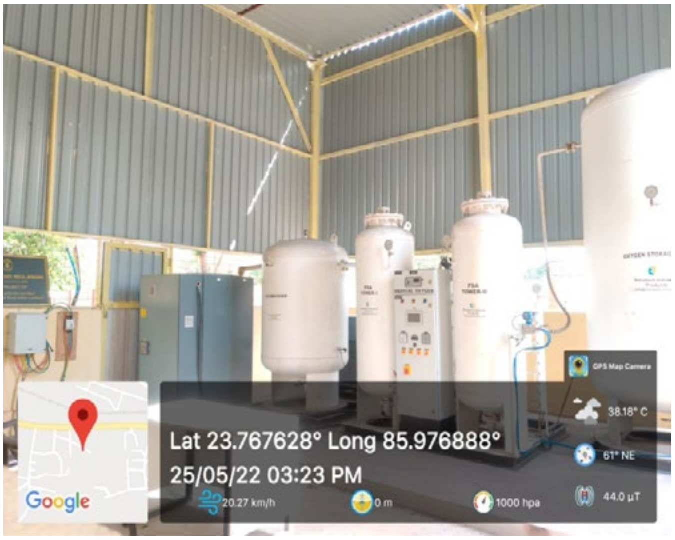

ऑक्सीजन प्लांट बोकारो

अप्रैल'21 पश्चात सीसीएल द्वारा राज्य अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में 522 शय्याएं उपलब्ध कराई गयीं। सीसीएल कमान क्षेत्र/जिला स्थित अस्पतालों/ अस्थायी कोविड देखभाल केन्द्रों में 5 ऑक्सीजन पीएसए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चतरा जिले में 200 ली/मिनट की क्षमता का 1, रांची जिले में 200 ली/मिनट की क्षमता के 2 (प्रत्येक की आपूर्ति क्षमता 20-30 शय्या), लोहरदगा जिले में 250 ली/मिनट क्षमता का 1 तथा बोकारो में 500 ली/मिनट की क्षमता का एक ऑक्सीज़न पीएसए संयंत्र संस्थापित किया गया है।

ऑक्सीजन प्लांट चतरा

छ. कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण:

महामारी का दैनिक कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अतः सीसीएल ने कोविड के विरुद्ध युद्ध में सीएसआर अंतर्गत निर्धन तथा जरूरतमंद लोगों के मध्य खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे मास्क, सैनिटाइज़र आदि उपलब्ध कराया है।

18.2 शिक्षा

भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव गढ़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को उत्तम शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने पर बल दे रहा है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर के तहत सीसीएल द्वारा की गई प्रमुख पहल नीचे सूचीबद्ध हैं::

क. सीसीएल के लाल और लाडली:

कमान क्षेत्र अंतर्गत वंचित वर्ग के विद्यार्थियों (बालक एवं बालिका दोनों) का चयन मेधा/प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है तथा प्रतिष्ठित स्कूल में निःशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ निःशुल्क आवासीय सुविधा सहित सीसीएल में कार्यरत आईआईटी उत्तीर्ण अधिकारियों द्वारा जेईई मुख्य/एडवांस्ड/अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्लासरूम कोचिंग दी जाती है।

यद्यपि, कोविड -19 महामारी के कारण तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22 में सीसीएल के लाल तथा सीसीएल

की लाडली छात्रावास व कोचिंग संस्थान कुछ महीनों के लिए बंद रहे परंतु छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा सुनिश्चित की गई थी।

2019-21 के बैच में चयनित 29 छात्रों में से 8 का चयन आईआईटी में, 2 का आईआईआईटी में हुआ तथा 8 विद्यार्थी एनआईटी में चयनित हुए। लगभग सभी विद्यार्थियों ने वर्ष 2021 में आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त का उतीर्ण हुए।

सीसीएल के लाल/लाडली में कोचिंग क्लासेस

ख. सीसीएल कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना

कोविड-19 महामारी ने लोगों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, विशेष रूप से उन बच्चों की शिक्षा पर जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता या परिवार के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों को खो दिया। वैसे बच्चों की शिक्षा को निर्बाध जारी रखने के लिए सीसीएल ने कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सीसीएल के कमान क्षेत्रों से जुड़े जिलों में कक्षा एक से स्नातक तक पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने अपने माता-पिता या परिवार में अर्जन करने वाले प्राथमिक सदस्य में से किसी एक को खो दिया है उन्हें लगातार दो वर्षों तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ग. पहल योजना

चतरा जिले के जिला प्रशासन के सहयोग से सीसीएल ने चतरा जिले के टंडवा प्रखंड स्थित 30 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की संस्थापना के लिए एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को सुगम बनाने तथा शिक्षण व अधिगम को अधिक प्रभावी बनाना है।

घ. शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य प्रमुख पहल

सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं जैसे:

- सीसीएल कमान क्षेत्र स्थित स्कूलों में आधारभूत संरचना जैसे कक्षाओं का निर्माण, विद्युत फिटिंग, डेस्क, बेंच आदि का प्रावधान कर सहायता प्रदान करना
- पुस्तक, बैग, स्टेशनरी, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म आदि के प्रावधान के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक सहायता
- स्कूली छात्रों के आवागमन के लिए स्कूल बसों को किराए पर लेना
- विद्यालय एवं सामुदायिक पुस्तकालयों की स्थापना
- स्मार्ट क्लास एवं वीसी सुविधा की संस्थापना

सीसीएल कमांड क्षेत्र के छात्रों को शैक्षिक सहायता

18.3. खेल संवर्धन

क. खेल अकादमी, खेलगांव, झारखण्ड का संचालन एवं रख रखाव

सितंबर 2015 में झारखंड सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, 34वें राष्ट्रीय खेलों की आधारभूत संरचना (खेलगांव, होटवार, रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। परिचालन व्यय सीसीएल और राज्य सरकार द्वारा 50:50 वहन किया जाता है। यह अकादमी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) द्वारा चलायी जाती है। इसका प्रबंधन सीसीएल कार्मिकों के द्वारा स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) से किया जाता है। वर्तमान में यहाँ 207 लड़कियां और 231 लड़के (कुल 438 स्पोर्ट्स कैडेट) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं जिनका चयन संपूर्ण राज्य से प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। चयनित खेल कैडेटों में से 96% कैडेट अनुसूचीत जाति / अनुसूचीत जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं।

खेल अकादमी, खेलगांव के कैडेट्स

बच्चों के वैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रशिक्षण के सतत और संकेंद्रित दृष्टिकोण के साथ अकादमी ओलंपिक पदक जीतने के प्रतिष्ठित सपने को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। जिला/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल कैडेटों द्वारा कुल 847 पदक (स्वर्ण-376, रजत-240, कांस्य-231) जीते गए हैं।

खेल अकादमी, खेलगांव, झारखंड

ख. खेल सामग्री का वितरण और फुटबॉल मैदान का नवीनीकरण

सीसीएल कमान क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के बीच समन्वय स्थापित करने और स्थानीय युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलों को एक उपयुक्त माध्यम मानते हुए, सीसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के तहत स्थानीय युवाओं और बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, नेट इत्यादि जैसी विभिन्न खेल सामग्री प्रदान की है।

खेल सामग्री का वितरण

18.4. पेयजल

खनन क्षेत्रों में स्थित गांवों में पानी की किल्लत है, इसलिए समुदाय में पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे डीप बोरिंग, सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरिंग, हैंडपंप, कुएं, आरओ वाटर प्लांट और वाटर प्यूरीफायर की स्थापना, पाइपलाइनों के माध्यम से पानी की व्यवस्था आदि। इन स्रोतों की स्थापना सीसीएल कमान क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सुलभ दूरी पर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विकसित पेयजल स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है:

गतिविधि	संख्या	व्यय (लाख रु. में)
नलकूप	89	65.17
कूप	14	23.79
डीप बोरिंग	13	37.51
सबमर्सिबल पंप सहित सौर ऊर्जा चालित डीप बोरिंग	37	132.9
ज वॉटर प्यूरिफ़ायर	2	5.58
आरओ जल संयंत्रों की स्थापना	5	35.57
पाइपलाइन तथा अन्य माध्यम से जल वितरण	3	13.19

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने झारखंड के चतरा और लातेहार जिले के दूरदराज गांवों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के लिए भंडारण टैंक सहित सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल किए हैं। उक्त सुविधा का उचित उपभोग ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, विशेषकर वैसे क्षेत्रों में जहां बिजली की कमी है या उपलब्धता नहीं है। रखरखाव की व्यवस्था स्थानीय समूहों द्वारा की जाती है।

पेयजल प्रावधान

सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल

18.5. पर्यावरण एवं सतत विकास

क. तालाबों का निर्माण

विभिन्न क्षेत्रों में भूजल स्तर रिचार्ज करने तथा पानी की उपलब्धता सुविधाजनक बनाने के लिए सीसीएल द्वारा कमान क्षेत्रों में अवस्थित गांवों के निकट तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 42.92 लाख की लागत से लगभग 11 तालाबों का नवीनीकरण/निर्माण किया गया।

तालाब का निर्माण, तेलियाडीह, एम एंड ए क्षेत्र

ख. कृषि विकास केंद्र, मांडू में हाई-टेक नर्सरी

रामगढ़ जिले के मांडू क्षेत्र अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सीसीएल की सहायता से एक हाई-टेक नर्सरी की स्थापना की गई है। इस योजना को नाबार्ड द्वारा सह-प्रायोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बागवानी में लगे स्थानीय किसानों के बीच उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीकों के उपयोग के साथ-साथ उत्तम गुणवत्ता के फलों के पौधों तथा बेमौसम सब्जियों के स्वस्थ्य पौधों को वृहत पैमाने पर उगाने के लिए मॉडल नर्सरी स्थापित करना है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि होगी।

ग. पार्क का निर्माण

वित्त वर्ष 2021-22 में सीसीएल के ढोरी क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजक गतिविधियों के लिए पार्क के निर्माण पर एक योजना शुरू की है। पार्क का कार्य निर्माणाधीन है।

18.6. कौशल विकास

विगत वर्षों में स्थानीय युवाओं का कौशल विकास एक प्राथमिक कार्य क्षेत्र रहा है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य अर्थव्यवस्था के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार करना है। वित्त वर्ष 2021-22 में सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय युवाओं के कौशल विकास में योगदान देने के अपने प्रयास में विभिन्न कौशल विकास को प्राथमिकता दी गयी है।

क. सिपेट द्वारा 320 पीएपी का कौशल विकास

सीसीएल ने 320 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पैप) को 6 महीने का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण (प्लास्टिक प्रसंस्करण, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक एक्सट्रूज़न, टूल रूम में) प्रदान करने के लिए सिपेट (एक सीपीएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। जिस के अंतर्गत प्लास्टिक उद्योगों में रु.10000-12000 प्रति माह वेतन के साथ लगभग 90% प्लेसमेंट की परिकल्पना की गई है।

सिपेट में पेप्स का कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र का वितरण

ख. आजीविका सृजन के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण

सीसीएल स्थानीय ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए अपने कमान क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर आदि व्यवसायों में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

व्यापारिक प्रशिक्षण	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रु. लाख में)
कंप्यूटर प्रशिक्षण	2	100	3.48
खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	1	50	2.45
मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग	1	50	1.77
सिलाई और कढ़ाई	3	160	5.36
अन्य प्रशिक्षण	1	20	1.50
कुल	8	380	14.56

ग. कौशल विकास केंद्रों की स्थापना

प्रत्येक वर्ष सीसीएल विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण देता आ रहा है। सीसीएल अपने कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा सामुदायिक भवनों जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक हॉल आदि में केंद्र स्थापित किए गए हैं। कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 5 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं।

घ. टाना भगत समुदाय के 25 सदस्यों को मोटरसाइकिल रखरखाव और मरम्मती का प्रशिक्षण

आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के योगदान को सीसीएल ने स्मरण करने की जिम्मेदारी ली है। टाना भगत झारखंड का एक स्थानीय आदिवासी समुदाय है, जिन्होने अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध और सख्त गांधीवादी होने के लिए जाना जाता है। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (उद्योग विभाग, झारखंड के तत्वावधान में एक सोसायटी) के साथ समझौता ज्ञापन के तहत 25 युवाओं को उद्योगों में नियोजन/स्वरोजगार की परिकल्पना की गयी है जिसके लिए उन्हें मोटरसाइकिल रखरखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई है तथा समझौता ज्ञापन के अनुरूप एक बैच का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है, परंतु चालू वित्त वर्ष में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

टाना भगतों का कौशल विकास प्रशिक्षण

18.7. स्वच्छता

18.7.क. शौचालयों का निर्माण

सीएसआर के तहत शौचालय का निर्माण

खुले में शौच को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से सीसीएल द्वारा कमान क्षेत्र स्थित विभिन्न स्कूलों/ गांवों में लगभग 23 शौचालयों का निर्माण किया है। इस प्रकार एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया है।

ख. स्वच्छता पखवाड़ा

कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सभी क्षेत्रों/ मुख्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में 01.10.2021 से 15.10.2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा-2021

सीसीएल द्वारा क्षेत्रों/मुख्यालय में वृक्षारोपण, स्कूलों और अस्पतालों की सफाई, कार्यालयों और कॉलोनियों की सफाई, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने हेतु गतिविधियाँ की गई स्टेशनरी वस्तुओं के सदुपयोग के लिए पहल, पुनः प्राप्त भूमि पर ठोस अपशिष्ट खाद का निपटान, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, मास्क, सेनेटाइजर, साबुन आदि का वितरण किया गया।.

18.8.ग्रामीण विकास

सीसीएल के कमान क्षेत्रों अंतर्गत पंचायतों में समुदाय हेतु एक आम बैठक स्थल प्रदान करने हेतु एक सामुदायिक हॉल का निर्माण किया है। इस आधारभूत संरचना में ग्राम/पंचायत स्तर की बैठकों, अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों, जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं।

इनके अलावा सीसीएल कमान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों में भी पीसीसी सड़कों का निर्माण किया गया है जिससे ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो सके।

पीसीसी रोड

18.9. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की प्रमुख सीएसआर पहल

क. पशु कल्याण

पशु कल्याण एक विषयगत क्षेत्र है जिसका उल्लेख कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में किया गया है। सीसीएल ने झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ भगवान बिरसा जैविक पार्क, राँची में बड़ी बिल्लियों (शेर -1 और बाघ -1) की एक जोड़ी को गोद लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी 3 साल तक पशुओं के रखरखाव से संबंधित सभी खर्चों, कुल 36.00 लाख रुपये की लागत को वहन करेगी।

सीसीएल और झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन

सीएसआर के तहत गोद लिए गए पशु

ख. वनप्रस्थ सैन्य आश्रम, गुमला (पूर्व सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम) का नवीनीकरण

भूतपूर्व सैनिकों के वृद्धाश्रम निर्माण हेतु गुमला ज़िला स्थित एक सरकारी भवन के नवीनीकरण तथा सुविधाओं के प्रावधान हेतु सीसीएल, जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी तथा राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ओल्ड एज होम के नवीनीकरण के साथ-साथ फर्नीचर, फिक्सचर और छोटी रसोईयां सम्मिलित है। कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

ग. सीसीएल के कमान क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्थानीय वाद्ययंत्रों का वितरण

झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा सीसीएल के अधिकांश क्षेत्र आदिवासी पट्टी में आते हैं। आदिवासी संस्कृति बहुत समृद्ध तथा स्थानीय निवासियों के लिए महत्व रखती है। आम जनता के बीच जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सीसीएल के कुछ क्षेत्रों में ग्रामीणों के मध्य स्थानीय आदिवासी वाद्ययंत्रों का वितरण किया है।

घ. आजादी का अमृत महोत्सव

भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 12 मार्च 2021 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक सप्ताह दो साल तक अर्थात 15/08/2023 तक विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वक्तव्य है सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाली समस्त गतिविधियों को **"आजादी का अमृत महोत्सव"** नाम दिया गया है। इन गतिविधियों को 5 स्तंभों में श्रेणीगत किया गया है:

क) स्वतंत्रता संग्राम,

ख) सुझाव@75

ग) उपलब्धियां@75,

घ) कार्यकलाप @75

च) संकल्प@75

19. समाधान योजना:

सीसीएल में कार्यरत या सेवानिवृत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, उपभोक्ताओं या सीसीएल से संबन्धित किसी व्यक्ति के शिकायत निवारण हेतु 27.04.2012 को एक शिकायत केंद्र की स्थापना की गयी । शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लिखित रूप में, टोलफ्री न. 18003456501, ऑनलाइन वाट्सएप सेवा न. 7091093793, ट्विटर, सीसीएल के अखड़ा में सीधा संवाद या कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर क्रम संख्या दी जाती है एवं शिकायत की प्रकृति अनुसार उक्त के निवारण हेतु एक संभावित तिथि तय कर प्राप्ति रसीद दी जाती है। इसके अन्ततर, संबन्धित विभागाध्यक्ष को पत्र में शिकायत संलग्न कर अनुरोध किया जाता है कि पत्र में प्रदत्त समय सीमा के भीतर ही शिकायत का निवारण करें। विभागाध्यक्षों द्वारा उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें दूरभाष द्वारा एवं लिखित अनुस्मारक भेजा जाता है |विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया उत्तर यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस मामले को समीक्षा के लिए पुनः विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाता है और यदि जवाब पुनः असंतोषजनक पाया जाता है तो मामला स्थायी समिति के पास पुनरीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। मामले के पुनरीक्षण पश्चात, यथोचित अनुशंसा सहित स्थायी समिति एवं महाप्रबंधक समाधान मामले को निदेशक मंडल के समक्ष विमर्श हेतु प्रेषित किया जाता है |

वर्ष 2021-22 में समाधान सेल की उपलब्धियां

वर्ष 2021-22 में समाधान सेल के कुल 266 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 252 शिकायतों का निष्पादन किया गया फलस्वरूप उपलब्धि प्रतिशतता 94.73% रही है। स्थापना पश्चात सीसीएल में 3497 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 3220 शिकायतों का निष्पादन किया गया फलस्वरूप उपलब्धि प्रतिशतता 92.07% रही है.

20. वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय परिणाम निम्नांकित है:

(रू. करोड़ में)

क्रं.	विवरण	2021-22	2020-21
i.	संचालन से राजस्व	13486.42	11764.89
ii.	अन्य आय	333.69	291.28
iii.	सकल राजस्व	13820.11	12056.17
iv.	मूल्यहास, ब्याज एवं कर को छोड़कर व्यय	10996.06	9504.84
v.	मूल्यहास, ब्याज से पहले लाभ	2824.05	2551.33
vi	मूल्यहास/परिशोधन/हानि	647.55	554.26
vii.	ब्याज	81.77	83.89
viii.	**कर से पहले लाभ**	**2094.73**	**1913.18**
ix.	कर व्यय	397.81	691.90
x.	**कर के बाद निवल लाभ**	**1696.92**	**1221.28**
xi.	अन्य व्यापक आय	(68.68)	(85.90)
xii	अन्य व्यापक आय पर कर	(17.29)	(21.62)
xiii.	कंपनी के स्वामीयों के लिए लाभ	1645.53	1157.00

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश के रूप में रु.404.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य) और प्रस्तावित अंतिम लाभांश रु. 423.00 करोड़ (पिछले वर्ष 377.88 करोड़ रुपये)। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश रु. 827.20 करोड़ यानी 1,000.00 रुपये प्रति शेयर के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर 880.00 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष रु. 1,000.00 प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर रु. 402.00 प्रति शेयर)।

21. पूँजीगत व्यय

ए. विगत वर्ष में रू. 1863.86 के मुकाबले वर्ष 2021-22 के दौरान स्टैंडअलोन पूँजीगत व्यय रू. 1849.11 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 में पूँजीगत व्यय का क्रमवार विवरण नीचे दिया गया है:

(रू. करोड़ में)

क्र.	व्यय शीर्ष	2021-22	2020-21
i.	भूमि	62.57	855.72
ii.	भवन	59.42	36.05
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	448.99	142.74
iv.	फर्नीचर एवं साज सज्जा	3.54	1.09
v.	कार्यालय उपकरण	10.67	7.17
vi.	रेल कोरीडोर एवं रेलवे साइडिंग	225.86	485.72
vii.	वाहन	12.68	3.7
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	144.84	143.55
ix.	सॉफ्टवेयर	11.29	2.88
	कुल	**979.87**	**1678.62**

नोट- उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने पूँजीगत व्यय के लिए 869.24 करोड़ रुपये का निवल अग्रिम का भुगतान किया है (विगत वर्ष रु. 185.24 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूँजीगत अग्रिम सहित कुल पूँजीगत व्यय रु. 1849.11 करोड़ है (विगत वर्ष रु. 1863.86 करोड़)।

बी. विगत वर्ष में रू. 1939.49 के मुकाबले वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित पूँजीगत व्यय रू. 1863.30 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 में पूँजीगत व्यय का क्रमवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	व्यय शीर्ष	2021-22	2020-21
i.	भूमि	62.57	855.72
ii.	भवन	59.42	36.05
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	448.99	142.74
iv.	फर्नीचर एवं साज सज्जा	3.54	1.09
v.	कार्यालय उपकरण	10.67	7.17
vi.	रेल कोरीडोर एवं रेलवे साइडिंग	233.93	561.35
vii.	वाहन	12.68	3.7
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	144.84	143.55
ix.	सॉफ्टवेयर	11.29	2.88
	कुल	**987.94**	**1754.25**

नोट- उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने पूँजीगत व्यय के लिए 875.36 करोड़ रुपये का शुद्ध अग्रिम का भुगतान किया है (विगत वर्ष रु. 185.24 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूँजीगत अग्रिम सहित कुल पूँजीगत व्यय रु. 1863.30 करोड़ है (विगत वर्ष रु. 1939.49 करोड़)।

22. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे है:

क्रं.	विवरण	2021-22	2020-21
i.	कोयले पर रॉयल्टी	1657.38	1331.37
ii.	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	35.43	35.83
iii.	डीएमएफ (राज्य निधि)	493.79	371.06
iv.	बिक्री कर/वैट	1.17	0.25
v.	आयकर	362.18	578.06
vi.	लाभांश कर	-	-
vii.	सेवा कर	-	-
viii.	कोयले पर सेन्ट्रल एक्साइज	-	-
ix.	जीएसटी	3457.85	3000.87
x.	ट्रांजिट शुल्क	460.60	182.66
xi.	कोविड सेस	67.65	42.54
xii.	अन्य	31.49	21.06
	कुल	**6567.54**	**5563.69**

23. पूँजीगत संरचना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी और पेड-अप शेयर पूँजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात रु.1100.00 करोड़ एवं रु. 940.00 करोड़ क्रमशः 31 मार्च, 2022 को कंपनी की निवल संपत्ति रु. 8411.98 करोड़(स्टैंडअलोन) है जो 31 मार्च, 2021 को रु. 7548.53 करोड़ थी।

24. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

सीसीएल में दिनांक 31.03.2022 तक 226.08 मी. टन की स्वीकृत क्षमता के साथ वर्तमान में 24 और पूर्ण हो चुकी 25 खनन परियोजनाएं हैं। सीसीएल के वर्तमान परियोजनाओं की स्वीकृत पूँजी और क्षमता क्रमशः 27377.31 करोड़ और 186.42 मिलियन टन है। सीसीएल की पूरी हो चुकी परियोजनाओं की स्वीकृत पूँजी और क्षमता क्रमशः 2756.81 करोड़ और 39.66 मिलियन टन है। 44.37 कि.मी. लम्बी टोरी- शिवपुर रेलवे लाइन एक गैर-खनन परियोजना है जिसकी स्वीकृत पूँजी ₹ 3587 करोड़ है, जिसमें तीन रेल लाइनें और टोरी -बिराटोली और बिराटोली-महुआमिलान का संपर्क कार्य शामिल है|

पूरे किए गए सीसीएल के 25 चालू खनन परियोजना का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृत क्षमता मि.ट./वर्ष)
₹150 करोड़ से अधिक	5	2047.95	21.75
₹50 करोड़ से ₹150 करोड़ के मध्य	5	460.37	9.15
₹20 करोड़ से ₹50 करोड़ के मध्य	2	56.52	1.45
₹2 करोड़ से ₹20 करोड़ के मध्य	13	191.97	7.31
कुल	**25**	**2756.81**	**39.66**

सीसीएल के कुल 24 चालू खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृत क्षमता मि.ट./वर्ष)
₹150 करोड़ से अधिक	20	27287.52	184.2
₹50 करोड़ से ₹150 करोड़ के मध्य	शून्य	शून्य	शून्य
₹20 करोड़ से ₹50 करोड़ के मध्य	1	46.78	0.8
₹2 करोड़ से ₹20 करोड़ के मध्य	3	43.01	1.41
कुल	**24**	**27377.31**	**186.4**

24 वर्तमान परियोजनाओं में से हुरीलौंग भूमिगत खदान परियोजना क्रमशः वन्य स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण शुरु नहीं की जा सकीं। शेष 23 परियोजनाओं में से, 16 विस्तृत परियोजनाएं नियत समय पर हैं, और 7 अन्य परियोजनाओं के विलम्ब का कारण निम्नानुसार हैं |

(क) भूमि का प्रमाणीकरण.

(ख) वन स्वीकृति और साइट सौंपने संबंधी।

(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति।

(घ) पुनर्वास और स्थानांतरण के मामले।

(ङ) आरएंडआर मुद्दे

(च) सुरक्षा कारण

सीसीएल की गैर-खनन परियोजनाओं का विवरण

टोरी-शिवपुर रेलवे लाइन (लंबाई 44.37 किलोमीटर) जिसकी अनुमानित लागत ₹3587 करोड़ है में तीन रेल लाइनें और टोरी-बिराटोली और बिराटोली-महुआमिलान का कनेक्टिविटी कार्य शामिल है।

कोयला प्रेषण हेतु लगभग ₹2690 करोड़ की लागत से टोरी-शिवपुर खंड (44.37 किलोमीटर लंबाई) में रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जिसमें टोरी-बिराटोली और बिराटोली-महुआमिलान रेल लाइन का संपर्क कार्य समाप्त एवं कमीशन का लिया गया है। अब टोरी-शिवपुर खंड में तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य पू.म. रेलवे द्वारा ₹894 करोड़ की अतिरिक्त लागत से प्रारंभ कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है एवं मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है |

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता मि.ट./वर्ष)	स्वीकृत पूँजी (रू. करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि
1	ईपीआर अशोक खुली खदान परियोजना	20	2898.28	10.05.21 को 421 वीं सीआईएल बोर्ड की बैठक में।
2	ईपीआर उत्तरी उरीमारी खुली खदान परियोजना	7.5/10	778.8	12.07.21 को 426 वीं सीआईएल बोर्ड की बैठक में।
3	ईपीआर कारो खुली खदान परियोजना	11/15	908.47	24.01.2022 को 436 वीं सीआईएल बोर्ड की बैठक में।
4	कोनार खुली खदान परियोजना का ईपीआर	8/11	799.34	24.01.22 को 436 वीं सीआईएल बोर्ड की बैठक में।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाप्त/ कमीशन परियोजनाएं

क्र सं	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता मि.ट./वर्ष)	स्वीकृत पूँजी (रू. करोड़ में)	समापन की तिथि
		शून्य		

वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी कंपनी का उत्पादन स्तर निम्नलिखित है :

समूह	2021-22 मि.ट
मौजूदा खदानें व पूरी हो चुकी परियोजनाएं	11.42
चालू परियोजनाएं	57.43
कुल	68.85

25. वन एवं पर्यावरण

25.1 पर्यावरणीय स्वीकृतियां:

i. वित्तीय वर्ष 2021-22 में समर्पित टीओआर प्रपत्र I/प्रपत्र III:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	समर्पण तिथि
1	न्यू रजरप्पा वाशरी	3	16.03	07.05.2021
2	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना	15 (अंकित)/ 20 (उच्चतम)	1495	26.05.2021
3	अशोक विस्तार खुली खदान परियोजना	20	1891.05	07.06.2021
4	पतरातू एबीसी भूमिगत	5	1912.53	26.06.2021
5	जारंगडीह विस्तार खुली खदान परियोजना	1.5	223.15	01.07.2021
6	रोहिणी विस्तार खुली खदान परियोजना	0.75	272.55	27.09.2021
7	सिरका खुली खदान परियोजना (टीओआर में संशोधन)	1	110.94	06.01.2022
	कुल	51.25	5921.25	

ii. वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी टीओआर:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	जारी करने की तिथि
1	गिरिडीह खुली खदान परियोजना	0.7	122.70	27.04.2021
2	कबीराबाद खुली खदान परियोजना	0.6	90.84	27.04.2021
3	कथारा खुली खदान परियोजना	1.9	773.23	27.04.2021
4	भुरकुंडा कोलियरी (खुली एवं भूमिगत)	2.05	910.16	27.04.2021
5	अशोक विस्तार खुली खदान परियोजना	20	1891.05	18.08.2021
6	पतरातू एबीसी भूमिगत खदान	5	1912.53	19.08.2021
7	जारंगडीह विस्तार खुली खदान परियोजना	1.5	223.15	19.08.2021
8	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना	15 (अंकित)/ 20 (उच्चतम)	1495	13.09.2021
9	न्यू रजरप्पा वाशरी	3	16.03	10.10.2021
10	रोहिणी विस्तार खुली खदान परियोजना	0.75	272.55	22.12.2021
11	सिरका खुली खदान परियोजना (परिशिष्ट)	1	110.94	28.02.2022
	कुल	56.50	7818.18	

iii. जन-सुनवाई हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित परियोजना प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रारूप:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	जन सुनवाई की तिथि
1	कथारा खुली खदान परियोजना	1.9	773.23	08.06.2021
2	गिद्दी ए खुली खदान परियोजना	1	187.98	03.08.2021
3	केदला भूमिगत परियोजना	0.22	333.50	29.07.2021
4	भुरकुंडा कोलियरी (खुली एवं भूमिगत खदान)	2.05	910.16	03.09.2021
5	गिरिडीह खुली खदान परियोजना	0.7	122.70	30.11.2021
6	कबीराबाद खुली खदान परियोजना	0.6	90.84	02.12.2021
7	पुंडी खुली खदान परियोजना	5	774.26	21.02.2022
8	सिरका खुली खदान परियोजना	1	110.94	16.03.2022
	कुल	12.47	3303.61	

iv. कृत जन-सुनवाई : वित्त वर्ष 2021-22:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	जन सुनवाई की तिथि
1	कथारा खुली खदान परियोजना	1.9	773.23	31.08.2021
2	गिद्दी ए खुली खदान परियोजना	1	187.98	26.10.2021
3	केदला भूमिगत परियोजना	0.22	333.50	02.11.2021
4	भुरकुंडा कोलियरी (खुली एवं भूमिगत खदान)	2.05	910.16	27.11.2021
5	गिरिडीह खुली खदान परियोजना	0.7	122.70	26.02.2022
6	कबीराबाद खुली खदान परियोजना	0.6	90.84	26.02.2022
	कुल	6.47	2418.41	

v. प्रपत्र-II में पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन का समर्पण: वित्त वर्ष 2021-22:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	जमा करने की तिथि
1	कथारा खुली खदान परियोजना	1.9	773.23	28.10.2021
2	गिद्दी ए खुली खदान परियोजना	1	187.98	03.12.2021
3	भुरकुंडा कोलियरी (खुली एवं भूमिगत खदान)	2.05	910.16	31.12.2021
4	नार्थ उरीमारी खुली खदान परियोजना	4.2	523.06	10.01.2022
5	कोटरे बसंतपुर पचमो खुली खदान परियोजना	5	1162.87	31.01.2021
6	केदला भूमिगत परियोजना	0.22	333.50	04.02.2022
	कुल	14.37	3890.80	

vi. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रपत्र VI में पर्यावरण स्वीकृति विस्तार हेतु आवेदन का समर्पण:

क्र.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	जमा करने की तिथि
1	उरीमारी खुली खदान परियोजना	2.5	243.09	09.11.2021

vii. वित्तीय वर्ष 2021-22 में दी गई पर्यावरण मंजूरी:

क्रं.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)	क्षेत्र (हे. में)	पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की तिथि
1	आम्रपाली खुली खदान परियोजना (ताजा पर्यावरण स्वीकृति)	20.16	619.87	10.05.2021
2	उरीमारी खुली खदान परियोजना (15.02.2022 तक वैधता में विस्तार)	2.5	243.09	07.07.2021
3	नार्थ उरीमारी खुली खदान परियोजना (खंड 7(ii) के तहत विस्तार)	3.6	523.06	18.02.2022
4	उरीमारी खुली खदान परियोजना (15.02.2024 तक वैधता में विस्तार)	2.5	243.09	21.03.2022

viii. वित्तीय वर्ष 2021-22 में खान योजना एवं खान बंदीकरण योजना का अनुमोदन:

क्रं.	परियोजना	क्षमता (मि ट/वर्ष)
1	रोहिणी खुली खदान परियोजना	0.75
2	गिद्दी ए खुली खदान परियोजना	1
3	कोटरे बसंतपुर खुली खदान परियोजना	5
4	एसडीजीओएम (निचली सीम)	2
5	कबीराबाद खुली खदान परियोजना	0.6
6	सिरका खुली खदान परियोजना	1
7	टार्मी खुली खदान परियोजना	1.7

25.2 वनिकी स्वीकृति

i. स्तर 1 वनिकी स्वीकृति : 8.54 हे. हेतु 01 प्रस्ताव:

क्रं.	परियोजना	क्षेत्र (हे. में)	स्तर- I की तिथि
1	मगध कोयला ब्लॉक में कोयला पाइप कन्वेयर	8.54	03.11.2021
	कुल	8.54	

ii. साइट हस्तांतरण: 231.928 हे. हेतु 02 प्रस्ताव:

क्रं.	परियोजना	क्षेत्र (हे. में)	साइट हैंडओवर की तिथि
1	अमलो खुली खदान परियोजना	39.663	06.12.2021
2	सयाल डी खुली खदान परियोजना	192.32	25.02.2022
	कुल	231.928	

iii. झारखण्ड सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को अनुशंसित प्रस्ताव :

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)	अग्रेषण तिथि
1	कारो खुली खदान परियोजना	226.67	18.01.2022
2	उरीमारी खुली खदान परियोजना (नवीकरण)	49.97	18.02.2022
3	पुरनाडीह खुली खदान परियोजना	323.49	29.03.2022
4	मगध कोयला ब्लॉक में कोयला पाइप कन्वेयर	8.54	28.09.2021
	कुल	**608.67**	

iv. वनिकी स्वीकृति ऑनलाइन आवेदन : 2511 हे. हेतु 06 प्रस्ताव:

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)	आवेदन की तिथि
1	चन्द्रगुप्त खुली खदान परियोजना	699.38	09.04.2021
2	पतरातू एबीसी भूमिगत	1086.77	28.06.2021
3	होन्हे से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक सड़क	8.38	22.12.2021
4	तापिन साउथ विस्तार खुली खदान परियोजना	117.61	11.12.2021
5	पुंडी खुली खदान परियोजना	493.84	13.01.2022
6	केदला भूमिगत	105.02	20.01.2022
	कुल	2511	

v. पांच प्रस्तावों यथा उरीमारी ओसीपी (34.64 हेक्टेयर), सौंदा 'डी' ओसीपी नवीकरण (99.69 हेक्टेयर), रजरप्पा ओसीपी (277.15 हेक्टेयर), करमा ओसीपी (132.32 हेक्टेयर) तथा केदला भूमिगत परियोजना(29.19 हेक्टेयर) के लिए वन्य लेवी के मद में झारखंड कैम्पा (कैम्पा) खाते में ₹14.97 करोड़ का भुगतान किया गया है।

vi. निर्गत अनापत्ति (जीएमजेजे) 312.41 हे. के 6 प्रस्ताव

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)	जारी करने की तिथि
1	अशोक सौर परियोजना	17.05	13.07.2021
2	अशोक खुली खदान परियोजना	28.35	13.07.2021
3	केबीपी रामगढ़	156.62	16.07.2021
4	उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग (हजारीबाग)	3.59	18.10.2021
5	मगध पूर्व खुली खदान परियोजना शेष	32.56	31.01.2022
6	मगध लातेहार भाग	74.24	16.09.2021
	कुल	**312.41**	

vii. वन अधिकार अधिनियम(एफ़आरए) अंतर्गत 1061.98 हे. के 5 प्रस्तावों के संबंध में निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र:

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)	जारी करने की तिथि
1	कोटरे बसंतपुर पचमो (बोकारो)	372.98	10.01.2022
2	कोटरे बसंतपुर पचमो (रामगढ़)	633.2	01.09.2021
3	मगध पूर्व खुली खदान परियोजना शेष	44.7	17.01.2022
4	नार्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग (हजारीबाग)	8.27	14.08.2021
5	नार्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग (रामगढ़)	2.83	25.11.2021
	कुल	1061.98	

viii. वन्य भूमि के डीजीपीएस एवं केएमएल : 1811.62 हे. के 05 प्रस्ताव

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)
1	पतरातू एबीसी भूमिगत	1086.77
2	होन्हे से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक सड़क	8.38
3	तापिन साउथ विस्तार खुली खदान परियोजना	117.61
4	पुंडी खुली खदान परियोजना	493.84
5	केदला भूमिगत परियोजना	105.02
	कुल	1811.62

ix. वन्य स्वीकृति आवेदन के लिए लागत लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना : 2511 हेक्टेयर के लिए 06 प्रस्ताव

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)
1	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना	699.38
2	पतरातू एबीसी भूमिगत	1086.77
3	होन्हे से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक सड़क	8.38
4	तापिन साउथ विस्तार खुली खदान परियोजना	117.61
5	पुंडी खुली खदान परियोजना	493.84
6	केदला भूमिगत परियोजना	105.02
	कुल	2511

x. सीए भूमि चिन्हित करना: 3659.82 हे. के 10 प्रस्ताव जिनमें से 09 प्रस्तावों के लिए डीजीपीएस एवं केएमएल बनाया गया:

क्रं.	प्रस्ताव	क्षेत्र (हे. में)
1	भुरकुंडा कोलियरी	1225
2	मगध पूर्व खुली खदान परियोजना	400
3	होन्हे से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक सड़क	18
4	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना	600
5	केदला खुली खदान परियोजना	764.06
6	लाईयो भूमिगत खदान	158
7	झारखंड खुली खदान परियोजना (नवीकरण)	116
8	कर्मा खुली खदान परियोजना	193.16
9	तोपा खुली खदान परियोजना	174.60
10	कर्मा के लिए प्रवेश रोड	11
	कुल	**3659.82**

25.3 झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा संचालन सहमति (सीटीओ) तथा स्थापना सहमति (सीटीई) :

वित्त वर्ष 2021-22 में, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा कुल 38 सीटीओ निर्गत किया गया, जिसमें खदान के लिए 27 तथा रेलवे साइडिंग हेतु 11 सीटीओ निर्गत किए। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) की दंख्या 4 है फलतः, सीसीएल खानों की अद्यतन क्षमता 6.36 मि.टन प्रति वर्ष तथा वाशरी की क्षमता 7 मि.टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है।

25.4 केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र :

सीसीएल की 27 परियोजनाओं में भूजल निकासी हेतु केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत किया गया।

25.5 अन्य मुख्य गतिविधियां:

ए) पर्यावरणीय मानकों का पर्यवेक्षण:

i. पर्यावरणीय मानकों का पर्यवेक्षण::

सीसीएल की समस्त खानों/वाशरियों का पर्यवेक्षण एनएबीएल अधिकृत सीएमपीडीआई की प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में सीसीएल के कमान क्षेत्रों में पीएम10 के 6000 नमूनों, पीएम 2.5 के नमूनों, 250 स्टेशनों में वायवीय भारी धातु तथा ध्वनि विश्लेषण किया गया। साथ ही, प्रवाही जल/डीईटीपी के 1800, सतही जल के 450, पेयजल के 200 नमूनों की गुणवत्ता जाँची गई।

ii. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएक्यूएमएस) तथा सभी रेलवे साइडिंगों में सतत पीएम10 विश्लेषक का संस्थापन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने परिवेशी वायु की निगरानी के लिए 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की खरीद की है। उक्त प्रणाली सीसीएल के सभी क्षेत्रों में वास्तविक वायुमण्डलीय पैरामीटर का समयोचित विवरण प्रदान करता है।

सीसीएल के बोकारो और करगली क्षेत्र में संस्थापित सी.ए.एक्यू.एम.एस.

iii. खुली खदानों में भूमि सुधार/बहाली का अनुश्रवण:

सीएमपीडीआई द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से खदान प्रत्यास्थापन की वस्तुस्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। 5 मिलियन घन मीटर से अधिक समग्र उत्खनन क्षमता युक्त परियोजनाओं की निगरानी प्रत्येक वर्ष की जाती है तथा 5 मिलियन घन मीटर से कम क्षमता की परियोजनाओं का अनुश्रवण प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाता है।

सीएमपीडीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीसीएल की बीस (20) खदानों का भूमि सुधार/बहाली प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

बी) खदान- जल का सदुपयोग :

सीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और पलामू जिलों के लगभग 120 गांवों / टोलाओं को सामुदायिक उपयोग के लिए लगभग 86 लाख कि.ली. खदान जल उपलब्ध कराया है, जिससे अनुमानित 1,86,000 लोग लाभान्वित हुए हैं।

सी) जैविक सुधार तथा वृक्षारोपण:

i. जैव-विविधता का सुधार एवं बहाली:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 133.64 हेक्टेयर क्षेत्र में घासरोपण/वृक्षारोपण का कार्य किया गया जिसमें 30.81 हेक्टेयर में घास-बीज युक्त गोलों को प्रसरित किया गया। राज्य वन विभाग के माध्यम से सीसीएल की निम्नलिखित परियोजनाओं की 133.64 हेक्टेयर क्षेत्र में से 102.83 हेक्टेयर में कार्य संपन्न किया गया:

क्रं.	परियोजना / क्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्र (हे. में)
1	गिरिडीह खुली खदान परियोजना	28.00
2	बोकारो खुली खदान परियोजना	04.35
3	कारो खुली खदान परियोजना	03.62
4	करगली खुली खदान परियोजना	01.50
5	कोनार विस्तार खुली खदान परियोजना	17.12
6	जारंगडीह खुली खदान परियोजना	02.50
7	कथारा खुली खदान परियोजना	01.08
8	गोविंदपुर भूमिगत	01.88
9	स्वांग वाशरी	00.20
10	टार्मी खुली खदान परियोजना	08.59
11	अमलो खुली खदान परियोजना	02.00
12	आम्रपाली खुली खदान परियोजना	23.00
13	पुरनाडीह खुली खदान	09.00
	हेक्टेयर. में कुल क्षेत्रफल	102.83

सीसीएल के बरका-सयाल क्षेत्र में बीज-गोलों द्वारा वृक्षारोपण

ii. वृक्षारोपण अभियान -2021:

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 19.08.2021 को क्षेत्र अंतर्गत 53 स्थानों, खदानों तथा मुख्यालय, राँची में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कर्मचारियों, स्थानीय ग्रामीणों तथा हितधारकों के मध्य लगभग 23,000 पौधे वितरित किए गए तथा सीसीएल की खदानों में लगभग 78,000 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में लगभग 3700 लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सीसीएल में वृक्षारोपण उत्सव

सीसीएल कमांड एरिया में वृक्षारोपण उत्सव

वृक्षारोपण अभियान की कुछ झलकियाँ

डी) अन्य प्रदूषण नियंत्रक गतिविधियां :

i. रेलवे साइडिंग पर संस्थापित वायु अवरोधक प्रणाली:

पिपरवार क्षेत्र के पिपरवार तथा आरसीएम रेलवे साइडिंग में वायु अवरोधक प्रणाली

ढोरी क्षेत्र के तारमी रेलवे साइडिंग में वायु अवरोधक प्रणाली

ii. हरित पट्टी का विकास :

कथारा क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास

आम्रपाली - चन्द्रगुप्त क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास

इ) कृत अन्य कार्य:

i. विश्व पर्यावरण दिवस - 2021 समारोह का आयोजन :

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 05.06.2021 को अपने सभी क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस - 2021 मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर सतत खनन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया तथा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्रोत्साहित किया गया। इस उपलक्ष्य पर सीसीएल के कमान क्षेत्रों में प्रश्नोत्तरी, निबंध तथा चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर सीसीएल मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह

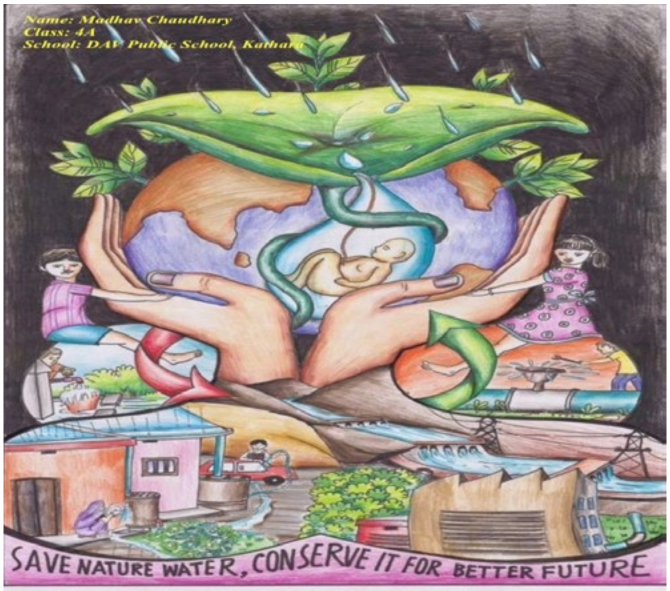

सीसीएल में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की झलकियाँ

ii. संवहनीय खनन पर लघु फिल्म का निर्माण तथा कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन:

सीसीएल द्वारा कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (https://youtu.be/IfVNHUUIBQ4) पर अपनी संवहनीय खनन संबद्ध पहल आधारित एक लघु फिल्म प्रकाशित की गयी है। पारिस्थितिकी बहाली तथा कम्यूनिटी आउटरीच प्रोग्राम में कंपनी कृत प्रयासों को प्रदर्शित करती एक कॉफी टेबल बुक का मुद्रण किया गया है।

कॉफी टेबल बुक

iii. वन उत्पादकता संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन:

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के मध्य ₹441 लाख के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत मृदा के संरक्षण व सदुपयोग हेतु एक कार्यप्रणाली के निर्माण और खदान स्थल के उद्धार हेतु स्थानीय पारिस्थितिकी का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित अध्ययन में लैंडस्केप डिजाइनिंग, पुनरुद्धार स्थलों में पादप-विविधता का अध्ययन, अनुकूल प्रजातियों की जांच,वृक्षारोपण तकनीक,खदान की मिट्टी के भौतिक-रासायनिक गुणों पर वृक्षारोपण के प्रभाव का आकलन और प्रदर्शन के आधार पर प्रजातियों की जांच शामिल है। प्रारंभ में, अध्ययन के लिए रजरप्पा, आम्रपाली और अशोक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं तथा उक्त अध्ययन अवधि पांच वर्ष की होगी।

वन उत्पादकता संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन

26. भूमि अर्जन एवं राजस्व विभाग

26.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति

वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भू-अर्जन के निम्नलिखित प्रस्तावों की अग्रेत्तर प्रगति निम्नदर्शित है:

क्र.सं.	परियोजना	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन का विवरण
1.	गिद्दी- सी	42.88	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 426 दिनांक 05.07.2021
2.	लाइयो खुली खदान	108.10	धारा 4(1) देखें एस.ओ. सं. 349 दिनांक 31.05.2021, 05.06.2021 को सूचना दी गई
3.	संघमित्रा खुली खदान परियोजना	486.63	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 500 दिनांक 31.07.2021, अगस्त 2021 को सूचना दी गई
4.	हेंदेगीर खुली खदान परियोजना	541.71	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 810 दिनांक 27.11.2021 (01.12.2021 को सूचना दी गई)
5.	पतरातू एबीसी खुली खदान परियोजना	1790.08	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 123 दिनांक 05.02.2022
6.	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना	170.72	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 120 दिनांक 05.02.2022
7.	होन्हे शिवपुर मार्ग	6.44	धारा 4(1) देखें एस.ओ सं. 121 दिनांक 05.02.2022
8.	गिद्दी - ए	3.29	धारा 11 (1) एस.ओ. सं. 375 दिनांक 25.06.2021 को सूचीत
9.	जीवनधारा खुली खदान परियोजना	38.04	धारा 11 (1) एस.ओ. सं. 668 दिनांक 01.10.2021

26.2 नियोजन:

वर्ष 2021-22 के दौरान भू.अ. एवं राजस्व विभाग द्वारा 172 नियोजन-प्रस्ताव निपटाए गए। **172** प्रस्तावों से **146** नियोजन-पत्र 31.03.2022 तक जारी किए गए हैं।

26.3 पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना:

वर्ष 2021-22 के दौरान 91 घरों में रहने वाले कुल **105** स्थानांतरित परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के अंतर्गत कुल **19.75 करोड़** रुपये खर्च किए गए जिसमें से आवास मुआवजे के मद में 6.85 करोड़ रुपये, पीएएफ/पीएपी को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के मद में 1.53 करोड़ रुपये तथा आरएंडआर साइट हेतु 11.36 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

26.4 भू-मुआवजा: (899.31 करोड़ रुपये)

सीसीएल ने वित्त वर्ष 2021-21 में, 899.31 करोड़ रुपये की भूमि मुआवजे का भुगतान किया, जिसमें से सरकारी भूमि के मद में **898.86 करोड़ रुपये** की अग्रिम राशि झारखंड सरकार को दी गई तथा विभिन्न भू-स्वामियों को किरायेदारी भूमि के मद पर 0.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

26.5 विधिक मुकदमों का निष्पादन:

वित्त वर्ष 2021-22 में सिविल कोर्ट, रामगढ़ में आयोजित विभिन्न लोक अदालतों के माध्यम से 36 भूमि से संबंधित मुकदमों का निष्पादन किया गया।

विशेष उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2021-22 में 292 एकड़ भूमि के पर दखल सहित परियोजना प्रभावित परिवारों के नामित 146 व्यक्तियों को भूमि के विरुद्ध नियोजित किया गया।
- भूमि मुआवजे के विरुद्ध 899.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जिसका केपेक्स में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त भुगतान अद्यतन सर्वाधिक भुगतान है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के 03 (तीन) आरएंडआर साइट : आरा-चामातु (मगध-संघमित्रा क्षेत्र) का 443 एकड़, उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के बहगीटिंगरी 47.19 एकड़ तथा आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र के होन्हे की 9.46 एकड़ भूमि को स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 के धारा 04 और 11 के तहत कुल 09अधिसूचनाओं जारी किये गए।
- अशोक परियोजना में भू-व्यवस्था से संबंधित टाना भगत समुदाय के लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दों को राज्य सरकार अधिकारियों के साथ सुलझा लिया गया है।
- राज्य सरकार ने सीबीए(ए एंड डी) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के खिलाफ भूमि मुआवजे के लिए सरकारी भूमि की (सैद्धांतिक)कृषि दर के लिए सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में सीसीएल झारखंड सरकार को अधिग्रहित सरकारी भूमि के खिलाफ विरोध के तहत अग्रिम के रूप में भूमि मुआवजे का भुगतान कर रही है।

27. रेलवे अवसंरचना

क. टोरी-शिवपुर नई बड़ी गेज डबल रेल लाइन (टोरी-बिराटोलीऔर बिराटोली- महुआमिलान रेल लाइन कनेक्टिविटी सहित) (अनुमानित लागत - ₹ 2692 करोड़)

टोरी-शिवपुर खंड में पू.म. रेलवे द्वारा रेल-लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात कमीशन कर लिया गया है। कोयले की निकासी की जा रही है। इस रेल लाइन में सीसीएल द्वारा निवेशित पूँजीनिवेश की प्रतिपूर्ति हेतु रेलवे द्वारा वर्धित माइलेज @ 70% का अनुमोदन दिया गया है।

ख. टोरी- शिवपुर तीसरी रेल लाइन (अनुमानित परियोजना लागत -₹ 894 करोड़):

टोरी-शिवपुर खंड में तीसरी रेल लाइन बिछाने की अतिरिक्त लागत ₹894 करोड़ है, जिसमें से ₹350 करोड़ रेलवे को जमा किया जा चुका है। पू.म.रेलवे द्वारा कार्य प्रगति पर है। कमीशन की संभावित तिथि (टीडीसी) मार्च 2023 है।.

ग. शिवपुर-कथौटिया (शिवपुर- हजारीबाग संशोधित आरेखण) अनुमानित लागत - रु 1799.64 करोड़)

शिवपुर-कथौटिया नई बड़ी गेज डबल रेल लाइन का कार्य सीसीएल, इरकॉन और झारखंड सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी 'झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड' की ओर से मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है" |

रेलवे द्वारा इंफ़लेटेड माइलेज @ 60% पर डीपीआर (संशोधित परियोजना लागत - 1799.64 करोड़ रूपये) को स्वीकृति प्रदान की गयी है। पू. म. रेलवे एवं जेसीआरएल के मध्य रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्तर-I की वन्य स्वीकृति जून-2019 में प्रदान की गयी है तथा सीए, एनपीवी एवं वन्य जीवन प्रबंधन हेतु भुगतान किया गया है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई है |.

चतरा जिले में कुल 133 हेक्टेयर रैयती भूमि अधिग्रहण में से केवल 12.79 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित है। इसके अलावा चतरा जिले में 20.3 हेक्टेयर गैर-मजरुवा भूमि अधिग्रहण में से मात्र 0.74 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित है.

एसबीआई कैप द्वारा वित्तीय बंदीकरण की संभावना मई 2022 है।

घ. उत्तरी उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण:

मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा लगभग 10 कि.मी. लंबी रेल लाइन की निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 2 छोटे पुलों के अतिरिक्त अन्य समस्त पुलों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका हैं। मई, 2022 तक व्हार्फ वॉल लोकेशन तक रेलवे लाइन के पूरा होने तथा मार्च, 2023 तक कार्य पूरा होने की संभावना है |

ङ. कोनार रेलवे साइडिंग:

पू.म. रेलवे द्वारा लो लेवल व्हार्फ दीवार सहित जारंगडीह रेलवे स्टेशन से बोकारो थर्मल विद्युत स्टेशन तक ₹ 46.8 करोड़ की लागत से कोनार रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य पूरा तथा

कमीशन कर लिया गया है। कोनार रेलवे साइडिंग से कोयले का प्रेषण किया जा रहा है|

च. मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण

मेसर्स राईटस को ₹391.01 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। मेसर्स राईटस द्वारा रेलवे भूमि एवं अन्य अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है |

छ. आम्रपाली रेलवे साइडिंग का निर्माण :

₹413.48 करोड़ की लागत से मेसर्स राईटस को 3 कार्य-आदेश दिया गया है। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है|

ज. निम्नलिखित रेलवे साइडिंग पर मार्ग संरेखण सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिवेदन (एफएसआर) का निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य तथा रेलवे द्वारा उक्त साइडिंग का साइलो/ कोल हॉपर लोडिंग सिस्टम सहित रेलवे इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अनुमोदन का कार्य निम्नलिखित रेलवे साइडिंगों के लिए किया गया :

i. मगध फेज - II रेलवे साईडिंग - मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा|
ii. मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा चन्द्रगुप्त ओसीपी के प्रावधान के साथ आम्रपाली फेज - II रेलवे साइडिंग |
iii. संघमित्रा रेलवे साईडिंग - मेसर्स आईपीआरसीएल द्वारा|
iv. केडीएच रेलवे साईडिंग - मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा |
v. कारो रेलवे साईडिंग - मेसर्स आईपीआरसीएल द्वारा|
vi. अशोक रेलवे साईडिंग - मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा
vii. केदला दनिया रेलवे साईडिंग - मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा|
viii. रजरप्पा रेलवे साईडिंग - मेसर्स राईट्स लिमिटेड द्वारा |
ix. कोनार रेलवे साईडिंग - मेसर्स आईपीआरसीएल द्वारा |
x. कथारा रेलवे साईडिंग - मेसर्स आईपीआरसीएल द्वारा |

28. भूगर्भ विभाग

क. भूवैज्ञानिक सेवाएं

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां सम्पन्न हुई। उनमें से अधिकांश सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण, उत्पादन समर्थन खनन सेवा एवं भविष्य गत खनन गतिविधियों से संबद्ध हैं।

1. सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत जिन सीआईएल ब्लॉकों का गवेषण विभागीय तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है, उन ब्लॉकों में चल रहे स्थल योजनाओ की वस्तुस्थिति पर परस्पर चर्चा विभागाध्यक्ष (गवेषण), क्षेत्रीय संस्थान-3, सीएमपीडीआई, रांची से की जा रही है।
2. विभागीय-सह-आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरआई-3, सीएमपीडीआई, रांची की निगरानी में सीआईएल कोल ब्लॉक के सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत भूवैज्ञानिक (कोरिंग और नॉन-कोरिंग ड्रिलिंग), भू-भौतिकीय (भूभौतिकीय लॉगिंग, प्रतिरोधकता और वीईएस सर्वेक्षण) गवेषण का कार्य किया गया।
3. सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों में किए गए गवेषण बोरहोल गहराई की संयुक्त मापी प्रमाणन के लिए क्षेत्रों का दौरा।
4. आरआई-III, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा समर्पित प्रारूप तथा अंतिम भूवैज्ञानिक प्रतिवेदन का यादृक्षिक पुनरीक्षण। भूगर्भ विभाग, सीसीएल द्वारा पुनरीक्षित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट इस प्रकार हैं:
   - क. देवनाद-III (पूर्व), उत्तरी कर्णपुरा कोलियरी
   - ख. राजभर-ए, औरंगा कोलियरी
   - ग. चलकारी एक्सटेंशन अंगवाली ब्लॉक, ईस्ट बोकारो कोलियरी
   - घ. सयाल डी, दक्षिणी कर्णपुरा कोलियरी
5. विभागीय-सह-आउटसोर्सिंग माध्यम से सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों में सीएमपीडीआई के विपत्र का प्रसंस्करण।
6. दिनांक 01.04.21 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत जीएसआई के अनुसार कोयला भंडार का समेकन। सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सकल 45397.78 मि.टन कोयला भंडार है। 01.04.2021 को भारत में कोयले का सकल भंडार 352125.97 मि.टन है।
7. खनन कार्य के दौरान भूगर्भ संबद्ध मुद्दों के समाधान हेतु अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र और तापिन उत्तरी ओसीपी, हजारीबाग क्षेत्र का दौरा किया गया।
8. क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार ड्रिलिंग सेवाएं (ब्लास्ट होल, टेस्ट होल और ट्यूबवेल) उपलब्ध करना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 13918 मीटर ड्रिलिंग की गई है, जिसमें 2 बेस ड्रिलिंग कैंप - तोपा (कुजू क्षेत्र अंतर्गत) और लपंगा (बरका सयाल क्षेत्र अंतर्गत) में उपलब्ध 4 ड्रिलों द्वारा प्रति माह 289 मीटर प्रति ड्रिल से अधिक की उत्पादकता प्राप्त हुई है।
9. आरआई-III, सीएमपीडीआई, रांची और सीसीएल के क्षेत्रों से प्राप्त गवेषण से संबंधित प्रस्तावों की जांच।
10. भूविज्ञान विभाग, सीसीएल में रांची विश्वविद्यालय के एक छात्र का प्रशिक्षण।

ख. आउटसोर्सिंग प्रस्ताव

1. आम्रपाली खुली खदान परियोजना में मेसर्स एमआईपीएल-जीसीएल संयुक्त उद्यम को प्रदत्त 08 वर्षों की वर्तमान आउटसोर्सिंग संविदा के संबंध में चिन्हित पैच (7.37 हेक्टेयर) को मिलाने सहित 5.278 मिलियन घ.मी. ओबी तथा 4.349 मिलियन टन कोयले की मात्रा के विस्तार के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव के अनुमोदन की मांग का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

2. कथारा क्षेत्र के गोविंदपुर फेज-II खुली खदान परियोजना में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 17.84 ला.घ.मी. ओबी हटाने एवं आरएच 1.95 ला.घ.मी. तथा कोयले की निकासी (6.73 ला.टन) के लिए एक वर्ष की अवधि तक एचईएमएम मशीन किराए पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

3. 4 (चार) माह की अवधि के लिए मगध ओसीपी के कोयला धारित क्षेत्र से 10.01 ला.घ.मी. आरएच ओबी हटाने हेतु एचईएमएम को किराए पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

4. झारखंड ओसीपी ओएस पैच-1 के संबंध में पुरस्कृत लीड दूरी में समान संविदा के पूर्ववत नियम एवं शर्तों के साथ मेसर्स बीएलए इंफ्रा प्रा.लि. को प्रदत्त आउटसोर्सिंग कार्य की लीडवार मात्रा के पुनर्विनियोजन आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

5. कुजू क्षेत्र अंतर्गत तोपा रिआर्गनाइजेशन ओसीपी के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए 13.86 ला.घ.मी. ओबी निकालने हेतु एचईएमएम किराये पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

6. पिपरवार क्षेत्र अंतर्गत अशोक खुली खान परियोजना में जनवरी,2021 तक सहमत स्ट्रिपिंग अनुपात की तुलना में उपलब्ध स्ट्रिपिंग अनुपात की भिन्नता के कारण वास्तविक स्ट्रिपिंग अनुपात में संशोधन तथा संविदा की शेष अवधि के लिए यथा संशोधित अनुसूची 4(सी) के खंड 5 (जे) (vii), कम्पोज़िट संविदा के विशेष नोट तथा अतिरिक्त नियम व शर्तों के अनुरूप ओबी हटाने, कोयला निकालने तथा कोयला परिवहन के लिए मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए करार संख्या पीपीआर/ओबी/सीटी/सीआईवी/2018/88 दिनांक 30-06-2019 संबंधित अनुमोदन हेतु आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

7. मेसर्स अशोक माइनिंग जेवी को पुरस्कृत क्षेत्र अंतर्गत 2 हेक्टेयर (लगभग) क्षेत्र काबिज करने सहित पुरस्कृत संविदा संबद्ध कार्य-आदेश पत्र संख्या-एजीएम/पीपीआर/अशोक/पुरस्कार/20/35/ दि. 29.09.2020 के अनुसार प्रदत्त लीड के भीतर अप्रयुक्त शेष री-हैंडलिंग का प्रतिस्थापन तथा पुनर्विनियोजन के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

8. मगध-संघमित्रा क्षेत्र के मगध ओसीपी की अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के विचलन में पूर्ववत नियम एवं शर्तों के साथ कोयला धारित क्षेत्र स्थित ओबी डंपिंग (15 मि.घ.मी.) स्थल के बदलाव हेतु आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें भविष्य में पुन:संचालन की आवश्यकता रहेगी।

9. मेसर्स सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड को निविदा सूचना सं. 49 के तहत करार संख्या- PPR/OB/2014/25 दिनांक 25.08.2014 में दिए गए मौजूदा संविदा के संबंध में आवंटित पैच के भीतर 6.72 हेक्टेयर वन/जीएमजेजे भूमि के सापेक्ष 43.36 लाख घन मीटर अनिष्पादित ओबी के प्रतिस्थापन की मांग के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

10. छह महीने की अवधि के लिए ढोरी क्षेत्र के एएडी-ओसीपी के प्रस्तावित आउटसोर्सिंग पैच-बी का ठोस ओबी (17.38 ला.घ.मी.) को हटाने तथा आरएच (9.97 ला.घ.मी.) को हटाने हेतु एचईएमएम मशीन को किराए पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

11. जीएम(बीएंडके)/एसओ(एम)/सीटी/करूओसीपी/ओबीआर/ एसएम/ईसी/डब्ल्यूओ/01दिनांक 08.06.2020 व करार संख्या जीएम(बीएंडके)/एसओ(एम)/सीटी/करूओसीपी/ओबीआर/एसएम/ ईसी/समझौता/420 दिनांक 23.06.2020 द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए बो. एवं करगली क्षेत्र के कारो ओसीपी के पैच-एच में प्रस्तावित एनेक्स (0.993 ला.टन) से ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, कोयले के परिवहन हेतु किराये पर एचईएमएम की मौजूदा संविदा में लीड बदलाव के कारण छोटे भूखंडों पर काबिज होने तथा आंशिक संशोधन के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

12. आम्रपाली- चन्द्रगुप्त क्षेत्र के आम्रपाली ओसीपी में मेसर्स एएमपीएल- एमआईपीएल- जीसीएल (जेवी) को सरफेस माइनर द्वारा कोयला निष्कर्षण की आवंटित मात्रा में से 8.00 लाख टन कोयले का ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग द्वारा कोयला निष्कर्षण तथा लीड में बदलाव किए बिना ढुलाई के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन.

13. अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र में मेसर्स एस.एम.ए.एस.एल से करार संख्या पीपीआर/सीटी/सीआईवी/2018/80, दिनांक 12.09.18 के संबंध में आरसीएम/बचरा साइडिंग से सीएचपी-सीपीपी को 15 लाख टन की मात्रा के पुनर्विनियोजन के आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

14. मेसर्स के.एस.एम.एल. जेवी को 6 वर्ष की अवधि हेतु बो. एवं करगली क्षेत्र के ए.के.के. ओसीपी (कोनार विस्तार) के कोनार भाग-II में 34.437 मि.घन.मी. ओबी हटाने तथा 37.090 मि.टन कोयले के निष्कर्षण तथा परिवहन के लिए एचईएमएम को किराए पर लेने के लिए पुरस्कृत संविदा में दूसरे परिवर्तन के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

15. 6 माह की अवधि के लिए हजारीबाग क्षेत्र के तापिन दक्षिण परियोजना में 8.75 ला.घन.मी. ओबी के पुन: संचालन हेतु एचईएमएम को किराए में लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

16. तीन वर्ष की अवधि के लिए कथारा क्षेत्र के कथारा ओसीपी में 1,84,561 घन मी. ओबी हटाने तथा 37,16,012 टन कोयले की निकासी एवं विभिन्न गंतव्यों तक ढुलाई हेतु एचईएमएम किराए पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

17. मेसर्स अशोक माइनिंग जेवी को कार्य-आदेश पत्र संख्या एजीएम/पीपीआर/अशोक/अवार्ड/20/35 दिनांक 29.09.2020, एनआईटी सं. सीसीएल/ जीएम(सीएमसी)/ पिपरवार/2020/23 दि. 21.07.2020 एवं करार पीपीआर/ओबी/सीटी/सिव./2020/99 दि. 17.12.2020 द्वारा पुरस्कृत क्षेत्र अंतर्गत 3.93 हेक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र का प्रतिस्थापन तथा काबिज होने सहित संविदा में प्रदत्त लीड के अंतर्गत शेष अनिष्पादित पुन:संचालन मात्रा से ह्रास के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

18. मगध-संघमित्रा क्षेत्र अंतर्गत मगध ओसीपी के चमातु पैच पर हॉल रोड बनाने के लिए मौजूदा ओबी तथा कोयले की बेंचों के ऊपर एवं इर्द-गिर्द तथा खदान के निचले सिरे की 100 मीटर परिधि के भीतर खनित कोयला क्षेत्र (डी-कोल्ड क्षेत्र) में लगभग 4.15 लाख घन मीटर की डंपिंग के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें भविष्य में भी पुनःसंचालन की आवश्यकता होगी।

19. एक वर्ष की अवधि के लिए हजारीबाग क्षेत्र सीसीएल के झारखण्ड ओसीपी में 10.36 लाख घन मीटर ओबी के पुनर्संचालन के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

20. मेसर्स पीएलआर प्राइवेट लिमिटेड को मौजूदा 03 वर्षों के लिए पूर्ववत नियम व शर्तों के साथ हजारीबाग क्षेत्र के तपिन दक्षिण ओसीपी में ओबी हटाने तथा कोयला निष्कर्षण एवं परिवहन के आउटसोर्सिंग अनुबंध के संबंध में पुरस्कृत पैच सहित चिन्हित पैच-I और पैच-II पर काबिज होने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

21. हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल के झारखण्ड ओसीपी में एक वर्ष की अवधि के लिए 10.36 ला.घ.मी. ओबी के पुनःसंचालन के लिए एचईएमएम किराए पर लेने के आउटसोर्सिंग प्रस्ताव का भूवैज्ञानिक अध्ययन।

ग क्षेत्रों का दौरा एवं मापन का संयुक्त प्रमाणन।

1. उत्तरी कर्णपुरा कोयलांचल के देवनाद-III ब्लॉक, अशोक करकट्टा पश्चिम चरण-II ब्लॉक, धादु पूर्व (उत्तरी) ब्लॉक में 34 बोरहोलों का आरआई-III, सीएमपीडीआई, राँची के भू-भौतिकीविदों के साथ भू-भौतिकीय मापन का संयुक्त प्रमाणन।

2. सीसीएल कमान क्षेत्रों अंतर्गत सीआईएल ब्लाकों में आरआई-III, सीएमपीडीआई, राँची के भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए 141 बोरहोल की गहराई (कोरिंग और नॉन-कोरिंग ड्रिलिंग) मापन को संयुक्त रूप से प्रमाणित किया गया।

घ अन्य:

1. 2021-22 के दौरान विभागीय व आउटसोर्सिंग द्वारा सीआईएल ब्लॉक में आरआई-III सीएमपीडीआई के गवेषण कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ङ जल-भूविज्ञान

1. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु 1 डीप ट्यूबवेल (ड्रिल मशीनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप) ड्रिल किया गया है।

च. कोयला भंडार

दिनांक 01.04.2021 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत **भारतीय भूवैज्ञानिक** सर्वेक्षण द्वारा संकलित एवं परिकलित सिद्ध, सूचीत एवं अनुमानित कोयले का सकल भूवैज्ञानिक भंडार 45397.78 मिलियन टन (1200 मीटर की गहराई तक) है।

कोयला-भंडार का विवरण निम्नानुसार है।

(आंकड़े मि. टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	सूचीत	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8508.1	9296.13	1643.48	19447.71
नन-कोकिंग	16580.12	6530.88	2839.07	25950.07
कुल	25088.22	15827.01	4482.55	45397.78

29. सीसीएल में सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी

संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा पारदर्शिता बढ़ाने के सतत प्रयास में सी.सी.एल. ने अपने हितधारकों की संतुष्टि हेतु कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सूचना एवं संचार प्रद्यौगिकी का प्रभावी उपयोग किया है। इस दिशा में लिए गए मुख्य पहल इस प्रकार हैं :

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीसीएल तथा सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में कोलनेट (एक प्रकार का ईआरपी) के स्थान पर विश्व-अग्रणी ईआरपी प्रणाली - सैप को क्रियान्वित किया गया है। सीसीएल की विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समेकित करने हेतु सैप के सात खंड क्रमशः उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस), संयंत्र रखरखाव (पीएम), मानव संपदा प्रबंधन (एचसीएम), वित्त नियंत्रण (एफआईसीओ), सामग्री प्रबंधन (एमएम) तथा विक्रय एवं वितरण (एसडी) परिचालित किए

गए हैं। उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से सैप (ईआरपी) का क्रियान्वयन निरंतर सुदृढ़ होता जा रहा है। चिकित्सीय-सेवा के क्षेत्र हेतु एक अन्य अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) भी आगामी वर्ष तक क्रियान्वित कर ली जाएगी|

2. सीसीएल के सभी कमान क्षेत्रों में कार्यरत समस्त वेब्रिज (सड़क बिक्री और आंतरिक परिवहन) को केन्द्रीय सैप सर्वर से जोड़ा गया है|

3. सी.आई.एल. के केंद्रीय सेवा प्रदाता के माध्यम से कोयले की ई-नीलामी, वस्तु एवं सेवाओं का ई-क्रय किया जाता है। उपलब्धता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के ई-क्रय हेतु जीईएम पोर्टल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आईटी पहलों के माध्यम से व्यवसायिक प्रक्रियाओं के आरोहण हेतु कर्मचारियों एवं विक्रेताओं को ई-भुगतान तथा शिकायतों की ई-फाइलिंग की जा रही है |

4. ट्रैकिंग विवरण सहित इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम द्वारा पुराने हस्तचालित संचिका प्रणाली के प्रतिस्थापन के साथ एनआईसी से ई-ऑफिस एप्लिकेशन को संपूर्ण सीसीएल में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। उक्त के अनुप्रयोग का उद्देश्य संगठन की व्यापार प्रबंधन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि सहित पारदर्शिता को बढ़ावा देना है|

5. व्यापार की विभिन्न प्रक्रियाओं की उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार करने के प्रयोजन से सैप (ईआरपी) के कार्यान्वयन हेतु फ़ेलसेफ रीडंडेंट मोड में वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) को परिचालन में लाया गया है।

6. सी.सी.एल. के सभी अधिकारियों के लिए सी.आई.एल. द्वारा जारी कारपोरेट ई-मेल मैसेजिंग सिस्टम को सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए उपलब्ध है|

7. आप्रनि के डैशबोर्ड पर विभागीय प्रमुखों को सौंपे गए कार्यों की निगरानी और विश्लेषण हेतु गतिविधि निगरानी प्रणाली,कोविड जांच रिपोर्ट पोर्टल,आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की पोर्टल तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भीष्म पितामह पोर्टल,जैसे विभिन्न इन-हाउस विकसित वेब / मोबाइल एप्लिकेशन का आंतरिक विकास किया गया है|

8. सी.सी.एल. के समस्त अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सतर्कता संबंधी सूचनाएँ तथा वार्षिक संपत्ति विवरणी को सीआईएल द्वारा संचालित वेब प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाता है|

9. सीसीएल ने अपने हितधारकों को समय पर भुगतान करवाने हेतु एस.ए.पी. के माध्यम से बैंको में भुगतान गेटवे का प्रारंभ किया है|

30. सुरक्षा प्रबंधन

सीसीएल का सुरक्षा विभाग एक 24X7 कार्यरत विभाग है जो अवैध खनन, कोयला चोरी जैसे अवैध कार्यों की रोकथाम तथा कंपनी के श्रमशक्ति तथा परिसंपतियों की सुरक्षा हेतु निगरानी, नियंत्रण तथा आवश्यक निषेधात्मक कदम उठता है। इसके अतिरिक्त अवैध खनन की रोकथाम के लिए मोबाइल आधारित ऐप 'खनन प्रहरी' का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न खानों/परियोजनाओं तथा इकाइयों में चल रही गतिविधियों की चौबीस घंटे निगरानी हेतु सुरक्षा विभाग ने एक कार्यविधि तैयार की है|

कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपतियों की सुरक्षा हेतु सीसीएल के सुरक्षा बल में विभागीय सुरक्षा कर्मी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ), झारखंड सरकार तथा झारखंड सरकार के होम गार्ड आदि शामिल हैं। दिनांक 31.03.2022 तक सीसीएल के कुल सुरक्षा बलों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.	सुरक्षा बल	मौजूदा श्रमशक्ति की संख्या
1	विभागीय सुरक्षा बल	1603
2	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	1850
3	राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ), झारखंड सरकार	270
4	होम गार्ड, झारखंड सरकार	1906
	कुल	5629

वर्तमान में सीआईएसएफ बोकारो एवं करगली, ढोरी, उत्तरी कर्णपुरा तथा पिपरवार जैसे 04 क्षेत्रों में तैनात है । मगध- संघमित्रा तथा आम्रपाली-चन्द्रगुप्त क्षेत्रों में सीआईएसएफ की तैनाती प्रक्रियाधीन है। मगध- आम्रपाली क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा करगली, उत्तरी कर्णपुरा तथा पिपरवार क्षेत्र में सीआईएसएफ की अतिरिक्त तैनाती का प्रस्ताव का पुनः सर्वेक्षण महानिदेशक, सीआईएसएफ, सुरक्षा बल मुख्यालय, नई दिल्ली को विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ भेजा गया है |

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सीसीएल के समस्त 13 क्षेत्रों में होने वाली चोरी/नुकसान के डेटा का सार :

बरामद मात्रा (टन में)	अनुमानित मूल्य (रु लाख में)	घटनाओं की संख्या	छापे	स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज किये गए शिकायत	दर्ज एफआईआर	की गई गिरफ्तारी	वर्जित वाहनों की सूची
1755.65	42.81	459	457	58	52	22	22

सुरक्षा बल द्वारा किए गए सफल छापे दुर्भावनापूर्ण इरादों के प्रभावी निवारण की पहचान हैं । सीसीएल के लीज होल्ड क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की सूचना मिलने पर सुरक्षा विभाग स्थानीय पुलिस की मदद से घटना स्थल पर छापेमारी कर रैट होल बंद करना सुनिश्चित करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 2083 रैट होल बंद किए गए हैं |

बंद किये जा रहे रैट होल

सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कोयले की चोरी तथा अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित अनुमोदित एसओपी को परिचालित किया गया है :

1. अवैध खनन हेतु एसओपी
2. चोरी हेतु एसओपी
3. ट्रकों से कोयले की चोरी हेतु एसओपी
4. रोड सेल हेतु एसओपी
5. कोयला प्रेषण हेतु एसओपी

कोविड – 19 महामारी के द्वितीय लहर के दौरान भी सुरक्षा कर्मियों ने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया। कोयला - उत्पादन तथा कोयले के प्रेषण को सुचारू रूप से चलाने हेतु सुरक्षा विभाग ने कोविड-19 के दौरान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन समय – समय पर किया गया। सीसीएल कर्मियों के बीच बचाव के निर्देश, तापमान- जांच, मास्क पहनने, हैंड सेनीटाइसिंग, सामाजिक दूरी, आदि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कोविड – 19 के प्रसार में कमी आई।

सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कोयले की चोरी को रोकने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी पहलुओं को लागु किया गया। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :

स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या	वाहनों में लगाए गए जीपीएस की संख्या	आरएफआईडी आधारित बूम बैरीयर की संख्या
1650	3150	112

कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपत्तियों को 24X7 निरंतर निगरानी सुरक्षा प्रदान करने हेतु ई एंड टी विभाग ने खदान क्षेत्रों, आवासीय परिसर तथा कार्यालय परिसर में आईवीटी नियंत्रण कक्ष के साथ सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया।

31. राजभाषा कार्यान्वयन प्रतिवेदन 2021-22

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी) झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग 90 प्रतिशत कार्मिक हिंदी के कार्यसाधक-ज्ञान से युक्त हैं। राजभाषा अधिनियम और नियमों के विभिन्न वैधानिक अनुपालन हेतु कंपनी का राजभाषा विभाग सदैव प्रयत्नशील है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वर्ष पर्यंत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से तकनीकी एवं सैद्धांतिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर निरंतर निगरानी और नियमित प्रयासों के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम के सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजभाषा विभाग सफल रहा है।

सीसीएल में राजभाषा क्रियान्वयन को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021-22 से हिंदी तथा गैर-हिंदीभाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु नकद पुरस्कार योजना लागु की गयी है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना भी लागु की गयी है।

सीसीएल में हिंदी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तथा सीसीएल में कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की भीतर छिपी काव्य प्रतिभा की पहचान हेतु सीसीएल हिंदी काव्यपाठमाला (काव्यपाठ की शृंखला) का आयोजन किया जा रहा है। इस शृंखला के अंतर्गत अब तक काव्यपाठ के दो अध्यायों के ऑनलाइन आयोजन किए जा चुके हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/ निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कंपनी की कारपोरेट स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित तिमाही बैठकें क्रमशः दिनांक 29.07.2021, 30.08.2021,18.11.2021 तथा 25.02.022 को आयोजित की गयीं। 29.07.2021, 30.08.2021 को आयोजित बैठक में सीसीएल के क्षेत्र वीसी के माध्यम से सम्मिलित हुए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय, प्राप्त सुझावों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप राजभाषा का कार्यान्वयन किया गया। तिमाही के दौरान राजभाषा का सर्वोत्तम क्रियान्वयन करने वाले विभागों/ क्षेत्रों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही इस तिमाही से राजभाषा चल-शील्ड का प्रावधान किया गया है। राजभाषा हिन्दी के सुगम कार्यान्वयन एवं प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु उक्त तिमाही बैठकों में कंपनी के परिचालन क्षेत्रों/ मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों/ प्रतिनिधियों एवं राजभाषा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोरोना महामारी के प्रसार को दृष्टिगत करते हुए मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय में क्रमशः दिनांक 29.06.2021, 21.09.2021, 22.12.2021, 23.03.2021 को सामाजिक दूरी का उचित अनुपालन करते हुए सीसीएल मुख्यालय स्थित सभागार में एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं का विषय हिन्दी में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें यूनिकोड समर्थित हिन्दी टंकण, बोलकर टंकण करने, मशीन अनुवाद आदि रहा। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन हिन्दी संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगकीय प्रशिक्षण दिया गया। नियमित कार्यशालाओं के अतिरिक्त, सीसीएल मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों में 'डेस्क-प्रशिक्षण' दिया जा रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष में, कोरोना महामारी के प्रसार को दृष्टिगत करते हुए राजभाषा-माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया। दिनांक 01.09.2021 से 30.09.2021 तक विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई । राजभाषा माह पर्यंत सीसीएल की वेबसाइट पर हिन्दी के विद्वानों की प्रेरणास्पद उक्तियों का प्रदर्शन किया गया। हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर 14 सितम्बर, 2020 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल द्वारा सीसीएल के कार्मिकों को 'राजभाषा प्रतिज्ञा' दिलाई गई। 14 सितंबर को हिंदी दिवस का उपलक्ष्य पर 'हिंदी का भारतीय परिदृश्य : उत्तर से दक्षिण तक' विषय पर एक वेब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजित प्रतियोगिताओं के सभी विजयी प्रतिभागियों को मंत्रालय के निर्देशानुसार तय की गई राशि का पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करने हेतु लगभग 100 कर्मियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

हिंदी दिवस-2021

समय-समय पर सीसीएल के क्षेत्रों, केन्द्रीय इकाइयों एवं मुख्यालय के विभागों का निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उचित सलाह दी जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 19 विभागों/ क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया है।

राजभाषा विभाग द्वारा सीसीएल की वेबसाइट पर विविध तकनीकी तथा प्रशासनिक शब्दकोश का लिंक उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सीसीएल की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रतिदिन 'आज का शब्द' अद्यतन किया जा रहा है। नियमित कार्योपयोगी साहित्य, पुरस्कार योजना की जानकारी, राजभाषा सहायिका आदि की साथ-साथ राजभाषा हिंदी से संबद्ध विविध तकनीकी सहायता राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई

जा रही है। राजभाषा विभाग, सीसीएल द्वारा मंत्रालयों के निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन का प्रयास रहता है जिससे फलस्वरूप कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है।

32. सतर्कता विभाग

क. प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या एवं कृत कार्रवाई:

प्राप्त शिकायतें	वर्ष 2021-22
1 अप्रैल,2021 से 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त शिकायतें	462
दायर बेनामी/छद्मनामी मामले	88
1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक शिकायतों का अनुसंधान/सत्यापन	293
आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को अग्रसारित शिकायतें.	44

ख. नियमित अनुसंधान (आरआई मामले)

अनुसंधान	वर्ष 2021-2022
1 अप्रैल 2021 तक लंबित मामले	10
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक शिकायतों का अनुसंधान	16
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक पूर्ण हो चुके अनुसंधान	18
31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	8

ग. अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले (आरडीए मामले)

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) के मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22		
	मामले	व्यक्तियों की संख्या	
		बड़े मामले	छोटे मामले
बड़े मामले	10	22	
छोटे मामले	04	07	

घ. विभागीय अनुसंधान

पूर्ण विभागीय अनुसंधान	वर्ष 2021- 2022	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
समाप्त	18	35
आंशिक कार्रवाई	03	04

ङ. वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया

वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	वर्ष 2021-2022	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
बड़े मामले		
समाप्त	15	37
आंशिक कार्रवाई	01	01
छोटे मामले		
समाप्त	02	02
आंशिक कार्रवाई	01	02

च. वर्ष 2021-22 के दौरान औचक निरीक्षण

वर्ष	सम्पन्न औचक निरीक्षण	नियमित अनुसंधान में परिवर्तित
वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)	01	00

छ. गहन अनुसंधान के मामले (आईटीई मामले)

वर्ष	सम्पन्न औचक निरीक्षण	नियमित अनुसंधान में परिवर्तित
2021-22	01	00

ज. अधिकारियों की संपत्ति विवरणी की संवीक्षा

वर्ष (2021-22)	कृत संवीक्षा
वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)	242

झ. प्रत्येक वर्ष संदेहपूर्ण व्यक्तियों (अग्रीड लिस्ट)/संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची तैयार की जा रही है।

ञ. अनुसंधान के दौरान प्रचलित प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए तथा सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर प्रणालीगत सुधार हेतु सक्षम प्राधिकारी को निवारक उपायों की संतुस्ति दी जाती है |

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनीकृत करने हेतु निम्न प्रणालीगत सुधारों की अनुशंसा की गई |

i. रेल माध्यम द्वारा कोयला विक्रय से संबंधित सर्फेस ट्रांसपोर्टेशन शुल्क |

ii. प्रणाली सुधार हेतु सीएमसी की मानक एनआईटी के अनुच्छेद 20.2 तथा अन्य विभिन्न निविदाओं के प्रासंगिक अनुच्छेदों में संशोधन का सुझाव।

iii. औपबंधिक अवधि विस्तार के मामले में प्रणाली सुधार।

iv. डीजल भंडारण टंकी की अनियमित प्रतिस्थापना के अनुसंधान परिणामस्वरूप प्रणाली में सुधार।

v. बिक्री आदेश में उल्लिखित ग्रेड से भिन्न ग्रेड के कोयले की डिलिवरी।

ट. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सीसीएल की समस्त इकाइयों, क्षेत्रों के साथ सीसीएल मुख्यालय में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021' का सोत्साह आयोजन किया गया। इस वर्ष सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा जागरूकता अभियान का प्रारम्भ विभिन्न प्रमुख स्थानों बैनर तथा पोस्टर प्रदर्शन से होकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-21 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ समाप्त हुआ।

i. सत्यनिष्ठा की शपथ :

सीसीएल मुख्यालय, रांची के साथ-साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं/इकाइयों में समस्त कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021' प्रारंभ हुआ। दिनांक 26.10.2021 को सीसीएल (मुख्यालय) में अप्रनि, सीसीएल द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

यह गतिविधि केवल मुख्यालय और क्षेत्र की इकाइयों तक ही सीमित नहीं रही अपितु विभिन्न पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि जैसे कई अन्य संस्थानों में भी सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गयी।

ii. ई-शपथ

ई-शपथ हेतु कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को प्रेरित एवं प्रभावित करने के लिए सीसीएल की वेबसाइट पर “सत्यनिष्ठा-शपथ” हेतु www.cvc.nic.in का हाइपरलिंक सक्रिय किया गया। साथ ही सीसीएल, मुख्यालय में ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए ई-शपथ बूथ लगाया गया। अधिकांश कर्मचारी विगत वर्षों में शपथ ग्रहण कर चुके हैं, परंतु इस वर्ष भी अधिकारियों, गैर-अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि समेत 3000 से अधिक लोगों को ई-शपथ दिलाई गई है।

iii. सतर्कता जागरूकता रथ:

दिनांक 26.10.21 को अप्रनि, सीसीएल सहित समस्त कार्यकारी निदेशकों ने सीसीएल मुख्यालय से सतर्कता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के चारों ओर भ्रष्टाचार निरोधक एवं जागरूकता संबंधित नारे, छायाचित्र एवं संदेशादि का प्रदर्शन किया गया था। रथ द्वारा रांची के समस्त आवासीय क्षेत्रों का परिभ्रमण किया गया। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 8 जिलों (रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू) में 2600 वर्ग किलोमीटर प्रसरित सीसीएल के 12 क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रथ द्वारा परिभ्रमण किया गया।

iv. सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित कार्यक्रम

दिनांक 30.10.21 को, अपराह्न में, सीसीएल मुख्यालय के अधिकारियों के मध्य 'स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता', विषयक निबंध प्रतियोगिता एवं सतर्कता संबंधित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्मिकों के मध्य स्लोगन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर्मचारियों में भावना को सुदृढ़ करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में कार्मिकों का समर्थन प्राप्त करना था।

v. सीसीएल के 13 विभिन्न क्षेत्रों एवं 5 स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया:

सीसीएल के 13 क्षेत्रों एवं 5 स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया:

i. अरगड़ा क्षेत्र

ii. बरका सयाल क्षेत्र

iii. कुजू क्षेत्र

iv. रजरप्पा क्षेत्र

v. हजारीबाग क्षेत्र

vi. बोकारो एवं करगली क्षेत्र

vii. ढोरी क्षेत्र

viii. कथारा क्षेत्र

ix. आम्रपाली- चन्द्रगुप्त क्षेत्र

x. उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र

xi. पिपरवार क्षेत्र

xii. रजहारा क्षेत्र

xiii. मगध- संघमित्रा क्षेत्र

xiv. केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना

xv. केंद्रीय भंडार, बरकाकाना

xvi. खान बचाव केंद्र, रामगढ़

xvii. केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर

xviii. केंद्रीय अस्पताल, नईसराय

26 अक्टूबर '21 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय महाप्रबंधक या इकाई/ क्षेत्र के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा-शपथ दिलाई गयी। सभी इकाइयों/ कार्यालयों/ क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर भ्रष्टाचार निरोधक विचारोत्तेजक स्लोगन प्रदर्शित किए गए। साथ ही, सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

vi. पेशेवर चित्रकारों द्वारा ओपन एयर चित्रकला कार्यशालाः

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करने हेतु कुछ अभिनव प्रयोग किए गए। जिनमें से, एक द्वि-दिवसीय ओपन एयर चित्रकला कार्यशाला दिनांक 28.10.2021 को सीसीएल मुख्यालय,रांची में वीएवी-21 विषय पर आयोजित की गयी तथा उक्त का समापन दिनांक 29.10.2021 को हुआ। उपर्युक्त कार्यशाला में 20 पेशेवर चित्रकारों ने अनन्य प्रकार से भ्रष्टाचार का निरूपण कर अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की।

vii. सीसीएल मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार/ कार्यशालाएंः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सीसीएल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गएः

1. सीसीएल सतर्कता विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक (वित्त) के तकनीकी सचिव द्वारा निम्नलिखित विषयों पर सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में 1 ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गयी:

i. शक्ति प्रत्यायोजन

ii. पीआईडीपीआई

iii. निविदा एवं संविदाओं में पाई गई सामान्य अनियमितताएं।

उपरोक्त कार्यशालाओं की समाप्ति उपयोगी संवाद-सत्र के साथ हुई तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया गया।

दिनांक 03.11.2021 को, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के समापन दिवस पर सीसीएल मुख्यालय, राँची में "स्वतंत्रभारत@ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" पर वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/समस्त क्षेत्र एवं मुख्यालय के महाप्रबंधक तथा अधिकारियों ने भाग लिया। उपरोक्त सुअवसर पर सीवीओ, सीसीएल तथा सीसीएल के सभी कार्यकारी निदेशकों की गरिमामयी उपस्थिती रही। उपर्युक्त वार्ता में मुख्यालय/ क्षेत्रों से विभिन्न विभागों के लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया।.

viii. सतर्कता पत्रिका "जागृति" का प्रकाशनः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2021 के अवसर पर, सीसीएल सतर्कता द्वारा एक जागरूकता पत्रिका - "जागृति" प्रकाशित की गयी। सीसीएल सतर्कता के आंतरिक संसाधनों को प्रयुक्त कर इस पत्रिका में प्रणालीगत सुधार, संदेश, सीसीएल कार्मिकों के आलेख, उद्धरण आदि को संकलित करने का अनूठा प्रयास किया गया है।

ix. सीयूजी मोबाइल एवं सोशल मीडिया (ट्विटर) में संदेश के माध्यम से जागरूकताः

सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा उक्त सप्ताह के दौरान जागरूकता प्रसार का हर संभव प्रयत्न किया गया तथा सीसीएल के अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील बनाने हेतु कुछ अभिनव तरीके अंगीकृत किए गए।

i. इस दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों के सीयूजी फोन पर प्रेरणादायक संदेश भेजे गए।

ii. थीम सहित प्रमुख कार्यक्रमों के छायाचित्र सीसीएल के अधिकारिक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किए गए। आयोग द्वारा विभिन्न ट्वीट को पुनः ट्वीट किया गया।

iii. राज्य में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रकाशित किया गया।

33. सूचना का अधिकार की स्थिति

वर्ष 2021-22 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निपटाए गए आवेदनों का ब्योरा निम्नलिखित है :

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	1080
2.	निपटाएं गए आवेदनों की संख्या	688
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	15
4.	आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत स्थानांतरित किये गए आवेदनों की संख्या	377
5.	खारिज आवेदनों की संख्या	शून्य
6.	सीसीएल के किसी भी अधिकारी का सीआईसी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड	नहीं

34. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार सीसीएल में आंतरिक

शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति गठन का आदेश सीसीएल की वेबसाइट पर महिला सशक्तिकरण पोर्टल में अपलोड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 22 के संदर्भ में संबंधित सूचना निम्नलिखित हैंः

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कृत कार्रवाई मामलों की संख्या	कृत कार्रवाई
शून्य	शून्य	लागु नहीं

35. निगमित प्रशासन

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी प्रशासन प्रणाली की समृद्ध विरासत पर महान कंपनियों का निर्माण होता है। आपकी कंपनी में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा अन्य सुशासन कार्यप्रणाली के उच्चतम मानदंड इनके लागु होने के पहले ही विद्यमान थे। महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी की निगमित प्रशासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानदंड एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप है। निगमित प्रशासन वस्तुतः विभिन्न हितधारकों यथा अंशधारकों, प्रबंधन, कार्मिकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियामक प्राधिकारियों एवं वृहत्तर समुदाय के मध्य अंतर्संबंधों का कुशल प्रबंधन है। आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि उक्त संबंधों को निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदेयता के माध्यम से सुदृढ किया जा सकता है। विश्वसनीय वित्तीय सूचना, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सशक्तिकरण एवं विधिक अनुपालन को आपकी कंपनी प्राथमिक महत्व देती है।

निगमित प्रशासन संबंधित सूचना अनुलग्नक-1 में संलग्न है तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी द्वारा निगमित प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी अंकेक्षकों का प्रमाणन अनुलग्नक-II में संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 की धारा 12 (1) एवं वर्ष 2018 एवं 2019 में संशोधन, के अनुसार अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचार संहिता मु.म.प्र.(वित्त)/कंपनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्याः सीआईएलःIX(डी): 04007:2010:1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 का अनुमोदन 13 अगस्त 2019 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 390वीं बैठक में दिया गया है। सेबी की अधिसूचनाओं के अनुरूप इस नीति का आवधिक अद्यतनीकरण किया जाता है तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा जाता है व जारी परिपत्र कंपनी के पदनामित कर्मचारियों के मध्य परिचालित किया गया है जिसमें निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशकगण, समस्त मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधकगण एवं कंपनी के नामित विभागों में कार्यरत अधिकारीगण सम्मिलित हैं।

क्रं.	मानदंड	उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एमओयू 2021-22 का लक्ष्य	एमओयू 2021-22 की वास्तविक उपलब्धि
1.	डीपीई द्वारा जारी निगमित प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 एवं अधिक	97.80

36. शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु मुख्यालय में वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा की उपलब्धता

सीसीएल की वार्षिक लेखा और सम्बन्धित विस्तृत जानकारियां, नियंत्रक कंपनी एवं सहायक कम्पनियों के शेयरधारकों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के मुख्यालय में वार्षिक लेखा किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा गया है।

अतएव, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी 08 फरवरी, 2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के अनुपालन में तथा उत्तरवर्ती पत्र संख्या सीआईएलः ग्प् (डी): 04032:2011:2255 दिनांक 08 मार्च, 2011 के अनुपालन में, सीआईएल के शेयरधारकों को जानकारी देने के लिए उनकी मांग पर सीसीएल के लेखा को रांची (मुख्यालय) में उपलब्ध कराया गया है।

37. निदेशक मण्डल

आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 12(बारह) बैठकों का आयोजन किया गया। दिनांक 12.08.2021 को आयोजित 65वीं वार्षिक आम बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हुए:

कार्यकारी निदेशक:

1. श्री पी. एम. प्रसाद, अ.प्रनि, सीसीएल
2. श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
3. श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
4. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), सीसीएल
5. श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक(कार्मिक), सीसीएल

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस
2. श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.सं), सीआईएल

गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस
2. श्री हरबंस सिंह, पूर्व-महानिदेशक एपेक्स, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
3. श्रीमती जाजुला गौरी, अधिवक्ता
4. श्री शिव अरोड़ा, सी.ए.

स्थायी निमंत्रितगण:

1. श्री सलिल कुमार झा, मु.सं.प्र., पूर्वी मध्य रेलवे
2. श्री के. श्रीनिवासन, सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार

दिनांक 30.06.2021 को श्री एन.के.अग्रवाल के सेवानिवृति पश्चात श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल ने 01.07.2021 को निदेशक (वित्त), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

और, 23.07.2021 को श्री विनय रंजन द्वारा कार्यभार छोड़ने पर, श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल ने दिनांक 24.07.2021 को निदेशक (कार्मिक), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

तदनंतर, श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीआईएल ने 05.08.2021 को श्री बिनय दयाल के स्थान पर सीआईएल के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

तदनंतर, दिनांक 31.10.2021 को श्री वी.के. श्रीवास्तव के सेवानिवृति पश्चात श्री एस.के. गोमस्ता, निदेशक, सीएमपीडीआईएल ने 01.11.2021 को निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

और, श्री रमेश कुमार सोनी ने 01.11.2021 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल 12.12.2021 को समाप्त हुआ।

श्री भोला सिंह ने दिनांक 31.12.2021 को निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल के कार्यभार का त्याग किया।

तत्पश्चात, सुश्री संतोष, उप-महानिदेशक, कोयला मंत्रालय ने 03.01.2022 को श्री मुकेश चौधरी के स्थान पर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राम बाबू प्रसाद ने निदेशक (तक. / सं), सीसीएल का कार्यभार, 14.05.2022 को ग्रहण किया।

श्री पवन कुमार मिश्रा ने, श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल, के 10.06.2022 को निदेशक (वित्त), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार त्याग देने के पश्चात, निदेशक (वित्त), सीसीएल का कार्यभार दिनांक 10.06.2022 को ग्रहण किया।

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक श्री हरबंस सिंह एवं श्रीमती जजुला गौरी का कार्यकाल 09.07.2022 को समाप्त हुआ।

निदेशक (कार्मिक), सीसीएल श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, 31.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए; तत्पश्चात, सीएमडी, सीसीएल श्री पी.एम. प्रसाद को 01.08.2022 से निदेशक (कार्मिक), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

तदनुसार, 66वीं वार्षिक आम बैठक के दिन कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकगण सम्मिलित हैं:

कार्यकारी निदेशक:

1. श्री पी. एम. प्रसाद, अ.प्रनि, सीसीएल
2. श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल
3. श्री राम बाबू प्रसाद, निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
4. श्री एस. के. गोमस्ता, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
5. श्री पी. एम. प्रसाद, निदेशक(कार्मिक), सीसीएल

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.र), सीआईएल

गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. श्री रमेश कुमार सोनी, सी.ए.

स्थायी निमंत्रितगण:

1. श्री सलिल कुमार झा, मु.सं.प्र., पूर्वी मध्य रेलवे

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के सम्बन्ध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसरण में, एतदद्वारा पुष्टि की जाती है:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी के निर्माण में धारक कंपनी, सीआईएल, द्वारा अनुमोदित एकरूप लेखाकरण नीति का अनुपालन किया गया है। उक्त एकरूप लेखाकरण नीति कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचीत भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।निम्नांकित के अतिरिक्त, वित्तीय विवरणी ऐतिहासिक लागत के आधार पर निर्मित की गयी है -
2. कुछ वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - कुछ वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - परिभाषित लाभ योजनाए - योजना परिसंपत्तीयों को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - लागत पर भण्डार सूची या एनआरवी में जो कम हो।

3. यह कि, निदेशकों द्वारा उन लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया तथा निर्णय व प्राक्कलन किया गया जिन्हें तार्किक एवं विवेकपूर्ण माना गया ताकि संदर्भाधीन वर्ष हेतु लाभ-हानि तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

4. यह कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा आंकड़ो का पर्याप्त एवं समुचित रख-रखाव ताकि कंपनी-परिसंपत्ती की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान और उनकी रोकथाम की जा सके।

5. यह कि, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु गोइंग कंसर्न के रूप कार्यरत रहने में कंपनी की क्षमता, यथा लागु, गोइंग कंसर्न से संबद्ध मामलों का प्रकटीकरण एवं गोइंग कंसर्न लेखांकन के अनुप्रयोग के आधार पर कंपनी वित्तीय विवरणी निर्मित की गयी है।

6. यह कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली समुचित है तथा प्रभावी रूप कार्य कर रही है।

7. यह कि, लागु सभी विधिक प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रणाली विकसित की गई है एवं उक्त प्रणालिया पर्याप्त हैं एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से हो रहा है।

39. कंपनी के अंकेक्षकगण:

संविधिक अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म नियुक्त किए गए थे:

क. संविधिक अंकेक्षक:

मेसर्स के. सी. टाक एण्ड कं.
न्यू अनंतपुर, राँची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक:

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एंड कंपनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग, मेन रोड, राँची, झारखंड

2. **मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी**
   304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, 4 एच.बी. रोड, तीसरी मंजिल, रांची-834001, झारखंड

3. **मेसर्स सुशील शर्मा एंड कंपनी**
   तीरथ मेंशन, कमरा नंबर 222, ओवरब्रिज के पास, रांची-834001, झारखंड

ख. लागत अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निदेशकीय मंडल की 491वीं बोर्ड बैठक के मद क्रमांक 4(4) दिनांक 24.09.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लागत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित लागत अंकेक्षण फर्म को नियुक्त किए गए:

मैसर्स तन्मया एस. प्रधान एण्ड कं,
"स्वस्थान", ब्रुक्स हिल, सम्बलपुर - 768001, ओडिसा

शाखा लागत अंकेक्षक:

1. **मैसर्स आर. के. सिन्हा एंड को.**
   सेक्टर -आई सी, क्वार्टर नं. 1206 बोकारो स्टील सिटी-827001 झारखंड

2. **मैसर्स सौरभ सेठी एंड को.**
   मुख्यालय: 9, नव मानक नगर,
   मानक नगर, लखनऊ-226011 उत्तर प्रदेश

ग. सचिवीय अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 अंतर्गत निदेशक मंडल की 515वीं बैठक के मद क्रमांक 4(5) दिनांक 14.05.2022 द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के सचिवीय अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म नियुक्त किए:

सचिवीय अंकेक्षक:

मेसर्स सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
फ्लैट नंबर 201, उर्मिला अपार्टमेंट, सेंट ऐनीज बालिका विद्यालय के पास, उद्धव बाबू लेन थारपखना, रांची -834001

40. बोर्ड समितियां:

क. निदेशकों के अंकेक्षण समिति

31.03.2022 को निदेशकीय अंकेक्षण समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1.	**श्री रमेश कुमार सोनी,** अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	—	अध्यक्ष
2.	**सुश्री संतोष,** प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	—	सदस्य
3.	**श्री हरबंस सिंह,** अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	—	सदस्य
4.	**श्री विनय रंजन,** निदेशक (का. एवं औ.र), सीआईएल	—	सदस्य

5. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री के आर वासुदेवन,** — स्थायी आमंत्रित
निदेशक (वित्त), सीसीएल

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी के अंकेक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 4 पर दिया गया है।

ख. सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति:

31.03.2022 को सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समितियों की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. **श्री हरबंस सिंह,** — अध्यक्ष
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
निदेशक (का. एवं औ.र), सीआईएल
5. **श्री के आर वासुदेवन,** — सदस्य
निदेशक (वित्त), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
निदेशक(कार्मिक), सीसीएल

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी के सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 4 पर दिया गया है।

ग. निदेशकों की उच्चाधिकार समिति

31-03-2022 को निदेशकों की उच्चाधिकार समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. **श्री पी. एम. प्रसाद**, — अध्यक्ष
अ.प्रनि, सीसीएल
2. **सुश्री संतोष**, — सदस्य
प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री विनय रंजन**, — सदस्य
निदेशक (का. एवं औ.र), सीआईएल
4. **श्री हरबंस सिंह**, — सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
5. **श्री के आर वासुदेवन**, — सदस्य
निदेशक (वित्त), सीसीएल
6. **श्री भोला सिंह**, — सदस्य
निदेशक तक (यो. एवं परि.), सीसीएल

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी के निदेशकों की उच्चाधिकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 4 पर दिया गया है।

घ . जोखिम प्रबंधन समिति:

31.03.2022 को जोखिम प्रबंधन समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — अध्यक्ष
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
निदेशक (तक./संचा.), सीसीएल
3. **श्री एस. के. गोमस्ता,** — सदस्य
निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल
4. **श्री एस. के. पांडेय,** — मुख्य जोखिम अधिकारी
महाप्रबंधक(संचालन)

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी के जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 4 पर दिया गया है।

ङ. मानव संसाधन समिति:

31.03.2022 को मानव संसाधन समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — अध्यक्ष
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री रमेश कुमार सोनी**, — सदस्य
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
निदेशक (का. एवं औ.र), सीआईएल
4. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
निदेशक तक (यो. एवं परि.), सीसीएल
5. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
निदेशक(कार्मिक), सीसीएल

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी के मानव संसाधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में बिंदु संख्या 4 पर दिया गया है।

41. वेबलिंक:

कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित नीतियां देखीं जा सकतीं है:

i. **सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः**

Amendment_Notification_17112021_csr.pdf (centralcoalfields.in)

ii. **सतर्कता तंत्रः**

21_02_2020_whistle_blower_policy.pdf

centralcoalfields.in)

iii. कोल इंडिया लिमिटेड के नामित व्यक्तियों द्वारा नियमन, निगरानी और प्रतिवेदन ट्रेडिंग के लिए आचार संहिताः
W (centralcoalfields.in)

iv. संबंधित पार्टी लेनदेन नीतिः

related_party_policy.pdf (centralcoalfields.in)

v. सेबी(एलओडीआर विनियम, 2015 के तहत मेटेरियलिटी निर्धारण पर नीति

Policy_on_determination_of _Materiality_under_ SEBI_LODR_ Regulations_2015__03042017.pdf (centralcoalfields.in)

42. धन्यवाद ज्ञापन:

आपके निदेशकगण, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को प्रदत्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं समर्थन हेतु भारत सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। आपके निदेशकगण, आपकी कंपनी को बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके निदेशकगण, हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण को पूर्ण विश्वास है कि समस्त श्रेणी के कार्मिक आगामी वर्षों में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कठिन परिश्रम करते रहेंगे। आपके निदेशकगण वैधानिक अंकेक्षकों, कर अंकेक्षकों, नियंत्रक एवं भारत सरकार के महालेखापरीक्षक तथा कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता और मार्गदर्शन हेतु सधन्यवाद आभार प्रकट करते हैं।

43. परिशिष्ट:

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैंः

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकीय मंडल प्रतिवेदन में दिया प्रदत्त परिशिष्टः

i. उन कार्मिकों का विवरण, जो यदि वर्ष या कुछ समय के लिए नियोजित किए जाएं, तो 1,02,00,000/- प्रति वर्ष या 8,50,000/- प्रति माह या उससे अधिक प्राप्त करते हैं।

ii. ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी।

iii. कंपनी के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के विवरण।

iv. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय का विवरण।

v. सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण।

vi. संबंधित पार्टियों और कंपनी के बीच अनुबंध /व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण।

vii. अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन।

viii. स्वतंत्र निदेशकगणों की घोषणा।

ख. 31 मार्च 2022 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (6)(बी) के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक की टिप्पणियां।

घ. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा की समीक्षा।

ङ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12(1) के तहत दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का संक्षेपण।

च. कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (2) और 134(3) के तहत निदेशक की प्रतिवेदन में परिशिष्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन और प्रबंधन का उत्तर दर्शाया गया है

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(पी.एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक-I

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

1. दर्शनशास्त्र

सीसीएल प्रबंधन, उत्कृष्ट निगमित प्रशासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए सदैव प्रयत्नशील है। सीसीएल का निगमित प्रशासन मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैः

1. अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के वहन में प्रतिबद्ध, दक्ष, समुचित संरचना एवं आकार के निदेशक मंडल का गठन।,
2. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड तथा इसकी समितियों को समयबद्ध सूचना मिले ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
3. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र जांच कराना।
4. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति अपनाना।
5. कंपनी से संबंधित वास्तविक सूचना शेयरधारकों के समक्ष समय पर संतुलित रूप से प्रकाशित करना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागु नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, उपभोगताओं, अंशधारकों और निवेशकों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार करना।

निगमित-नागरिक के रूप में आपकी कंपनी निगमित प्रशासन के उच्चतम मानदंडों के पालन में विश्वास करती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीसीएल समस्त भारतीय नागरिकों को सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं नियंत्रण-संतुलन बनाने का विषय नहीं है अपितु, अवसरों को वास्तविकता में बदलने के दृष्टिकोण के साथ कंपनी के उदेश्यों को बेहतर निष्पादन की दिशा में सतत् प्रक्रिया है। कंपनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयरधारकों के लाभ एवं कर्मचारियों के विकास के साथ इसकी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना तथा विभिन्न संसाधनों का लाभ लेना शामिल है जिससे कि जोखिमों को कम करने के फलस्वरूप शेयरधारकों को प्रसन्न किया जा सके। कंपनी के मुख्य उदेश्यों में विवेक एवं चेतना की निगमित संस्कृति का सृजन एवं पालन, पारदर्शिता, स्पष्टता, जिम्मेदारी, औचित्य, हिस्सेदारी, सतत मूल्य सृजन, नैतिक आचरण तथा क्षमता का विकसित करना एवं उन अवसरों को पहचानना है जो मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिससे एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संगठन का निर्माण हो।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2022 तक ग्यारह (11) निदेशक शामिल थे जिसमें 4 कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित, दो (2) अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक, तीन (3) अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक तथा दो (2) स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल थे।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल 12 (बारह) बैठकें हुई यथा 28.05.2021, 04.06.2021, 26.06.2021, 04.08.2021, 31.08.2021, 23.09.2021, 06.11.2021, 09.12.2021, 28.01.2022, 05.02.2022, 07.03.2022 & 29.03.2022। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कम्पनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का निम्नानुसार विवरण दिया जा रहा हैः

क्र.	नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक (कमिटी बैठकों का विवरण अलग दिया गया है)		अन्य निदेशकीय पदों की संख्या
			कार्यकाल में	उपस्थिति	
1.	श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	12	12	बीसीसीएल
2.	सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार *	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	4	3	शून्य
3.	श्री मुकेश चौधरी, निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार**	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	8	सीएमपीडी आईएल
4.	श्री विनय रंजन, निदेशक(का. एवं औ), सीआईएल***	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	8	शून्य
5.	श्री बिनय दयाल, निदेशक (तक.), सीआईएल^	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	4	4	i.सीआईएल ii. सीएमपीडी आईएल
6.	श्री के आर वासुदेवन, निदेशक (वित्त), सीसीएल^^	कार्यकारी निदेशक	9	8	एमसीएल
7.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल^^^	कार्यकारी निदेशक	3	3	शून्य
8.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल$	कार्यकारी निदेशक	2	2	शून्य
9.	श्री वि. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./सं.), सीसीएल $$	कार्यकारी निदेशक	6	6	शून्य
10.	श्री एस के गोमस्ता, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल$$$	कार्यकारी निदेशक	6	6	सीएमपीडी आईएल जेसीआरएल
11.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परि.), सीसीएल #	कार्यकारी निदेशक	6	6	जेसीआरएल
12.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुअन राव, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल##	कार्यकारी निदेशक	9	9	बीसीसीएल
13.	श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल***	कार्यकारी निदेशक	3	3	ईसीएल
14.	श्री हरबंश सिंह, भूतपूर्व निदेशक जनरल एपेक्स, जीएसआई	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	12	शून्य
15.	श्रीमती जाजुला गौरी, अधिवक्ता	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	12	शून्य
16.	श्री रमेश कुमार सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट+	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	6	6	शून्य
17.	श्री शिव अरोरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट++	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	11	6	शून्य
18.	श्री सुभाऊ कश्यप, एमबीबीएस###	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	8	शून्य

* सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, ने 03.01.2022 को प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

** श्री मुकेश चौधरी, निदेशक, कोयला मंत्रालय ने 02.01.2022 को प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार त्याग दिया।

*** श्री विनय रंजन ने 23.07.2021 को निदेशक (का.), सीसीएल के रूप में कार्यभार त्याग दिया एवं 05.08.2021 को प्रशासनिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

^ श्री बिनय दयाल ने 04.08.2021 को कार्यभार त्याग दिया।

^^ श्री के.आर. वासुदेवन ने 01.07.2021 को निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में अतितिक्त प्रभार ग्रहण किया।

^^^ श्री एन. के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीसीएल, 30.06.2021 को सेवानिवृत्त हुए।

$ श्री भोला सिंह ने 02.11.2021 को निदेशक (तक./सं), सीसीएल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया एवं 31.12.2021 को कार्यभार त्याग दिया।

$$ श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी/सं), सीसीएल, 31.10.2021 को सेवानिवृत्त हुए।

$$$ श्री एस.के. गोमस्ता ने 01.11.2021 को निदेशक तक. (परी एवं यो.), सीसीएल के रूप में अतितिक्त कार्यभार ग्रहण किया।

श्री भोला सिंह ने 01.11.2021 को निदेशक (तकनीकी/परी एवं यो),सीसीएल के रूप में कार्यभार त्याग दिया।

श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव ने 24.07.2021 को निदेशक (कार्मिक), सीसीएल के रूप में अतितिक्त कार्यभार ग्रहण किया।

12.12.2021 को अप्रसाशकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल पूरा हुआ।

\+ श्री रमेश कुमार सोनी ने 01.11.2021 को अप्रसाशकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

++ श्री शिव अरोड़ा ने 20.03.2022 को अप्रसाशकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार त्याग दिया।

वर्ष 2021-22 दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पारिश्रमिक की अनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण

नाम	अन्य निदेशकों के साथ सम्बन्ध	अन्य निवेशकों के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध	वर्ष 2021-22 के लिए पारिश्रमिक (रु)										
			वेतन एवं बकाया सहित भत्ते	पीआरपी	परक्विजित	आ भ	अवकाश नकदीकरण	सीएम पीएफ अंशदाइ	चिकित्सा व्यय	एनपीएस का अंशदान	एलटीसी (एफ)	ग्रेचुइटी	कुल
श्री पी. एम. प्रसाद	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4419110.24	0.00	467623.69	0.00	1174388.40	414274.00	0.00	238968.00	0.00	0.00	6714364.33
श्री वि. के. श्रीवास्तव	शून्य	निदेशक (तक./सं).	2463551.67	0.00	189607.25	0.00	2359451.40	231585.00	0.00	152405.00	0.00	2000000.00	7396600.32
श्री भोला सिंह	शून्य	निदेशक (तक./यो. एवं परि)	3276908.86	0.00	20913.70	0.00	0.00	307150.00	4854.12	177200.00	0.00	0.00	3787026.68
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	शून्य	निदेशक (वित्त)	971344.00	0.00	108517.11	0.00	1511937.93	89967.00	19885.10	69872.00	0.00	2000000.00	4771523.64
कुल योग			**11130915.27**	**0.00**	**786661.75**	**0.00**	**5045777.73**	**1042976.00**	**24739.22**	**638445.00**	**0.00**	**4000000.00**	**22669514.97**

सेवा संविदा

कंपनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालीन निदशकों को नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कंपनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अंशकालीन निदेशकगण

कंपनी द्वारा किसी भी अंशकालीन निदेशक को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण						कुल राशि (रु)
1.	स्वतंत्र निदेशक:	श्री सुभाऊ कश्यप (13.12.2018 से 12.12.2021)	श्री हरबंस सिंह (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	श्री शिव अरोरा (10.07.2019 से 20.03.2022)	श्रीमती जाजुला गौरी (नियुक्ति की तिथि 10.07.2019)	श्री रमेश कुमार सोनी (नियुक्ति की तिथि 01.11.2021)	
	बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने हेतु फीस	4,00,000	6,20,000	3,00,000	5,40,000	2,00,000	20,60,000
	कुल (1)	**4,00,000**	**6,20,000**	**3,00,000**	**5,40,000**	**2,00,000**	**20,60,000**

3. बोर्ड समिति

i. निदेशकों के अंकेक्षण समिति

श्री एन.के. अग्रवाल के 30.06.2021 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात, निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल ने दिनांक 01.07.2021 को अतिरिक्त कार्यभार संभाला। फलस्वरूप, **निदेशकों की अंकेक्षण समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 04.08.2021 को आयोजित 505 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था:

1. **श्री शिव अरोड़ा,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री बिनय दयाल,** — सदस्य
   निदेशक (तकनिकी), सीआईएल
5. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकr
7. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — स्थाई आमंत्रित
   निदेशक (वित्त), सीसीएल

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल द्वारा 05.08.2021 को सीआईएल नामित निदेशक के रूप में श्री बिनय दयाल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पश्चात, **निदेशकों की अंकेक्षण समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 31.08.2021 को आयोजित 506 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था :

1. **श्री शिव अरोड़ा,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
7. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — स्थाई आमंत्रित
   निदेशक (वित्त), सीसीएल

दिनांक 01.11.2021 को श्री रमेश कुमार सोनी द्वारा अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तथा 12.12.2021 को श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल पूरा होने के मद्देनज़र, सीसीएल बोर्ड ने 09.12.2021 को आयोजित 509वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **निदेशकों की अंकेक्षण समिति** का पुनः-गठन किया:

1. **श्री शिव अरोड़ा,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
7. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — स्थाई आमंत्रित
   निदेशक (वित्त), सीसीएल

सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, कोयला मंत्रालय द्वारा 03.01.2022 को श्री मुकेश चौधरी के स्थान पर प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने 28.01.2022 को आयोजित अपनी 510 वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **निदेशकों की अंकेक्षण समिति** का पुनर्गठन किया-

1. **श्री शिव अरोड़ा,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **सुश्री संतोष,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
7. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — स्थाई आमंत्रित
   निदेशक (वित्त), सीसीएल

अंकेक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या अंकेक्षण समिति के एक तिहाई में से सदस्य जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपने 411वें बैठक में 04.11.2014 को अंकेक्षण समिति के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति की 09(नौ) बैठकों का आयोजन दिनांक 25.05.2021, 04.06.2021, 04.08.2021, 31.08.2021, 23.09.2021, 06.11.2021, 09.12.2021, 28.01.2022 एवं 05.02.2022 को किया गया। कंपनी सचिव अंकेक्षण समिति के भी सचिव हैं।

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

परस्पर कार्य की सूची निम्नवत है:

1. अंकेक्षकों के साथ आवधिक परिचर्चा:
   - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता एवं अनुपालन
   - अंकेक्षकों के पर्यवेक्षण सहित अंकेक्षण का दायरा
   - बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करें।
2. निम्नलिखित कार्य करने के लिए:
   - सही, पर्याप्त और विश्वसनीय वित्तीय विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
   - प्रबंधन के साथ बोर्ड में अनुमोदन पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, यदि कोई लेखा विधिनीति में परिवर्तन हो, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन एवं अभियोग्यता का प्रस्तुतीकरण संबंधित पार्टी के लेन-देन, अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में।

ii. सतत विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010- डीपीईह(एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की:

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु:

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- सतत विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- सतत विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख-रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति में कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं - जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल ने दिनांक 01.07.2021 को श्री एन.के. अग्रवाल के 30.06.2021 को सेवानिवृत्त होने पर, निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया; एवं श्री पी.वी.के.आर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (का.), बीसीसीएल द्वारा 23.07.2021 को श्री विनय रंजन के स्थान पर निदेशक (का.), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर, **सतत विकास एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 04.08.2021 को आयोजित 505वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठन किया गया था।

1. **श्री हरबंस सिंह,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री बिनय दयाल,** — सदस्य
   निदेशक (तकनिकी), सीआईएल
5. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल द्वारा 05.08.2021 को सीआईएल नामित निदेशक के रूप में श्री बिनय दयाल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पश्चात, **सतत विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 31.08.2021 को आयोजित 506 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था :

1. **श्री हरबंस सिंह,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्री के. आर.** — सदस्य
   वासुदेवन, निदेशक (वित्त), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

दिनांक 01.11.2021 को श्री रमेश कुमार सोनी द्वारा अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तथा 12.12.2021 को श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल पूरा होने के मद्देनज़र, सीसीएल बोर्ड ने 09.12.2021 को आयोजित 509वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **सतत विकास एवं निगमित सामाजिक दायित्व समिति** का पुनः-गठन किया:

1. **श्री हरबंस सिंह,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सतत विकास/निगमित सामाजिक दायित्व समिति की 5 (पांच) बैठकों का आयोजन दिनांक 25.05.2021, 26.06.2021, 13.09.2021, 09.12.2021 और 29.03.2022 को किया गया।

iii. निदेशकों की उच्चधिकार समिति

श्री एन.के. अग्रवाल के 30.06.2021 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात, निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल ने दिनांक 01.07.2021 को अतिरिक्त कार्यभार संभाला। फलस्वरूप, **निदेशकों की उच्चधिकार समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 04.08.2021 को आयोजित 505 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था:

1. **श्री पी. एम. प्रसाद,** — अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री बिनय दयाल, निदेशक** — सदस्य
   (तकनिकी), सीआईएल
4. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
5. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
7. **श्री वी. के. श्रीवास्तव,** — सदस्य
   निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
8. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल द्वारा 05.08.2021 को सीआईएल नामित निदेशक के रूप में श्री बिनय दयाल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पश्चात, **निदेशकों की उच्चधिकार समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 31.08.2021 को आयोजित 506 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था :

1. **श्री पी. एम. प्रसाद,** — अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
4. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
5. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
7. **श्री वी. के. श्रीवास्तव,** — सदस्य
   निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
8. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल

श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तक. (सं.), सीसीएल के 31.10.2021 को सेवानिवृत्ति एवं श्री एस के गोमस्ता द्वारा निदेशक (तक./ यो. एवं परी.), सीसीएल के रूप में 01.11.2021 को कार्यभार ग्रहण पर, सीसीएल बोर्ड ने 09.12.2021 को आयोजित अपनी 509 वीं बोर्ड बैठक में, निम्नलिखित निदेशकों के साथ निदेशकों की उच्चधिकार समिति का पुनर्गठन किया।

1. **श्री पी. एम. प्रसाद,** — अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल
2. **श्री मुकेश चौधरी,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
4. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
5. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
7. **श्री वी. के. श्रीवास्तव,** — सदस्य
   निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
8. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल

दिनांक 31.12.2021 को श्री भोला सिंह द्वारा निदेशक (तकनीकी/ सं.), सीसीएल के रूप में कार्यभार छोड़ने के पश्चात, सुश्री संतोष द्वारा 03.01.2022 को प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री मुकेश चौधरी के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद एवं श्री. पीएम प्रसाद, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल, पर निदेशक (तकनीकी), सीसीएल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने 28.01.2022 को आयोजित अपनी 510 वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **निदेशकों की उच्चधिकार समिति** का पुनर्गठन किया-

1. **श्री पी. एम. प्रसाद,** — अध्यक्ष
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल
2. **सुश्री संतोष,** — सदस्य
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
4. **श्री हरबंस सिंह,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
5. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
6. **श्री के. आर. वासुदेवन,** — सदस्य
   निदेशक (वित्त), सीसीएल
7. **श्री एस. के. गोमस्ता,** — सदस्य
   निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
8. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निदेशकों की उच्चधिकार समिति की 05 (पांच) बैठकों का आयोजन दिनांक 08.05.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 07.03.2022 और 29.03.2022 को किया गया।

iv. जोखिम प्रबंधन समिति

श्री एस.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (सं.), सीसीएल को श्री आई.सी. मेहता के स्थान पर मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में अनुसंशा

पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने 04.08.2021 को आयोजित अपनी 505वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया:

1. **श्री सुभाऊ कश्यप**, — अध्यक्ष,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री शिव अरोड़ा**, — सदस्य,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री वी. के. श्रीवास्तव**, — सदस्य
   निदेशक (तक./सं.), सीसीएल
4. **श्री भोला सिंह**, — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल
5. **श्री एस. के. पांडेय**, — मुख्य जोखिम अधिकारी
   महाप्रबंधक(सं.)

दिनांक 01.11.2021 को श्री रमेश कुमार सोनी द्वारा अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तथा 12.12.2021 को श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल पूरा होने के मद्देनज़र एवं श्री एस.के.गोमस्ता, निदेशक (तक. / सीआरडी), सीएमपीडीआईएल द्वारा निदेशक (तक./ परी एवं यो),सीसीएल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर एवं श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./ परी एवं यो), सीसीएल की निदेशक (तक./ सं.) के रूप में नियुक्ति पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने 09.12.2021 को आयोजित अपनी 509वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **जोखिम प्रबंधन समिति** का पुनर्गठन किया।

1. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल
4. **श्री एस. के. गोमस्ता,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल
5. **श्री एस. के.** — मुख्य जोखिम अधिकारी
   पांडेय, महाप्रबंधक(सं.)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 1 (एक) बैठक का आयोजन दिनांक 29.03.2022 को किया गया।

v. मानव संसाधन समिति

श्री पी.वी.के.आर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (का.), बीसीसीएल द्वारा 23.07.2021 को श्री विनय रंजन के स्थान पर निदेशक (का.), सीसीएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, सीसीएल बोर्ड ने 04.08.2021 को आयोजित अपनी 505 वीं बैठक में, निम्नलिखित निदेशकों के साथ **मानव संसाधन समिति** का पुनः गठन किया:

1. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री बिनय दयाल,** — सदस्य
   निदेशक (तकनिकी), सीआईएल
5. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल द्वारा 05.08.2021 को सीआईएल नामित निदेशक के रूप में श्री बिनय दयाल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पश्चात, **मानव संसाधन समिति** को निम्नलिखित निदेशकों के साथ 31.08.2021 को आयोजित 506 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था :

1. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री सुभाऊ कश्यप,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन**, — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्री भोला सिंह**, — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.), सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव**, — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

दिनांक 01.11.2021 को श्री रमेश कुमार सोनी द्वारा अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तथा 12.12.2021 को श्री सुभाऊ कश्यप का कार्यकाल पूरा होने के मद्देनज़र, सीसीएल बोर्ड ने 09.12.2021 को आयोजित 509वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ **मानव संसाधन समिति** का पुनः-गठन किया:

1. **श्रीमती जाजुला गौरी,** — अध्यक्ष
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
2. **श्री रमेश कुमार सोनी,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
3. **श्री शिव अरोड़ा,** — सदस्य
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक
4. **श्री विनय रंजन,** — सदस्य
   निदेशक (का. ए औ.), सीआईएल
5. **श्री भोला सिंह,** — सदस्य
   निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.) सीसीएल
6. **श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,** — सदस्य
   निदेशक (का.), सीसीएल

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की 1 (एक) बैठक का आयोजन दिनांक 25.05.2021 को किया गया।

4. 2021-22 में बोर्ड स्तर की समिति बैठकों में उपस्थिति

क्रं	नाम एवं पदनाम	अंकेक्षण समिति	एसडी एवं सीएसआर समिति	निदेशकों की उच्चाधिकार समिति	जोखिम प्रबंधन समिति	मानव संसाधन समिति
कार्यकारी निदेशकगण						
1.	श्री पी. एम. प्रसाद	-	-	5/5	-	-
2.	श्री के. आर. वासुदेवन	-	2/3	2/3	-	-
3.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	-	2/2	1/1	-	-
4.	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक./सं.)/(यो. एवं परि.)	-	-	3/3	-	1/1
5.	श्री वी. के. श्रीवास्तव	-	-	3/3	-	-
6.	श्री एस. के. गोमस्ता	-	-	2/2	1/1	-
7.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	-	3/3	-	-	-
8.	श्री विनय रंजन	-	2/2	3/3	-	-
प्रशासकीय अंशकालीन निदेशक						
9.	श्री मुकेश चौधरी निदेशक, एमओसी, भारत सरकार	7/7	-	3/3	-	-
10.	सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, एमओसी	1/2	-	2/2	-	-
11.	श्री विनय रंजन	6/6	3/3	3/3	-	-
12.	श्री बिनय दयाल	3/3	2/2	2/2	-	1/1
अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक						
13.	श्री सुभाऊ कश्यप	7/7	4/4	-	-	1/1
14.	श्री शिव अरोडा	6/9	-	2/4	-	1/1
15.	श्री हरबंस सिंह	9/9	5/5	5/5	-	-
16.	श्रीमती जाजुला गौरी	9/9	5/5	1/1	-	1/1
17.	श्री रमेश कुमार सोनी	2/2	1/1	-	1/1	-

* उपरोक्त तालिका, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड स्तर की समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण दर्शाती है। उपस्थिति, बैठक के लिए प्राप्त आहर्ता की संख्या में से बैठकों में उपस्थिति की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।

सांविधिक अंकेक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की लेखा-रिपोर्ट के अंकेक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स फर्मों की नियुक्ति की गई हैः

क. सांविधिक अंकेक्षक:

मेसर्स के. सी. टाक एंड कंपनी

न्यू अनंतपुर, रांची, झारखंड

शाखा अंकेक्षक:

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एंड कंपनी**

   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग, मेन रोड, रांची, झारखंड

2. **मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एण्ड कं.**

   304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स,
   4 एच.बी. रोड, तीसरी मंजिल,
   रांची - 834001, झारखंड

3. **मेसर्स सुशील शर्मा एंड कंपनी.**

   तीरथ मेंशन, कमरा नंबर 222, ओवरब्रिज के पास,
   रांची - 834001, झारखंड

ख. लागत अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.09.2019 पर 477वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 3(9) के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए अधिनियम के तहत आवश्यक लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया था:

मैसर्स तन्मया एस. प्रधान एण्ड कं

स्वस्थान, ब्रुक्स हिल, सम्बलपुर - 768001, ओडिसा

शाखा लागत अंकेक्षक:

1. **मैसर्स आर. के. सिन्हा एण्ड कं.**

   सेक्टर - 1सी, क्वार्टर नं. 1206, जिला - बोकारो, झारखंड

2. **मैसर्स सौरभ सेठी एण्ड कं.**

   मुख्य कार्यालय: 9, नवभारत नगर,
   डाकघर - मानक नगर, लखनऊ - 226011, उत्तर प्रदेश

ग. सचिवीय अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14.05.2022 के अपनी 515वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 4(5) द्वारा निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म को अधिनियम के तहत वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए आवश्यक सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया था।

सचिवीय अंकेक्षक:

मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
फ्लैट नंबर 201, उर्मिला अपार्टमेंट,
सेंट ऐनीज गर्ल्स स्कूल के पास, उद्धव बाबू लेन,
थरपखना, रांची-834002

वार्षिक आम बैठक:

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है।

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2018-19	5 अगस्त 2019 पूर्वाहन 11.30 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री सुदीप्तो सरकार, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2019-20	17 अगस्त 2020 पूर्वाहन 11.30 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री गोपाल सिंह, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री प्रमोद अग्रवाल, सदस्य 3. श्री आर. पी. श्रीवास्तव, सदस्य 4. श्री एम. विश्वनाथन, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2020-21	12 अगस्त 2021 पूर्वाहन 10.00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पी. एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री प्रमोद अग्रवाल, सदस्य 3. श्री बिनय दयाल सदस्य 4. श्री एम. विश्वनाथन, सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य

नोटः विगत तीन वर्षों में संपन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

5. प्रत्यक्षीकरण (डिस्क्लोजर)

संबंधित पार्टी के लेन- देन

कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्षीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन- देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कंपनी के हित को कोई हानि पहुंचती हो।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार- संहिता

दिनांक 02.07.2008 को निदेशक मंडल की 348वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर अपलोड किया गया है। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक आचार संहिता की प्राप्ति रसीद एवं उसके अनुपालन सम्बन्धी स्वीकारोक्ति प्राप्त की जा चुकी है।

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 12(1) के अनुसरण में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए, सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 के विनियम 12(1) और 2018 तथा 2019 में संशोधित, सीआईएल बोर्ड द्वारा 13 अगस्त 2019 को आयोजित 390वीं बोर्ड बैठक में आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा आचरण संहिता नीति को अनुमोदित किया गया है। इस नीति को समय-समय पर सीआईएल द्वारा अद्यतन किया जा रहा है। सेबी अधिसूचनाओं के अनुसार और इसकी सभी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है।

संशोधित पीटीआई नियमों के अनुसार, नामित व्यक्तियों के डिजिटल डेटाबेस का अनुरक्षण सीआईएल द्वारा कार्यान्वित सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है।

शक्ति प्रत्यायोजन (डी.ओ.पी.):

दिनांक 12 जुलाई 2021 को हुई निदेशक मंडल की 426वीं बैठक में सीआईएल तथा उसके अनुषंगियों के अधिकार संशोधित किये गए। आगे इसे 505वीं बोर्ड बैठक की मंजूरी के साथ सीसीएल में लागु किया गया।

लेखा समव्यवहार:

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतीकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कंपनी में लागु बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधन:

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य-संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशक:

i. **स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:** वर्ष के दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों ने "स्वतंत्र निदेशक" का पद धारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्दिष्ट

आवश्यकताओं को पूरा किया है एवं धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं।

ii. **स्वतंत्र निदेशकों की विशेष बैठक:** वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। 07.03.2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

6. संचार-व्यवस्था साधन:

कंपनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कंपनी की वेबसाइट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

7. अंकेक्षण अर्हता

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन के 143(6) (बी) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणों पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

8. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय-समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

9. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्र:

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

10. व्हीसिल ब्लोअर नीति:

दिनांक 13 अगस्त 2019 को आयोजित अपने 390वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल द्वारा अनुमोदित कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2019 अपने सभी सहायक कंपनियों के लिए लागु है।

इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

11. सत्यनिष्ठा संधि:

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच सत्यनिष्ठा के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन-समझौता को प्रस्तुत किया गया।

12. कंपनी द्वारा अनुपालन:

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

13. यू एन ग्लोबल काम्पेक्ट:

ग्लोबल काम्पेक्ट एक तंत्र है जिसमें मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वमान्य 10 सिद्धांतो के अनुरूप उद्यम अपने परिचालन तथा रणनीति के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट नागरिक के रूप ग्लोबल काम्पेक्ट प्रथम संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता दिलाने तथा विस्तार का प्रयास करती है। विश्व स्तरीय कंपनियाँ यू.एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य बनी है। सामुदायिक विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर सीसीएल 2009 से यू.एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य है। तब से, कंपनी ने व्यावसायिक उत्कृष्टता सिद्धांतो के अनुप्रयोग से सीएसआर को एक मुख्य व्यवसाय प्रविधि बनाने के साथ अपनी सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाया है। सीसीएल सहयोग और नवाचार पर बल देते हुए वृहतत्तर सामाजिक लक्ष्यों जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को आगे ले जाने हेतु रणनैतिक कार्रवाई की है।

कोविड-19 महामारी ने कंपनियों के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोविड-19 तथा इसके आर्थिक ने संरचनात्मक असमानताओं, गरीबी, जलवायु संकट तथा सामाजिक सुरक्षा में अंतर को कम करने हेतु विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए तात्कालिक सामूहिक कार्रवाई की वास्तविक आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभावों के परिवर्तनकारी सुधार के लिए उद्यमों से योगदान की सुस्पष्ट अपेक्षा आम-जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सरकारों की है। वैश्विक महामारी के आघात के बाद समाज को और अधिक बेहतर बनाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर पुनः अग्रसर होने के लिए सामूहिक योगदान ही एकमात्र माध्यम है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट होने के कारण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड महामारी से प्रभावित लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सीएसआर अंतर्गत **"सभी के लिए भोजन"** की व्यवस्था की। कोरोना महामारी की **प्रथम लहर** के दौरान राहत कार्य हेतु सीसीएल ने लगभग 24 करोड़ रुपये का योगदान अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम किया, जिसका विवरण निम्नवत है:

- 30,000 परिवारों को भोजन-पैकेट (सूखा राशन - दाल/ चावल/ बड़ी/ हल्दी पाउडर/ नमक आदि) उपलब्ध कराया गया।
- 2 समय का भोजन प्रदान करने हेतु 2 सामुदायिक रसोई की भी शुरूआत की गई जिससे लगभग 8700 लोग लाभान्वित हुए।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु एक लाइन होटल (ढाबा) को सामुदायिक रसोई में परिवर्तित किया गया।
- सामुदायिक रसोई के अतिरिक्त, 7000 से अधिक व्यक्तियों को पके हुए भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया गया तथा श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे प्रवासी श्रमिकों के मध्य हटिया, रांची व भुरकुंडा रेलवे स्टेशन में पानी की बोतल सहित 14,200 भोजन के पैकेट वितरित किए गए।
- हाथ धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, फिनाइल के अतिरिक्त 35,000 मास्क, 100 मिली के 3,000 सैनिटाइजर बोतल आदि का वितरण किया गया।
- झारखंड सरकार को कोविड-19 महामारी से युद्ध में सहायता हेतु सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सात जिलों (रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, पलामू, बोकारो, हजारीबाग) में प्रशासन को कुल 1.25 करोड़ रुपये तथा राज्य आपदा प्रबंधन निधि के मद में 20.00 करोड़ रुपये का सहयोग किया गया।

कोरोना महामारी की **द्वितीय लहर** के दौरान अर्थात अप्रैल '21 से सीसीएल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड के विभिन्न जिला प्रशासन के अपने कमान क्षेत्र के अंदर एवं बाहर वित्तीय सहायता की है।

इस महामारी में आवश्यक ऑक्सीजन आपूर्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सीसीएल ने झारखंड के विभिन्न जिलों को 11.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया है, जिसका उपयोग बोकारो और हजारीबाग में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा उपकरणों तथा दवाइयों के क्रय आदि सहित लातेहार में आईसीयू, रामगढ़ में कोविड नियंत्रण केंद्र, अस्थायी अस्पताल की स्थापना करने हेतु किया गया।

अप्रैल'21 पश्चात सीसीएल द्वारा राज्य अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में 522 शय्याएं उपलब्ध कराई गयीं। सीसीएल कमान क्षेत्र/जिला स्थित अस्पतालों/ अस्थायी कोविड देखभाल केन्द्रों में 5 ऑक्सीजन पीएसए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चतरा जिले में 200 ली/मिनट की क्षमता का 1, रांची जिले में 200 ली/मिनट की क्षमता के 2 (प्रत्येक की आपूर्ति क्षमता 20-30 शय्या), लोहरदगा जिले में 250 ली/मिनट क्षमता का 1 तथा बोकारो में 500 ली/मिनट की क्षमता का एक ऑक्सीज़न पीएसए संयंत्र संस्थापित किया गया है।

कोविड-19 के प्रथम व द्वितीय लहर के दौरान सीसीएल ने जिला प्रशासन के समन्वय से कोरोना से प्रभावित रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने हेतु अपने गांधीनगर अस्पताल, रांची, केंद्रीय अस्पताल, रामगढ़, डकरा और ढोरी जैसे अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किया गया।

उपर्युक्त के अलावा सीसीएल एसडीजी में सूचीबद्ध क्षेत्रों में अपनी सीएसआर गतिविधियों को संरेखित करके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सीसीएल द्वारा आरंभ कुछ नवोन्मेषी व लोकप्रिय सीएसआर योजनाओं में झारखंड स्पोर्ट्स अकादमी, सीसीएल के लाल/लाडली, सौर ऊर्जा से संचालित डीप बोरिंग के माध्यम से कोयला खनन क्षेत्रों में पेयजल का प्रावधान, रोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, एलिम्को द्वारा कृत्रिम उपकरणों के वितरण एवं शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का विकास आदि सम्मिलित है। सीसीएल की सीएसआर गतिविधियों ने कमान क्षेत्रों, राज्य प्रशासन, मीडिया और अन्य हितधारकों के मध्य लोगों की सद्भावना उत्पन्न करने में सहायता की है।

निदेशकों के पार्श्वदृश्य

अनुलग्नक – Iए

दिनांक 31-03-2022 को सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक(तक/स.), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (तक./परि एवं यो.), दो(एक सरकारी एवं एक सीआईएल मनोनीत निदेशक), तीन अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक, दो स्थायी आमंत्रितः एक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य संचालन प्रबंधन एवं एक सचिव, खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची है।

सभी निदशकों का संक्षिप्त परिचय, उनकी शैक्षनिक योग्यता, कार्य-क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषता, व्यवसायिक संस्थाओं संस्थाओं में उनकी सदस्यता, अन्य कम्पनियों में अध्यक्षकीय/निदेशकीय पद इत्यादि निम्नाकित हैः

कार्यकारी निदेशकगण:

श्री पी.एम. प्रसाद:
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08073913

दिनांक 01 सितम्बर, 2020 को श्री पी.एम. प्रसाद ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्री प्रसाद को परिचालन एवं प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 38 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। ओस्मानिया विश्वविद्यालय के खनन अभियंता की उपाधि प्राप्त करने पश्चात, श्री प्रसाद भारतीय खानि विद्यापीठ(आईआईटी-आईएसएम), धनबाद से ओपन कास्ट खनन में स्नात्तकोत्तर(एम.टेक) किया है। श्री प्रसाद ने डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया तथा वर्ष 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय से विधिशास्त्र में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है।

1984 में श्री प्रसाद ने अपने व्यावसायिक जीवन का प्रारंभ, प्रशिक्षु अधिकारी, डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) की एक सहायक कंपनी के रूप में किया। कंपनी में विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने समर्पण, मेहनत, ईमानदारी एवं ऊर्जास्वित नेतृत्व का प्रदर्शन किया एवं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में लिंगराज क्षेत्र के महाप्रबंधक नियुक्त हुए।

वेकोलि में अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 1994-95 में भूमिगत आग से प्रभावित डीआरसी खदान में पुनः खनन प्रारंभ करने में उन्होने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस असाधारण कार्य के लिए, श्री प्रसाद को वर्ष 1995 में सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ खान प्रबंधक' से पुरस्कृत किया गया।

महाप्रबंधक, लिंगराज क्षेत्र, एमसीएल के अपने सफल कार्यकाल दौरान, वह मार्च 2010 से 'कानिहा खुली खदान परियोजना' के सफल प्रारंभ एवं संचालन में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धि सूची में न्यू रेलवे साइडिंग सं. 9 का प्रारंभ, वर्ष 2014-15 के दौरान हिंगुला खुली खदान क्षेत्र में नाला के सफल दिशा परिवर्तन भी सम्मिलित है जिसके कारण 26 मि.टन अवरुद्ध कोयले की निकासी संभव हो पायी। सुरक्षा के प्रति उनकी विशेष रुचि है और जिन परियोजना से जुड़े रहे उनमें वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में वह विजयी रहे हैं। वह दो परियोजनाओं यथा वर्ष 1996 से 1998 तक पदमपुर परियोजना, वेकोलि तथा 2006 से 2008 के मध्य नंदिरा भूमिगत खदान, एमसीएल में लगातार तीन बार विजयी रह चुके हैं।

मई 2015 में, वे एनटीपीसी में कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) के रूप में नियुक्त हुए जहां उन्हें एमडीओ परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पकरी-बरवाडीह कोयला ब्लॉक (एनटीपीसी की पहली परियोजना) के आवंटन और शेष कोयला ब्लॉकों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने का श्रेय दिया जाता है। मार्च 2016 में उन्होंने एनटीपीसी हजारीबाग, झारखंड के परियोजना के कार्यकारी निदेशक सह प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। पकरी-बरवाडीह कोल ब्लॉक में कोयला खनन परिचालन शुरू करने की चुनौती स्वीकार की। परियोजना प्रमुख के रूप में उनके इस कार्यकाल के दौरान,पकरी-बरवाडीह परियोजना को वर्ष 2016 में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 'स्वर्ण शक्ति पुरस्कार' के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

फरवरी 2018 में, श्री प्रसाद सीआईएल की एक अनुषंगी कंपनी नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो) का कार्यभार ग्रहण किया जहां वह 5 मुख्य क्षेत्रों यथा कॉर्पोरेट योजना विन्यास, असैनिक आभियांत्रिकी, रेलवे साइडिंग, पर्यावरण एवं वन आदि की जिम्मेदारी दी गयी। उनके कुशल नेतृत्व के अंतर्गत एनसीएल को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जून, 2018 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान पर्यवरण संरक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित हुए।

अगस्त, 2019 में उन्होने बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर योगदान दिया। चुनौतीपूर्ण परिस्थियों के मध्य उन्होने प्रतिबद्धता, उत्साह एवं समर्पण के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध कंपनी का नेतृत्व किया तथा कंपनी के समग्र प्रदर्शन में बदलाव लाने हेतु विभिन्न पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री प्रसाद अपने अंतर वैयक्तिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और टीम वर्क में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता के स्वामी हैं। उनके मार्गदर्शन में कंपनी नीत नयी सफलता की ओर ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रवृत्त है।

श्री के.आर. वासुदेवन

निदेशक(वित्त)

डीआईएन: 07915732

श्री कदत्तूर रंगनाथन वासुदेवन, निदेशक (वित्त), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 01 जुलाई, 2021 को निदेशक(वित्त), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।).

श्री वासुदेवन ने कोयला उद्योग के वित्त प्रभाग में विभिन्न स्तरों पर बीसीसीएल व सीसीएल में लगभग 35 वर्षों की सेवायें प्रदान कीं हैं। उनका का जन्म 17 जुलाई,1962 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने कटक के रॉवनशॉ महाविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1989 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से उन्होंने अपनी व्यवसायिक डिग्री तथा उत्कल विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों यथा राज्य (ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड), सार्वजनिक उद्यम (कोल इंडिया लिमिटेड) तथा निजी (पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड) के वित्त प्रभाग में कार्य संपादन का तीन से अधिक दशकों दीर्घ कार्यानुभव प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके कार्यानुभव में राष्ट्रीय आर्थिक महत्व के तीन प्रमुख उद्योग यथा - विद्युत, कोयला एवं उर्वरक का अनुभव समाहित है।

फरवरी 1982 से अक्टूबर 1987 तक उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अधीन तालचर थर्मल पावर स्टेशन/तालचर विद्युत विभाग (तब उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन) में राजस्व लेखा, लागत एवं बजट, एमआईएस तथा लेखा समापन आदि क्षेत्रों में कार्यों का संपादन किया है। ओएसईबी तथा एसईसीएल के मध्य लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान में उन्होने अत्यंत महतावपूर्ण भूमिका निभाई। श्री वासुदेवन को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित ओएसईबी की नई लेखा प्रक्रियाओं पर मेसर्स एएफ फर्ग्यूसन कंपनी द्वारा प्रदत्त अंतःकार्य प्रशिक्षण भी प्राप्त है।s.

अक्टूबर 1987 से जुलाई 2008 तक, वह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय में लेखा, भंडारण एवं लेखा समापन जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यों का सफल संपादन किया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में पीस रेटेड मजदूरी के कम्प्यूटरीकरण सहित ई-भुगतान को प्रारम्भ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कारपोरेट कोषागार प्रमुख होने के कारण अधिशेष निधियों के निवेश की जिम्मेदारी उन पर थी।

उन्होंने जुलाई, 2008 में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पा.फॉ.लि.) में अपना योगदान दिया। एमसीएल में पुनः योगदान देने के पूर्व वह पा.फॉ.लि. में विभागाध्यक्ष(वित्त) तथा संयुक्त महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) के पद पर कार्यों का संपादन कर रहे थे। वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रक्षेत्रों में सैप कार्यान्वयन का सुधार, कैपेक्स निगरानी, संविदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) होने के नाते श्री वासुदेवन की उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका रही।

श्री सतेंद्र कुमार गोमस्ता

निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

डीआईएन: 08714820

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) में अपने कार्यभार के अतिरिक्त श्री सतेंद्र कुमार गोमस्ता ने दिनांक 01 नवंबर, 2021 को निदेशक(तकनीकी), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।

वर्ष 1984 में उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर से खनन अभियांत्रिकी की उपाधि प्राप्त की। श्री गोमस्ता ने वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। साथ ही, वह विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं।

कोयला उद्योग में उनके व्यवसायिक जीवन का आरंभ वर्ष 1984 से वे.को.लि. में हुआ। उन्होने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों वे.को.लि., एसईसीएल, एनसीएल की भूमिगत तथा खुली खदानों में विभिन्न स्तरों पर कार्यों का संपादन किया है। खुली खदान में 16 तथा भूमिगत खदान में 18 वर्षों के उनके वृहत कार्य-अनुभव से सी.एम.पी.डी.आई.एल. सहित संपूर्ण कोयला खनन उद्योग को लाभ होगा।

उच्च प्रबंधन पाठ्यचर्या में भाग लेने हेतु श्री गोमस्ता वर्ष 2014 में स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस गए थे। दिनांक 25.02.2020 से अद्यतन वह सी.एम.पी.डी.आई.एल. के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह महाप्रबंधक (खनन), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के पद पर कार्यरत थे।

श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव
निदेशक(कार्मिक)
डीआईएन: 08753287

श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव ने दिनांक 01.06.2020 को बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया।

वर्ष 1982 में आंध्र विश्वविध्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात श्री राव ने नागपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

वर्ष 1987 में कोल इंडिया लिमिटेड में उन्होने अपना प्रथम योगदान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कल्याण अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में किया। श्री राव ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ दीं हैं। बीसीसीएल से जुडने से पूर्व श्री राव कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में महाप्रबंधक(कार्मिक) के पद पर भर्ती और नीति संबंधी मामलों को देख रहे थे।

दिनांक 24.07.2021 से श्री राव बीसीसीएल के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है।

अंश-कालिक/ नामित निदेशक

सुश्री संतोष
उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
डीआईएन: 09519383

सुश्री संतोष, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 03.01.2022 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

सुश्री संतोष, कोयला मंत्रालय ने सांख्यिकी में स्नातकोत्तर किया है। वह 1999 बैच की भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) अधिकारी हैं।

दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उन्होने जुलाई, 2001 में नीति आयोग तत्कालीन योजना आयोग में योगदान किया।

सुश्री संतोष दिनांक 05.01.2021 को उप-महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पद अपना योगदान दिया है।

उनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), महिला व बाल विकास मंत्रालय (एमडबल्यूसीडी) में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 22 से अधिक वर्षों का वृहत अनुभव है।

श्री विनय रंजन
निदेशक(का. एवं औ.), सीआईएल नामित निदेशक
डीआईएन: 03636743

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.), कोल इंडिया लिमिटेड ने 05.08.2021 को सीसीएल बोर्ड पर सीआईएल नामित निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्री रंजन प्रदर्शन केन्द्रित लोकोन्मुखी व्यक्ति हैं जिन्हें मानव संसाधन के समस्त क्षेत्रों का व्यापक एवं वृहत कार्यानुभव है। उन्होने वृहत पैमाने पर लेटरल/कैंपस हायरिंग, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता की ब्रांडिंग, प्रतिपूर्ति प्रबंधन और बेंच-मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट, संस्कृति निर्माण, कार्मिक नियोजन, कार्मिक संबंध, एचआरआईएस, कर्मचारी उत्पादकता तथा अधिगम एवं विकास आदि क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

उन्होंने विभिन्न विदेशी व्यापार संस्थाओं में मानव संसाधन समर्थन का सफल क्रियान्वयन किया है। वह सैप एचआर कार्यान्वयन के दो पूर्ण जीवन चक्र का हिस्सा रह चुके है। उन्होने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्व में वीएसएनएल) में सैप एचआर कार्यान्वयन के पूर्ण जीवन चक्र के टीम का नेतृत्व किया हैं। वहाँ उन्होंने आठ (8) सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें सम्पूर्ण सैप एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस शामिल थी। वीएसएनएल से प्रतिनियुक्त पर श्री रंजन टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) की सैप क्रियान्वयन कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा भी रहे हैं।

वह कुशल एवं उत्पादक कार्यबल विकसित करने की क्षमता युक्त प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता हैं। उनके पास उत्कृष्ट हितधारक प्रबंधन कौशल है और विगत 5 वर्षों से वह प्रमोटरों के साथ सीधे काम कर रहे हैं। वह उच्च स्तरीय सेवा निष्पादन के साथ-साथ अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है। श्री रंजन कुशल अंतर्वैयक्तिक सम्प्रेषण एवं व्यवहार कौशल के लिए भी जाने जाते हैं।

29 जुलाई 2016 को फ्रांस के फॉनटेनब्लियू परिसर में आयोजित भव्य स्नातक समारोह में पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात इनसीड(इनसियाड) के पूर्व छात्र बनें।

दैनिक भास्कर समूह ने जब विस्तार कर यूएस 2 बिलियन डॉलर के निवेश से दो वृहत ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण का निर्णय लिया तब श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कॉर्पोरेट प्रमुख-मानव संसाधन का कार्यभार संभाल रहे थे।

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

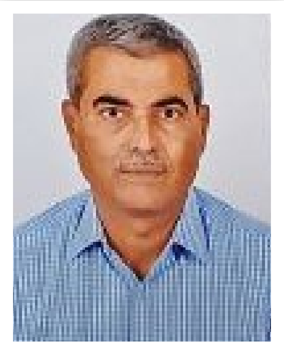

श्री रमेश कुमार सोनी

डीआईएन: 09399355

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य, श्री रमेश कुमार सोनी का जन्म वर्ष 1962 में हुआ।

उन्होंने अपने स्नातक की उपाधि रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त की है।

वर्तमान में वह जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) में चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्य संभाल रहे हैं।

श्री सोनी आरंभ से ही विभिन्न निजी लिमिटेड कंपनियों, बैंक-शाखाओं, औद्योगिक-इकाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र की इकाइयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं के सलाहकार व वैधानिक लेखा परीक्षक रहे हैं। वह विभिन्न लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों से जुड़े रहे हैं तथा उनके व्यवसाय को स्थापित करने व सुधार करने में सहायता की है।

उन्हें सांविधिक लेखा, समवर्ती लेखा, भंडार लेखा, वित्त प्रबंधन, प्रत्यक्ष कर, निवेश संबंधी परामर्श जैसे विविध प्रक्षेत्रों में दक्षता प्राप्त है।

उन्होंने अपने व्यावसायिक विशेषज्ञता से संबधित व्याख्यान विभिन्न जिला औद्योगिक केंद्र, चैंबर ऑफ कॉमर्स, चैंबर ऑफ स्कूल एवं विभिन्न गैर-लाभकारी संस्थाओं दिया है।

श्री सोनी द्वारा विभिन्न विद्यालयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं में आयोजित गोष्ठियों में वाणिज्य-क्षेत्र में कैरियर मार्गदर्शन, शिक्षा एवं व्यवसायिक अवसर आदि पर व्याख्यान दिया गया है।

श्री हरबंस सिंह

डीआईएन: 07557135

श्री हरबंस सिंह एक भूतपूर्व भू-वैज्ञानिक है। वह 31 मई, 2016 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

20 मई 1956 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में जन्मे, श्री सिंह ने विज्ञान में स्नातक किया और भूविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होने अपना एम.फिल 'पैलियोजोइक एंड मेसोजोइक गोंडवाना सेडिमेंटेसन इन तालचेर कोलफील्ड, ओडिसा' विषय पर प्राप्त किया।

उन्हें विभिन्न पदों पर खान मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय में लगभग 37 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह भू-वैज्ञानिकों के भारतीय संस्थान के आजीवन सदस्य हैं।

वह खनिज अन्वेषण और खनिज अन्वेषण नीति, भूवैज्ञानिक और भू-आकृति विज्ञान मैपिंग, जियो पर्यावरण परएकीकृत सर्वेक्षण, खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पर्यावरण नीति से सम्बद्ध ईआईए और ईएमपी का मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी-प्रशासनिक प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं।

वह कई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों और शासी निकायों के अध्यक्ष/सदस्य रहे, जिसमें उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। भारत सरकार द्वारा भूटान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। आईएमइएक्स 2015, ऑस्ट्रेलिया में खनन और खनिज अन्वेषण से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों का आदान-प्रदान करने के लिए उन्हें खान मंत्रालय के माननीय मंत्री के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था।

उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, 2016 में भाग लिया और अपना पत्र प्रस्तुत किया। वह कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागी, वक्ता, विशेषज्ञ, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े रहे हैं। उनकी एक पुस्तक 'हरियाणा का भू-पर्यावरण मूल्यांकन' (जीएसआई प्रकाशन संख्या 102) में प्रकाशित हुई है।

श्रीमति जाजुला गौरी

डीआईएन: 08543068

योग्यता के आधार पर पत्रकार एवं पेशे से अधिवक्ता, श्रीमती जाजुला गौरी एक लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के प्रति अपनी अविरल आस्था के कारण उन्होने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह भूमि गैर-सरकारी संस्था की संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने सामाजिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ-साथ मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी कार्य किया है। वह महिला कौशल विकास और संवहनीय आजीविका कार्यक्रम में शामिल विभिन्न संगठनों की एक सक्रिय सदस्य है। पर्यावरण संरक्षण, युवा विकास, शिक्षा, आजीविका संवर्धन, महिला कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और बाल शिक्षा जैसे केंद्रित मुद्दों में सक्रिय रहीं हैं। महिला सशक्तीकरण के प्रति उनका विशेष झुकाव है क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि एक महिला को सशक्त बनाने का अर्थ पूरे परिवार को सशक्त बनाना है। इसके अलावा, उन्होंने समाज में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और स्वास्थ्य की स्थिति में वृद्धि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

02 मार्च 1968 को जन्मी, श्रीमति गौरी ने स्नातकोत्तर, पत्रकारिता और एल.एल.एम. की पढ़ाई पूरी की। वह तेलंगाना महिला जेएसी, मधिगा साहित्य वेदिका और माधिगा ढंडोरन की संस्थापक सदस्य में से एक हैं और वह प्रजस्वामिका राचौत्रुला वेदिका की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बिजनेस मीडिया, केसरी हैदराबाद में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। इनके साथ-साथ उन्हें डबल्यूडीटी प्रभारी, प्रेरक और लेखिका का भी कार्य अनुभव है एवं पीएमआरवाई, आरवाईएस और एनआईआरडी के टीओटी, एपीपीआरडी, एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर, पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन आदि के लिए विशेषज्ञ के रूप में उन्होने अपनी सेवाएं प्रदान की है। वह एक लेखिका और कवयित्री भी हैं और उन्होंने कई उपन्यास, कविताएँ और लघु कहानियों की रचना की है। उनके प्रकाशनों का चयन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालयों में एम.फिल एंड पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी उनकी रचनाएँ सम्मिलित हैं। ओइनम उपन्यास एक पाठ के रूप में, मन्नू बुव्वा और कंचे की लघु कथाएँ वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उनके प्रकाशनों का अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और कन्नड में भी अनुवाद किया गया है।

उनके कार्य और सेवाओं को सराहते हुए 2017 में उन्हें डॉ. बी. आर. अंबेडकर दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार (नई दिल्ली), वीरांगना सावित्री बाई फुले दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार (नई दिल्ली) 2011, 2016 में ओइनम उपन्यास के लिए तेलुगु विश्वविद्यालय से पुरस्कार, तेलुगु आधिकारा बाशा संगम पुरस्कार 2006, 2017 में अब्बो बंगरु साया ओ लालना के लिए विशाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2016 में रंजनी-नंदीवाड़ा श्यामला स्मारिका साहित्य पुरस्कार, और पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ महिला लेखक पुरस्कार 2007, आदि से सम्मानित किया गया।

स्थाई आमंत्रित

श्री सलिल कुमार झा
मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे

श्रीमती पूजा सिंघल
सचिव (खान एवं भूगर्भ), झारखंड सरकार

अनुलग्नक –II

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा निगमित शासन पर प्रमाण पत्र

सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सेवा में,

सदस्यगण,
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
राँची

1. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी दी गई विवरणी की जांच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद-49 कंपनी में लागु नहीं होता है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।

2. कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जांच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जांच तक ही सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबधन द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है इस अपवाद के साथ कि, कंपनी के निदेशकमंडल में पब्लिक उद्यम विभाग के निगमित प्रशासन पर उद्यम दिशानिर्देश के तहत गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए, प्रतिवेदन अवधि के अंत में गैर अधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या इस कंपनी में 3 है।

4. हम पुनः यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी सक्षमता का न तो कोइ आश्वासन है और न यह दक्षता या प्रभावीकरण को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया।y.

कृते **सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स**

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या: 8423
सी.पी. संख्या: 9788

स्थान : रांची
दिनांक: 01 अगस्त, 2022
यूडीआईएन: F008423D000721071

अनुलग्नक –III

प्रपत्र सं. एमआर - 3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
रांची

हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) की सुनिगमित कार्यप्रणाली के अनुशीलन तथा लागु संविधिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस प्रकार की गयी कि हमें कारपोरेट संचालन/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 तक की लेखा अवधि के लिए कंपनी के अनुरक्षण में बही-खाते, कागजात, मिनट बुक्स, फार्म और दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना एवं अन्य यथा प्रासंगिक दस्तावेजों/ फाइलिंग सहित, जिनपर निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन सापेक्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भरोसा किया गया है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त के अधीन बनाए गए नियम;
2. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ द्वारा निर्गत सचिवीय मानक
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश
6. अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,2013)
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत` बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून और नियम।
9. **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** (कंपनी) पर लागु विशिष्ट कानूनों के अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी रिपोर्ट प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों की सीमा तक सीमित है **("अनुबंध-बी1 देखें")।**

I. हमारे मत में, हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, कंपनी तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, विशेषकर यहां उल्लिखित प्रावधानों अनुपालन किया है; तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र एक सीमा तक, प्रकार्य से तथा रिपोर्टिंग व प्रेक्षण के अनुरूप है **(अनुलग्नक-बी में देखें):**

1. भाग I के तहत निर्धारित बैलेंस शीट का फॉर्म, भाग II के तहत विहित लाभ और हानि का विवरण तथा इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।
2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला निदेशक सहित अधिकारी व कर्मचारी तथा स्वतंत्र निदेशक के पर्याप्त संतुलन के साथ निदेशक मंडल की संरचना।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला निदेशक सहित अधिकारी व कर्मचारी तथा स्वतंत्र निदेशक के पर्याप्त संतुलन के साथ निदेशक मंडल की संरचना।
4. झारखंड कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना।

5. निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों का आयोजन।

6. 12 अगस्त, 2021 गुरुवार, को सदस्यों की 65वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन।

7. वार्षिक आम बैठक, असाधारण बैठक, बोर्ड बैठक और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रखरखाव खुले पन्नों में व्यवस्थित रूप अभिलेखित किया जाता है, जिसे नियमित अंतराल पर सजिल्द पुस्तक रूप में रखा रहा है।

8. निदेशकों को पारिश्रमिक भुगतान

9. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।

10. लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं संदर्भ की शर्तें।

11. कंपनी के सदस्यों और लेखा परीक्षकों पर कंपनी द्वारा दस्तावेजों की सर्विस।

II. हम आगे प्रतिवेदित करे हैं कि

1. निदेशकों ने यथा आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों में अपनी शेयरधारिता और निदेशकीय पद तथा अन्य संस्थाओं में अपने सरकार को प्रकट किया है और उनके सरकारों को बोर्ड द्वारा नोट और दर्ज किया गया है।

2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, उनके स्वतंत्र होने और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, अपने किसी निदेशक तथा अधिकारी पर अभियोग, जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।

4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन-तंत्र तथा कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और कंपनी के अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण-पत्र(त्रों) और अन्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर कंपनी का किसी प्रकार का कोई अनुपालन लंबित नहीं है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई, जिसका उपर्युक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव लक्षित हो।

कृते **सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स**

ह/-

(सतीश कुमार)

कंपनी सचिव
एफ़सीएस सं.: 8423
सीपी सं.: 9788

स्थान: रांची
दिनांक: 18.07.2022
यूडीआईएन: F008423D000641211

नोट: - इस प्रतिवेदन को हमारे कार्यक्रम की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक-ए", "अनुलग्नक-बी" और अनुलग्नक-बी 1 के रूप में संलग्न है जो इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक – ए

प्रति,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
रांची

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के अंकेक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण कार्यों एव विधियों का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय बनाने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कारपोरेट शासन के प्रावधानों तथा लागु अन्य सभी विधियों, नियमों व अधिनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जांच के कार्य तक सीमित था।
4. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है।
5. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं बुक्स आफ अकाउन्ट्स की सत्यता एवं उपयुक्ता का सत्यापन नहीं किया है।
6. कंपनी ने **"अनुलग्नक-बी"** में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर प्रावधानों, विनियमों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

कृते **सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स**

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफ़सीएस सं.: 8423
सीपी सं.: 9788

स्थान: रांची
दिनांक: 18.07.2022
यूडीआईएन: F008423D000641211

अनुलग्नक - बी

सचिवीय लेखा प्रेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार मेसर्स सतीश कुमार एवं एसोसिएट्स को मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखा प्रतिवेदन के प्रेक्षण के संदर्भ में प्रबंधन का उत्तर यथासंलग्न है:

<table>
<tr><th>क्र स</th><th>अपालन/
प्रेक्षण</th><th>अधिनियम/नियम/ विनियम जिसके अंतर्गत अपालन हुआ</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित मास्टर डेटा में दर्शाया गया कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पता अधूरा है।</td><td>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12</td><td>कंपनी रजिस्ट्रार,बिहार (अविभाजित बिहार के समय) द्वारा जारी "निगमन प्रमाण-पत्र" में उल्लिखित विवरण में विस्तृत पता का उल्लेख है। प्रमाण-पत्र की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। यह एमसीए सर्वर की तकनीकी त्रुटि है जिसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कंपनी ने सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ विनियम 24(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें "सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, असूचीगत मैटेरियल अनुषंगी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होंगे। (नोट:- मैटेरियल अनुषंगी को नेट वर्थ मेथड के अनुसार निकाला गया है)</td><td>सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015</td><td>सीआईएल के वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर सीसीएल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीआईएल की मैटेरियल अनुषंगी कंपनी है। इसलिए, सीआईएल ने कोयला मंत्रालय जो की नियुक्ति प्राधिकारी भी है से अनुरोध किया था कि सीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों में से एक को सीसीएल में नियुक्त करें। हालाँकि, 2021-22 के दौरान कोयला मंत्रालय ने सीआईएल के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को सीसीएल में नियुक्त नहीं किया था।

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्त करने का अधिकार कोयला मंत्रालय के पास निहित है, इसलिए इस में सीसीएल की कोई भूमिका नहीं है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हमारा प्रेक्षण है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अधिनियम अनुरूप आवश्यक सीटीई (स्थापना की सहमति) / सीटीओ (संचालन की सहमति) प्राप्त किए बिना खानों का संचालन कर रहा है।

सीटीई/सीटीओ के बिना संचालित होने वाली खानों की सूची इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>क्र</th><th>परियोजना</th><th>क्षेत्र</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भुरकुंडा ओसी एवं यूजी</td><td>बरका-सयाल</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गिद्दी ए ओसीपी</td><td>अरगड़ा</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गिरिडीह ओसी</td><td>ढोरी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>केदला यूजी</td><td>हजारीबाग</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कथारा ओसीपी</td><td>कथारा</td></tr>
</table></td><td>जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

और

वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981</td><td>प्रस्तावित खानों के अंतिम वैध सीटीओ की स्थिति नीचे दी गई है:
<table>
<tr><th>क्र</th><th>परियोजना</th><th>अंतिम सीटीओ की वैधता</th><th>कोयला उत्पादन बंदीकरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भुरकुंडा ओसी एवं यूजी</td><td>30.09.2020</td><td>01.10.2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गिद्दी ओसीपी</td><td>31.03.2022</td><td>01.04.2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गिरिडीह ओसी</td><td>31.12.2021</td><td>01.01.2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>केदला यूजी</td><td>30.06.2021</td><td>01.07.2021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कथारा ओसीपी</td><td>31.12.2021</td><td>01.01.2022</td></tr>
</table>
यह स्पष्ट है कि उक्त खदानों से कोयला उत्पादन सीटीओ की समाप्ति के बाद बंद कर दिया गया है और ऐसे में वैध सीटीओ के बिना कोई कोयला उत्पादन नहीं किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>क) अमलो खान के पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अभिलेखों का सत्यापन करते समय हमने पाया कि, चार सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में पीएम10 पीएम2.5 एसओ2 और एनओएक्स की निगरानी के लिए स्थापित किए जाएंगे जिसका उल्लेख क्लॉज बी सब क्लॉज (iii) में किया गया था। प्रबंधन ने पुष्टि की कि उन्होंने चार सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित नहीं किए हैं।</td><td>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980</td><td>क) परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए चार निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए, सीएक्यूएमएस स्थापित किया गया है और ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। धोरी रेलवे साइडिंग और तरमी रेलवे साइडिंग पर PM10 एनालाइजर भी लगाया गया है और जेएसपीएसबी सर्वर से इसकी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में अमलो पीओ कार्यालय, एसडीओसीएम और गिरिडीह में तीन और पीएम 10 विश्लेषक प्रस्तावित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>ख) अमलो खान के पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अभिलेखों का सत्यापन करते समय हमने पाया कि क्लॉज ए सब क्लॉज (xviii) में , कॉलोनी में पर्याप्त क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया किए जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन प्रबंधन ने पुष्टि की कि उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है।</td><td></td><td>ख) धोरी क्षेत्र में कॉलोनियां फैली हुई हैं तथा वहाँ व्यक्तिगत सोख-पिट उपलब्ध है और इसकी सूचना एमओईएफसीसी को भी दी गई है, हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 में एसटीपी निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है और इसके बारे में प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td></td><td>ग) कुल 247.59 हेक्टेयर के पट्टा क्षेत्र में से, 136.07 हेक्टेयर वन भूमि है, 77.56 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि है जिसमें जीएमके/जेजे भूमि शामिल है, और 33.96 हेक्टेयर कृषि भूमि है। अभी तक वन मंजूरी नहीं मिली है।</td><td></td><td>ग) कुल 247.59 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र में से 136.07 हेक्टेयर वन भूमि के क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण मंजूरी पत्र में त्रुटि थी। डीएफओ, बोकारो के पत्र संख्या 1968 दिनांक 23-06-2018 के द्वारा यह सत्यापित किया जा सकता है कि उक्त पट्टा क्षेत्र में कुल वन भूमि के 157.749 हेक्टेयर में से 120.199 हेक्टेयर वन भूमि पहले ही डायवर्ट की जा चुकी है और शेष 39.975 हेक्टेयर वन भूमि (37.55 हेक्टेयर अधिसूचीत वन भूमि और 2113 जेजे भूमि) को भी संदर्भ संख्या एफपी/ जेएच/ मिन/ 25031/ 2017/ 4572 दिनांक 05/03/2021 के तहत चरण II मंजूरी प्रदान की गई थी।</td></tr>
</table>

अनुलग्नक - बी1

कंपनी पर लागु निम्नलिखित विशिष्ट विधियों के संबंध में अनुपालन पूर्ण रूप से कंपनी प्रबंधन तथा उसके अधिकारियों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण-पत्रों पर आधारित हैं (यह रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है)

1. खान अधिनियम, 1952;
2. खान रियायत नियम,1960;
3. कोयला खान विनियम, 2017;
4. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 1974;
5. खान बचाव नियम, 1985;
6. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
7. कोयला खान पेंशन योजना, 1998;
8. वेतन भुगतान (खान) नियम 1956;
9. कोयला खान भविष्यनिधि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1948;
10. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957;
11. पेमेंट ऑफ अनडिस्बरूड वेजेस (माइन्स) नियम, 1989;
12. कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर 2000;
13. कोलियरी कंट्रोल नियम 2004;
14. भारतीय खान ब्यूरो, वरिष्ठ तकनीकी सहायक(सर्वे), कनीय तकनीकी सहायक(सर्वे) एवं कनीय सर्वेक्षण भर्ती नियम,1990;
15. कोयला खदान पिटहेड बाथ नियम 1959;
16. खान क्रेच नियम 1966;
17. भारतीय खान ब्यूरो (विद्युत सुपरवाइजर एवं इलेक्ट्रीशियन) नियम 1990;
18. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1963;
19. कोयला खान (विशेष उपंबध) अधिनियम, 2015;
20. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957;
21. कोयला खान राष्ट्रीयकरण (भविष्य निधि, पेंशन, कल्याण निधि) नियम, 1978;
22. माइनिंग लीजेज (मोडिफिकेशन ऑफ टर्म्स) नियम 1956;
23. कोल माइन्स एडवाइजरी बोर्ड नियम 1973;
24. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986;
25. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचालन नियम), 2008;
26. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
27. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981;
28. भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003;
29. विस्फोटक अधिनियम, 1884;
30. विस्फोटक नियम, 2008

अनुलग्नक –IV

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधि.) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोटिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणी को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह घोषित किया जाता है कि 24 जून 2022 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 14 मई 2022 की उनकी पूर्व लेखा प्रतिवेदन को अधिलंघित करता है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों के बिना स्वतंत्र के रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है । पूरक लेखापरीक्षण के दौरान मेरे कुछ लेखा प्रेक्षण के प्रभाव से लेखा प्रतिवेदन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं, अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्पूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरण एवं सम्बद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ हेतु आवश्यक है:

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

ए.1. तुलन-पत्र

अन्य वर्तमान देयताएँ (नोट संख्या 23): रु. 3,037.75 करोड़

उपर्युक्त में सीसीएल की पांच खानों के संबंध में वर्ष के दौरान झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे की देयता का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। जेएसपीसीबी ने 32.45 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा, जिसके विरुद्ध सीसीएल ने मात्र एक खदान (यानी आम्रपाली ओसीपी) के संबंध में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 31.10 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान न करने के बावजूद बही-खातों में उक्त का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य मौजूदा देनदारियों को कम बताया गया है तथा लाभ को 31.10 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है।

ए.2. तुलन-पत्र

गैर-वर्तमान देयताएँ - प्रावधान (नोट संख्या 21): रु.5,118.65 करोड़

वर्तमान देयताएँ - प्रावधान (नोट संख्या 21): रु. 821.61 करोड़

प्रत्येक पांच वर्षों में सीआईएल तथा सीसीएल सहित इसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तथा मजदूरी राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) को अंतिम रूप देने के बाद निर्धारित की जाती है। वेतन पुनरीक्षण एनसीडबल्यूए-XI के अनुसार 01 जुलाई, 2021 से देय था। सीसीएल द्वारा बही-खातों में अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान किया था।

अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ देयता का आकलन किया जिस पर पिछले वर्ष 2020-21 में विचार किया गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक दायित्व का आकलन किया गया था जो 01जुलाई, 2021 से देय थी।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप वर्ष के संबंध में सेवानिवृत्ति भत्तों तथा लाभ (राशि की मात्रा अनिर्धारित) के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।

कृते
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से
ह/-
(मौसमी रे भट्टाचार्य)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 15 जुलाई 2022

अनुलग्नक –IV

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधि.) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोटिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणी को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप अधिनियम की धारा 143 के साथ धारा 129(4) के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह घोषित किया जाता है कि 24 जून 2022 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 14 मई 2022 की उनकी पूर्व लेखा प्रतिवेदन को अधिलंघित करता है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के साथ अधिनियम की धारा 129(4) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की। उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हमने झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षण किया। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों के बिना स्वतंत्र के रूप से किया गया था और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षण के दौरान मेरे कुछ लेखा प्रेक्षण के प्रभाव से लेखा प्रतिवेदन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं, अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के साथ अधिनियम की धारा 129(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्पूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरण एवं सम्बद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ हेतु आवश्यक है:

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

ए.1. तुलन-पत्र

अन्य वर्तमान देयताएँ (नोट संख्या 23): रु. 3,037.75 करोड़

उपर्युक्त में सीसीएल की पांच खानों के संबंध में वर्ष के दौरान झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे की देयता का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। जेएसपीसीबी ने 32.45 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा, जिसके विरुद्ध सीसीएल ने मात्र एक खदान (यानी आम्रपाली ओसीपी) के संबंध में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 31.10 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान न करने के बावजूद बही-खातों में उक्त का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य मौजूदा देनदारियों को कम बताया गया है तथा लाभ को 31.10 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है।

ए.2. तुलन-पत्र

गैर-वर्तमान देयताएँ - प्रावधान (नोट संख्या 21): रु.5,118.65 करोड़

वर्तमान देयताएँ - प्रावधान (नोट संख्या 21): रु. 821.61 करोड़

प्रत्येक पांच वर्षों में सीआईएल तथा सीसीएल सहित इसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तथा मजदूरी राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) को अंतिम रूप देने के बाद निर्धारित की जाती है। वेतन पुनरीक्षण एनसीडबल्यूए-XI के अनुसार 01 जुलाई, 2021 से देय था। सीसीएल द्वारा बही-खातों में अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान किया था।

अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ देयता का आकलन किया जिस पर पिछले वर्ष 2020-21 में विचार किया गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक दायित्व का आकलन किया गया था जो 01जुलाई, 2021 से देय थी।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप वर्ष के संबंध में सेवानिवृत्ति भत्तों तथा लाभ (राशि की मात्रा अनिर्धारित) के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।

कृते
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-
(मौसमी रे भट्टाचार्य)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 15 जुलाई 2022

अनुलग्नक –IV

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र सं	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	**अन्य चालू परिसंपत्तियाँ** (नोट सं 23): रु 3,037.75 करोड़ उपर्युक्त अन्य चालू परिसंपत्तियों की राशि में वर्ष के दौरान सीसीएल के पांच खदानों में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे के दायित्व का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। जेएसपीसीबी द्वारा लगाए गए 32.45 करोड़ रुपये के मुआवजे के विरुद्ध सीसीएल ने आम्रपाली खुली खदान परियोजना हेतु केवल रु. 1.35 करोड़ का भुगतान किया। तथा 31.10 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान बकाया होने के बावजूद, खाते में इसका जिक्र नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों में कमी तथा लाभ के मद में 31.10 करोड़ रुपये का अधिक लाभ बताया गया है।	संदर्भित मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि खनन के दौरान किसी प्रकार की घटना भी हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप लेवी के रूप में मुआवजे मांगा जा सकता है। जैसे ही इस प्रकार की कोई मांग की सूचना प्राप्त होती है, तो प्रबंधन प्रत्येक घटना की समीक्षा कर मांग के अनुसार भुगतान अथवा उक्त मांग के प्रतिवाद का निर्णय लेती है। आम्रपाली खुली खदान परियोजना से संबद्ध 1.35 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग के मामले में प्रतिवाद की प्रक्रिया के कारण संभावित विलंब तथा निगम के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त खदान को पुनः परिचालन में लाने के लिए उक्त राशि भुगतान कर लेखांकित किया गया है। अन्य सभी मामलों में जिनकी सकल राशि 31.10 करोड़ रुपये है, उनका सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन द्वारा अपीलीय याचिका दायर करके मामले का प्रतिवाद किया गया। अतीत में, ऐसे स्थापित मामले हैं जिनमें लगाए गए मुआवजे को उच्च प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक संख्या 37 के पैरा 10, के 'प्रावधान अनुसार आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक संपत्तियां' यह परिभाषित करती हैं कि: *"किसी इकाई की देयता विगत घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटान से आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का इकाई से बहिर्वाह होने की प्रत्याशा है।"* प्रबंधन की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राधिकरण के समक्ष 31.10 करोड़ रुपये की अभुक्त मांग के विरुद्ध किसी प्रकार के अपेक्षित राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए, लागु लेखांकन मानकों के अनुसार देयता के प्रावधान की पुष्टि नहीं की गयी है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएजी ऑडिट टीम का अवलोकन तथ्य के विपरीत एवं लागु भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।
2	**गैर- चालू देनदारियाँ - प्रावधान** **(नोट सं 21): रु 5,118.65 करोड़** **चालू देनदारियाँ - प्रावधान** **(नोट सं 21): रु 821.61 करोड़** प्रत्येक पांच वर्षों में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए) के अंतिम निर्णय पश्चात सीसीएल सहित सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी को अंतिम रूप दिया जाता है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता -XI के अनुसार 01-जुलाई-2021 से वेतन संशोधन बकाया है। सीसीएल ने लेखा पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन का प्रावधान तैयार किया है। अपेक्षित वेतन संशोधन के प्रावधान के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ दायित्व का आकलन किया जिस पर विगत वर्ष 2020-21 में विचार किया गया था और दिनक 01 जुलाई-2021 से देय कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना ही वर्ष के बीमांकिक दायित्व का आकलन किया गया। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ष हेतु सेवानिवृत्ति लाभ और लाभ (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं) के संबंध में प्रावधानों में प्राप्त होने वाले त्रुटि की जांच होती है।	सीएजी ऑडिट टीम का उक्त अवलोकन लेखांकन मानकों के लागु प्रावधानों के विपरीत है जैसा कि यहां बताया गया है; बीमांकिक निर्धारित देयता (अर्थात परिभाषित लाभ दायित्व) के मूल्यांकन के मामले में, छूट दर, कर्मचारी टर्नओवर की दर, मृत्यु तथा वेतन वृद्धि दर आदि जैसे विभिन्न बीमांकिक धारणाएँ को आम तौर पर भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' बीमांकिक धारणाएँ के मार्गदर्शक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए महत्व दिया जाता है। संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं; धारा 87 (बी), एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिभाषित लाभ दायित्वों को इस आधार पर मापना चाहिए ताकि देय लाभों को प्रभावित करने वाले किसी अनुमानित भावी वेतन वृद्धि का पता चल सके। अनुच्छेद 88; रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी योजना की औपचारिक शर्तों (या उन शर्तों से अलग एक रचनात्मक दायित्व) में निर्धारित की जाने वाली भावी लाभ में परिवर्तन को बीमांकिक पूर्वधारणाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अनुच्छेद 90, भावी वेतन वृद्धि प्राक्कलन में रोजगार बाजार में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आपूर्ति व मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों पर विचार किया जाता है। उपर्युक्त द्वारा, यह ज्ञात होता है कि वेतन मुद्रास्फीति दर सामान्यतः एक दीर्घकालीन धारण दर है तथा विचारशील दर में वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति तथा मजदूरी समझौते आदि विभिन्न प्रकार के कारक सदैव शामिल होते हैं। वेतन समझौता प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में; लेखापरीक्षण की टिप्पणी अनुसार वेतन मुद्रास्फीति को समायोजित करने की आवश्यकता है। लागु इंड एएस 19 के प्रावधान में यह आवश्यक है कि यदि वेतन समझौता प्रबंधन का रचनात्मक दायित्व है तो, किसी भी प्रकार के वेतन समझौते में अंगीकृत वेतन मुद्रास्फीति दर में को सदैव शामिल किया जाए। उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए, नियोजन की औपचारिक योजना में निर्धारित कर्मचारियों के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एन.सी.डब्ल्यू.ए.)को पहले से ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंगीकृत दीर्घकालिक वेतन वृद्धि प्राक्कलन में जोड़ा गया है। उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह ज्ञात होता है कि सीएजी ऑडिट टीम का अवलोकन उक्त मामले के तथ्य के विपरीत एवं लागु भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

अनुलग्नक –VI

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

दिनांक: 14/05/2022

प्रति,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

वित्तीय कार्यों के लिए उत्तरदायी; हम, पी.एम.प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची एवं के.आर.वासुदेवन, निदेशक (वित्त), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची; यह प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियों तथा उक्त पर अतिरिक्त नोट के साथ-साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

   i. इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे विवरण समाहित हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   ii. उक्त विवरण संयुक्त रूप से कंपनी के मामलों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों यानी भारतीय लेखा मानक, लागु विधियों तथा विनियमों के अनुपालन में किसी प्रकार का भौतिक विगम है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण संस्थापित करने तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और उक्त आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कमियों को, यदि कोई हो, तो, लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है, जिनसे वह अवगत हैं तथा उक्त कमियों को दूर करने हेतु उन्होंने जिस सोपान का चयन किया है या करने का प्रस्ताव रखा है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है कि:

   i. संदर्भाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

   ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

   तथापि, क्रियान्वयन/अवस्थान्तर के कारण कतिपय आय/व्यय तथा परिसंपत्ति/देयताओं के मापन और धारणाएँ में आवश्यक परिवर्तन हुए थे, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में और वित्तीय विवरणी के नोट में उपयुक्त स्थान पर यथोचित रूप से प्रकट किया गया है।

   iii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कार्मिक का किसी महत्वपूर्ण वंचना में संलिप्तता हमारी जानकारी में नहीं आयी है।

ह/-	**ह/-**
निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

निदेशकीय प्रतिवेदन के रूप में परिषिस्ट

(31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु)

अनुलग्नक - VII

अध्याय XII के अनुसरण में नियम-5 प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अंतर्गत सूचना

वर्ष 2021-22 के दौरान 1.02 करोड रु. (एक करोड़ दो लाख रुपये) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2021-22) के किसी भाग में (8.50 लाख पचास हजार रु.) प्रतिमाह की दर से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक -VIII

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3एम) के तहत जिसे कंपनी (एकाउन्ट्स) नियम 2014 की उप-कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए ऊर्जा संरक्षण

I. वर्ष 2021-22 में ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव;

क. ऊर्जा संरक्षण हेतु व्यवहृत उपाय :

क. कैपेसिटर बैंक की स्थापना :

i. लोड बिंदुओं पर कैपेसिटर बैंक के लगने से पावर फैक्टर में सुधार हुआ है तथापि विद्युत की उच्चतम मांग में कमी आई है|

ii. भूमिगत खदान स्थित समस्त वेंटिलेशन पंखों के साथ कैपेसिटर बैंक के प्रयोग से पावर फैक्टर में सुधार हुआ है |

iii. 11,900 केवीएआर कैपेसिटर बैंक लगाने के लिए आपूर्ति-आदेश निर्गत किया गया है। इसकी स्थापना से पावर फैक्टर में सुधार होगा, जिससे विद्युत उपभोग में कमी आएगी|

iv. सीसीएल में 30,440 केवीएआर की सकल क्षमता के कैपेसिटर बैंक पूर्व-स्थापित हैं|

ख. पंपिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय:

i. पंपिंग चरणों को कम करना, पाइप के व्यास में वृद्धि, पर्याप्त एनपीएसएच (नेट पॉजिटिव सक्शन हेड) सुनिश्चित करना तथा पंपिंग के मध्यवर्ती चरण को समाप्त करना|

ii. उक्त प्रयोजन निमित्त उपयुक्त क्षमता युक्त पंप तथा उचित व्यास के पाइप की खरीद की गयी है|

iii. पंप आदि के दक्षतम बिन्दु पर उनके परिचालन हेतु दाब मापक, प्रवाह मीटर आदि जैसे मूल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है |

ग. मोटर तथा ट्रांसफॉर्मर आदि में ऊर्जा संरक्षण के उपाय:

i. उपकरणों के लोड और रेटिंग के यथोचित चयन से मोटरों तथा ट्रांसफार्मरों पर समुचित भार|

ii. विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विद्युत प्रवाह की दक्षता में सुधार|

iii. पावर फैक्टर में सुधार तथा ऊर्जाक्षम मोटर व ट्रांसफार्मर आदि के प्रतिस्थापन द्वारा।

iv. उक्त उद्देश्य निमित्त समुचित क्षमता के ऊर्जाक्षम मोटर तथा ट्रांसफॉर्मर आदि का क्रय किया गया है |

घ. पारंपरिक लाइटों का एलईडी लाइटों से प्रतिस्थापन :

i. वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न रेटिंग की 9731 एलईडी लाइटों का क्रय आदेश दिया गया। 70 सुपर पंखों के लिए क्रय आदेश दिया गया। 136 ऊर्जा दक्ष एसी के लिए आदेश दिया गया। 238 ऑटो टाइमर के लिए क्रय आदेश दिया गया। 37 ऊर्जाक्षम वॉटर हीटर का आदेश किया गया। 21 कैपेसिटर बैंक के लिए क्रय-आदेश दिया गया। सीसीएल मुख्यालय के लिए 16 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने का आदेश किया गया है|

ii. वित्त वर्ष 2021-22 में, 8*300 वाट एलईडी फिटिंग के साथ 190 लाइटिंग टावरों की खरीद की गई है। उक्त टावर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए/जा रहे हैं|

ङ. ऊर्जाक्षम विद्युत मशीनों/उपकरणों (5-तारा रेटिंग) द्वारा पुरानी-जीर्ण विद्युत मशीनों का प्रतिस्थापन.

ख. प्रभाव

उपरोक्त उपायों अंगीकरण से :

क. वर्ष-दर-वर्ष विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम किया जा रहा है|

ख. डीवीसी द्वारा विद्युत आपूर्ति के प्राप्ति स्थल पर पावर फैक्टर में सुधार हुआ है। समस्त विद्युत प्राप्ति स्थलों पर पावर फैक्टर 0.90 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है। इससे क्षेत्र में कर्मरत विद्युत मशीनों की जीवनावधि बढ़ी है तथा सुचारू संचालन में सुधार हुआ है|

ग. पावर फैक्टर में वृद्धि, ऊर्जाक्षम उपकरणों/उपकरणों के समुचित उपयोग से विद्युत बिल में कमी आई है|

II. कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए व्यवहृत उपाय:

क्र	विवरण	
1.	मार्च 2022 तक रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता (किलोवॉट पीक में)	1247.5 किलोवॉट पीक
2.	31.03.2021 तक कुल स्थापित रूफ टॉप किलोवॉट पीक की क्षमता में	872.5 किलोवॉट पीक
3.	वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर वित्त वर्ष 2021-22 में रूफ टॉप सौर क्षमता में वृद्धि	375 किलोवॉट पीक
4.	वित्तीय वर्ष 2O21-22 के दौरान रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न सौर ऊर्जा (किलोवॉट घंटे)	7,46,234 किलोवॉट घंटे

अनुलग्नक -IX

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सुचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत उप-कंडिका 3(बी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

समावेशन (एब्जार्बशन) के सम्बन्ध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) के माध्यम से सिविल/निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए ओवरबर्डन से रेत को अलग करने की संभावना का पता लगाया है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	लागु नहीं
3.	भावी कार्य योजना	लागु नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	
	क. पूँजी	शून्य
	ख. आवर्ती	0.20 करोड़
	ग. योग	0.20 करोड़
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी खर्च	—

अनुलग्नक -X

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सुचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत उप-कंडिका 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

क. विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

i.	निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कंपनी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं है
ii.	अर्जित/उपयोगित कुल विदेशी विनिमय	

(रु करोड़ में)

क्रम	विवरण	2021-22	2020-21
क.	उपयोग हो चुकी विदेशी विनिमय (मुद्रा)		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.01
	योग	0.00	0.01

ख. अर्जित विदेशी विनिमयः

कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अजित नहीं की गयी है।

अनुलग्नक – XI

"अनुलग्नक –II"

1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन।

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सतत विकास के लिए सीएसआर को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अपनाया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के क्रियान्वित होने के पहले से ही सीसीएल अपनी परियोजना स्थलों की 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर सामुदायिक विकास नाम से सामाजिक विकास का कार्य कर रहा है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी की सीएसआर नीति के आधार पर सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित कर रहा है। सितंबर 2021 तक, सीआईएल द्वारा सीआईएल की सीएसआर नीति समय-समय पर सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागु होती थीं का अनुसरण सीसीएल में किया जाता था। अक्टूबर, 2020 में सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को सीसीएल बोर्ड द्वारा 28.10.2020 को अंगीकृत किया गया। सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति 08.04.2021 को सीसीएल द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद, 23.09.2021 को बोर्ड स्तरीय सतत विकास एवं सीएसआर समिति के माध्यम से सीसीएल बोर्ड के समक्ष 'सीसीएल सीएसआर नीति' प्रस्तुत की गई तथा सीसीएल बोर्ड द्वारा सीसीएल सीएसआर नीति को अनुमोदन प्रदान किया गया। 11.11.2021 को क्षेत्रों को सीसीएल सीएसआर नीति से अवगत कराया गया।

सीएसआर निधियों का आवंटन तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन का 2.00 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

यह नीति किसी विशेष वर्ष में अव्ययित या अतिरिक्त सीएसआर राशियों के लिए प्रावधान/दिशानिर्देश निर्धारित करती है, जो कि संविधि के अनुसार होगी, जिसका अर्थ है कि यदि सीसीएल एक वर्ष के लिए अनिवार्य सीएसआर लक्ष्य से अधिक राशि खर्च करता है, तो यह राशि आगामी वर्षों में निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि सीसीएल किसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य सीएसआर राशियों को खर्च करने में विफल रहता है, और यदि यह चालू परियोजनाओं से संबंधित है तो इसे अव्ययित सीएसआर खाते में जमा किया जाएगा या अन्यथा इसे अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधियों में जमा किया जाएगा।

सीसीएल सीएसआर नीति के अनुसार आबंटित सीएसआर निधियों का लगभग 80% परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना अपेक्षित है जबकि शेष 20% झारखंड राज्य के भीतर खर्च किया जा सकता है।

सीएसआर कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित विषयगत क्षेत्रों में और डीपीई या एमओसी या सरकार के लागु अधिनियम/नियम/आदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू किया जा सकता है। 2018 के बाद से, डीपीई ने प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित विशिष्ट विषयों पर व्यय के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीपीई द्वारा तय विषय में व्यय लगभग 60% होना चाहिए और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सीएसआर नीति में निम्नलिखित डीओपी के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के अनुमोदन की परिकल्पना की गई है:

प्राधिकरी	डीओपी
निदेशक मंडल	एसडी और सीएसआर समिति की सिफारिश पर 1.00 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाएं।
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	40 लाख से रु. सीएसआर उप-समिति की सिफारिश पर 1.00 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं।
निदेशक (कार्मिक)	सीएसआर उप-समिति की सिफारिश पर मुख्यालय की सभी परियोजनाओं का मूल्य 40.00 लाख रु और 5.00 लाख से रु. 40.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य के क्षेत्रों की परियोजनाएं।
क्षेत्र के महाप्रबंधक	क्षेत्र स्तरीय सीएसआर उपसमिति की अनुशंसा पर रु. 5 लाख रुपये तक की परियोजनाएं।

सीएसआर नीति में सीएसआर परियोजनाओं का चयन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रलेखन हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों की परिकल्पना की गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र.	निदेशक के नाम	निदेशक के पदनाम/ स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग लिए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री हरबंस सिंह	अप्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	5	5
2	श्री विनय रंजन	प्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	3	3
3	श्री बिनय दयाल	प्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	2	2
4	श्रीमती जजुला गौरी	अप्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	5	5
5	श्री सुभाऊ कश्यप	अप्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	4	4
6	श्री रमेश कुमार सोनी.	अप्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	1	1
7	श्री के.आर. वासुदेवन	कार्यकारी निर्देशक	3	2
8.	श्री एन. के. अग्रवाल	कार्यकारी निर्देशक	2	2
9	श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव	कार्यकारी निर्देशक	3	3
10	श्री विनय रंजन	कार्यकारी निर्देशक	2	2

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट में नीचे दर्शाये गए वेब-लिंक पर किया जाता है।

वेब लिंक: https://www.centralcoalfields.in/sutbs/sdcsr.php

4. (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) कंपनी नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागु हो (रिपोर्ट संलग्न करें:

खुले में शौच मुक्त समुदायों के निर्माण के लिए खेल अकादमी होटवार, सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली, स्वास्थ्य संबंधी सीएसआर पहल और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण नामक 4 परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन। ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है।

5. कंपनी की (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट- ऑफ हेतु उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

क्र.	वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ हेतु उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में समायोजित करने हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रु. में)
1	2021-22	10,14,00,000.00	10,14,00,000.00

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: 2512.70 करोड

7. क. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः 50.25 करोड

ख. विगत वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: 10.14 करोड

घ. वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी- 7सीः 40.11 करोड

8. क. वित्तीय वर्ष हेतु व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार अनुसूची vii के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि।		
	राशि.	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
34,95,67,602.96	18,18,66,746.53	29.04.2022	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

ख. वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष मं व्यय की गई राशि (लाख रु में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)*	कार्यान्वयन कि विधि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीयन सं*
1	खेल अकादमी, होटवार	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	चतरा	36 महीने	53905000.00	36912000.00	8800000.00	नहीं	एक्स्ट्रामार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन	CSR00006677
2	सिपेट, रांची के माध्यम से 320 पीएपी का कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	राँची	36 महीने	22400000.00	11760000.00	7280000.00	नहीं	झारखंड तकनीकी विश्वविधायलय	CSR00016071
3	परियोजना पहल - चतरा जिले के 30 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	6 महीने	10325700.00	4120000.00	6205700.00	नहीं	टीईआरआई, नई दिल्ली	CSR00002051
4	सीसीएल के सीएसआर के तहत झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर की स्थापना और संचालन	ऊष्मायन केंद्र	हाँ	झारखंड	राँची	24 महीने	9130473.00	9720.00	9120753.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
5	प्रमथ नाथ मध्य विद्यालय हिनू रांची को स्मार्ट क्लासरूम, स्कूल भवन का सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट क्लास सेट, बेंच-डेस्क और ग्रीन बोर्ड आदि उपलब्ध कराना	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	24 महीने	2487000.00	127118.00	1989600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
6	सीसीएल कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना का विज्ञापन	कोविड	हाँ	झारखंड	राँची	12 महीने	9550000.00	111000.00	4723676.60	नहीं	झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी	CSR00014800
7	सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	24 महीने	6500000.00	3834000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
8	बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क का निर्माण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	9 महीने	4000000.00	198739.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
9	सबमर्सिबल पंप के साथ डीप बोरिंग	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	3 महीने	2218200.00	532368.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
10	सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	8 महीने	1757000.00	1007000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष मं व्यय की गई राशि (लाख रु में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)*	कार्यान्वयन कि विधि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीयन सं*
11	14 मील में डीप बोरिंग, इंद्रा पंचायत	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	12 महीने	497922.29	497922.29	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
12	योग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	बोकारो	12 महीने	200000.00	44000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
13	कथारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी और अलमारी आदि का वितरण	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	15 महीने	1200000.00	123000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
14	सीएसआर के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए स्थायी सेटअप बनाने के लिए कंप्यूटर टेबल और कुर्सियों के साथ 10 कंप्यूटर सिस्टम खरीदकर कौशल विकास केंद्र, कथारा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का उन्नयन	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	20 महीने	950000.00	584000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
15	कथारा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कूड़ेदानों का वितरण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	24 महीने	150000.00	82000.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
16	परियोजना प्रभावित बच्चों के लिए 02 स्कूल बस (01 मगध 01 आम्रपाली ओसीपी) की भर्ती	शिक्षा	हाँ	झारखंड	चतरा	36 महीने	9539241.00	2012540.30	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
17	सीसीएल के और आसपास के क्षेत्रों में तालाब का नवीनीकरण/ निर्माण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	4 महीने	1314000.00	441436.61	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
18	सीसीएल के कमांड क्षेत्र में/ उसके आसपास तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	15 महीने	1741000.00	249910.00	0.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
	कुल							62646754.20				

ग. वित्तीय वर्ष हेतु जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
1	अरगड़ा	झोपड़ी बस्ती वार्ड संख्या 13 . की जलापूर्ति	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	452355.44	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
2	अरगड़ा	अरगड़ा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 80 हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	464695.20	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
3	अरगड़ा	अरगडा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संबद्ध कार्यों के साथ सौर पैनलों की स्थापना के साथ बोरवेल की ड्रिलिंग	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	686415.55	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
4	अरगड़ा	आजादी का अमृत महोत्सव (आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर बैनर लगाने के साथ स्कूल स्तर की प्रतियोगिता)	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	27240.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
5	बी. एण्ड के.	आजादी का अमृत महोत्सव (आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर बैनर लगाने के साथ स्कूल स्तर की प्रतियोगिता)	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	221376.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
6	बी. एण्ड के.	बैदकारो पश्चिम में पंशाला (पीने का पानी) का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	327970.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
7	बी. एण्ड के.	जरीडीह बाजार में तालाब की खुदाई	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	400661.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
8	बी. एण्ड के.	बी एंड केक्षेत्र में युवा छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	174000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
9	बी. एण्ड के.	एकेके ओसीपी परियोजना के आस-पास के गांवों के छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	174000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
10	बी. एण्ड के.	करो बस्ती की ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	176500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
11	बी. एण्ड के.	एकेके ओसीपी परियोजना की ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	179500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
12	बी. एण्ड के.	आरपीएस इंटर कॉलेज चंद्रपुरा में दो शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	297418.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
13	बी. एण्ड के.	चरकपनिया में 4 हैंडपंप की स्थापना।	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	65206.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
14	बी. एण्ड के.	बांडुकबेड़ा में तालाब का जीर्णोद्धार	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	137284.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
15	बी. एण्ड के.	पलामू पंचायत में तालाब को गहरा और जीर्णोद्धार	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	281620.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
16	बी. एण्ड के.	पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा से संचालित सबमर्सिबल पंप सेट, पंप हाउस, रीचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	2498204.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
17	बी. एण्ड के.	शासकीय मध्य विद्यालय जरीडीह बस्ती, जरीडीह पश्चिम पंचायत में 02 इकाई शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	142807.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
18	बी. एण्ड के.	प्राथमिक विद्यालय, घुटियाटाण्डी की मरम्मत	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	492535.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
19	बी. एण्ड के.	बी एंड के क्षेत्र के 03 सहायता प्राप्त स्कूलों अर्थात् शिशु विकास विद्यालय रविवार बाजार, चिल्ड्रेन पैराडाइज स्कूल कुरपानिया और सेंट एन्स गर्ल्स स्कूल कुरपानिया में स्मार्ट क्लास सिस्टम की स्थापना	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	369988.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
20	बी. एण्ड के.	आस-पास के गांवों के ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट, क्रिकेट बैट आदि का वितरण।	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	बोकारो	148885.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
21	बी. एण्ड के.	जरीडीह बाजार गांव के पास फुटबॉल मैदान का जीर्णोद्धार	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	बोकारो	453564.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
22	बी. एण्ड के.	बैदकारो पश्चिम पंचायत में तालाब का जीर्णोद्धार	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	102845.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
23	बी. एण्ड के.	चलकारी गांव में शौचालय सुविधाओं के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	592009.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
24	बी. एण्ड के.	विकलांग कल्याण समिति, फुसरो के विकलांग व्यक्तियों को सीएसआर के तहत बीएंडके क्षेत्र में व्हीलचेयर और वैसाखी की आपूर्ति करके सहायता और सहायता।	नि:शक्तजनों का कल्याण	हाँ	झारखंड	बोकारो	487247.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
25	बी. एण्ड के.	कुष्ठ कॉलोनी, प्रेमनगर, बेरमो के परिवारों के लिए कंबल व स्वेटर का वितरण	वंचितों का कल्याण	हाँ	झारखंड	बोकारो	149231.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
26	बी. एण्ड के.	कोरोना राहत के तहत खाद्यान्न एवं अन्य संबंधित वस्तुओं का वितरण	भूख और गरीबी का उन्मूलन	हाँ	झारखंड	बोकारो	153825.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
27	बी. एण्ड के.	प्रखंड कार्यालय बेरमो में आरओ वाटर की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	80690.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
28	बी. एण्ड के., बरका-सयाल, सीआरएस, बरका काना, ढ़ोरी, हजारीबाग, मुख्यालय, एम एन्ड ए, रजरप्पा, कुजू	सीसीएल कमांड क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सीएसआर गतिविधियां (नियमित स्वास्थ्य शिविर, विशेष शिविर, रक्तदान शिविर आदि)	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	बोकारो, रामगढ, हजारीबाग, राँची, चतरा	6132785.67	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
29	बी. एण्ड के., बरका-सयाल, सीआरएस, बरका काना, ढ़ोरी, हजारीबाग, कथारा, एम एन्ड ए, रजरप्पा	स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के तहत गतिविधियां	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो, रामगढ, हजारीबाग, चतरा, लातेहार	484406.31	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
30	बी. एण्ड के ढ़ोरी, हजारीबाग	सहायता अनुदान विद्यालयों में अनुदान का भुगतान	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो, रामगढ, हजारीबाग	3300000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
31	बरका-सयाल	आजादी का अमृत महोत्सव (जूट बैग का वितरण, वृक्षारोपण अभियान, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं गो ग्रीन, ड्रिंक क्लीन थीम पर)	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ / हजारीबाग	15900.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
32	बरका-सयाल	कोविड के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन का प्रावधान	कोविड	हाँ	झारखंड	हजारीबाग / रामगढ	299950.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
33	बरका-सयाल	सौंदा बस्ती के 4 सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	-	403824.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
34	बरका-सयाल	कुआं का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	327657.31	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
35	बरका-सयाल	जो जो टोला में सरना स्थल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण - प्रावधान मार्च-22	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	847238.31	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
36	बरका-सयाल	उरीमारी पहाड़ी के समीप डीप बोरिंग एवं जलापूर्ति टंकी का निर्माण प्रावधान-मार्च-22	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	669558.38	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
37	बरका-सयाल	सरना तालाब हेसबेरा में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय सह स्नान गृह का निर्माण- प्रावधान मार्च-22	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	589699.96	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
38	बरका-सयाल	असवा तिलैया में खुले कुएं का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	-6146.86	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
39	बरका-सयाल	तेरपा गांव में महिला शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	-11386.88	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
40	सीआरएस, बरका काना	सुखलाल बेदिया की जमीन में कुएं का निर्माण।	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	55000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
41	सीआरएस, बरका काना	मदरसा मिल्लत-ए-मोहम्मदिया अंजुमन में शौचालय परिसर का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	27000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
42	सीआरएस, बरका काना	मिलत अकादमी नूरुल इस्लाम मुस्लिम अल्पसंख्यक बोर्डिंग स्कूल के लिए 04 कक्षा का निर्माण	शिक्षा	हाँ	झारखंड	रामगढ	105000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
43	सीआरएस, बरका काना	रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग से नवनिर्मित पुलिया तक 150 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	रामगढ	63000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
44	सीआरएस, बरका काना	श्री रमेश महतो की भूमि में कुएं 12 डाई की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	29000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
45	सीआरएस, बरका काना	हेहल में देव साथाल के पास कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	169000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
46	सीआरएस, बरका काना	घुटुवा में क्रिश्चियन कबीरिस्तान के पास श्री कुमार रोशन बेदिया की भूमि में गहरी बोरिंग	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	2307.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
47	सीआरएस, बरका काना	लालकिघासना एवं दुर्गी गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	रामगढ	19000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
48	सीआरएस, बरका काना	मसमोहना गांव में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	356000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
49	सीआरएस, बरका काना	पीरी गांव में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	31000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
50	सीआरएस, बरका काना	लालकिघासना गांव में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	356000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
51	ढ़ोरी	आजादी का अमृत महोत्सव (स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं)	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	191030.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
52	ढ़ोरी	अंगवाली हाई स्कूल, अंगवाली में ओवरहेड टैंक के साथ डीप बोरिंग और स्कूल में आरओ सिस्टम।	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	6000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
53	ढ़ोरी	'खेलो इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए खेल केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से सीएसआर फंड के तहत "खेल आइटम" की खरीद।	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	बोकारो	420734.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
54	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र की सीएसआर योजना 2018-19 के तहत सचदेवा मांझी हाउस के पास परसाडीह तंत्री में छोटे ओह टैंक के साथ डीप बोरिंग।	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	49759.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
55	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र के सीएसआर योजना 18-19 के तहत मुंगो गांव में मुंगो, पूर्णतंद में तालाब का नवीनीकरण।	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	73215.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
56	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र के सीएसआर योजना 18-19 के तहत बिरनी गांव में पंचगरवा में तालाब का नवीनीकरण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	61114.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
57	ढ़ोरी	पवन सिंह भूमि सिंगरबेड़ा ढोरी बस्ती में तालाब की खुदाई	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	67258.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
58	ढ़ोरी	सीएसआर योजना 2018-19 के तहत अपग्रेडेड हाई स्कूल गुंजरडीह में स्वच्छता कार्य।	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	221000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
59	ढ़ोरी	टुरियो में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	42000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
60	ढ़ोरी	भालमार में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	38000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
61	ढ़ोरी	चपरी में कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	19000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
62	ढ़ोरी	तुरियो पुनर्वसन केंद्र में शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	18000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
63	ढ़ोरी	टुल्लू पुनर्वसन केंद्र में शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	274000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
64	हजारीबाग	एकेएएम, कंबल वितरण	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	रामगढ एवं हजारीबाग	82688.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
65	हजारीबाग	एकेएएम, कंबल वितरण	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	रामगढ एवं हजारीबाग	94000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
66	हजारीबाग	तपिन नार्थ ओसीपी अंतर्गत फुटबॉल ग्राउंड पिण्डरा के समीप सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	396349.62	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
67	हजारीबाग	उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसंतपुर में केदला वाशरी में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	444751.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
68	हजारीबाग	घाटो मोरे, बांदाटाण्ड के निकट सबमर्सिबल पम्प एवं 1 पम्प रूम सहित डीप बोरिंग का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	452824.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
69	हजारीबाग	सरदार बल्लभ भाई पटेल स्कूल के पास सबमर्सिबल पंप और एक पंप के साथ डीप बोरिंग का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	497922.90	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
70	हजारीबाग	सामुदायिक भवन हेंडेग्राहा के पास सबमर्सिबल पंप व एक पंप सहित डीप बोरिंग का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	497922.90	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
71	हजारीबाग	वाटर कूलर सह शोधक का वितरण	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ एवं हजारीबाग	518393.32	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
72	हजारीबाग	बरमसिया टोला, हेंडेगढ़ में हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	65569.32	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
73	हजारीबाग	दस स्कूलों को गोद लेना और मॉडल स्कूल में बदलना	शिक्षा	हाँ	झारखंड	रामगढ एवं हजारीबाग	349500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
74	हजारीबाग	तापिन ओसीपी में तापिन पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	689088.40	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
75	मुख्यालय	शहीद संकल्प शुक्ल की प्रतिमा	सशस्त्र बलों का कल्याण	हाँ	झारखंड	राँची	400000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
76	मुख्यालय	सीएसआर के तहत जरूरतमंदों को कंबल का वितरण	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची	245000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
77	मुख्यालय	चौपारण, हजारीबाग में 30 बिस्तरों वाले कोविड वार्ड/देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए उपकरणों/दवाओं की खरीद के लिए नव भारत जागृति केंद्र, हजारीबाग को वित्तीय योगदान।	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	हजारीबाग	2031000.00	नहीं	नव भारत जागृति केंद्र	
78	मुख्यालय	रांची जिले के अंगारा, बेरो और बर्मू प्रखंड के वंचित बच्चों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की वित्तीय सहायता	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	496797.00	नहीं	रामकृष्ण मिशन	CSR00006101
79	मुख्यालय	सीएसआर के तहत गुमला, फर्नीचर और फिक्स्चर और किचनेट सहित मरम्मत और नवीनीकरण के लिए वित्तीय योगदान	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	हाँ	झारखंड	गुमला	2298000.00	नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
80	मुख्यालय	गंगानगर, हरमू और नयाटोली, कांटाटोली में दो नाली का निर्माण एक-एक खुली सतह नाली और चाट घाट का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	राँची	9000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
81	मुख्यालय	सीसीएल रांची के सीएसआर हेड के तहत विशेष रूप से अनुसूचीत जाति / अनुसूचीत जनजाति और बीपीएल परिवारों से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए जोन्हा में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	राँची	1414000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
82	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत बुकरू, रांची में कायाकल्प पब्लिक स्कूल (जी + 2) के निर्माण के लिए विस्तृत अनुमान सहित संरचनात्मक विश्लेषण, डिजाइन, तैयारी और विधिवत प्रूफ चेक किए गए संरचनात्मक चित्र प्रस्तुत करना।	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	196000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
83	मुख्यालय	सीसीएल कमांड क्षेत्रों में एलिम्को के माध्यम से कृत्रिम उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची	6811210.00	नहीं	एलआईएम सीओ	2020-21 से पहले की परियोजना इसलिए लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
84	मुख्यालय	एक्स-रे मशीन एवं सेमी फाउलर बेड की व्यवस्था टीबी सेनेटोरियम, तुपुदना, आर के मिशन	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची	1014000.00	नहीं	रामकृष्ण मिशन	CSR00006101
85	मुख्यालय	बालूमस्था लातेहार में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सहित कल्याण अस्पताल, मनन छोटाग में पीडियाट्रिक आईसीयू, पाइप्ड ऑक्सीजन समर्थित 25 बेड की सुविधा की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	लातेहार	9900000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
86	मुख्यालय	कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन हेतु श्रीकृष्ण संस्थान के माध्यम से ग्राम-जोर्कट, जिला- पलामू, झारखंड में आईसीयू अस्पताल का निर्माण	कोविड	हाँ	झारखंड	पलामू	8800000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
87	मुख्यालय	कोविड-19 के प्रबंधन और रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद - पलामू जिला	कोविड	हाँ	झारखंड	पलामू	5000000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
88	मुख्यालय	कोविड अस्पताल/कोविड केयर सेंटर, गिरिडीह के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद	कोविड	हाँ	झारखंड	गिरिडीह	6000000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
89	मुख्यालय	कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर-V में 150 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	बोकारो	9307078.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
90	मुख्यालय	कोविड-19 से प्रभावित लोगों की रोकथाम और उपचार के लिए कोविड डिजिटल केयर सेंटर सह होम नर्सिंग की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	बोकारो	1000000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
91	मुख्यालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टंडवा, चतरा में ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना	कोविड	हाँ	झारखंड	टंडवा	3734375.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
92	मुख्यालय	सदर अस्पताल, चतरा में गहन चिकित्सा इकाई प्रकार के उपकरणों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	चतरा	4500000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
93	मुख्यालय	लातेहार जिले के सदर अस्पताल में आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	लातेहार	8845419.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
94	मुख्यालय	कोविड-19 से प्रभावित लोगों की रोकथाम और उपचार के लिए रामगढ़ में कोविड नियंत्रण केंद्र की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	रामगढ	7213051.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
95	मुख्यालय	सीसीएल की सीएसआर योजना के तहत सीसीएल की सीएसआर योजना के तहत पलामू जिले में (30 नंबर) हैंडपंपों की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	पलामू	3114090.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
96	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के माध्यम से गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हैंडपंपों की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	गढ़वा	2344144.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
97	मुख्यालय	रांची जिले में 2 सीएचसी पर समर्पित कोविड देखभाल इकाइयों के लिए 200 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के साथ कई गुना की स्थापना के लिए रांची जिला प्रशासन को 1.126 करोड़ रुपये का वित्तीय योगदान।	कोविड	हाँ	झारखंड	राँची	11260000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
98	मुख्यालय	सेक्टर-6, बोकारो" में स्थापित कोविड-19 केयर सेंटर में 500 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट, 200 केवीए, ट्रांसफार्मर और 250 केवीए साइलेंट डी.जी. के लिए सीसीएल के सीएसआर के तहत 95.00 लाख रुपए का वित्तीय योगदान।	कोविड	हाँ	झारखंड	बोकारो	8600000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
99	मुख्यालय	पीएचसी चिरी में 250 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट और सीसीएल के सीएसआर के तहत लोहरदगा जिले में सीएचसी सेहना, सीएचसी भांद्रा और पीएचसी चिरी में कोविड केयर सेंटर के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना के लिए 96.90 लाख रुपये का वित्तीय योगदान।	कोविड	हाँ	झारखंड	लोहरदगा	8280000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
100	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत बोकारो जिले में उप-मंडल अस्पताल, बेरमो के अंदर ऑक्सीजन हस्तांतरण के लिए कई गुना (30 बिस्तरों का समर्थन) और 200 केवीए मूक डीजी सेट के साथ केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	बोकारो	1144437.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
101	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत गिरिडीह जिले में स्थापित किए जा रहे 1000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट में 250 केवीए साइलेंट जनरेटर की खरीद और स्थापना	कोविड	हाँ	झारखंड	गिरिडीह	1910000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
102	मुख्यालय	कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), मांडू, रामगढ़ में मॉडल नर्सरी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	1237000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
103	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत कमांड क्षेत्रों/रांची जिले में/आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित/निगरानी करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर (1250 नग तक) और थर्मल स्कैनर (200 नग तक) का प्रावधान	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची	887000	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
104	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत प्लास्टिक बैग के विकल्प के रूप में राशन/उपयोगिताएं ले जाने के लिए कमांड क्षेत्रों/रांची जिले में/आसपास रहने वाले लोगों को 25,000 कैनवास बैगों की खरीद और वितरण।	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	राँची	416000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
105	मुख्यालय	सीएसआर. के तहत बुकरू, कांके रोड, रांची में कायाकल्प पब्लिक स्कूल परिसर की वार्षिक सफाई और रखरखाव	शिक्षा	हाँ	झारखंड	राँची	41000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
106	कथारा	आजादी के अमृत महोत्सव (जागरूकता रथ, कैनवास/जूट बैग का वितरण, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं आदि)	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	222600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
107	कथारा	50 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	244812.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
108	कथारा	सादाम पश्चिम में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा से संचालित सबमर्सिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	538000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
109	कथारा	स्वांग बस्ती, पासवान टोला, स्वांग साउथ और हजारी पटवा टोला, हजारी पंचायत में पाइप लाइन न्यू माइनस वाटर टैंक के माध्यम से जलापूर्ति.	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	539000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
110	कथारा	कथारा में 4 झोपड़ पट्टी में डीप बोरिंग,	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	221000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
111	कथारा	स्कूल बैग, किताबों और वर्दी के माध्यम से पास के सीसीएल द्वारा अनुदानित स्कूलों और अन्य को शैक्षिक सहायता	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	350000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
112	कथारा	तेनुघाट महाविद्यालय, तेनुघाटी में 4 शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	360000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
113	कथारा	निकटवर्ती गांवों में फलदार वृक्षों का वितरण।	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	बोकारो	145000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
114	कथारा	कथारा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न चिकित्सा शिविरों के लिए कुर्सी, मेज एवं बेंच की व्यवस्था।	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	68000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
115	कथारा	रविदास टोला, गोमिया में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा से संचालित समरसिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	538000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
116	कथारा	कथारा हाई स्कूल, कथारा में 2 कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	हाँ	झारखंड	बोकारो	792000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
117	कथारा	यादव टोला, झिरकी में सामुदायिक शौचालय	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	बोकारो	349000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
118	कथारा	50 युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	177000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
119	कथारा	सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना।	सामुदायिक पुस्तकालय	हाँ	झारखंड	बोकारो	44000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
120	कथारा	कौशल विकास केंद्र की स्थापना और संचालन (भवन की लागत को छोड़कर)।	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	371000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
121	कथारा	सिलाई केंद्र की स्थापना और संचालन (भवन की लागत को छोड़कर)।	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	बोकारो	192000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
122	कथारा	स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आसपास की पंचायतों को संगीत और सांस्कृतिक वाद्ययंत्रों का वितरण	कला और संस्कृति	हाँ	झारखंड	बोकारो	303000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
123	कथारा	आसपास के गांव में खेल सामग्री का वितरण	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	बोकारो	159000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
124	कथारा	विकलांगों को ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि जैसी सहायक सामग्री का वितरण	नि:शक्तजनों का कल्याण	हाँ	झारखंड	बोकारो	120000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
125	कथारा	विभिन्न विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर का वितरण	पेय जल	हाँ	झारखंड	बोकारो	40000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
126	कुजू	आजादी के अमृत महोत्सव (जागरूकता रथ, कैनवास/जूट बैग का वितरण, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं आदि)	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	224900.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
127	कुजू	एकेआर इंटरनेशनल स्कूल, हुवाग, बालसागरा में हैंडपंप की स्थापना।	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	73800.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
128	कुजू	सरना स्थल में हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	79000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
129	कुजू	सीसीएल के आसपास के क्षेत्रों में तालाब का नवीनीकरण/निर्माण	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	1469700.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
130	कुजू	आस-पास के ग्रामीणों/पीएपी की गर्भवती महिलाओं को पोषण और पूरक प्रदान करना	भूख और गरीबी का उन्मूलन	हाँ	झारखंड	रामगढ	198900.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
131	कुजू	निःशक्तजनों को शिक्षा एवं रोजगार में सहायता हेतु बैटरी चालित ट्राइसाइकिल।	नि:शक्तजनों का कल्याण	हाँ	झारखंड	रामगढ	293700.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
132	कुजू	चैनपुर सरुबेरा में मैरिज हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	रामगढ	361500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
133	कुजू	पब्लिक हाई स्कूल कुजू में हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	77600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
134	कुजू	.रघुनंदन ठाकुर सरयोयदय उच्च विद्यालय कुजू में हैंडपंप की स्थापना।	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	77600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
135	कुजू	मुरपा कब्रिस्तान, कुजू में हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	77600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
136	कुजू	कुजू कब्रिस्तान, कुजू में हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	77600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
137	कुजू	आसपास के गांवों में खेल सामग्री का वितरण	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	रामगढ	191500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
138	कुजू	एसएस मंदिर कुजू कोलियरी और बाल विद्या मंदिर, आरा, एसएस मंदिर कुंदरिया, सरुबेरा, गर्ल्स स्कूल कुजू को बेंच डेस्क का वितरण	शिक्षा	हाँ	झारखंड	रामगढ	346800.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
139	कुजू	सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/मुख्यालयों में पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप सेट, पंप हाउस, री-चार्ज पिट आदि के साथ प्रत्येक गहरे बोर-कुओं का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	1368600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
140	कुजू	आदर्श बिरसा उच्च विद्यालय, चैनपुर में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण।	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	178000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
141	एम एन्ड ए	आजादी का अमृत महोत्सव आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	चतरा	220327.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
142	एम एन्ड ए	आजादी का अमृत महोत्सव मगध-संघमित्र क्षेत्र	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	चतरा	206001.10	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
143	एम एन्ड ए	कोविड के दौरान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण	भूख और गरीबी का उन्मूलन	हाँ	झारखंड	चतरा	42000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
144	एम एन्ड ए	महामारी कोविड-19 के कारण खाद्यान्न का वितरण	भूख और गरीबी का उन्मूलन	हाँ	झारखंड	लातेहार एन्ड चतरा	111146.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
145	एम एन्ड ए	रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा संचालित डीपबोरवेल का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	चतरा	3728296.24	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
146	एम एन्ड ए	सीसीएल सीएसआर के तहत मगध-संघमित्र क्षेत्र के संबंध में रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा डीप-बोर-वेल 03(तीन) नग का निर्माण।	पेय जल	हाँ	झारखंड	चतरा	1901177.86	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
147	एम एन्ड ए	सीसीएल सीएसआर के तहत आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र के संबंध में रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा गहरे बोरवेल 02(दो) नग का निर्माण।	पेय जल	हाँ	झारखंड	चतरा	977579.67	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
148	एम एन्ड ए	चट्टी पेटो, एसी क्षेत्र में पीसीसी रोड और शमसान घाट का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	चतरा	1025604.12	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
149	एम एन्ड ए	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, मगध-आम्रपाली क्षेत्र	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	चतरा	149500.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
150	एन. के.	एनके क्षेत्र डकरा की चार अलग-अलग पंचायतों में 4आरओ प्लांट का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	राँची	3476714.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
151	एन. के.	बिरहोर और मल्लार जनजाति (आदिम जनजाति) की आजीविका गतिविधियों के लिए बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करना	वंचितों का कल्याण	हाँ	झारखंड	राँची	270937.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
152	एन. के.	कमला सैकरेरियम स्कूल, रोहिणी में 03 लड़कों और 03 लड़कियों के शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	राँची	700000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
153	एन. के.	कौशल विकास केंद्र की स्थापना एवं संचालन	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	राँची / चतरा	161834.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
154	एन. के.	योग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची / चतरा	188664.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
155	एन. के.	सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना।	सामुदायिक पुस्तकालय	हाँ	झारखंड	राँची / चतरा	199939.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
156	एन. के.	कुटकी गांव में गहरी बोरिंग	पेय जल	हाँ	झारखंड	राँची	823103.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
157	एन. के.	खलारी में बाहरी स्वास्थ्य उपकरण	स्वास्थ्य	हाँ	झारखंड	राँची	220806.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.	क्षेत्र	परियोजना	अधिनियम के अनुसूची-VII में गतिविधियों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना हेतु आवंटित राशि (लाख रु में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन विधि	
					राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं
158	एन. के.	संगीत वाद्ययंत्र और सांस्कृतिक उपकरण	कला एवं संस्कृति	हाँ	झारखंड	राँची / चतरा	198720.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
159	एन. के.	पंचायत सचिवालय के पास कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	राँची	499246.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
160	एन. के.	पेटपेट में सरस्वती विद्या मंदिर के पास कुएं की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	राँची	82662.20	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
161	पिपरवार	सेंट जोसेफ स्कूल मेडर के बीपीएल/लाल कार्ड धारक छात्रों को शिक्षा सहायता	शिक्षा	हाँ	झारखंड	चतरा	292200.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
162	पिपरवार	ग्राम चिरैयाटांड़ में चिरैयाटांड से देवी मंडप तक पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखंड	चतरा	675590.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
163	पिपरवार	"खेलो इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों में खेल केंद्र की स्थापना और संचालन।	खेल संवर्धन	हाँ	झारखंड	चतरा	115163.36	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
164	पिपरवार	सीएसआर गतिविधियों 2019-20. के तहत बेंटी गांव में नेहरू आदर्श विद्यालय के लिए पुस्तकालय का निर्माण	शिक्षा	हाँ	झारखंड	चतरा	404508.97	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
165	रजरप्पा	सीएसआर योजना के तहत टीटीके ओसीपी में सोमा उरांव और फुल्लो मासोमैट के घर के पास ददोकनाही में कुआं (3.0 मीटर व्यास और 11.40 मीटर गहरा) की खुदाई	पेय जल	हाँ	झारखंड	लातेहार	380262.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
166	रजरप्पा	सबमर्सिबल पंप सौर ऊर्जा पम्पिंग सहित 6 गहरे बोरवेल का निर्माण	पेय जल	हाँ	झारखंड	लातेहार	291915.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
167	रजरप्पा	राजहरा क्षेत्र के अंतर्गत टीटीके ओसीपी में पिंडारकोम गांव और अन्य स्थानों पर हैंडपंप (05 नंबर) उपलब्ध कराना और लगाना	पेय जल	हाँ	झारखंड	लातेहार	262580.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
168	रजरप्पा	आजादी का अमृत महोत्सव	पर्यावरण एवं एस.डी	हाँ	झारखंड	रामगढ	225000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
169	रजरप्पा	सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना	शिक्षा	हाँ	झारखंड	रामगढ	63600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
170	रजरप्पा	आसपास के गांवों की बेरोजगार महिला उम्मीदवारों को सिलाई का प्रशिक्षण	पेय जल	हाँ	झारखंड	रामगढ	180000.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
171	रजरप्पा	कमान क्षेत्रों के नि:शक्तजनों को साइकिल का वितरण	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	रामगढ	302154.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
172	रजरप्पा	रजरप्पा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हाँ	झारखंड	रामगढ	41746.64	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
173	रजरप्पा	कौशल विकास केंद्र की स्थापना और संचालन (अर्थात कंप्यूटर / ब्यूटीशियन / खाद्य प्रसंस्करण / मोबाइल मरम्मत प्रशिक्षण)	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	रामगढ	124600.00	हाँ	लागु नहीं	लागु नहीं
		कुल				**17,74,36,374.01 रुपये**				

(डी) प्रशासनिक मदों पर व्यय की गई राशि: रु. 80,84,474.75

(इ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागु हो तोः शून्य

(एफ) वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि (8बी+ 8सी+ 8डी+ 8ई) : रु. 24,81,67,602.96

(जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो : शून्य

क्रं	विवरण	राशि (रु में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	50,25,40,000.00
(ii)	वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	34,95,67,602.96
(iii)	वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या विगत वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

9 (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण।

क्रं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु में)
				निधि का प्रकार	राशि (रु. में)	स्थानांतरण तिथि.	
1.	2020-21	0.00	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

(ख) विगत वित्तीय वर्ष(वर्षों) में जारी परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की सीएसआर राशि का विवरणः

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रं	परियोजना आईडी	परियोजना	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारम्भ हुई	परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (करोड़ रु में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (करोड़ रु में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में व्यय की गई संचय राशि (रु. करोड़ में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण/ जारी।
लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

10. पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण)

क. पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि

ख. पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि

ग. इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण

घ. सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
1	बोकारो	बी एन्ड के	बैदकारो पश्चिम में पंशाला (पीने का पानी) का निर्माण	18.10.2020	327970.00	ग्राम पंचायत	गांधी नगर, बैदकारो पश्चिम पंचायत
2	बोकारो	बी एन्ड के	आरपीएस इंटर कॉलेज चंद्रपुरा में दो नंबर के शौचालय का निर्माण	20.02.2021	297418.00	ग्राम पंचायत	आरपीएस कॉलेज, स्टेशन रोड, चंद्रपुर
3	बोकारो	बी एन्ड के	चरकपनिया में हैंडपंप 4 नग की स्थापना।	20.05.2021	65206.00	ग्राम पंचायत	ग्राम-चरकपनिया, प्रखंड-नवाडीह, जिला-बोकारो
4	बोकारो	बी एन्ड के	पलामू पंचायत में तालाब को गहरा और जीर्णोद्धार	20.05.2021	281620.00	ग्राम पंचायत	ग्राम-छोटीकुडी, ब्लॉक-नवाडीह, जिला-बोकारो
5	बोकारो	बी एन्ड के	प्रखंड कार्यालय बेरमो में आरओ वाटर की स्थापना	20.05.2021	80690.00	ग्राम पंचायत	प्रखंड कार्यालय बेरमो, प्रखंड-बेरमो, जिला- बोकारो
6	रामगढ	बरका-सयाल	सौंदा बस्ती के 4 सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत	25.01.2021	403824.00	ग्राम पंचायत	सौंदा बस्ती, रामगढ़
7	हजारीबाग	बरका-सयाल	जो जो टोला में सरना स्थल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण - प्रावधान मार्च-22	19.10.2021	847238.31	ग्राम पंचायत	जोजो टोला, पोटंगा (हजारीबाग)
8	हजारीबाग	बरका-सयाल	उरीमारी पहाड़ी के समीप डीप बोरिंग एवं जलापूर्ति टंकी का निर्माण प्रावधान-मार्च-22	27.10.2021	669558.38	ग्राम पंचायत	उरीमारी पहाड़ी, उरीमारी (हजारीबाग)
9	हजारीबाग	बरका-सयाल	सरना तालाब हेसबेरा में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय सह स्नान गृह का निर्माण- प्रावधान मार्च-22		589699.96	ग्राम पंचायत	सरना तालाब, हेसबेरा उरीमारी (हजारीबाग)
10	रामगढ	सी.आर.सी. बरकाकाना	लालकिघासना एवं दुर्गी गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण	28.12.2021	19000.00	ग्राम पंचायत	लालकिधासन और दुर्गी
11	रामगढ	सी.आर.सी. बरकाकाना	मसमोहना गांव में कुएं की खुदाई	15.04.2021	356000.00	ग्राम पंचायत	मसमोहन
12	रामगढ	सी.आर.सी. बरकाकाना	पिरी गांव में कुएं की खुदाई	13.04.2021	31000.00	ग्राम पंचायत	पिरी, रामगढ़
13	रामगढ	सी.आर.सी. बरकाकाना	लालकिघासना गांव में कुएं की खुदाई	15.04.2021	356000.00	ग्राम पंचायत	लालकिधासन, रामगढ़
14	बोकारो	ढ़ोरी	सबमर्सिबल पंप के साथ डीप बोरिंग	30.06.2022	532368.00	ग्राम पंचायत	1.गिरिटोला ढोरी बस्ती 2. सिंगारबेड़ा ढोरी बस्ती
15	बोकारो	ढ़ोरी	अंगवाली हाई स्कूल, अंगवाली में ओवरहेड टैंक के साथ डीप बोरिंग और स्कूल में आरओ सिस्टम।	30.03.2022	6000.00	ग्राम पंचायत	अंगवाली हाई स्कूल अंगवाली
16	बोकारो	ढ़ोरी	सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण	31.03.2022	1007000.00	ग्राम पंचायत	तारमी और तंत्री (तोताडीह))
17	बोकारो	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र के सीएसआर योजना 2018-19 के तहत सचदेवा मांझी हाउस के पास परसाडीह तंत्री में छोटे ओह टैंक के साथ डीपबोरिंग।	31.03.2022	49759.00	ग्राम पंचायत	तंत्री
18	बोकारो	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र के सीएसआर योजना 18-19 के तहत मुंगो गांव में मुंगो, पूर्णतंद में तालाब का नवीनीकरण।	31.03.2022	73215.00	ग्राम पंचायत	मुंगो (छपरी)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
19	बोकारो	ढ़ोरी	ढोरी क्षेत्र के सीएसआर योजना 18-19 के तहत बिरनी गांव में पंचगरवा में तालाब का नवीनीकरण	31.03.2022	61114.00	ग्राम पंचायत	बिरनी
20	बोकारो	ढ़ोरी	पवन सिंह भूमि सिंगरबेड़ा ढोरी बस्ती में तालाब की खुदाई	30.06.2021	67258.00	ग्राम पंचायत	सिंगरबेड़ा
21	बोकारो	ढ़ोरी	टुरियो में कुएं की खुदाई	30.06.2021	42000.00	ग्राम पंचायत	टुरियो
22	बोकारो	ढ़ोरी	ढोरी भलमारा में कुएं की खुदाई	30.06.2021	38000.00	ग्राम पंचायत	भालमारा
23	बोकारो	ढ़ोरी	चपरी में कुएं की खुदाई	30.09.2021	19000.00	ग्राम पंचायत	छपरी
24	बोकारो	ढ़ोरी	तुरियो पुनर्वसन केंद्र में शौचालय का निर्माण	30.03.2021	18000.00	ग्राम पंचायत	टुरियो
25	बोकारो	ढ़ोरी	टुल्लू पुनर्वसन केंद्र में शौचालय का निर्माण	30.03.2022	274000.00	ग्राम पंचायत	टुरियो
26	रामगढ	हजारीबाग	तपिन नार्थ ओसीपी अंतर्गत फुटबॉल ग्राउंड पिण्डरा के समीप सामुदायिक शौचालय का निर्माण	31.03.2022	396349.62	ग्राम पंचायत	पिंडरा, रामगढ़
27	रामगढ	हजारीबाग	घाटो मोड, बांदाटाण्ड के निकट सबमर्सिबल पम्प एवं 1 पम्प रूम सहित डीप बोरिंग का निर्माण	04.05.2021	452824.00	ग्राम पंचायत	बंदाटांड , हजारीबाग
28	रामगढ & हजारीबाग	हजारीबाग	वाटर कूलर सह शोधक का वितरण	15.12.2021	518393.32	स्कूल प्रबंधन समिति	हजारीबाग
29	रामगढ & हजारीबाग	हजारीबाग	दस स्कूलों को गोद लेना और मॉडल स्कूल में बदलना	15.12.2021	349500.00	स्कूल प्रबंधन समिति	हजारीबाग
30	रामगढ	हजारीबाग	तापिन ओसीपी में तापिन पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	31.03.2022	689088.40	ग्रामपंचायत	तापिन, रामगढ़
31	रामगढ	हजारीबाग	14 मील में गहरी बोरिंग, इंद्र पंचायत	01.05.2022	497922.29	ग्रामपंचायत	इंद्रा, हजारीबाग
32	हजारीबाग	हजारीबाग	चौपारण, हजारीबाग में 30 बिस्तरों वाले कोविड वार्ड/देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए उपकरणों/दवाओं की खरीद।	04.12.2021	2031000.00	नव भारत जागृति केंद्र, ग्राम बहेरा, पोस्ट-वृंदावन, वाया-चौपारण, जिला-हजारीबाग	चौपारण, हजारीबाग, झारखंड
33	हजारीबाग	मुख्यालय	रांची जिले के अंगारा, बेरो और बुरमु प्रखंड के वंचित बच्चों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा	12.01.2022	496797.00	आर.के. मिशन, स्वामी विशुद्धानंद रोड, मोराबादी, रांची	अंगारा, बेड़ो एवं बुढ़मू ब्लॉक, रांची जिला
34	राँची	मुख्यालय	टीबी सेनेटोरियम, तुपुदना आर के मिशन में एक्स-रे मशीन एवं सेमी फाउलर बेड की व्यवस्था	25.03.2022	1014000.00	आर.के. मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना, रांची	टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना, रांची
35	राँची	मुख्यालय	बालूमाथ लातेहार में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सहित कल्याण अस्पताल, मनन छोटाग में बाल चिकित्सा आईसीयू, पाइप ऑक्सीजन समर्थित 25 बिस्तर की सुविधा की स्थापना	08.12.2021	9900000.00	प्रशासन लातेहार जिला	कल्याण अस्पताल, मनन छोटाग, बालूमाथ लातेहार

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
36	पलामू	मुख्यालय	बालूमाथ लातेहार में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सहित कल्याण अस्पताल, मनन छोटाग में बाल चिकित्सा आईसीयू, पाइप ऑक्सीजन समर्थित 25 बिस्तर की सुविधा की स्थापना	27.09.2021	8800000.00	प्रशासन लातेहार जिला	कल्याण अस्पताल, मनन छोटाग, बालूमाथ लातेहार
37	पलामू	मुख्यालय	कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन हेतु श्रीकृष्ण संस्थान के माध्यम से ग्राम-जोर्कट, जिला-पलामू, झारखंड में आईसीयू अस्पताल का निर्माण	27.09.2021	5000000.00	प्रशासन पलामू जिला	ग्राम-जोर्कट, जिला- पलामू, झारखंड
38	गिरिडीह	मुख्यालय	कोविड-19 के प्रबंधन और रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद - पलामू जिला	16.03.2022	6000000.00	प्रशासन गिरीडीह जिला	पलामू, झारखंड
39	बोकारो	मुख्यालय	कोविड अस्पताल/कोविड केयर सेंटर, गिरिडीह के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद	26.03.2022	9307078.00	प्रशासन बोकारो जिला	सेक्टर- VI, बोकारो स्टील सिटी
40	टंडवा	मुख्यालय	कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर-V में 150 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल की स्थापना	28.03.2022	3734375.00	प्रशासन चतरा जिला	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टंडवा, चतरा
41	चतरा	मुख्यालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टंडवा, चतरा में ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना	31.03.2022	4500000.00	प्रशासन चतरा जिला	सदर अस्पताल, चतरा
42	लातेहार	मुख्यालय	लातेहार जिले के सदर अस्पताल में आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) की स्थापना	08.12.2021	8845419.00	प्रशासन लातेहार जिला	सदर अस्पताल, लातेहार जिला
43	पलामू	मुख्यालय	सीसीएल की सीएसआर योजना के तहत सीसीएल की सीएसआर योजना के तहत पलामू जिले में (30 नंबर) हैंडपंपों की स्थापना	28.10.2021	3114090.00	प्रशासन पलामू जिला	पलामू जिला
44	गढ़वा	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के माध्यम से गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हैंडपंपों की स्थापना	30.03.2022	2344144.00	प्रशासन गढ़वा जिला	गढ़वा जिला
45	राँची	मुख्यालय	राँची जिले में 2 सीएचसी पर समर्पित कोविड देखभाल इकाइयों के लिए 200 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के साथ कई गुना स्थापना।	25.03.2022	11260000.00	प्रशासन रांची जिला	ओरमांझी और सोनाहातु सीएचसी, रांची जिला
46	बोकारो	मुख्यालय	500 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 200 केवीए, ट्रांसफार्मर और 250 केवीए साइलेंट डी.जी. सीसीएल के सीएसआर के तहत कोविड-19 केयर सेंटर, सेक्टर-6, बोकारो" में स्थापित	26.03.2022	8600000.00	प्रशासन बोकारो जिला	सेक्टर-6, बोकारो

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
47	लोहरदगा	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत लोहरदगा जिले में सीएचसी सेहना, सीएचसी भांद्रा और पीएचसी चिरी में कोविड केयर सेंटर के अंदर कई गुना ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए पीएचसी चिरी में 250 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट और सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना।	31.03.2022	8280000.00	प्रशासन लोहरदगा, जिला	लोहरदगा जिले में सीएचसी सेन्हा, सीएचसी भंडरा और पीएचसी चिरी
48	बोकारो	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत बोकारो जिले में उप-मंडल अस्पताल, बेरमो के अंदर ऑक्सीजन हस्तांतरण के लिए कई गुना (30 बिस्तरों का समर्थन) और 200 केवीए मूक डीजी सेट के साथ केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना	26.03.2022	1144437.00	प्रशासन बोकारो जिला	अनुमंडल अस्पताल, बेरमो जिला बोकारो
49	गिरिडीह	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत गिरिडीह जिले में स्थापित किए जा रहे 1000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट में 250 केवीए साइलेंट जनरेटर की खरीद और स्थापना।	14.02.2022	1910000.00	प्रशासन गिरीडीह जिला	गिरिडीह जिला
50	रामगढ	मुख्यालय	कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), मांडू, रामगढ़ में मॉडल नर्सरी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना	31.03.2022	1237000.00	केवीके,रामगढ़,मांडू ग्राम	मांडू, रामगढ़
51	चतरा	मुख्यालय	परियोजना पहल - चतरा जिले के 30 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना	28.03.2022	4120000.00	चतरा में 30 सरकारी स्कूल के स्कूल प्रशासन	चतरा जिला
52	बोकारो	कथारा	सादाम पश्चिम में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा से संचालित समरसिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	15.09.2021	538000.00	ग्राम पंचायत, सदाम वेस्ट	सदाम वेस्ट
53	बोकारो	कथारा	झोपड़पट्टी में 4 डीप बोरिंग, कथारा	06.06.2021	221000.00	ग्रामपंचायत कथरा , पंचयत	झोपड़पट्टी, कथारा 4 नं.
54	बोकारो	कथारा	कथारा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न चिकित्सा शिविरों के लिए कुर्सी, मेज एवं बेंच की व्यवस्था।	24.02.2022	68000.00	ग्राम पंचायत चंपी	चंपी पंचायत के पास
55	बोकारो	कथारा	रविदास टोला, गोमिया में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा से संचालित समरसिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	06.12.2021	538000.00	ग्रामपंचायत गोमिया	रविदास टोला, गोमिया
56	बोकारो	कथारा	कथारा हाई स्कूल, कथारा में 2 कक्षाओं का निर्माण	21.12.2021	792000.00	प्राचार्य, कथारा हाई स्कूल, कथारा	कथारा हाई स्कूल, कथारा
57	बोकारो	कथारा	यादव टोला, झिरकी में सामुदायिक शौचालय	21.12.2021	349000.00	ग्राम पंचायत झिरकी	यादव टोला, झिरकी
58	बोकारो	कथारा	सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना।	15.03.2022	44000.00	कौशल विकास केंद्र, जरांगडीह	कौशल विकास केंद्र, जारंगडीह

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
59	बोकारो	कथारा	योग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	15.03.2022	44000.00	कौशल विकास केंद्र, जरांगडीह	कौशल विकास केंद्र, जारांगडीह
60	बोकारो	कथारा	कथारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी और अलमारी आदि का वितरण	25.03.2022	123000.00	विभिन्न स्कूलों मे	बोकारो जिले के विभिन्न स्कूल
61	बोकारो	कथारा	विभिन्न विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर का वितरण	25.03.2022	40000.00	विभिन्न स्कूलों मे	बोकारो जिले के विभिन्न स्कूल
62	रामगढ	कुजू	एकेआर इंटरनेशनल स्कूल, हुवाग, बालसागरा में हैंडपंप की स्थापना।	18.08.2021	73800.00	एसएमसी, एकेआर इंटरनेशनल स्कूल	बलसगरा
63	रामगढ	कुजू	सरना स्थल में हैंडपंप की स्थापना	25.05.2022	79000.00	ग्राम पंचायत कर्मा नॉर्थ	कर्मा नॉर्थ
64	रामगढ	कुजू	सीसीएल के आसपास के क्षेत्रों में तालाब का नवीनीकरण/निर्माण	10.09.2022	1469700.00	ग्राम पंचायत मंडुडीह	मांडूडीह
65	रामगढ	कुजू	चैनपुर सरुबेरा में मैरिज हॉल का निर्माण।	12.10.2022	361500.00	ग्राम पंचायत चैनपुर	चैनपुर
66	रामगढ	कुजू	पब्लिक हाई स्कूल कुजू में हैंडपंप की स्थापना	25.06.2022	77600.00	एसएमसी, पब्लिक हाई स्कूल कुजू	कुजू ईस्ट
67	रामगढ	कुजू	रघुनंदन ठाकुर सरयोयदय उच्च विद्यालय कुजू में हैंडपंप की स्थापना।	27.06.2022	77600.00	एसएमसी, सर्वोदय हाई स्कूल	कुजू वेस्ट
68	रामगढ	कुजू	मुरपा कब्रिस्तान, कुजू में हैंडपंप की स्थापना	28.06.2022	77600.00	ग्राम पंचायत कुजू पूरब	कुजू ईस्ट
69	रामगढ	कुजू	कुजू कब्रिस्तान, कुजू में हैंडपंप की स्थापना	28.06.2022	77600.00	ग्राम पंचायत कुजू पूरब	कुजू ईस्ट
70	रामगढ	कुजू	एसएस मंदिर कुजू कोलियरी और बाल विद्या मंदिर, आरा, एसएस मंदिर कुंदरिया, सरुबेरा, गर्ल्स स्कूल कुजू को बेंच डेस्क का वितरण	20.03.2022	346800.00	सभी स्कूल की एसएमसी।	कुजू क्षेत्र
71	रामगढ	कुजू	सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/मुख्यालयों में पीने के पानी के लिए गहरे बोर-कुओं का निर्माण प्रत्येक के साथ सौर ऊर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप सेट, पंप हाउस, री-चार्ज पिट आदि	20.02.2022 & 30.03.2022	1368600.00	ग्राम पंचायत हेसागढ़ा और चैनपुर	कुजू क्षेत्र
72	रामगढ	कुजू	आदर्श बिरसा उच्च विद्यालय, चैनपुर में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण।	16.02.2022	178000.00	एसएमसी, आदर्श बिरसा उच्च विद्यालय	चैनपुर
73	चतरा	एम एन्ड ए	रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा संचालित डीपबोरवेल का निर्माण	30.03.2021	3728296.24	परियोजना से प्रभावित ग्रामीण	शिवपुर-1, हांडू-1, प्रसन्ना-1, पोकला-1, होन्हे-1, कुमरंग खुर्द-1, गोरवार-1, कुंडी-1, देवलगड़ा-1 गांव, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, चमातू-3, ग्राम- प्रखंड बालूमाथ , जिला- लातेहार, फूलबसिया-1, प्रखंड-बरियातू, जिला- लातेहार.

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र	जिला का नाम	क्षेत्र का नाम	क्रिया-कलाप का नाम	पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूँजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि	इकाई/ सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि का विवरण	सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
74	चतरा	एम एन्ड ए	सीसीएल सीएसआर के तहत मगध-संघमित्र क्षेत्र के संबंध में 03(तीन) नग रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा डीप-बोर-वेल का निर्माण।	31.03.2022	1901177.86	परियोजना से प्रभावित ग्रामीण	बनालत-1, प्रखंड-बरियातू, जिला-चतरा, सरधु-1, नवाटांड-1, प्रखंड-टंडवा, जिला-चतरा
75	चतरा	एम एन्ड ए	सीसीएल सीएसआर के तहत आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र के संबंध में रिचार्ज पिट के साथ 02(दो) नग सौर ऊर्जा गहरे बोरवेल का निर्माण।	31.03.2022	977579.67	परियोजना से प्रभावित ग्रामीण	पचड़ा -2, ब्लॉक-केरेडारी , जिला- हजारीबाग
76	चतरा	एम एन्ड ए	चट्टी पेटो, एसी क्षेत्र में पीसीसी रोड और शमसान घाट का निर्माण	04.02.2022	1025604.12	परियोजना से प्रभावित ग्रामीण	चट्टी पेटो, ब्लॉक-केरेडारी, जिला- हजारीबाग
77	राँची	एन. के	एनके क्षेत्र डकरा की चार अलग-अलग पंचायतों में 4 आरओ प्लांट का निर्माण	31.03.2022	3476714.00	प्रखंड प्रशासन, खलारी	अंचल अधिकारी का कार्यालय , खलारी, रांची
78	राँची	एन. के	कमला सैकरेरियम स्कूल, रोहिणी में 03 लड़कों और 03 लड़कियों के शौचालय का निर्माण	31.01.2022	700000.00	प्राचार्य, कमला सैक्रारियम स्कूल	कमला सेक्रेरियम स्कूल, तुमंग, खेलारी, रांची
79	राँची	एन. के	कुटकी गांव में दीप बोरिंग	14.10.2021	823103.00	पंचायत प्रतिनिधि	कुटकी गांव, बेंटी, टंडवा, चतरा
80	राँची	एन. के	पंचायत सचिवालय के पास कुएं की खुदाई	22.01.2022	499246.00	पंचायत प्रतिनिधि	पंचायत सचिवालय के पास। खलारी पंचायत, खलारी, रांची 829210
81	राँची	एन. के	पेटपेट में सरस्वती विद्या मंदिर के पास कुएं की खुदाई	31.01.2022	82662.20	पंचायत प्रतिनिधि	पेटपेट, तुमांग, खलारी, रांची
82	चतरा	पिपरवार	ग्राम चिरैयाटांड़ में चिरैयाटांड से देवी मंडप तक पीसीसी सड़क का निर्माण	29.05.2021	675590.00	किचतो पंचायत	चिरैयाटांड, किचतो पंचायत, चतरा जिला
83	चतरा	पिपरवार	सीएसआर गतिविधियों 2019-20 . के तहत बेंटी गांव में नेहरू आदर्श विद्यालय के लिए पुस्तकालय का निर्माण	14.02.2022	404508.97	प्राचार्य, नेहरू आदर्श विद्यालय, बेंती पंचायत	पुस्तकालय उद्देश्य के लिए बनाया गया 1 कमरा और नेहरू आदर्श विद्यालय, बेंटी पंचायत को सौंप दिया गया
84	लातेहार	रजहरा	सीएसआर योजना के तहत टीटीके ओसीपी में सोमा उरांव और फुल्लो मासोमैट के घर के पास दोकनही में कुआं (3.0 मीटर व्यास और 11.40 मीटर गहरा) की खुदाई		380262.00	ग्राम पंचायत	दोकनही, लातेहार
85	लातेहार	रजहरा	सबमर्सिबल पंप सौर ऊर्जा पम्पिंग सहित 6 गहरे बोरवेल का निर्माण		291915.00	ग्राम पंचायत	लातेहार
86	लातेहार	रजहरा	राजहरा क्षेत्र के अंतर्गत टीटीके ओसीपी में पिंडारकोम गांव और अन्य स्थानों पर हैंडपंप (05 नंबर) उपलब्ध कराना और लगाना		262580.00	ग्राम पंचायत	पिंडारकोम गांव, लातेहार
87	रामगढ	रजरप्पा	सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना	02.06.2021	63600.00	ग्रामपंचायत,दक्षिणी चितरपुर,पंचायत	ग्राम: छोटापुर प्रखंडः दक्षिणी चित्तरपुर पंचायत, रामगढ़
88	रामगढ	रजरप्पा	सामुदायिक शौचालय का निर्माण रजरप्पा		41746.64	छिन्नमस्तिका मंदिर समिति	रजरप्पा, झारखंड

11. धारा 135(5) के अनुसार, यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसका कारण निर्दिष्ट करें:

निम्नलिखित कारणों से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 15.30 करोड़ का शॉर्टफॉल रहा:

1. जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्रों का कार्यान्वयन न होना/प्राप्त न होना।
2. कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी।
3. फरवरी और मार्च 2022 में संस्थानों को फिर से खोले जाने के बाद से शैक्षिक / प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित परियोजनाओं में हुआ विलंब।
4. 4. कुछ क्षेत्र स्तरीय परियोजनाओं को बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध की शर्तों को स्वीकार न करने, अनुबंधों को रद्द करने और पुनर्निविदा के कारण लागु नहीं किया जा सका। जिसके कारण अतिरिक्त समय लग रहा है।

ह/-	ह/-	ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति]

अनुलग्नक –XII

फॉर्म क्रमांक एओसी- 2

(कंपनी (एकाउंट्स) नियम 2014 के नियम 8 (2) और अधिनियम के धारा 134 का उप-धारा (3) के धारा (एच) के अनुसरण में)

कंपनी के करार/अनुबंधों के विवरणों के प्रकटीकरण के प्रपत्र, जो कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ डाले गए हैं, जिनका सन्दर्भ कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 188 के उप-धारा (1) में है जिसमे तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निष्पक्ष लेन-देन शामिल है।

वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन-देन की प्रविष्टी पार्टियों के साथ निष्पक्ष आधार पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है।

अनुलग्नक – XIII

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वर्ष 2021-22 की वितीय प्रदर्शन एवं स्थिति पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू) के अनुसरण में, कंपनीज (एकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए,)

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.), एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रोमोटर के नाम	शेयरधारिता पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रूपए है।

जेसीआरएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

1. झारखंड सेंट्रल रेलवे को 31.08.2015 में सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजना जेसीआरएल को सौंपा गया।

- शिवपुर-कठोटिया नई बीजी रेल लाइन-संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बैंकेबिलिटी रिपोर्ट के लिए।

  जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उद्यम जेसीआरएल के माध्यम से शुरू की जाने वाली शिवपुर-कठौटिया नई लाइन परियोजना के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कठौतिया (चेनेज 0.00) से शिवपुर (चेनेज 49.085) तक की कुल लंबाई 49.085 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने 13 जून 2018 को 49.085 किमी की चार्जेबल दूरी पर 60% के बढ़े हुए माइलेज को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। जेसीआरएल और पु. म. रेलवे के बीच 04-12-2018 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है। एमओईएफ द्वारा 19 जून 2019 को स्टेज- I वानिकी मंजूरी दी गई है। वन भूमि के व्यपवर्तन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है क्योंकि सीए, एनपीवी और वन्य जीवन योजना की राशि जेसीआरएल द्वारा राज्य सरकार को जमा कर दी गई है। वन विभाग से कार्य करने की अनुमति सितम्बर 2021 में प्राप्त की गयी है। पीकेजी-I (109.3 करोड़ रुपये राशि की ई/डब्ल्यू और छोटे पुल) और पीकेजी-IV (128.65 करोड़ रुपये के ई/डब्ल्यू और छोटे पुल) का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। पीकेजी-V (प्रमुख पुल) और पीकेजी-VI (प्रमुख पुल) के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2021 -22 के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूँजी रु. 500.0 करोड़ थी।

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2022 तक		31.03.2021 को	
	शेयरों की संख्या (प्रति 10 रू का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (प्रति 10 रू का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का %
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	73.67	6,46,31,232	73.67
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,30,00,000	14.82	1,30,00,000	14.82
झारखंड सरकार	1,00,98,630	11.51	1,00,98,630	11.51
कुल	8,77,29,862	100.00	8,77,29,862	100.00

क. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1 जनवरी 2020 के पत्र संख्या इरकॉन/फिन/सीओ/जेसीआरएल/13 दिनांक के तहत इरकॉन के शेयर के खिलाफ 31.12.2019 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 50 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

ख. झारखंड सरकार ने 24.02.2021 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में झारखंड सरकार के हिस्से के खिलाफ 5,00,00,000.00/- रुपये जमा किए हैं।

ग. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 27.10.2021 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 134 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

घ. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 06.11.2021 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 136.59 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

ङ. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 04.12.2021 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 10.31 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

च. झारखंड सरकार ने 05.01.2022 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 20 करोड़ रुपये जमा किए हैं

2. सारांशित तुलन पत्र :

विवरण	31.03.2022 को (रुपये लाख में)	31.03.2021 को (रुपये लाख में)
इक्विटी और देनदारियां		
इक्विटी शेयर पूँजी	8,772.99	8,772.99
इक्विटी स्वरुप में पूर्ण साधन	35,589.96	—
अन्य इक्विटी	514.39	312.644
कंपनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य इक्विटी	44,877.34	9,085.63
गैर-नियंत्रित ब्याज	—	—
कुल इक्विटी (ए)	**44,877.34**	**9,085.63**
गैर मौजूदा देनदारियों	—	—
(क) वित्तीय देयताएँ	—	—
(i) उधार		
(ii) व्यापार देय		
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ		
(ख) प्रावधान	—	—
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	—	13,658.86
उप-कुल गैर-वर्तमान देयताएँ (बी)	—	**13,658.86**
वर्तमान देनदारियां		
(क) वित्तीय देयताएँ		
(i) उधार		5,500.00
(ii) व्यापार देय	239.15	0.59
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	—	—
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	6.25	—
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	4.79	—
प्रावधानों	—	—
वर्तमान कर देयताएँ (निवल)	20.29	—
उप-कुल-वर्तमान देयताएँ (सी)	**270.48**	**5,500.59**
कुल-इक्विटी और देयताएँ (ए+बी+सी)	**45,147.82**	**28,245.08**
परिसंपत्ति		
गैर वर्तमान परिसंपत्ति		
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.55	2.92
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	26,090.19	25,283.35
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति	—	—
(घ) अमूर्त परिसंपत्ति	—	—
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	—	—
(च) निवेश परिसंपत्ति	—	—

विवरण	31.03.2022 को (रुपये लाख में)	31.03.2021 को (रुपये लाख में)
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति		
(ज) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	0.10	0.08
(झ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	613.49	1.50
उप-कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**26,706.33**	**25,287.85**
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	18,383.34	2,935.29
सूची	—	—
अन्य वर्तमान देयताएँ	58.15	18.04
वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)	—	3.90
उप-कुल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	**18,441.49**	**2,957.23**
कुल परिसम्पत्तियाँ	**45,147.82**	**28,245.08**

3. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी ढांचा इस प्रकार है:

निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत शेयर पूँजी

अंशधारकगण	शेयर की संख्या	दर	राशि (रूपए में)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	रू 10/- प्रत्येक	64,63,12,320/-
इरकॉन	1,30,00,000	रू 10/- प्रत्येक	13,00,00,000/-
झारखंड सरकार	1,00,98,630	रू 10/- प्रत्येक	10,09,86,300/-
कुल प्रदत इक्विटी शेयर पूँजी			87,72,98,620/-

4. जेसीआरएल ने, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष में अर्जित 128.42 लाख के निवल लाभ के मुकाबले 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 201.75 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है।

अनुलग्नक – XIV

फॉर्म क्रमांक एमजीटी - 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में
कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) एवं कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

I.	सी.आइ.एन.	U10200JH1956GOI000581
II.	पंजीकरण दिनांक	05 सितम्बर, 1956
III.	कंपनी का नाम	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
IV.	कंपनी की श्रेणी	निजी कंपनी
V.	कंपनी की उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी शेयर आधारित कंपनी शेयर पूँजी आधारित कंपनी
VI.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, रांची - 834 029 झारखण्ड
VII.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
VIII	रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि हो तो	लागु नहीं

II. कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्न ओवर के 10% या अधिक में योगदान करने वाली सभी क्रिया कलापों को दर्ज किया जाएगा

क्र.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआइसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1	कोयला खनन	051.05101 तथा 051.05102	100%

III. नियंत्रण, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्र.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रण/अनुषंगी /सहयोगी	धारित शेयर का प्रतिशत	लागु सेक्शन
1.	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रीमाइस सं..04 एम.ए.आर.ए प्लाट सं. - एएफ -III, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700156, ईमेल आईडी mviswanathan2@ coalindia.in	L23109WB1973GOI028844	नियंत्रण	100	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(46)
2.	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची - 834029, झारखंड	U45201JH2015GOI003139	संयुक्त उद्यम	64.00	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)

IV. अंशधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत में इक्विटी शेयर पूँजी का ब्रेक-अप)

i. श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारक की श्रेणी	वर्ष के शुरूआत में शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	फिजीकल	कुल	कुल शेयर का %	
ए प्रोमोटर का									
1. भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	3	—	3	0.0001%	3	—	3	0.0001%	शून्य
(ख) केन्द्रीय सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(घ) निकाय निगम	93,99,997	—	93,99,997	99.9999%	93,99,997	—	93,99,997	99.9999%	शून्य
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप -योग (ए)(1)	94,00,000	—	94,00,000	100%	94,00,000	—	94,00,000	100%	शून्य
2. विदेशी									
(छ) एनआरआई-व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) अन्य-व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) निकाय-निगम.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ट) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (ए)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी. पब्लिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ङ) उद्यम पूँजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(च) बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप-योग (बी)(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गैर-संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क) निकाय-निगम. (i) भारतीय (ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत (i) हर-एक अंशधारक द्वारा रू. 1 लाख तक रखे गए आंशिक शेयर पूँजी (ii)हर-एक अंशधारकों द्वारा रू.1 लाख से अधिक के रखे गए आंशिक शेयर पूँजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप-योग (बी)(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पब्लिक अंशधारक (बी)=(बी)(1)+ (बी)(2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में रखे गए शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुलयोग (ए+बी+सी)	**94,00,000**	–	**94,00,000**	**100%**	**94,00,000**	–	**94,00,000**	**100%**	**शून्य**

ii. प्रमोटरों की अंशधारिता

क्र.	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में रेहन/भारित शेयरों शेयरों का प्रतिशत	
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	93,99,997	99.9999%	शून्य	93,99,997	99.9999%	शून्य	शून्य
2.	श्री प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष-सीआईएल	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
3.	श्री पी. एम. प्रसाद	1	0.00033%	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
5.	श्री बिनय दयाल	1	0.00033%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री विनय रंजन	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.00033%	शून्य	शून्य
	कुल	94,00,000	100%	शून्य	94,00,000	100%	शून्य	शून्य

iii. प्रमोटरों की शेयर धारण में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

क्र.		वर्ष के आरम्भ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर होल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में	93,99,997	99.9999%	93,99,997	99.9999%

iv. शीर्षस्थ दस अंशधारकों के शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारक के अलावा)

क्र.	शीर्षस्थ 10 अंशधारकों हेतु प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (दिनांक 01.04.2021 को)		वर्ष के अंत में शेयर धारण (दिनांक 31.03.2022 को)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात) आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा धारित शेयरः 01.02.2020 से प्रभावी			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%

v. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयर धारण

क्र.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (01.04.2021 को)		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण (2021-2022)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री पी.एम. प्रसादः (01.09.2020 को सीएमडी के रूप में नियुक्त) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थातद्ध आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
2.	श्री बिनय दयालः (11.02.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त, 05.08.2021 को प्रभार त्याग दिया) निदेशक (तक.), सीआईएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.00033%	1	0.00033%
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि				
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री विनय रंजन,: (05.08.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त) निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि				
	वर्ष के अंत में	1	0.00033%	1	0.00033%
4.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, (30.06.2021 को सेवानिवृत्त) निदेशक (वित्त), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री विनय रंजन, (23.07.2021 को प्रभार त्याग दिया) निदेशक: (कार्मिक), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री वी. के श्रीवास्तव, निदेशक (तक.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (31.10.2021 को सेवानिवृत्त)				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण (01.04.2021 को)		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण (2021-2022)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
7.	श्री भोला सिंह, (31.12.2021 को प्रभार त्याग दिया) निदेशक (तक.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्री के.आर. वासुदेवन, अतिरिक्त प्रभार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड निदेशक (वित्त),				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	श्री एस.के. गोमस्ता, अतिरिक्त प्रभार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड निदेशक (तकनीकी)				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात: आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (कार्मिक) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (24.07.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थातद्ध आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	श्री रवि प्रकाश, (13.07.2017 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति), कंपनी सचिव, सीसीएल				
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयर धारण में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थातद्ध आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि	—			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vi. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्राद्यभूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है।

विवरण	बकाया के अलावे सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	—	—	—	—
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	—	—	—	—
(iii) प्रोद्यूत ब्याज कितु जो देय नहीं	—	—	—	—
कुल (i+ii+iii)	—	—	—	—
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	—	—	—	—
– वृद्धि	—	—	—	—
– कमी	—	—	—	—
निवल परिवर्तन	—	—	—	—
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	—	—	—	—
(i) मूलधन राशि	—	—	—	—
(ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया	—	—	—	—
(iii) प्रोद्यूत ब्याज कितु जो देय नहीं	—	—	—	—
कुल (i+ii+iii)	—	—	—	—

vii. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि (रु)
		श्री पी.एम. प्रसाद सीएमडी 01.09.2020 को नियुक्त हुए	श्री एन. के.अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 30.06.2021 को सेवानिवृत्त	श्री वी. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तक./ संचा.) 31.10..2021 को सेवानिवृत्त	श्री भोला सिंह, निदेशक (तक. / परि. एवं यो.) 31.12.2021 को पदभार छोड़ा गया	
1.	सकल वेतन	67,14,364.33	47,71,523.64	73,96,600.32	37,87,026.68	2,26,69,514.97
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	55,93,498.64	24,83,282.43	48,23,003.07	32,76,908.86	1,61,76,693.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	7,06,591.69	1,78,389.11	3,42,012.25	1,98,113.70	14,25,106.75
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	—	—	—	—	—
2.	स्टॉक का विकल्प	—	—	—	—	—
3.	स्वेट इक्विटी	—	—	—	—	—
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में	—	—	—	—	—
5.	अन्य कृप्या स्पष्ट करें (ग्रेच्युटी)	—	—	—	—	—

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण						
1.	स्वतंत्र निदेशक:	श्री सुभाउ कश्यप (13.12.2018 से 12.12.2021 तक)	श्री हरबंस सिंह (नियुक्ति 10.07.2019 को)	श्री शिव अरोड़ा (नियुक्ति 10.07.2019 को)	श्रीमती जाजुला गौरी (नियुक्ति 10.07.2019 को)	श्री रमेश कुमार सोनी (नियुक्ति 01.11.2021 को)	कुल राशि (रु)
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	400000	620000	300000	540000	200000	20,60,000.00
	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)	**400000**	**620000**	**300000**	**540000**	**200000**	**20,60,000.00**
2.	अन्य अप्रशासकीय निदेशक	Ms. Santosh (Appointed on 03.01.2022)	अन्य अप्रशासकीय निदेशक	श्री विनय रंजन (05.08.2021 को नियुक्त)	श्री बिनय दयाल (11.02.2021 को नियुक्त 05.08.2021 प्रभार से मुक्त)	-	
	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक					कुल राशि (रु)
		श्री पी.एम. प्रसाद सीएमडी, 01.09.20 को नियुक्त	श्री एन. के.अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 30.06.2021 को सेवानिवृत्त	श्री जय प्रकाश विश्वकर्मा सीएफओ 04.08.2021 से 31.12.2021	श्री राजेंद्र सिंह, सीएफओ 01.01.2021 से	(रवि प्रकाश) सीएस	
1.	सकल वेतन	67,14,364.33	47,71,523.64	18.40.887 80	10,88,763.48	20,33,584.58	1.64,49.123.83
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	55,93,498.64	24,83,282.43	18.40.887 80	10,88,763.48	18,08,923.58	1,28.15.355.93
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में अधीन अनुलाभ का मूल्य	7,06,591.69	1,78,389.11	0.00	0.00	82,240.00	9.67.220.80
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में अधीन वेतन के बदले लाभ	—	—	—	—	—	0.00
2.	स्टॉक का विकल्प	—	—	—	—	—	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	—	—	—	—	—	0.00
4.	कमीशन	—	—	—	—	—	0.00
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	—	—	—	—	—	0.00
	- अन्य स्पष्ट करें	—	—	—	—	—	0.00
5.	अन्य कृप्या स्पष्ट करें	—	—	—	—	—	0.00

viii. जुर्माना/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाया गया संयुक्त शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना			कुछ नहीं		
दंड					
समझौता					
ख. निदेशकगण					
जुर्माना			कुछ नहीं		
दंड					
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारीगण					
जुर्माना			कुछ नहीं		
दंड					
समझौता					

अनुलग्नक – XV

धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के

सेवा में,
निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची।

विषयः धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, रमेश कुमार सोनी, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचीत कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागु प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्द्वारा प्रमाणित करता हूँः

क. मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

ख. मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

ग. मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था;

घ. विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है या था;

ङ. न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी -

- i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहे हैं।
- ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में-
  - ए. कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहे है;या
  - बी. किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;
- iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या
- iv. किसी ऐसे गैर-लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

च. कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय

ह/-
(रमेश कुमार सोनी)
निदेशक
डीआइएनः 09399355

दिनांक: 15-05-2021
स्थान: जगदलपुर, छ.ग

अनुलग्नक – XV

धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के

सेवा में,
निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची।

विषयः धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, हरबंस सिंह, एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचीत कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागु प्रावधान के मानदंडों को पूरा करता हूँ। मैं एदद्द्वारा प्रमाणित करता हूँः

क. मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

ख. मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

ग. मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था;

घ. विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है या था;

ङ. न तो मैं न ही मेरा कोई संबंधी -

i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहे हैं।

ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में-

क. कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहे है;या

ख. किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;

iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या

iv. किसी ऐसे गैर-लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

f. च. कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद

भवदीय

दिनांक: 29-04-2022
स्थान: फरीदाबाद

ह/-
(हरबंस सिंह)
निदेशक
डीआइएनः 07557135

अनुलग्नक – XV

धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

(कंम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(डी) के

सेवा में,
निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस
राँची।

विषयः धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत घोषणा

मैं, जाजुला गौरी, एतदद्वारा यह प्रमाणित करती हूँ कि मै अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में सेंट्रल कोलफीड्स लिमिटेड में पदस्थापित हूँ तथा स्वतंत्र निदेशक हेतु अधिसूचीत कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 49 में उल्लिखित लिस्टिंग एकरारनामा और लागु प्रावधान के मानदंडों को पूरा करती हूँ। मैं एदद्द्वारा प्रमाणित करती हूँः

क. मैं कंपनी या नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी का प्रोमोटर नहीं हूँ;

ख. मैं कंपनी, उसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के प्रोमोटर्स या निदेशक से संबंधित नहीं हूँ;

ग. मेरा, कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के साथ पिछले दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध नहीं है/था;

घ. विगत दो तात्कालिक वित्तीय वर्षों या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी संबंधी का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकगणों के साथ इसके सकल कारोबार के कुल 2 प्रतिशत या ज्यादा या 50 लाख की कुल आय या अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जाए, दोनों में से जो भी कम हो, के साथ किसी तरह की कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है या था;

ङ. न तो मैं न ही मेरी कोई संबंधी

- i. कंपनी या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी में विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कर्मचारी के रूप में पदस्थापित हैं/रहे हैं।
- ii. किसी भी इस वित्तीय वर्ष से विगत तीन तात्कालिक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी या मालिक या पार्टनर के रूप में-
  - क. कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के अंकेक्षण फर्म या कार्यरत कंपनी सचिव या लागत अंकेक्षक है/रहे है;या
  - ख. किसी विधिक या परामर्शदायी फर्म के साथ है/रहा है जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा का सकल कारोबार हो;
- iii. अपने संबंधियों को मिलाकर कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 2 प्रतिशत या उससे अधिक रखता है, या
- iv. किसी ऐसे गैर-लाभकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी या निदेशक, या जिस नाम से उन्हे जाना जाए, जो कंपनी, इसके किसी प्रमोटर, निदेशकगण या इसकी नियंत्रक, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी, जो कि कंपनी के सकल मतदान अधिकार का 2 प्रतिशत या उससे ज्यादा रखती है, से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की पावती प्राप्त करती है; या

च. कंपनी (नियुक्ति एवं निदेशकों की आहर्ता) नियम, 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत विहित निर्धारित आहर्ता धारण करता हो।

सधन्यवाद,

भवदीय

ह/-
(जाजुला गौरी)
निदेशक
डीआइएनः 08543068

दिनांक: 29-04-2022
स्थान: हैदराबाद, तेलंगाना

अनुलग्नक – XVI

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

क. उद्योग संरचना और विकास

कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत

कोयला, भारत के प्रमुख ईंधनों में से एक है। भारत के कुल ईंधन उत्पादन में कोयले का योगदान 70% है तथा यह भविष्य में भी ऊर्जा आवश्यकता का भी प्रमुख स्रोत बना रहेगा। अभी विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है जहां 3942 मिलियन टन (2021) का उत्पादन हुआ तथा दूसरे स्थान पर भारत है जहां 767 मिलियन टन(2021) कोयले का उत्पादन किया गया।

भारत का प्रचुरतम जीवाश्म ईंधन होने के कारण, कोयला, घरेलू ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है तथा भविष्य में भी ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है। भारत की कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं में से 45% आपूर्ति कोयले से की जाती है।

दिनांक 01.04.2021 को सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत भूगर्भीय कोयला भंडार

(मिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	प्रमाणित	प्रदर्शित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8508.1	9296.13	1643.48	19447.71
नन कोकिंग	16580.12	6530.88	2839.07	25950.07
कुल	25088.22	15827.01	4482.55	45397.78

भारत में प्राक्कलित 344.02 मिलियन टन भूगर्भीय कोयले में से, दिनांक 01.04.2021 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत 45.397 बिलियन टन कोयला है, जो भारत के सकल कोयला भंडार का 12.89% है।

कोयले की मांग:

वर्ष 2022-23 में कोयले की मांग निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

खंडवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन)

प्रक्षेत्र	2021-22
स्टील (कोकिंग)	एमओयू अनुसार
विद्युत (यु)	63.41
विद्युत (स्वपयोगी)	1.3
सीमेंट	0.12
डीआरआई स्टील	0.75
अन्य	2.81
कुल	68.39

कोयला प्रेषण

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रक्षेत्रवार कोयले का प्रेषण 72.04 मिलियन टन रहा है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रक्षेत्र	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक
विद्युत	45.55	49.589	52.378	53.134	52.896	59.17
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	2.639	2.027	1.600	1.961	1.236	1.477
उर्वरक	0.221	0.148	0.087	0.143	0.13	0.115
अन्य*	12.165	17.080	14.611	12.883	11.006	11.28
कुल	60.575	68.844	68.677	68.121	65.268	72.04

* अन्य के अंतर्गत ई-नीलामी,पूर्व गैर-केन्द्रीय उपभोक्ता, स्पंज आयरन तथा राज्य एजेंसियां सम्मिलित है।

कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीएल द्वारा वास्तविक कोयला उत्पादन, वर्ष 2022-23 के लिए ड्राफ्ट एएपी के अनुसार मौजूदा खदानों, पूर्ण परियोजनाएं, चालू परियोजनाओं एवं भावी परियोजनाओं से बजटीय उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन)

समूह	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 ड्राफ्ट (एएपी)
वर्तमान खदान	0.662	0.302	0.367	0.4789	0.18	0.146	0.170
पूर्ण परियोजनाएं	42.630	40.450	42.107	36.0946	31.89	11.269	14.380
चालू परियोजनाएं	23.755	22.653	26.247	30.315	30.52	57.436	61.250
आगामी परियोजनाऐं	-	-	-	-	-	-	0.200
योग	67.047	63.405	68.72	66.889	62.59	68.850	76.000

* नोट: समूहवार उत्पादन स्थिति में बदलाव आ सकता है यदि कोई चालू परियोजना पूर्ण परियोजना में तथा भावी परियोजना चालू परियोजना में परिणत हो जाती है।

उत्पादकता:

सीसीएल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति निम्नांकित है:

(मिलियन टन)

	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक
यूजी	0.294	0.194	0.214	0.54	0.44	1.17
ओसी	9.808	9.372	9.740	10.06	9.57	10.16
समग्र	7.235	7.195	8.093	8.49	8.39	9.37

ख. ताकत एवं कमजोरियां, अवसर एवं खतरे

ताकत:

1. विशाल उत्पादन क्षमता के साथ उच्च भंडार: सीसीएल ने 2021-22 में 68.846 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो कि कोल इंडिया के कुल उत्पादन (622.62 मिलियन टन) का लगभग 11.06% है। सीसीएल कमांड क्षेत्र में कोयला भंडार 45 बिलियन टन (01.04.2021 तक) है जो भारत के कुल अनुमानित कोयला भंडार का लगभग 13% है। कोयला भंडार में गैर-कोकिंग कोयला (बिजली संयंत्रों में प्रयुक्त) के साथ-साथ कोकिंग कोल (इस्पात संयंत्रों में प्रयुक्त) शामिल हैं। ये भंडार अगले 20 दशकों के लिए पर्याप्त हैं।

2. लगभग सभी कोयला ब्लॉकों में उपलब्ध बुनियादी ढांचा: कोयला खदानों के विकास और संचालन के लिए हमें एक अच्छे रेल और सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। सीसीएल के सभी कोयला क्षेत्रों में एक अच्छा रेल और सड़क नेटवर्क है और इस प्रकार मानव और मशीनरी के सुचारू परिवहन के साथ ही परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन आसान हो जाता है। यह रेल और सड़क नेटवर्क उपभोक्ताओं को कोयले की तेजी से आवाजाही में सक्षम बनाता है। सीसीएल विभिन्न साइडिंग के निर्माण और टोरी शिवपुर तीसरी रेल लाइन आदि जैसी नई रेल लाइन बिछाने के माध्यम से कोयला निकासी के लिए रेल नेटवर्क को भी संवर्धित कर रहा है।

3. पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कुशल जनशक्ति: सीसीएल 45 से अधिक वर्षों से कोयला खनन के व्यवसाय में है। 31.03.2022 को इसकी जनशक्ति 35,861 है, जिसमें कुशल एचईएमएम ऑपरेटर और विभिन्न विषयों और ट्रेडों में निपुण जनशक्ति शामिल हैं, जो अपनी कार्य में सिद्धहस्त हैं।

4. सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग: खनन क्षेत्रों की सुदूरता के कारण, आईटी पहलों का कार्यान्वयन और संचालन शुरुआती दिनों में एक चुनौती थी। हालांकि, पिछले 10 वर्षों की अवधि में, कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं और 31.03.2022 तक सभी क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट सेवाओं के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा, परिचालन निगरानी और डेटा हस्तांतरण के लिए कंपनी की अपनी वैन/लेन नेटवर्किंग है। खान के परिचालन नियंत्रण के लिए जियो-फेंसिंग सेवाएं, वीटीएस सक्षम उपकरणों के साथ आरएफआईडी सक्रिय रूप से उपयोग में हैं और इस तरह आईटी उपकरण अपने पूर्ण रूप में कमांड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो रिपोर्ट / सूचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेजी से साझा करने में सक्षम बनाता है। डिजीटल प्लेटफॉर्म के उच्च स्तर के साथ सिस्टम के पूर्ण परिवर्तन के लिए ईआरपी को अपने सात मॉड्यूल के साथ शुरू किया गया है।

5. बहुत कम कर्मचारी संघर्षण दर: सीसीएल में कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और वेतन कोयला खनन उद्योग में सबसे अच्छा है। इस वजह से कर्मचारियों संघर्षण बहुत कम हो गई है। वित्त वर्ष 2007-08 से कार्यपालकों के लिए पेश किए गए प्रदर्शन संबंधी वेतन ने कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ाया है। वित्त वर्ष 22 में कर्मचारी लाभ व्यय 5,475.62 करोड़ रुपये था, जिसमें वेतन वेतन, बोनस, कल्याण आदि शामिल हैं।

6. सीसीएल उच्च वित्तीय स्वायत्तता के साथ एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी है: सीसीएल के प्रदर्शन के आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने कंपनी को मिनी-रत्न श्रेणी I का दर्जा दिया है। कंपनी सरकार के पास जाए बिना 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है और यह संयुक्त उद्यम / सहायक / विदेशी कार्यालय भी बना सकती है।

कमजोरी:

1. कम उत्पादकता वाली यूजी खदानें: सीसीएल में यूजी खदानों की संपत्ति समाप्त हो गई है और इस तरह उत्पादन की दर को ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, चुरी सीएम के रूप में आधुनिकीकरण के प्रयासों ने चीजों में सुधार किया है, और पीपीआर यू/जी और परेज यू/जी में भी कंटीन्यूअस माइनर (सीएम) तकनीक की योजना बनाई गई है, जो आने वाले वर्षों में यूजी उत्पादन में वृद्धि करेगी।

2. एफसी और ईसी प्राप्त करने में देरी: ईसी और एफसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लगता है और कई बार कुछ खदानों की उत्पादन क्षमता उपलब्ध ईसी और एफसी से मेल नहीं खाती है। एफसी और ईसी के आगे विस्तार/वृद्धि/नवीनीकरण में काफी समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि होती है।

3. कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था: कमांड क्षेत्रों में कभी-कभी कुछ कानून-व्यवस्था के मुद्दे सामने आते हैं और कुछ सक्रिय उग्रवादी समूह नियमित अंतराल पर बंद / धरना आदि की घोषणा करते हैं, जो उत्पादन और प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा, कई आउटसोर्सिंग ठेकेदार कई स्थानीय समूहों के लिए भी अनुचित मांग करते हैं और इस प्रकार परिचालन गतिविधियों में मंदी अक्सर देखी जाती है।

4. भूमि अधिग्रहण: भूमि मालिक/ग्रामीण/निवासी, सर्वोत्तम मुआवजे के पैकेज के बावजूद, भूमि सौंपने में अनिच्छा दिखाते हैं और भूमि के खाली होने में अनुचित देरी पैदा करते हैं जिससे खदान की गति और प्रगति धीमी हो जाती है। उनकी मांगें अक्सर आर एंड आर नीति से परे होती हैं।

5. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का पुनर्वास कभी-कभी नई परियोजनाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि पीएएफ की मांग अक्सर सीआईएल की आर एंड आर नीति और कंपनी के अन्य अनुमोदित दिशानिर्देशों के मानदंडों से परे होती है। .

अवसर:

1. कोयले की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और यह उम्मीद है कि भविष्य में कोयले की मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की संभावना है और इस प्रकार बाजार में अवसर दिन-ब-दिन बढ़ते और विस्तारित होते जा रहे हैं।

2. उत्पादन प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग: सीसीएल ओबीआर हटाने और कोयला उत्पादन की आउटसोर्सिंग का भी सहारा ले सकता है, जिसमें विभागीय क्षमता का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है या विभागीय उपकरणों की तैनाती किफायती नहीं है। यहां तक कि सीमांत जमा और थिन सीम ऑपरेशन आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागीय संसाधनों की तुलना में बहुत सस्ती कीमत पर किए जा सकते हैं।

3. आकार बदलने, धोने या तरल और गैस में रूपांतरण के माध्यम से अपने उत्पादों के मूल्यवर्धन के अवसर: धुले हुए कोकिंग कोल की कीमत खनन किए गए कोकिंग कोल की कीमत से दोगुनी है। परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता से अधिक मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए कंपनी की विभिन्न वाशरीज़ इस पर काम करती हैं।

खतरे:

1. कोयले में कैप्टिव खनन की अब भारत में अनुमति है, साथ ही कई निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में मांग कम हो सकती है।

2. आगामी निजी कंपनियां बेहतर वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं के माध्यम से कंपनी के अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं।

3. आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोकिंग कोल और कोयला उत्पादों की खपत कम हो सकती है।

4. कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की लगातार बढ़ती मांग से लागत घटक और अधिक बढ़ेंगे, संरचना और लाभप्रदता कम से कम हो सकती है।.

5. अक्षय ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा संसाधनों (सौर, हाइडल विंड आदि) का तेजी से विस्तार खनन उद्योग के लिए एक खतरा है।

घ. कार्य निष्पादन

वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकडे की तुलना मे वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां है:

विवरण	2021-22		2020-21	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.ट.)	73.290	68.091	62.166	9.531
भूमिगत खदान से (मि.ट.)	0.710	0.755	0.424	78.285
कुल (मि.ट.)	**74.000**	**68.846**	**62.589**	**9.996**
ओबीआर (क्यू.मी.)	**128.000**	**100.066**	**103.577**	**-3.389**
धुली कोयला (कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन (मि.ट.)	0.600	0.400	0.437	-8.513
प्रेषण (मि.ट.)	0.600	0.528	0.358	47.574
धुली कोयला (नन-कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन (मि.ट.)	5.700	4.267	5.510	-22.556
प्रेषण (मि.ट.)	5.700	4.213	5.515	-23.613
उत्पादकता (ओएमएस- टीई)				
खुली खदान	12.54	10.16	9.57	
भूमिगत खदान	0.64	1.17	0.44	
समग्र	**10.65**	**9.37**	**8.39**	

वर्ष 2021-22 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 71.81 मि. टन है। पिछले वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2021-22	2020-21	विगत वर्ष पर वृद्धि
रेल	48.92	48.12	1.66%
रोड	17.38	10.23	69.89%
वाशरी फीड	5.51	7.04	-21.73%
कोलयरी खपत	0.00	0.00	-
कुल निकासी	71.81	65.40	9.80%

वर्ष 2021-22 के दौरान, सीसीएल ने रोड मोड के माध्यम से कोयले की बिक्री में 69.89% की वृद्धि दर्ज की है। सीसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल बढ़त में 9.80% की वृद्धि हासिल की।

विभिन्न वशिंरियों में कम कच्चे कोयले की फीड खपत के कारण (कोकिंग + नन कोकिंग)

(सभी आंकड़े लाख टन में)

वाशरी	2020-21		2021-22		कारण
कोकिंग	आरसीआर	आरसीसी	आरसीआर	आरसीसी	
कथारा, 1969 (3.0 मि. टन वर्ष में	5.68	4.00	3.67	5.32	वाशरी 1969 में प्रारंभ की गई थी और यह 53 वर्ष पुरानी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बद्ध खदान द्वारा कच्चे कोयले की कम आपूर्ति। वित्त वर्ष 2021-22 में आरसी फीड में पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 33% की वृद्धि हुई है।
स्वांग 1970 (0.75 मि. टन वर्ष में)	0.12	0.46	1.93	1.93	वाशरी 1970 में प्रारंभ की गई थी और यह 52 साल पुरानी है। मुख्य चक्रवात भवन के ढहने के कारण सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक वाशरी का संचालन बंद कर दिया गया था। कुछ संशोधन के बाद दिसंबर 2020 से प्लांट को फिर से शुरू किया गया।
रजरप्पा 1987 (3.0 मि. टन वर्ष में)	8.52	3.35	8.82	0.00	वाशरी 1987 में प्रारंभ की गई थी और यह 35 साल पुरानी है। कच्चे कोयले की खराब गुणवत्ता (केवल W-IV) के कारण रजरप्पा वाशरी का संचालन फरवरी 2021 से बंद है। डिजाइन किया गया सर्किट इस कच्चे कोयले को संभाल नहीं सकता है। हालांकि, सीसीएल ने वाशरी के नवीनीकरण की योजना बनाई है और पूरा होने की अपेक्षित तिथि जून 2022 है।
केदला 1997 (2.6 मि. टन वर्ष में)	7.51	7.33	4.68	4.87	वाशरी को 1997 में चालू किया गया था और यह 25 साल पुरानी है। वित्त वर्ष 2021-22 में लिंक्ड खदान से कच्चे कोयले की कम आपूर्ति। जिग्स का व्यापक अनुरक्षण कार्य/नवीनीकरण फरवरी 2021 से शुरू किया गया है और यह जून 2021 को पूरा किया गया। कोविड-19 के कारण कार्य के निष्पादन में देरी और औद्योगिक ऑक्सीजन का संकट। केडला वाशरी के सीटीओ उपलब्ध न होने के कारण प्लांट को फिर से बंद कर दिया गया। केदला वाशरी प्लांट के सीटीओ मिलने के पश्चात, कार्य अगस्त 2021 के मध्य से शुरू किया गया। लेकिन लिंक्ड खदान से कच्चे कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण खपत कम है।
कुल	**21.83**	**15.15**	**19.10**	**12.12**	**कुल मिलाकर खपत कम है क्योंकि सभी वाशरी अपने तकनीकी जीवन (यानी 18 वर्ष) को पार कर चुके हैं और सीसीएल में वाशरी की औसत आयु लगभग 44 वर्ष है।**
नन कोकिंग	**आरसीआर**	**आरसीसी**	**आरसीसी**	**आरसीआर**	
पिपरवार 1997 (6.5 मि. टन वर्ष में)	55.26	55.28	43.99	43.01	वाशरी को 1997 में चालू किया गया था और यह 24 साल पुरानी है। वित्त वर्ष 2021-22 में कच्चे कोयले की कम आपूर्ति। वित्त वर्ष 2020-21 में, बिजली क्षेत्र की वजह से कम खपत, एमओईएफ दिनांक 21.05.2020 की राजपत्र अधिसूचना के बाद 34% राख से 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के साथ कोयले के परिवहन में छूट के लिए वाश्ड पावर कोयला लेने के लिए अनिच्छुक है।
गिद्दी 1970 (2.5 मि. टन वर्ष में)	0.00	0.00	0.00	0.00	आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2020 से बंद किया गया है।
कुल	**55.26**	**55.28**	**43.99**	**43.01**	

ङ. दृष्टिकोण

2022-23 में कोल इंडिया 700 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 76 मीट्रिक टन कोयले का योगदान देगा। आपकी कंपनी की प्रमुख परियोजनाएं जैसे मगध ईपीआर ओसीपी (51 मि. ट. प्रति वर्ष), आम्रपाली ईपीआर ओसीपी (25 मि. ट. प्रति वर्ष), अशोक इपीआर ओसीपी (20 मि. ट. प्रति वर्ष), संघमित्रा ओसीपी (20 मि.ट. प्रति वर्ष), चन्द्रगुप्त ओसीपी (15 मि.ट. प्रति वर्ष), कारो ईपीआर ओसीपी (11 मि. ट. प्रति वर्ष), रोहिणी करकट्टा ओसीपी (10 मि.ट. प्रति वर्ष), कोनार ईपीआर ओसीपी (8 मि. ट. प्रति वर्ष), नार्थ उरीमारी ओसीपी (7.5 मि.ट. प्रति वर्ष), पुण्डी आरओ ओसीपी (5 मि.ट. प्रति वर्ष), कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी (5 मि.ट. प्रति वर्ष) एवं पतरातू एबीसी(5 मि.ट. प्रति वर्ष) से भी निकट भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी ने अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। सांविधिक आवश्यकता के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पूरा करने की दिशा में चार्टर्ड/लागत लेखाकारों की बाहरी लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा "लेन-देन लेखा परीक्षा" की एक प्रणाली पूरे वर्ष चल रही है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के लिए संगठन के संचालन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, सीआईएल द्वारा तैयार और विनियमित एक अच्छी तरह से परिभाषित गुंजाइश है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और सांविधिक प्रावधान को पूरा करने के लिए, बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा वार्षिक आधार पर स्टोर / पुर्जों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

सीएजी की निरीक्षण रिपोर्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के हमारे उपायों का हिस्सा है। सीएजी की टिप्पणियों का नियमित आधार पर जवाब दिया जाता है। जब भी आवश्यक समझा जाता है, उपचारात्मक उपाय करने के लिए टिप्पणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

छ. संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ज. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास, जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

झ. पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ञ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ट. गोइंग कंसर्न

वित्तीय वक्तव्यों की निर्माण में गोइंग कंसर्न का पूर्वानुमान बुनियादी सिद्धांत है। गोइंग कंसर्न पूर्वानुमान के अंतर्गत, एक इकाई को समान्यतः प्रत्याशित भविष्य मे व्यवसाय में बने रहने की क्षमता को देखा जाता है, जिसमे न तो तरलीकरण की इच्छा या आवश्यकता, व्यापार बंद करना या विधि या परिनियमों के अनुसार लेनदारों से सुरक्षा की मांग करना है।

उपर्युक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने कोयले की अनुमानित मात्रा के उत्पादन और उसके प्रेषण के लिए अवसंरचना निवेश योजना भी तैयार की है।

प्रबंधन ने प्रदर्शन को प्रभावित करने पर प्रत्याशित प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कई परिदृश्यों का आकलन किया है। गोइंग कंसर्न मूल्यांकन के एक अंश के रूप में, प्रबंधन ने समसामयिक घटनाओं एवं परिस्थितियों सहित कोविड 19 महामारी के प्रभाव का आकलन किया है तथा उन महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों पर ध्यान दिया है जो कि ऐतिहासिक परिपाटी में संभावित बदलाव या असंगत हैं या संवेदनशील हैं। कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में परिचालित रहने की क्षमता पर विषयक निर्णय यथोचित पूर्वानुमानों तथा कंपनी की आंतरिक एवं संदर्भों को बदलते परिदृश्य अनुसार प्रबंधन द्वारा विकसित तार्किक धारणा पर आधारित है।

ऐतिहासिक वित्तीय परिणामों और वर्तमान आर्थिक और बाजार की परिस्थितियों और संकेतकों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि सीसीएल का परिचालन भविष्य में लाभदायक बना रहेगा तथा संगठन के गोइंग कंसर्न पर कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है।

ठ. सचेतक विवरण

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकीय प्रतिवेदन में नियत कंपनी का उद्देश्य, प्रक्षेपण एवं प्राक्कलन, प्रत्याशा और भविष्यकथन आदि विवरण "लागु नियमों और विनियमों के अनुसार अग्रिम एवं प्रगतिशील विवरणी हैं। यहा प्रदत्त अग्रिम विवरणी जोखिम और अनिश्चितता के अध्याधीन है जिसके कारण वास्तविक भौतिक परिणाम अग्रिम विवरणी में प्रदत्त विवरण से भिन्न हो सकते है। यहा व्यक्त या निहित परिणाम आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करते हैं तथा वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।"

वित्तीय विवरण

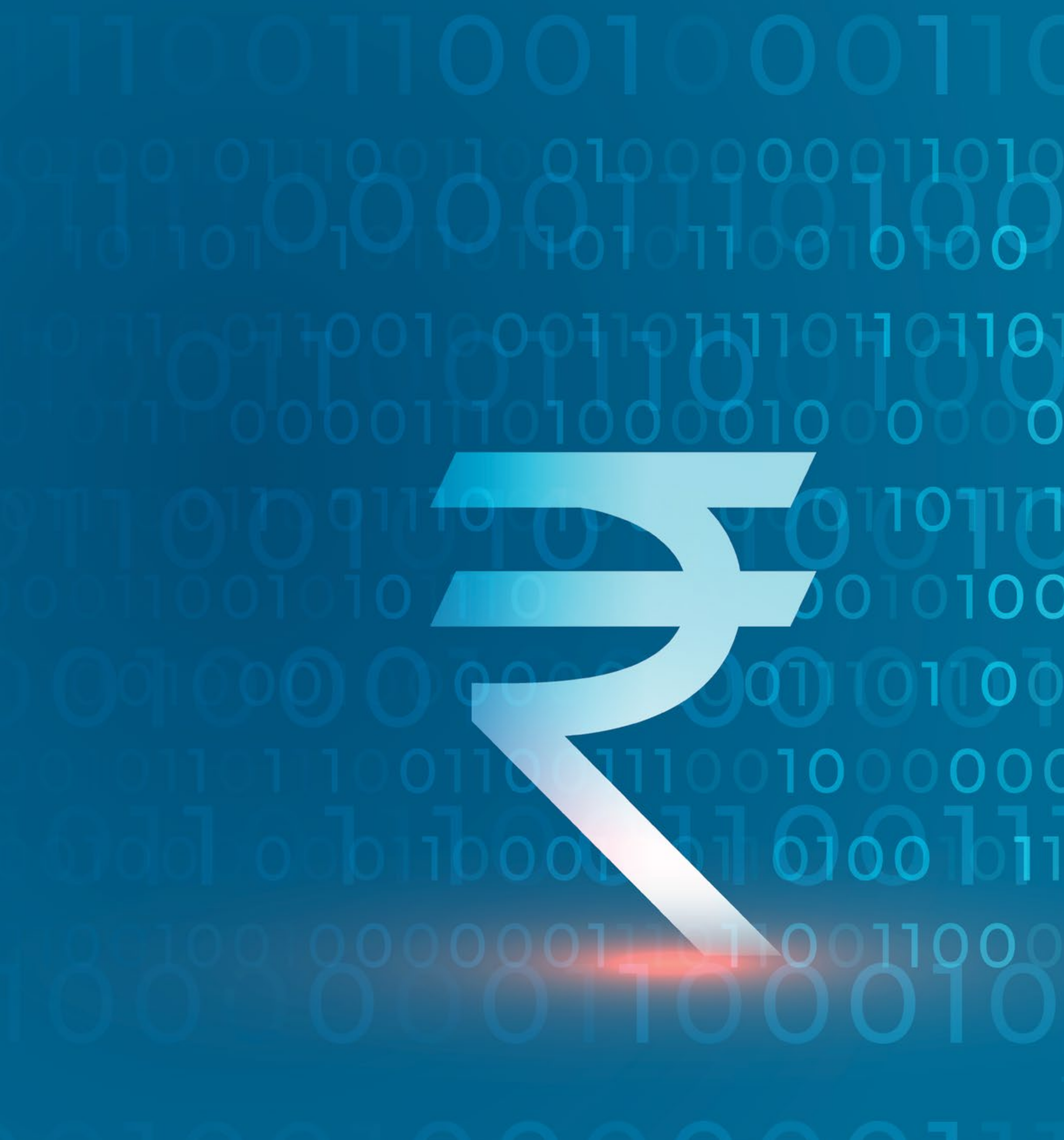

दिनांक 31.03.2022 को परिसंपत्तियां एवं देयता का स्टैंडअलोन विवरण

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31.03.2022 को (अंकेक्षित)	31.03.2021 को (अंकेक्षित)
ए.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
1.	शेयरधारक का निधि			
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	940.00	940.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	7,471.98	6,608.53
	(ग)	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप-कुल शेयरधारक का निधि		**8,411.98**	**7,548.53**
2	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन		—	—
3	गैर नियंत्रण ब्याज		—	—
4	गैर चालू देयताएँ			
	(क)	वित्तीय देयताएँ	146.25	84.40
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निवल)	—	—
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयता	496.58	537.33
	(घ)	प्रावधान	5,118.65	4,876.36
	उप-कुल गैर-चालू देयताएँ		**5,761.48**	**5,498.09**
5	चालू देयताएँ			
	(क)	वित्तीय देयताएँ	2,678.53	2,628.90
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निवल)	—	—
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयता	3,037.75	2,889.75
	(घ)	प्रावधान	821.61	834.70
	उप-कुल चालू देयताएँ		**6,537.89**	**6,353.35**
	कुल-इक्विटी एवं देयताएँ		**20,711.35**	**19,399.97**
बी.	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	(क)	स्थाई परिसंपत्ति	7,232.06	6,949.98
	(ख)	समेकन सदभाव	—	—
	(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	679.47	674.14
	(घ)	वित्तीय परिसंपत्ति	1,712.59	1,315.65
	(ड.)	अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	2,293.68	1,436.20
	उप-कुल चालू परिसंपत्ति		**11,917.80**	**10,375.97**
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क)	वित्तीय परिसंपत्तियां	4,390.16	4,872.61
	(ख)	भंडार सूची	1,031.34	1,288.67
	(ग)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	3,217.82	2,711.04
	(घ)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	154.23	151.68
	उप-कुल - चालू परिसंपत्ति		**8,793.55**	**9,024.00**
	कुल - परिसंपत्ति		**20,711.35**	**19,399.97**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण

(रू. करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोडकर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2022 अन-अंकेक्षित	31.03.2021 अन-अंकेक्षित	31.12.2021 अन-अंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	6,122.32	5,098.53	4,544.72	18,585.25	15,900.51
	घटाव - अन्य लेवी	2,024.94	1,652.62	1,451.42	6,233.12	5,126.19
	(क) निवल विक्रय/संचालन से आय (लेवी का निवल)	**4,097.38**	**3,445.91**	**3,093.30**	**12,352.13**	**10,774.32**
	(ख) अन्य संचालित आय	316.55	318.27	286.53	1,134.29	990.57
	संचालन से कुल आय(निवल) (क +ख)	**4,413.93**	**3,764.18**	**3,379.83**	**13,486.42**	**11,764.89**
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	311.38	239.58	214.33	855.15	730.39
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(350.94)	(206.90)	121.68	278.86	(57.43)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,384.81	1,374.73	1,194.97	5,475.62	5,232.70
	(घ) मूल्यहास/परिशोधन/हानि	180.00	178.26	153.75	647.55	554.26
	(ङ) बिजली और ईंधन व्यय	68.29	62.03	70.06	261.55	236.64
	(च) सीएसआर व्यय	24.89	5.91	1.05	53.14	46.46
	(छ) मरम्मत	130.97	146.45	58.23	273.20	287.91
	(ज) ठेका व्यय	544.74	595.18	521.06	1,867.10	1,638.11
	(झ) अन्य व्यय	392.48	270.95	305.71	1,202.79	1,011.26
	(ञ) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	3.17	6.08	—	3.44	12.93
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	585.02	355.18	163.46	725.21	365.87
	कुल व्यय (क से ट तक)	**3,274.81**	**3,027.45**	**2,804.30**	**11,643.61**	**10,059.10**
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1-2)	1,139.12	736.73	575.53	1,842.81	1,705.79
4	अन्य आय	154.46	119.84	47.29	333.69	291.28
5	वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	1,293.58	856.57	622.82	2,176.50	1,997.07

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण (जारी...)

(रू. करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोडकर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
6	वित्तीय व्यय	21.83	29.63	19.91	81.77	83.89
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (5-6)	1,271.75	826.94	602.91	2,094.73	1,913.18
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (7-8)	1,271.75	826.94	602.91	2,094.73	1,913.18
10	कर व्यय	244.21	404.94	132.73	397.81	691.90
11	वर्ष में निवल लाभ/(हानि) (9-10) [ए]	1,027.54	422.00	470.18	1,696.92	1,221.28
12	असाधारण मद (कर व्यय का निवल)	—	—	—		—
13	सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निवल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11 + 12)	1,027.54	422.00	470.18	1,696.92	1,221.28
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	—	—	—		—
15	अल्पसंख्यक हित	—	—	—		—
16	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (13+14+15)	1,027.54	422.00	470.18	1,696.92	1,221.28
17	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निवल कर) [बी]	(48.81)	(42.25)	(25.99)	(51.39)	(64.28)
18	कुल विस्तृत आय/(हानि) /[ए+बी]	978.73	379.75	444.19	1,645.53	1,157.00
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (शेयरों का अंकित मूल्य रू 1000/- प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 1000/-) (वार्षिक नहीं किया गया))					
	(क) बेसिक	1,093.13	448.93	500.19	1,805.23	1,299.23
	(क) डायलुटेड	1,093.13	448.93	500.19	1,805.23	1,299.23

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणियां	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3	5,737.61	5,532.00
(ख)	कार्यशील पूँजी		4	900.83	907.26
(ग)	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		5	573.69	499.79
(घ)	अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		6.1	8.66	10.93
(ङ.)	विकास के तहत अप्र त्यक्ष परिसंपत्ति		6.2	11.27	—
(च)	निवेश संपत्ति			—	—
(छ)	वित्तीय परिसंपत्तिया				
	(i)	निवेश	7	345.53	64.63
	(ii)	ऋण	8	2.06	0.49
	(iii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,365.00	1,250.53
(ज)	आस्थगित कर संपत्ति (निवल)			679.47	674.14
(झ)	अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया		10	2,293.68	1436.20
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)				**11,917.80**	**10,375.97**
चालू परिसंपत्ति					
(क)	भंडार पूँजी		12	1,031.34	1,288.67
(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i)	निवेश	7	64.72	—
	(ii)	व्यापार प्राप्य	13	2,149.65	3,402.53
	(iii)	नकद और नकद समकक्ष	14	664.91	226.69
	(iv)	अन्य बैंक शेष	15	1,413.04	986.69
	(v)	ऋण	8	—	—
	(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	97.84	256.70
(ग)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)			154.23	151.68
(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां		11	3,217.82	2,711.04
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)				**8,793.55**	**9,024.00**
कुल परिसंपत्तियां (ए+बी)				**20,711.35**	**19,399.97**

31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र (जारी...)

(रू. करोड़ में

	टिप्पणियाँ	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर-चालू परिसंपत्तियां			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूँजी	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	7,471.98	6,608.53
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी		8,411.98	7,548.53
गैर-अनियंत्रित ब्याज		—	—
कुल इक्विटी (ए)		**8,411.98**	**7,548.53**
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) पट्टे की देयताएँ		—	—
(iii) व्यापार देयताएँ		—	—
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	146.25	84.40
(बी) प्रावधान	21	5,118.65	4,876.36
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	496.58	537.33
कुल गैर-चालू देयताएँ (बी)		**5,761.48**	**5,498.09**
चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) पट्टे की देयताएँ			
(iii) व्यापार देयताएँ	19	—	—
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		6.98	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,548.36	1,360.82
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	1,123.19	1,268.08
(बी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	23	3,037.75	2,889.75
(सी) प्रावधान	21	821.61	834.70
(डी) चालू कर देयताएँ (निवल)		—	—
कुल गैर-चालू देयताएँ (सी)		**6,537.89**	**6,353.35**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए+बी+सी)		**20,711.35**	**19,399.97**
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियां	38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।			

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणियाँ	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व			24		
ए.	बिक्री (लेवियों का निवल)			12,352.13	10,744.32
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निवल)			1,134.29	990.57
	(I)	**संचालन से राजस्व (ए+बी)**		**13,486.42**	**11,764.89**
	(II)	**अन्य आय**	25	**333.69**	**291.28**
	(III)	**कुल आय (I+II)**		**13,820.11**	**12,056.17**
	(IV)	**व्यय**			
		उपयोग किये गए सामग्री की लागत	26	855.15	730.39
		तैयार माल के भंडार/ कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में	27	278.86	(57.43)
		कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,475.62	5,232.70
		बिजली का खर्च		261.55	236.64
		कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	53.14	46.46
		मरम्मती	30	273.20	287.91
		संविदात्मक व्यय	31	1,867.10	1,638.11
		वित्तीय लागत	32	81.77	83.89
		मूल्यहास/परिशोधन/ हानि		647.55	554.26
		प्रावधान	33	3.41	12.93
		बट्टे खाते डालना	34	0.0	—
		स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		725.21	365.87
		अन्य व्यय	35	1,202.79	1,011.26
	कुल व्यय (IV)			**11,725.38**	**10,142.99**
	(V)	**असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (III-IV)**		**2,094.73**	**1,913.18**
	(VI)	असाधारण मद		—	—
	(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**		**2,094.73**	**1,913.18**
	(VIII)	**कर व्यय**	**36**		
		चालू कर		403.14	522.60
		स्थगित कर		(5.33)	169.30
	(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**1,696.92**	**1,221.28**
	(X)	स्थगित संचालन प्राप्त लाभ		—	—
	(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
	(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)		—	—
	(XIII)	संयुक्त उद्यम सम्बद्ध लाभ/(हानि)में हिस्सा		—	—
	(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**		**1,696.92**	**1,221.28**
	अन्य विस्तृत आय		**37**		
	ए.	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(68.68)	(85.90)
		(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मदों से संबंधित आयकर		(17.29)	(21.62)
	बी.	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
		(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होने वाले मदों से संबंधित आयकर		—	—
	(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(51.39)**	**(64.28)**

लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(रू. करोड़ में

			टिप्पणियाँ	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)**			**1,645.53**	**1,157.00**
	आरोपित लाभ:				
	कंपनी के स्वामी को			1,696.92	1,221.28
	गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
				1,696.92	1,221.28
	अन्य आरोपित विस्तृत आय:				
	कंपनी के स्वामी को			(51.39)	(64.28)
	गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
				(51.39)	(64.28)
	कुल आरोपित विस्तृत आय:				
	कंपनी के स्वामी को			1,645.53	1,157.00
	गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए):**				
	(1)	बेसिक		1,805.23	1,299.23
	(2)	डायलूटेड		1,805.23	1,299.23
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए):**				
	(1)	बेसिक		—	—
	(2)	डायलूटेड		—	—
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए):**				
	(1)	बेसिक		1,805.23	1,299.23
	(2)	डायलूटेड		1,805.23	1,299.23
महत्वपूर्ण लेखा नीति			2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियां			38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।					

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(रू. करोड़ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**2,094.73**	**1,913.18**
समायोजन:			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		647.55	554.26
ब्याज और लाभांश आय		(102.95)	(78.66)
वित्तीय लागत		81.77	83.89
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)\हानि		(0.15)	1.52
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता		—	4.88
अन्य प्रावधान		3.41	8.05
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(125.02)	(108.53)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		725.21	365.87
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**3,324.55**	**2,744.46**
समायोजन:			
व्यापर प्राप्य (कुल प्रावधान)		1,252.88	(910.42)
भंडार सूची		257.33	(55.31)
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		(321.99)	(118.82)
व्यापार देय		194.52	162.91
वित्तीय एवं अन्य देयतायें		(272.59)	867.80
संचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी		**4,434.70**	**2,690.62**
भुगतान किया गया आयकर/प्रतिदाय		(388.40)	(590.24)
संचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(ए)**	**4,046.30**	**2,100.38**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(1,948.82)	(1,515.70)
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में परिशिष्ट		(73.90)	(51.34)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		(0.64)	(4.64)
बैंक जमा पर प्राप्ति/(निवेश		(540.82)	(460.69)
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		(64.61)	0.48
सहायक कंपनी में निवेश		(280.90)	(32.63)
निवेश से ब्याज		74.84	77.86
ब्याज एवं लाभांश आय		8.85	0.01
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निवल राशि	**(बी)**	**(2,826.00)**	**(1,986.65)**

स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(रू. करोड़ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
उधार में वापसी/ वृद्धि		—	—
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		—	(4.98)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(782.08)	—
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(सी)**	**(782.08)**	**(4.98)**
नकद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**438.22**	**108.75**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**226.69**	**117.94**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**664.91**	**226.69**
(कोष्ठ में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)			

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण - स्टैंडअलोन

(रू. करोड़ में)

क . इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2022 को

विवरण	01.04.2021 पर शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2021 को पुनर्कथित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2022 पर शेष
रू.1000/ - प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

31.03.2021 को

विवरण	01.04.2020 पर शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनर्कथित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2021 पर शेष
रू.1000/ - प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2022 को

विवरण	शेयर आवेदन राशि की लंबित आवंटन	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 पर शेष	—	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां	—	—	—	—	—
01.04.2021 पर पुनर्लिखित शेष	—	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
कुल व्यापक लाभ	—	—	1,696.92	(51.39)	1,645.53
अंतरिम लाभांश	—	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभांश	—	—	(377.88)	—	(377.88)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	—	84.85	(84.85)	—	
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
31.03.2022 पर शेष	**—**	**2,392.00**	**5,305.45**	**(225.47)**	**7,471.98**
31.03.2021 को					
01.04.2020 को शेष	—	2,246.09	3,315.24	(109.80)	5,451.53
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—	—
01.04.2020 पर पुनर्लिखित शेष	**—**	**2,246.09**	**3,315.24**	**(109.80)**	**5,451.53**
कुल विस्तृत लाभ	—	—	1,221.28	(64.28)	1,157.00
अंतरिम लाभांश	—	—	—	—	—
अंतिम लाभांश	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	—	61.06	(61.06)	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
31.03.2021 पर शेष	**—**	**2,307.15**	**4,475.46**	**(174.08)**	**6,608.53**

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

नोट 1: निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड - 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट-भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख-रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट: 2 महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण को भारत में लागु लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचीत ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के अनुसार किया गया है।

ii. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इनके

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2.21 में लेखा नीति को देखें)।

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषं गियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कंपनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कंपनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कंपनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसम्पत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कंपनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कंपनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन-देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है। समूह की कंपनियों के बीच अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य-सम्पादन एवं घटनाओं के लिए सीआईएल के द्वारा अपनाये गये लेखा-नीतियों को ही सामान्य तौर पर सीसीएल के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीआईएल के घटक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, सीआईएल समेकित लेखा-नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर-चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निवल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निवल परिसम्पत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण स्टैंडअलोन तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निवल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन-देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा-नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन-देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन-देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसम्पत्ति को मौजूद समझा जाता है जबः

(क) सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(ख) परिसम्पत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसम्पत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) परिसम्पत्ति नकद या नकद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसम्पत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जबः

(क) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(ख) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएँ को गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागु किया जाता हैः

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

(क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

(ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

(ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

(घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए); तथा

(ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण होंः

(क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है

(ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

(ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती है:

(क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग-अलग होने के कारण बढ़ता है एवं

(ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड-अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है:

(क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

(ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध शर्तों और प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

– चर प्रतिफल;

– चर प्रतिफल के विवश अनुमान;

– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;

– गैर-नकद प्रतिफल;

– ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर-घटना पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन-देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग सामान या सेवा) को लेन-देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग-अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन-देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5: राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(क) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती है;

(ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता है:

(ग) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागु करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागु करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागु करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागु करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अधतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैं:

(क) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार है:

(ख) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है:

(ग) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है:

(घ) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं:

(ङ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएँ

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, जिनकी अवधि 12 महीने या उससे कम की है हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की हो उन सभी पट्टों को छोड़, सारे पट्टों के लिए पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती हैए जब तक कि लागतों को अन्य लागु मानकों को लागु करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है; यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा पट्टेदार उपयोग करने हेतु अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पतियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे - संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुर्लिग्न विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन-देन में अन्य गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के लिए गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसम्पत्तियों या निपटान समूह

अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब:

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है;
- खरीददार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है,
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है,
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, एवं
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है:

(क) इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर-वापसी योग्य सहित।

(ख) कोई लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के जरूरी शर्त

(ग) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान-सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रख-रखाव" के वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ-हानि को लाभ-हानि की श्रेणी में रखा जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है:

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवनें	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर-संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग - सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसम्पत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निकाले गए परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान महीने के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल); सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूँजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसम्पत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकी आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा-नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे-धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख-रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में पूँजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण;
- भौगोलिक-रासायनिक तथा भौगोलिक-शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना;
- खोजी वेधन, खाई-खुदाई एवं नमूना;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच;
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूँजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर तकनीकी व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के

लंबित निर्धारण तथा गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूँजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूँजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूँजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूँजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है: जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(क) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(ख) कोयले को छूने के 2 साल, या

(ग) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है

जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूँजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूँजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।.

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है।

बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होते ही व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.13 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसम्पत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नकद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूँजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन-देन लागत तथा जहां कहीं भी लागु उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन-देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसम्पत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कंपनी परिसम्पत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ एवं हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है:

(क) परिसम्पत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्ति रखना है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नकदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(क) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कंपनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसम्पत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की

अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे ''बेमेल लेखा'' कहा जाता है)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव साधन-दर-साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कंपनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कंपनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागु हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कंपनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब:

- परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या ''पास-थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है: और या तो (ए) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कंपनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कंपनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कंपनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों की विकृति/हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टे

(घ) व्यापार प्राप्तियां या नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के सीमा के अंदर हुए लेन-देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कंपनी ''सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य: तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के सीमा के अंदर हुए लेन-देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन-देन लागतों का निवल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएँ शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ-हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कंपनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागु होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागु होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कंपनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निवल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूँजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कंपनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तियां इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागु होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का

निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागु किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कंपनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कंपनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु-अवधि के लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जिसके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्प-कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक सांविधिक निकाय द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कंपनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कंपनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निवल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कंपनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निवल राशि पर प्राप्त होनेवाली निवल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से - कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ-हानि विवरण में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की सूचीत मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला: ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन के निवल शेषों के तुलन पत्र में गैर-मौजूद परिसंपत्ति/गैर-मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन-पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।-

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्र	विचलन की स्वीकार्य सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति-सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति-सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति-सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निवल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक-फाइन्स को लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप-उत्पादनों को निवल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप-स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति-सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति-सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यो के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।.

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति-सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं |

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय-मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निवल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं धारणाएँ का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा धारणाएँ के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए धारणाएँ की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागु करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित विŸाीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा-नीतियों का प्रतिपादन

लेखा-नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन-देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तो जिसमें वे लागु होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागु करने को

जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन-देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा-नीति लागु करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि:

(क) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय-निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(ख) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः

- (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नकद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है;
- (ii) लेन-देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को;
- (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त;
- (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
- (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है

निर्णय-निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागु करने की योग्यता पर विचार करती है:

(क) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; तथा

(ख) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड-सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखा-नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग-अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के परिमाण एवं प्रकृति या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण या अस्पष्ट करना उन आर्थिक फैसलों पर अलग-अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

01.04.2019 से लागु संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निवल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तो के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी

ने मौजूद पारामीटर पर अपी धारणाएँ एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में धारणाएँ में प्रदर्शित होते हैं।.

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नकदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्तिप्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ-साथ अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्दान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ संभावित समय-निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट - 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।.

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन धारणाएँ में परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी धारणाएँ की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।.

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु-दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु-दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाएँ में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूँजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन पन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, धारणाएँ एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित धारणाएँ के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय-मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण:

ए.	सीजीयू	नकद उत्पन्न करने वाली ईकाई	एल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नकद प्रवाह	एम.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	एन.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसइसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	पी.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक	क्यू.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आर.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि	एस.	सीएमपीडीआईएल	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड
आइ.	पीपीई	संपत्ति,संयंत्र तथा उपकरण	टी.	एनइसी	नार्थ ईस्टर्न कोल्फ़ील्ड्स
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान	यू.	आईआईसीएम्	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोल् मैनेजमेंट
के.	एसपीपीआई	प्रभावी ब्याज दर	वी.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट- 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

रु करोड़ में

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन / रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2020 को	17.49	814.17	472.63	310.05	1,803.47	4.46	409.28	2,268.03	16.62	63.37	12.45	—	307.56	69.06	6,568.64
जोड़	—	855.72	—	14.26	114.15	1.28	78.23	304.26	1.09	7.17	3.70	—	51.70	14.64	1,446.20
विलोपन/समायोजन	—	—	(0.14)	(4.14)	(168.62)	—	—	—	—	(0.69)	0.01	—	—	(3.12)	(176.70)
31 मार्च, 2021 को	**17.49**	**1,669.89**	**472.49**	**320.17**	**1,749.00**	**5.74**	**487.51**	**2,572.29**	**17.71**	**69.85**	**16.16**	**—**	**359.26**	**80.58**	**7,838.14**
1 अप्रैल, 2021 को	17.49	1,669.89	472.49	320.17	1,749.00	5.74	487.51	2,572.29	17.71	69.85	16.16	—	359.26	80.58	7,838.14
जोड़	—	62.57	26.82	233.63	269.41	0.22	156.36	63.69	3.54	10.67	12.68	—	24.48	7.30	871.37
विलोपन/समायोजन	—	—	(9.42)	(0.05)	(93.75)	(0.33)	(0.29)	—	2.10	(5.63)	0.12	—	1.83	(1.29)	(106.71)
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,732.46**	**489.89**	**553.75**	**1,924.66**	**5.63**	**643.58**	**2,635.98**	**23.35**	**74.89**	**28.96**	**—**	**385.57**	**86.59**	**8,602.80**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2020 को	—	238.99	203.19	56.11	975.52	1.37	65.78	113.40	7.12	30.42	6.82	—	162.41	37.40	1,898.53
वर्ष के लिए शुल्क	—	107.37	37.46	13.90	150.68	0.50	30.04	153.01	1.80	10.86	1.22	—	37.77	—	544.61
हानि	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	6.25	(2.41)	3.84
विलोपन/समायोजन	—	—	—		(142.88)	—	0.78	—	(0.14)	(0.58)	0.06	—	1.92	—	(140.84)
31 मार्च, 2021 को	**—**	**346.36**	**240.65**	**70.01**	**983.32**	**1.87**	**96.60**	**266.41**	**8.78**	**40.70**	**8.10**	**—**	**208.35**	**34.99**	**2,306.14**
1 अप्रैल, 2021 को	—	346.36	240.65	70.01	983.32	1.87	96.60	266.41	8.78	40.70	8.10	—	208.35	34.99	2,306.14
वर्ष के लिए शुल्क	—	156.47	31.49	21.91	150.88	0.78	33.16	177.28	2.02	11.21	2.68	—	53.55	—	641.43
हानि	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	(10.53)	(1.23)
विलोपन/समायोजन	—	(0.07)	(1.23)	0.68	(78.84)	0.07	0.34	—	1.56	(5.50)	0.13	—	2.21	(0.50)	(81.15)
31 मार्च, 2022 को	**—**	**502.76**	**270.91**	**92.60**	**1,055.36**	**2.72**	**130.10**	**443.69**	**12.36**	**46.41**	**10.91**	**—**	**273.41**	**23.96**	**2,865.19**
निवल वहन राशि															
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,229.70**	**218.98**	**461.15**	**869.30**	**2.91**	**513.48**	**2,192.29**	**10.99**	**28.48**	**18.05**	**—**	**112.16**	**62.63**	**5,737.61**
31 मार्च, 2021 को	**17.49**	**1,323.53**	**231.84**	**250.16**	**765.68**	**3.87**	**390.91**	**2,305.88**	**8.93**	**29.15**	**8.06**	**—**	**150.91**	**45.59**	**5,532.00**

1. उन अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक है या प्रमोटर*/ निदेशक का रिश्तेदार# है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
अन्य भूमि	1,732.46	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि, के संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वत्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी स्वत्व विलेख पर अधिकार है एवं पूर्व स्वामित्व भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

2. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यहास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन /रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	—	20.77	50.16	32.79	—	759.19	71.73	6,115.62
संचित मूल्यहास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2015 को	—	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	—	15.18	36.96	26.36	—	652.32	—	3,877.88
निवल वहन राशि	16.87	258.13	479.75	167.09	1,095.56	1.66	14.86	—	5.59	13.20	6.43	—	106.87	71.73	2,237.74

3. अन्य भूमि में कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 और अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।
4. महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुछेद सं. 2.8. में उल्लेख अनुसार, मूल्यहास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। मूल्य के विभिन्न उपयोगी जीवन वाले कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए घटक लेखांकन को माना नहीं गया है।
5. सर्वेक्षण की गई आस्तियों के संबंध में रु. 10.53 करोड़ (वि. व. रु.2.41 करोड़) की हानि वापस ले ली गयी है।
6. पट्टा समझौतों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को कंपनी की कुछ संपत्तियों पर अधिकार लेने एवं उपयोग करने का अधिकार दिया है, जिसका सकल मूल्य रु 7.90 करोड़ एवं शून्य रुपये की डब्ल्यूडीवी है।
7. कुल मूल्यहास राशि 641.43 करोड़ रुपये (वि. व. रु. 544.61 करोड़) में अन्य खनन बुनियादी ढांचे से संबंधित रु.53.55 करोड़ (वि.व. 37.77 करोड़ रुपये) एवं 31.49 करोड़ रुपये (वि. व. 37.46 करोड़ रुपये) भूमि सुधार / स्थल बहाली लागत के लिए परिशोधन शामिल है।
8. सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में रुपये 3587.37 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी, जिसके लिए रु. 2984.00 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कर दिया गया है। ईसी रेलवे ने रु 2635.98 करोड़ का व्यय किया है जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में मान्यता दी गई है एवं रु. 348.02 करोड़ की शेष राशि को नोट 10 में पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजना के विरुद्ध सीसीडीएसी से आज तक 605.05 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।
9. रू. 778.62 करोड़ का भूमि मुआवजा राशि, अन्य भूमि के रूप में दिखाया गया है, जो समाधान के अधीन है (वित्तीय विवरण के नोट-38 का अनुछेद 7.16)।
10. अवधि के दौरान प्रभारित मूल्यहास में विकास चरण में खानों के लिए वर्ष के दौरान पूँजीकृत मूल्यहास रु शून्य (विगत वर्ष रु शून्य) शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(रू. करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़को, एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
1 अप्रैल, 2020 को	228.52	36.22	169.10	316. 77	—	750.61
जोड़	28.44	22.01	103.62	62.33	—	216.40
पूँजीकरण/विलोपन	(6.65)	(9.34)	(0.39)	(27.83)	—	(44.21)
31 मार्च, 2021 को	**250.31**	**48.89**	**272.33**	**351.27**	**—**	**922.80**
1 अप्रैल, 2021 को	250.31	48.89	272.33	351.27	—	922.80
जोड़	44.38	183.39	25.14	12.68	—	263.59
पूँजीकरण/विलोपन	(218.59)	(11.32)	(19.33)	(20.04)	—	(269.28)
31 मार्च, 2022 को	**76.10**	**220.96**	**278.14**	**343.91**	**—**	**919.11**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2020 को	0.59	1.47	0.24	11.56	—	13.86
वर्ष के लिए शुल्क	0.04	0.07	(0.24)	0.80	—	0.67
हानि	—	—	—	2.81	—	2.81
विलोपन/समायोजन	—	(0.08)	—	(1.72)	—	(1.80)
31 मार्च, 2021 का	**0.63**	**1.46**	**—**	**13.45**	**—**	**15.54**
1 अप्रैल, 2020 को	0.63	1.46	—	13.45	—	15.54
वर्ष के लिए शुल्क	0.44	0.03		0.04		0.91
हानि	—	—	—	4.15	—	4.15
विलोपन/समायोजन	0.23	(0.09)	—	(2.46)	—	(2.32)
31 मार्च, 2022 को	**1.30**	**1.40**	**—**	**15.58**	**—**	**18.28**
निवल वहन राशि						
31 मार्च, 2022 को	**74.80**	**219.56**	**278.14**	**328.33**	**—**	**900.83**
31 मार्च, 2021 को	**249.68**	**47.43**	**272.33**	**337.82**	**—**	**907.26**

1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।

	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़को, एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
1 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	—	519.41
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2015 को	**10.52**	**12.29**	**45.74**	**36.84**	**—**	**105.39**
निवल अग्रणीत राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	**—**	**414.02**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी)

(रू. करोड़ में)

2. पूँजीगत कार्य प्रगति पर

(क) पूँजीगत कार्य प्रगति पर की काल प्रभावन सूची

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	43.42	20.92	6.52	5.24	76.10
संयंत्र एवं उपकरण	184.16	17.04	17.10	2.66	220.96
रेलवे साइडिंग	27.66	104.71	79.24	66.53	278.14
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	14.21	282.07	34.11	13.52	343.91
अन्य	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
परियोजना के नाम	—	—	—	—	—
कुल	**269.45**	**424.74**	**136.97**	**87.95**	**919.11**

3. अतिदेय पूँजीगत कार्य-प्रगति में

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)				
बिरसा में तालाब खुदाई	0.03	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वाटर एवं 16 बी टाइप क्वाटर का निर्माण	1.23	-	-	-
बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वार्टर एवं 12 सी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	3.12	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण	0.07	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र में 3.15 किमी एप्रोच रोड का निर्माण	2.01	-	-	-
केएसपी में सिंगल स्टोरी डी टाइप क्वार्टर का निर्माण		-	0.08	-
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.01
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.05
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.01
निर्माणाधीन भवन		-	-	0.25
प्रथम श्रेणी यूसी डब्ल्यू / एस बिल्डिंग		-	-	0.01
नए डब्ल्यूटीपी/एसटीपी/पीईटी के निर्माण एवं उन्नयन के लिए मेकॉन को भुगतान		-	-	0.20
कथारा मोड़ से कथारा तक मेन रोड का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण	0.81	-	-	-
प्रोजेक्ट अफसर कार्यालय आम्रपाली का निर्माण	1.35	-	-	-
प्री-फैब बिल्डिंग का निर्माण	12.01	-	-	-
डीएवी स्कूल का विस्तार		-	-	0.94
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	0.08	-	-	-

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
संयंत्र एवं उपकरण				
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना एवं डिजाइन सेवा				0.18
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के लिए सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई एनआईटी सेवाएं				0.11
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.14
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी की स्थापना के लिए एकीकृत बोली दस्तावेज तैयार करना				0.05
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई 58 इंजीनियरिंग दिन अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल रांची द्वारा प्रदान की गई पी एंड डी सेवाओं के लिए शुल्क		-	-	0.24
निर्माण मशीन संख्या 9025 से 9044 के तहत डब्ल्यू / बी	3.34	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
करगली रेलवे साइडिंग की सीमा दीवार का विस्तार	-	0.11	-	
रेलवे साइडिंग	-	-	-	74.44
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
सयाल मोड़ भुरकुंडा से पोटंगा तक, सौंडा सयाल उरीमारी, गिद्दी वाशरी सौंडा, सी/सौंडा के माध्यम से सौंडा डी एवं के.के. खदान से सयाल से खदान तक मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	3.85	-	-	-
उत्तर उरीमारी परियोजना के माध्यम से स्थल कार्यालय के लिए पहुँच सड़क	0.18	-	-	-
एकेके ओसीपी के माध्यम से 05 गहरे बोरवेल उपलब्ध कराना	-	0.08	-	-
एमडीआर-079 पर पुनर्संरेखित डायवर्जन पर बाइ-पास रोड का निर्माण	-	0.10	-	-
आरडी में विकास कार्य	-	-	-	2.71
गोविंदपुर फेस-II में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	2.34	-	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	1.90	-	-	-
राइट्स लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	31.69	-	-	-
एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	274.40	-	-	-
केदला वाशरी	0.33	-	-	-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	2.98	-	-	-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
परियोजना के नाम 1	-	-	-	-
अन्य				
परियोजना के नाम 1	-	-	-	-
कुल	**341.72**	**0.29**	**0.08**	**79.58**

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि :	
1 अप्रैल, 2020 को	449.12
जोड़	51.78
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2021 को	**500.90**
1 अप्रैल, 2021 को	500.90
जोड़	100.90
विलोपन/समायोजन	(27.65)
31 मार्च, 2022 को	**574.15**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2020 को	**0.67**
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	0.44
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2021 को	**1.11**
1 अप्रैल, 2021 को	1.11
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	(0.65)
31 मार्च, 2022 को	**0.46**
निवल वहन राशि	**—**
31 मार्च, 2022 को	**573.69**
31 मार्च, 2021 को	**499.79**
1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया	
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2015 को	176.04
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2015 को	2.21
निवल वहन राशि	**173.83**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति (जारी..)

(रू. करोड़ में)

2. अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के लिए काल प्रभावन सूची

	अन्वेषण के लिए राशि एवं मूल्यांकन की अवधि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:	223.00	39.94	40.25	269.18	572.37
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएं:			1.78		1.78
परियोजना के नाम					
कुल	**223**	**39.94**	**42.03**	**269.18**	**574.15**

3. अतिदेय अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:				
कारो वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.55	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.93	-	-
कोनार सब स्टेशन के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.26	-	-
नई करगली वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा अप्रैल, 2018 के दौरान परियोजना नियोजन के लिए किया गया अनुसंधान एवं विकास कार्य	-	0.05	-	-
कुल	**0**	**1.78**	**-**	**-**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6.1: अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय हेतु कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2020 को	9.42	1.71	—	11.13
जोड	2.88	5.57	—	8.45
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	**12.30**	**7.28**	**—**	**19.58**
1 अप्रैल, 2021 को	12.30	7.28	—	19.58
जोड़	0.02	—	—	0.02
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	12.32	7.28	—	**19.60**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2020 को	6.76	—	—	6.76
वर्ष के लिए शुल्क	1.89	—	—	1.89
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	**8.65**	**—**	**—**	**8.65**
1 अप्रैल, 2021 को	8.65	—	—	8.65
वर्ष के लिए शुल्क	2.29	—	—	2.29
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**10.94**	**—**	**—**	**10.94**
निवल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2022 को	**1.38**	**7.28**	**—**	**8.66**
31 मार्च, 2021 को	**3.65**	**7.28**	**—**	**10.93**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉक के विक्रय से वसूला जाएगा।

2. **भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तत की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।**

सकल वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	—	6.45
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2015 को	—	—	—	—
निवल अग्रणीत राशि	**4.74**	**1.71**	**—**	**6.45**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6.2: विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय हेतु कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2020 को	—	—	—	—
जोड	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
जोड़	11.27	—	—	11.27
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	—	—	**11.27**
संचित प्रावधान एवं हानि				
1 अप्रैल, 2020 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	—	—	—	—
निवल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	—	—	**11.27**
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉक के विक्रय से वसूला जाएगा।
2. **विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए काल प्रभावन सूची**

	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए राशि की अवधि के लिए				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर :	11.27	—	—	—	11.27
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:			—		—
परियोजना का नाम					
कुल	**11.27**	—	—	—	**11.27**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(रू. करोड़ में)

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी - जेसीआरएल में इक्विटी शेयर्स	6,46,31,232 (6,46,31,232)	64.63	64.63
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण		280.90	—
कुल		**345.53**	**64.63**
उद्धत निवेशों का निवल राशि:		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्यः		—	—
अनुद्धत निवेशों का निवल राशिः		345.53	64.63
निवेश के मूल्य में निवल हानिः:		—	—

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(रू. करोड़ में)

विवरण	इकाइयों की संख्या चालू वर्ष / (पूर्ववर्ती वर्ष)	अंकित मूल्य प्रति युनिट (रु. में.)	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई लिक्विड नकद प्लान				
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	132036.446/-	4897.0747/-	64.66	
एसबीआई म्यूचुअल फंड- लिक्विड	47.699/-	3333.0896/-	0.02	—
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड- लिक्विड	41.292/-	2549.7953/-	0.01	—
यूनियन म्यूचुअल फंड- लिक्विड	66.112/-	2050.9509/-	0.01	—
बीओआई म्यूचुअल फंड- लिक्विड	72.574/-	2452.9344/-	0.02	
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान) (व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
अंतर-कॉर्पोरेट जमा में निवेश			—	—
बड़े राज्यों के आधार पर विश्लेषण				
— यूपी			—	—
— हरियाणा			—	—
कुल			**64.72**	—
उद्धत निवेश का संकलित मूल्यः			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्यः			**64.72**	—
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्य:			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरण:

(रू. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमाच्य	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	16,43,941.05	795.00	15,11,904.595	733.07
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	37,74,498.60	1,241.68	37,74,450.90	1,247.55
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	1,86,754.320	47.01	1,86,713.03	47.08
यूनियन म्यूचुअल फंड- लिक्विड	1,48,071.650	29.96	1,48,008.54	30.00
बीओबी म्यूचुअल फंड- लिक्विड	5,01,696.670	121.35	5,01,624.10	121.54
कुल	**62,54,962.290**	**2,235.00**	**61,22,701.172**	**2,179.24**

कंपनी लिक्विड स्कीम (ग्रोथ ऑप्शन) और अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: ऋण

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— संदेहास्पद	—	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य को ऋण		
कॉरपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	2.06	0.49
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	2.06	0.49
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	2.06	0.49

संबंधित पक्षों को गैर- चालू ऋणों का विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
उधारकर्ता का प्रकार	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: ऋण (जारी...)

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट एवं कर्मचारियों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—

संबंधित पार्टियों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(2)(viii) देखें।
2. कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों पर सुरक्षित किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
गैर चालू				
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि		—		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक में जमा		1,365.00		1,250.53
प्रतिभूति जमा	—		—	
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	—	—	—	—
अन्य जमा एवं प्राप्य	—		—	
घटाएं : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	—	—	—	—
कुल		**1,365.00**		**1,250.53**
चालू				
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
उपार्जित ब्याज		28.60		9.45
दावे और अन्य प्राप्य*	83.53		263.05	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	14.29	69.24	15.80	247.25
कुल		**97.84**		**256.70**

1. *चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन-देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन-देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए रु. 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान रु. 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से रु. 3.99 करोड़ की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। रु. 3.99 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से रु. 2.58 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और रु. 1.41 करोड़ के शेष के विरूद्ध रु. 1.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि रु. 1365.00 करोड़ (विगत वर्ष रु. 1250.53 करोड़) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर रु. 408.77 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 365.52 करोड़) का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)|
3. बैंक जमा पर अर्जित ब्याज में शून्य करोड़ रुपये(वि.व. रु. 6.68 करोड़) की खान बंदीकरन योजना के तहत जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है।
4. **एक्क्रो खाता शेष**

प्रारंभिक दिनांक पर एक्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,250.53	1,285.68
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	106.52	115.55
जोड़: वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	43.25	43.72
घटाव: वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	35.30	194.42
अंतिम दिनांक पर एक्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	1,365.00	1,250.53

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तिया

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(i)	अग्रिम पूँजी	1,536.85		667.61	
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	0.16	1,536.69	0.16	667.45
(ii)	**पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम**				
(ए)	अन्य जमा एवं अग्रिम	6.59		6.58	
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	—	6.59	—	6.58
(बी)	प्रगतिशील खान बंदीकरण पर व्यय		750.40		625.58
(सी)	संबंधित पार्टियों को अग्रिम		—		136.59
	कुल		**2,293.68**		**1,436.20**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	पिछला वर्ष (रु. करोड़ में)	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	पिछला वर्ष (रु. करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक/सदस्य भी हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जेसीआरएल	—	—	136.59	136.59
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. अग्रिम पूँजी में टोरी-शिवपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए ईसी रेलवे को दिया गया रु. 348.02 करोड़ (वि.व. 157.04 करोड़ रुपये) शामिल है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	195.70		54.39	
	घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.53	195.17	0.53	53.86
(बी)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	1,506.49		1,329.39	
	घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.89	1,505.60	0.89	1,328.50
(सी)	अन्य अग्रिम और जमा	173.48		162.09	
	घटावः अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता	20.71	152.77	19.12	142.97
(डी)	प्रगतिशील खान बंदीकरण पर किया गया व्यय		95.77		131.07
(ई)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		1,268.51		1,054.64
(एफ)	मेट क्रेडिट पात्रता		—		—
	कुल		**3,217.82**		**2,711.04**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (रु.करोड में)	पिछला वर्ष (रु.करोड में)	चालू वर्ष (रु.करोड में)	पिछला वर्ष (रु.करोड में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक सदस्य भी हैं (कम्पनियॉं के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. खनिजों पर उपकर एवं अन्य कर (वैधीकरण) अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के आधार पर, कंपनी ने, 1992-93 में, ग्राहकों पर 4 अप्रैल, 1991 तक 100.33 करोड़ रुपये उपकर एवं बिक्री कर के पूरक बिल जारी किए। उक्त राशि ग्राहकों से वसूली योग्य है एवं दावा प्राप्य अन्य शीर्ष के तहत दिखाया गया है और संबंधित राशि को "अन्य चालू देयताओं" (नोट -23) शीर्ष के तहत रॉयल्टी एवं उपकर के लिए देय सांविधिक देय राशि में भी शामिल किया गया है।

नोट 12: भंडार सूचीयां

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को	31.03.2021 को
(ए)	कोयले का भंडार	881.21	1,163.03
	विकासाधीन कोयला	—	—
		881.21	**1,163.03**
(बी)	सामान एवं कलपुर्जो का भंडार (लागत पर)	144.46	121.22
	जोड़ः पारगमन पर भंडार	—	1.81
	सामान एवं कलपुर्जो का निवल भंडार (लागत पर)	144.46	123.03
(सी)	केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.75	0.65
(डी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.92	1.96
	कुल	**1,031.34**	**1,288.67**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रु. करोड़ में)

तालिका - ए
वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले के इति भण्डार एवं खाता भण्डार के साथ मिलान

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2021 को प्रारंभिक भण्डार	106.12	784.54	1.21	—	104.91	784.54
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			—	—		
2. वर्ष में उत्पादन	688.46	17,149.59	—	—	688.46	17,149.59
3. उप-योग (1+2)	794.58	17,934.13	1.21	—	793.37	17,934.13
4. वर्ष में प्रेषण						
(क) बाहरी प्रेषण	663.02	16,595.76	—	—	663.02	16,595.76
(ख) वापसी को दिया गया कोयला	55.13	749.26	—	—	55.13	749.26
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—
योग (क)	**718.15**	**17,345.02**	—	—	**718.15**	**17,345.02**
5. प्राप्त भंडार	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11
6. मापित भण्डार	75.98	584.36	1.18	—	74.80	584.36
7. अन्तर (5—6)	0.45	4.75	0.03	—	0.42	4.75
8. अन्तर का विवरण:						
(क) 5%के अन्दर अतिरिक्त	0.30	2.79	—	—	0.30	2.79
(ख) 5%के अन्दर कमी	0.75	7.54	0.03	—	0.72	7.54
(ग) 5%से परे अतिरिक्त	—	—	—	—	—	—
(घ) 5% से परे कमी	—	—	—	—	—	—
9. खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6—8 क+8 ख)	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रु. करोड़ में)

तालिका - बी

कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
			कोकिंग		नन-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	106.12	784.54	1.46	71.25	0.01	0.05	16.49	307.19	124.08	1,163.03
घटाव: गैर बिक्री योग्य कोयला/ मिश्रित कोयला	1.21	—	—	—	—	—	—	—	1.21	—
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (विक्रय योग्य)	104.91	784.54	1.46	71.25	0.01	0.05	16.49	307.19	122.87	1,163.03
उत्पादन	688.46	17,149.59	4.00	318.27	42.67	1,194.33	7.28	399.67	742.41	19,061.86
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	663.02	16596.76	5.28	380.66	42.13	1,188.57	8.24	429.43	718.67	18,594.42
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	55.13	749.26	—	—	—	—	—	—	55.13	749.26
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इति भण्डार	75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21
घटाव: कमी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इति भण्डार (लिया गया)	75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में नॉन कोकिंग स्लरी एवं रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है, लेकिन प्रेषण की मात्रा में नॉन कोकिंग स्लरी 12047 एमटी (वि.व. शून्य) एवं रेजेक्ट्स (कोकिंग एवं नन कोकिंग) 102739 एम् टी(वि. व 147037 एम् टी) शामिल नहीं है।

2. 31.03.2022 को नन कोकिंग स्लरी, कोकिंग एवं नन को किंग रिजेक्ट्स का स्टॉक शेष क्रमशः 231247 मि. ट. (वि. व 242562 मि. ट.) एवं 6511890 मि. ट. (वि. व 6470427 मि. ट.) है, जिसका मूल्य तैयार बाजार की उपलब्धता के अभाव में शून्य पर है। बिक्री को वसूली योग्य आधार पर मान्यता दी जाती है।

3. कोयले के स्टॉक शेष को वॉल्यूमेट्रिक रूप से मापा जाता है एवं पहचाने गए रूपांतरण कारक को लागु करके वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। गणितीय रूप से निर्धारित रूपांतरण कारक को लागु करके वॉल्यूमेट्रिक माप की अंतर्निहित सन्निकटन त्रुटि और वजन में उसके बाद के रूपांतरण का ख्याल रखने के लिए, बुक स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक के बीच (+/-) 5% के अंतर को वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा कंपनी की लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है और 0.42 लाख टन मूल्य के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की निवल कमी रु 4.75 करोड़ को लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अच्छा समझा गया सुरक्षित	—		—	
अच्छा समझा गया असुरक्षित	2,149.65		3,402.53	
ऋण में हानि	288.26		288.26	
	2,437.91		3,690.79	
घटाव: खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	288.26	2,149.65	288.26	3402.53
योग		**2,149.65**		**3402.53**

1. व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूची

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	892.16	351.17	793.56	214.78	(102.02)	2,149.65
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	288.26	288.26
कुल	892.16	351.17	793.56	214.78	186.24	2,437.91
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	288.26	288.26
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	154.78%	11.82%

2. व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

(रू. करोड़ में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	कोयला गुणवत्ता भेद
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	288.26	522.82
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए	—	132.57
शेष प्रावधान	288.26	655.39
घटाव: वापस लिए गए प्रावधान	—	123.40
31.03.2022 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**288.26**	**531.99**

3. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां, कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का निवल रु 531.99 करोड़ (रु 522.82 करोड़) है

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता में	0.39	0.39
चालू खाते में		
— ब्याज सहित (सीएलडी)	67.25	113.94
— गैर ब्याज सहित	597.25	112.34
नकद ऋण खाते में	—	—
(ख) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	0.02
(घ) हस्तगत नकद	—	—
(ड.) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(च) अग्रदाय खाता	0.01	—
उप-कुल नकद एवं नकद समान	**664.91**	**226.69**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निवल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**664.91**	**226.69**

नोट:

1 नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।

2 मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।

3 हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

4 दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) के मामले में खातां सं. - 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई रु. 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	1,374.33	949.00
जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)*	38.71	37.69
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**1,413.04**	**986.69**

अन्य बैंक बैलेंस में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा एवं बैंक जमा शामिल हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के अंदर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

*** जमा में शामिल —**

i. माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 7.12 करोड़ रु ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट: 23) के साथ तदनरूपी देयता के रु. 2.70 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii. नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार रु. 31.59 करोड़ जमा किए गए हैं।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
अधिकृत		
रु. 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर	1,100.00	1,100.00
रु. 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)		
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रु. 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर	940.00	940.00
(रु. 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)		
	940.00	**940.00**

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।
2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कंपनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 1000/-)	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड	9399997 (9399997)	100 (100)	—

3. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
01.04.2017 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को शेष राशि	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2019 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2020 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2021 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2022 को शेष	94,00,000	940.00

4. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/- रु. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17: अन्य इक्विटी

(रू. करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई	कुल
01.04.2020 को शेष	2,246.09	3,315.24	(109.80)	5,451.53
लेखा नीति में परिवर्तन तथा पूर्व अवधि त्रुटि (निवल कर)	—	—	—	—
01.04.2020 को शेष	2,246.09	3,315.24	(109.80)	5,451.53
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,221.28	—	1,221.28
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)	—	—	(64.28)	(64.28)
विनियोग				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	61.06	(61.06)	—	—
अंतरिम लाभ	—	—	—	—
अंतिम लाभ	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
31.03.2021 को शेष	**2,307.15**	**4,475.46**	**(174.08)**	**6,608.53**
01.04.2021 को शेष	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,696.92		1,696.92
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	—	—	(51.39)	(51.39)
विनियोग :				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	84.85	(84.85)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभ	—	(377.88)	—	(377.88)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
31.03.2022 को शेष	**2,392.00**	**5,305.45**	**(225.47)**	**7,471.98**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : उधार

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर-चालू		
सावधी ऋण	—	—
अन्य ऋण	—	—
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	—
चालू		
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
बैंको से		
— बैंक ओवरड्राफ्ट	—	—
— बैंकों से अन्य उधार	—	—
अन्य पार्टियों से	—	—
लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता		
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	—

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि (करोड़ ₹ में)	गारंटी की प्रकृति
लागु नहीं	शून्य	लागु नहीं

1. नकद ऋण सुविधा

कंपनी के पास अपनी होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के संघ (जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक है) से 55 करोड़ रुपये की नकद ऋण सुविधा है। उक्त सुविधाओं को रु. 83.00 करोड़ की सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों जिसमें बुक डेट और कच्चे माल के स्टॉक, अर्ध-तैयार और तैयार माल, स्टोर और पुर्जे जो प्लांट और उपकरण (उपभोज्य स्टोर एवं स्पेयर) से संबंधित नहीं हैं, पर दृष्टिबंधक प्रभार बनाकर सुरक्षित किया गया है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : व्यापार देयताएँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए	6.98	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	1,548.36	1,360.82
कुल	**1,555.34**	**1,360.82**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	1,555.34	1,360.82

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएँ

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	6.98	—	—	—	6.98
(ii) अन्य	1333.95	21.70	57.46	53.59	1466.7
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	—	—	—	81.66	81.66
(v) बिल न किए गए बकाया	—	—	—	—	—
कुल	**1,340.93**	**21.70**	**57.46**	**135.25**	**1,555.34**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	101.07	72.66
अग्रिम राशि	22.12	5.44
अन्य	23.06	6.30
कुल	**146.25**	**84.40**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	57.87	140.15
अदत्त लाभांश	—	—
प्रतिभूति जमा राशि	231.59	141.31
अग्रिम राशि	120.18	104.88
पूँजीगत व्यय के लिए देय*	177.69	402.33
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	485.88	409.62
अन्य	49.98	69.79
कुल	**1,123.19**	**1,268.08**

*निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	610.99	917.80
अवकाश नकदीकरण	283.02	415.30
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	214.36	275.58
अन्य कर्मचारी लाभ	40.79	81.32
	1,149.16	1,690.00
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	982.09	924.17
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	2,987.40	2,262.19
अन्य	—	—
कुल	**5,118.65**	**4,876.36**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	197.13	353.59
अवकाश नकदीकरण	29.56	43.35
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	25.09	26.71
एक्स-ग्रेसिया	250.70	244.13
निष्पादन संबंधी वेतन	178.07	131.90
अन्य कर्मचारी लाभ	17.76	35.02
एनसीडब्ल्यूए -XI	123.30	—
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	—	—
	821.61	834.70
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	—	—
अन्य	—	—
कुल	**821.61**	**834.70**

टिप्पणी :

1. स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण/भूमि का पुनर्ग्रहण का मिलान :

01.04.2021/01.04.2020 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	472.49	472.63
जोडें: प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 31.03.2021/31.03.2020	451.68	612.37
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूँजीकृत सहित)	81.77	78.91
कम: वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	23.85	239.74
31.03.2022/31.03.2021 को खान बंदीकरण प्रावधान	**982.09**	**924.17**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के लिए अनुपात तौर पर 2020-21 के लिए दिया गया रु. 72500/- का प्रावधान किया गया है।

3. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निवल व्यय निर्धारण रु. 215.25 करोड़ हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।

4. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी-सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूँजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2022 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। रु. 1365.00 करोड़ (विगत वर्ष रु. 1250.53 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, रु. 408.778 करोड़ (विगत वर्ष रु. 365.52 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें रु. 982.09 करोड़ (विगत वर्ष रु. 924.17 करोड़) ब्याज सहित है। .

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य गैर-चालू देयताएँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	—	—
आस्थगित आय*	496.58	537.33
कुल	**496.58**	**537.33**

*रेल लाइन / रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए रु. 605.05 करोड़ का अनुदान है एवं सड़क के सदृढीकरण के लिए रु. 4.29 करोड़ दिया गया है। रेल कॉरिडोर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है और सड़क की 10 वर्ष है। परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को देखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में रु. 40.75 करोड़ की राशि को आय के रूप में अभिज्ञात की गयी है।

नोट 23 : संचालन से आय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वैधानिक देय	1,051.22	921.19
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	1,985.88	1,965.88
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	—	—
अन्य देयताएँ	0.55	2.68
योग	**3,037.75**	**2,889.75**

नोट 24 : संचालन से आय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
क. कोयले की बिक्री		18,585.25		15,900.51
घटाव: वैधानिक लेवी		6,233.12		5,126.19
कोयले की बिक्री (निवल)(क)		**12,352.13**		**10,774.32**
ख. अन्य संचालित आय				
लोडिंग एवं यातायात शुल्क	761.90		697.44	
घटाव : वैधानिक लेवी	36.28	725.62	33.21	664.23
निकासी सुविधा शुल्क	429.10		342.66	
घटाव : वैधानिक लेवी	20.43	408.67	16.32	326.34
अन्य संचालित आय (निवल)(ख)		**1,134.29**		**990.57**
संचालन से आय (क+ख)		**13,486.42**		**11,764.89**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट-38 के अंक 6(एम) में उल्लेख लिया गया है।

रु. 9.17 करोड़ (वि.व. 318.33 करोड़ रुपए प्रत्याहीत) के रेफरी/थर्ड पार्टी सैम्पलर से प्रतीक्षित परिणामों के लिए कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए अनुमानित प्रावधान(निवल विपर्यय) से कोयले की बिक्री कम कर दी गई है।

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य आय

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय'	93.99	78.65
लाभांश आय	—	0.01
अन्य गैर संचालित आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.15	—
विदेशी मुद्रा के लेन-देन से प्राप्ति	—	—
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	**8.85**	—
लीज लगान	**0.19**	4.11
वापस लिया गया देयता/प्रावधान*	**125.02**	108.53
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	**0.11**	—
विविध आय	105.38	99.98
कुल	**333.69**	**291.28**

1. ब्याज आय में एस्क्रौ एकाउन्ट पर रु. 41.38 करोड़ (विगत वर्ष रु. 47.62 करोड़) के ब्याज के साथ रु. शून्य (विगत वर्ष रु. 6.68 करोड़) के उपार्जित ब्याज शामिल है। (नोट सं - 09 देखें)

2. ब्याज में आयकर वापसी पर ब्याज शून्य(वि. व. शून्य) शामिल है।

(रु. करोड़ में)

वर्णन	2021-22	2020-21
पीआरपी	42.93	—
प्रतिभूति जमा/ इएमडी	4.42	2.70
एमसीपी	7.19	60.98
वेतन और मजदूरी	28.89	28.71
संविदात्मक और स्टोर देयता	37.02	15.52
अन्य	4.57	0.62
कुल	**125.02**	**108.53**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	264.84	170.98
लकड़ी	—	0.14
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	416.63	350.62
एचईएमएम् कलपुर्जे	130.15	161.35
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	43.53	47.30
कुल	**855.15**	**730.39**

नोट 27: तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचीयों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन		
कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,163.03	1,103.27
कोयले का शेष भंडार	881.21	1,163.03
	281.82	**(59.76)**
बी. कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन		
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	1.96	4.29
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	4.92	1.96
	(2.96)	**2.33**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी) {कमी/(अभिवृद्धि)}	**278.86**	**(57.43)**

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	4,247.07	3,863.35
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,022.67	1,168.60
कर्मचारी कल्याण व्यय	205.88	200.75
कुल	**5,475.62**	**5,232.70**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	53.14	46.46
कुल	**53.14**	**46.46**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का रु. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, रु. 50.25 करोड़ होता है। (विगत वर्ष रु. 46.46 करोड़)

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):

भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन	0.05	15.72
शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित	3.45	3.00
पर्यावरणीय स्थिरता	0.63	2.14
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	—	—
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	3.84	7.41
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	—	0.54
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.40	0.38
स्लम क्षेत्र का विकास	—	0.01
पेय जल	3.16	3.82
स्वास्थ्य सेवा	11.37	21.94
स्वच्छता	0.64	1.47
निःशक्तजनों का कल्याण	0.09	0.09
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.23	0.03
अन्य	0.95	0.05
कुल	**24.81**	**56.60**
जोड़ें: पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग वर्तमान अवधि में किया गया	**10.14**	—
कुल योग	**34.95**	**56.60**

गतिविधिवार खर्च किए गए सीएसआर व्यय के ब्योरे के साथ अभिज्ञात सीएसआर व्यय का मिलान

गतिविधि अनुसार व्यय की गयी सीएसआर राशि	34.95	56.60
घटाव: किया गया अतिरिक्त सीएसआर व्यय	—	10.14
जोड़: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	—	—
जोड़ें: चालू परियोजना पर अव्ययित सीएसआर राशि	18.19	—
वर्ष के दौरान अभिज्ञात सीएसआर व्यय	**53.14**	**46.46**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (जारी ...)

ख. सीआरएस व्यय का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण			नकद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(ए)	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि				50.25
(बी)	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि				50.25
(सी)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः				
	(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	1.39	0.98	2.37
	(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	27.60	23.17	50.77
		कुल	**28.99**	**24.15**	**53.14**

ग. चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(रु. करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अनुसूची VII के निर्दिष्ट निधि में 6 महीने के अंदर जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	—	—	—	—	—

घ. व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
2020-21	—	46.46	56.60	10.14
2021-22	10.14	50.25	24.81	(15.30)

ङ. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि		समापन राशि	
	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाता से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2021-22	—	—	50.25	34.95	—	—	15.30

च. सीएसआर व्यय देयता के लिए प्रावधान

(रु. करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान समायोजन	समापन राशि
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (व्यापार देयता में शामिल - नोट संख्या 19)	23.67	3.77	1.97	25.47

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30: मरम्मतें

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	125.12	153.55
सयंत्र एवं मशीनरी	143.64	110.47
अन्य	4.44	23.89
कुल	**273.20**	**287.91**

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	522.47	552.92
वैगन लदायी	46.41	41.18
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,208.18	927.21
अन्य संविदात्मक कार्य	90.04	116.80
कुल	**1,867.10**	**1,638.11**

नोट 32 : वित्तीय लागत

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	4.98
छूट पर रियायत	81.77	78.91
अन्य	—	—
कुल	**81.77**	**83.89**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33 : प्रावधान

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
भत्ता/ इसके लिए किया गया प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	4.88
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	5.40
भंडार एवं कल पुर्जे	3.41	2.65
अन्य	—	—
कुल	**3.41**	**12.93**

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निवल)

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	—	—
घटावः पहले दिए गए	—	—
	—	—
संदेहात्मक अग्रिम	0.03	—
घटावः पहले दिए गए	—	—
	0.03	—
कुल	**0.03**	**—**

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : अन्य व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	17.92	21.26
प्रशिक्षण व्यय	13.24	11.09
टेलीफोन एवं डाक	14.43	6.77
विज्ञापन एवं प्रकाशन	1.89	1.90
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	39.29	21.20
सुरक्षा व्यय	315.98	285.87
सीआईएल का सेवा शुल्क	137.70	62.59
किराया शुल्क	72.41	55.90
सीएमपीडीआइ के लिए कंसल्टेंसी चार्ज	93.59	74.54
कानूनी व्यय	1.61	1.76
परामर्श शुल्क	1.88	1.47
अंडर लोडिंग शुल्क	150.73	154.28
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	—	1.52
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.29	0.36
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.40	0.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.19
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.30	3.15
पुनर्वास शुल्क	43.12	39.20
किराया	0.50	0.57
दरें एवं कर	151.68	152.57
बीमा	0.94	0.71
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
अन्य बचाव / सुरक्षा खर्च	2.10	2.49
समाप्त किराया/सुरक्षा किराया	0.15	0.15
साइडिंग रख-रखाव शुल्क	18.55	22.83
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.20	—
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	9.94	6.41
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	110.84	82.25
कुल	**1,202.79**	**1,011.26**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार रु. 43.12 करोड़ रुपये(वि. व. 39.20 करोड़ रुपये) के पुनर्वास शुल्क को 6 रूपए प्रति टन कोयला लदान के आधार पर डेबिट किया जाता है।

2. विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि प्रदान करने के लिए उत्पादित कोयले पर सीआईएल से प्राप्त विकलन ज्ञाप के आधार पर सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा लगाया गया रु. 137.70 करोड़ (वि.व. 62.59 करोड़ रुपये)सेवा शुल्क @ रु 20 प्रति टन (वि.व. 10 रुपये प्रति टन)।

.

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : कर व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	403.14	522.60
आस्थगित कर	(5.13)	169.30
पूर्व के वर्ष	—	—
कुल	**397.81**	**691.90**
कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा कर सामंजस्य		
कर से पूर्व लाभ	**2,094.73**	**1,913.18**
कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर	527.20	481.51
कर का प्रभावः		
कर छूट प्राप्त आय	—	—
कर उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति	—	—
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(124.06)	41.09
पिछले वर्ष के लिए समायोजन	—	—
आस्थगित कर देयता आस्थगित कर	(5.33)	169.30
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**397.81**	**691.90**
प्रभावी आयकर दर	**18.99%**	**36.16%**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएँ)		
आस्थगित कर देयताएँ:		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	215.65	213.32
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	501.37	438.39
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	131.88	114.85
कुल आस्थगित कर संपत्ति (ए)	**848.90**	**766.56**
आस्थगित कर देयता :		
अचल संपत्तियों से संबंधित	169.43	92.42
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता (बी)	**169.43**	**92.42**
निवल (सी = ए-बी)	**679.47**	**674.14**
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (डी)	—	—
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयता) (सी+डी)	**679.47**	**674.14**

31 मार्च, 2022 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनः मापन	(68.68)	(85.90)
	कुल (ए)	**(68.68)**	**(85.90)**
(बी)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	(17.29)	(21.62)
	कुल (बी)	**(17.29)**	**(21.62)**
	कुल (सी = ए - बी)	**(51.39)**	**(64.28)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर आयकर में चालू कर में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (17.29) करोड़ (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (21.62) करोड़ एवं /या आस्थगित कर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (शून्य) करोड़ (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (शून्य) करोड़, शामिल है।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश* :	—	—	—	—
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	2.06	—	0.49
जमा एवं प्राप्य	—	1,462.84	—	1,507.23
व्यापार प्राप्य	—	2,149.65	—	3,402.53
नकद एवं नकद समतुल्य	—	664.91	—	226.69
अन्य बैंक शेष	—	1,413.04	—	986.69
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	—
व्यापार देय	—	1,555.34	—	1,360.82
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	474.96	—	324.29
अन्य देयताएँ	—	794.45	—	1,028.19

* ऊपर शामिल नहीं, अनुषंगी पर इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31.03.2022 पर रु.345.53 करोड़ है (31.03.2021 पर रु. 64.63 करोड़)।

(ख) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। (ख)परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(रु. करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश :				
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2022 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	345.53	—	64.63
ऋण	—	2.06	—	0.49
जमा एवं प्राप्य	—	1,462.84	—	1,507.23
व्यापार प्राप्य	—	2,149.65	—	3,402.53
नकद एवं नकद समनुल्य	—	664.91	—	226.69
अन्य बैंक शेष	—	1,413.04	—	986.69
वित्तीय देयताएँ				
उधार	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1,555.34	—	1,360.82
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	474.96	—	324.29
अन्य देयता	—	794.45	—	1028.19

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1: चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निवल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

चरण 2: वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3: यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएँ के संबंध में लागु हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापना।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ङ) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है एवं अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चरण के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का उद्देश्य, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफलता से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताएँ में व्यापार और अन्य देयताएँ शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना एवं इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान उजागर होता है और प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करता है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

क. ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम प्रबंध :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर
- उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन-पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले का ई-नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई-नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय-समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कंपनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31.03.2022 को

(रू. करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	474.62	416.39	352.96	963.37	274.31	515.23	2,996.88
अनुमानित हानि दर (%)	(0.14)	(0.11)	0.51	15.25	21.70	100.00*	27.62
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	(0.68)	(0.46)	1.80	142.80	59.53	329.00	531.99

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31-03-2021 को

(रू. करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	1,020.24	1150.88	654.94	812.77	116.48	458.30	4,213.61
अनुमानित हानि दर (%)	16.00	9.37	6.30	7.18	64.10	100.00*	19.25
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	1.59	107.80	41.28	58.39	74.67	239.09	522.82

* अग्रिम के साथ ग्राहकों के खिलाफ प्रावधान शामिल है

हानि भत्ता प्रावधान का पुनः मिलान - व्यापर प्राप्य

(रू. करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2021 को हानि के लिए प्रावधान	288.26	522.82
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	—	9.17
31.03.2022 में हानि के लिए प्रावधान	288.26	531.99

वित्तीय परिसंपत्तियाँ के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में धारणाएँ पर आधारित किया गया है। कंपनी के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार कंपनी हानि की गणना के लिए, इन धारणाएँ के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

ख. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूँजी ऋण सीमा रू. 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा रू. 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, रू. 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

ग. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागु किया जाता है।

(ख) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कंपनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख-रखाव करना, कंपनी की नीति है।

कंपनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूँजी प्रबंधन

सरकारी स्वामित्व होने के कारण कंपनी अपने पूँजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्तियां प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कंपनी का पूँजीगत ढांचा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक - 19)

3.1 परिभाषित लाभ योजनाए:

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी में पात्र कार्मिकों के लिए नियोजन उपरांत परिभाषित लाभ योजना ("प्रतिभूति योजना") का लाभ प्रदान करती है। प्रतिभूति योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं यथा संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कंपनी से अलग होने के समय प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की प्रतिभूति राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन* अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) जिसकी सीमा अधिकतम रु. 0.20 करोड़ रुपये होगी। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाएँ में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

((ख)सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना लागु है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे कंपनी के अस्पताल/पैनल में सम्मिलित अस्पतालों या आउट पेशेंट/डोर्मेट्री में अधिकारियों व उनके पति या पत्नी को कॉमन कोल कैडर योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति या समय-समय पर निर्मित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जातीं है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में बिना किसी ऊपरी सीमा के, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

3.2 परिभाषित अंशदान योजनाएं

i. भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि एवं पेंशन कोष में भुगतान करती है अर्थात भविष्य निधि एवं पेंशन कोष के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का क्रमशः 12% और 7% कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को भुगतान करती है। 31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान फंड के लिए योगदान 622.98 करोड़ रुपये (598.39 करोड़ रुपये) लाभ और हानि के विवरण (नोट 28) में दिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना(सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक अंश के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है तथा इसे प्रभारित व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण सूचीत किया गया है।

iii. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को एकमात्र उक्त उद्देश्य से गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का बाध्यता है कि अधिकारी के भविष्य निधि, प्रतिभूति, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान को घटाकर कंपनी का अंशदान अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक न हो। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

3.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

i. अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान की छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75%ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ii. जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचीत किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

iii. सेटलमेंट भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

iv. ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) बीमा लिया है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

v. छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000/- और 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

vi. खान दुर्घटना लाभ अनुसार आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत संदत्त लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है जो 7.11.2019 से प्रभावी है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब एक घटना होता है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित योगदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नानुसार हैंः

i. निधिक

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ
- भविष्य निधि
- पेंशन योजनायें

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ii. अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

दिनांक 31.03.2022 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि रु.3980.61 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(रू. करोड़ में.)

विवरण	01.04.2021 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/ समायोजन	31.03.2022 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2,757.22	39.51	2,796.73
अवकाश	586.71	-58.88	527.83
लाइफ कवर स्कीम	10.46	-10.46	0
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	7.83	4.01	11.84
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.53	-4.31	12.22
सामूहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.14	-0.14	0
एलटीसी	44.16	-9.74	34.42
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	285.05	-59.11	225.94
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	13.6	358.03	371.63
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	32.82	-32.82	0
कुल	**3,754.52**	**226.09**	**3,980.61**

3.4 बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है

31.03.2022 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	135.05	135.70
2	विगत सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	135.05	135.70
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	54.25	57.61
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	189.30	193.31

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

बी	अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	127.00	99.67
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(55.26)	10.51
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	71.74	110.18
4	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	14.15	(6.39)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.90	103.79
सी	परिभाषित लाभ लागत	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	सेवा लागत	135.05	135.70
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	54.25	57.61
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.90	103.79
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	275.20	297.10
डी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट की दर	अनुपलब्ध	6.85%
2	वेतन वृद्धि की दर	अनुपलब्ध	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2022 को निवल तुलन पत्र की स्थिति

(रू. करोड़ में.)

ए	निवल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-2,757.22	-2,796.73
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	1,586.11	1,988.60
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-1,171.11	-808.12
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1,171.11	-808.12
बी	निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-946.95	-1,171.11
2	सेवा लागत	-135.05	-135.70
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-54.25	-57.61
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-85.90	-103.79
5	नियोक्ता योगदान	51.04	471.07
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	189.01
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1,171.11	-808.12
सी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट दर 6.85% 6.80%	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में.)

ए		31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,686.86	2,757.22
2	वर्तमान सेवा लागत	135.05	135.70
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	173.44	175.78
4	कटौती (ऋण)/लागत	—	—
5	निपटान (ऋण)/लागत	—	—
6	पिछली सेवा कास्ट-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	127.00	99.67
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	-55.26	10.50
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	-189.01
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-309.87	-193.14
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	2,757.22	2,796.73
बी	परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1,739.91	1,586.11
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	119.18	118.17
4	नियोक्ता योगदान	51.04	471.07
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-14.15	6.39
6	भुगतान किया गया लाभ	-309.87	-193.14
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	1,586.11	1,988.60

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2023	203.73
2	मार्च 31, 2024	209.89
3	मार्च 31, 2025	218.47
4	मार्च 31, 2026	255.79
5	मार्च 31, 2027	304.70
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032	1,570.43
7	10 साल से परे	2,641.19
बी	**31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	64.03
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	8 वर्ष
डी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**	2,026.14
ई	**31 मार्च 2022 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**	प्रतिशत

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय एवं राज्य)			0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड सहित)			0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर			0.00%
4	संपत्ति			0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)			0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद			100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद			0.00%
8	अन्य			0.00%
	कुल			100.00%
एफ	**31 मार्च 2022 तक वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**			
		कार्यकारी	**गैर कार्यकारी**	**कुल**
1	चालू देयताएँ	19.78	177.36	197.14
2	गैर-चालू संपत्ति/(देयता)	162.88	2,436.71	2,599.59
3	**31 मार्च 2022 तक देयताएँ**	182.66	2,614.07	2,796.73

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक19 के अनुछेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**2796.73**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-101.97
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	109.11
	प्रतिशत प्रभाव	4%
बी	**31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	43.14
	प्रतिशत प्रभाव	2%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	-45.80
	प्रतिशत प्रभाव	-2%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	2,086	2,257
2	कुल मासिक वेतन (रु)	26.21	30.08
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	314.48	360.92
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.15	0.16
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	43.64	42.39
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	17.34	15.57

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

	गैर कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	34,563	33,403
2	कुल मासिक वेतन (रु)	216.59	222.38
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,599.14	2,668.57
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.07	0.08
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.07	45.34
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	20.63	20.74
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
	छूट दर	6.85%	6.80%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31.03.2022 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	78.30	88.13
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	78.30	88.13

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	15.83	21.90
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	123.80	21.89
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	217.93	131.91
बी	अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	134.17	17.32
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-14.79	2.56
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	119.38	19.88
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	4.42	2.00
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
सी	परिभाषित लाभ लागत	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	सेवा लागत	78.30	88.13
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	15.83	21.90
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	123.80	21.89
5	**परिभाषित लाभ लागत**	217.93	131.91
डी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट की दर	अनुपलब्ध	6.85%
2	वेतन वृद्धि की दर	अनुपलब्ध	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2022 तक निवल तुलन पत्र की स्थिति

(रू. करोड़ में.)

ए	निवल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-586.71	-527.83
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	128.06	215.25
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-458.65	-312.58
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-458.65	-312.58
बी	निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-309.22	-458.65
2	सेवा लागत	-78.30	-88.13
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-15.83	-21.90
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-123.80	-21.89
5	नियोक्ता योगदान	68.50	140.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	137.97

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-458.65	-312.58
सी	धारणाएं	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट दर 6.85% 6.80%	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	515.36	586.71
2	वर्तमान सेवा लागत	78.30	88.13
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	29.95	33.33
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	134.17	17.32
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	-14.79	2.56
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	-137.97
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-156.28	-62.24
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	586.71	527.83
बी	परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	206.14	128.06
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	14.12	11.44
4	नियोक्ता योगदान	68.50	140.00
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-4.42	-2.00
6	भुगतान किया गया लाभ	-156.28	-62.24
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	128.06	215.25

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(रु. करोड़ में.)

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2023	30.55

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

2	मार्च 31, 2024			37.02
3	मार्च 31, 2025			41.63
4	मार्च 31, 2026			43.90
5	मार्च 31, 2027			48.72
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032			238.92
7	10 साल से परे			838.24
बी	**31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**			139.19
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**			10 वर्ष
डी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**			301.75
ई	**31 मार्च 2022 तक योजना संपत्ति की जानकारी**			**प्रतिशत**
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)			0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर बॉन्ड सहित)			0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर			0.00%
4	संपत्ति			0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)			0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद			100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद			0.00%
8	अन्य			0.00%
	कुल			100.00%
एफ	**31 मार्च 2022 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता की ब्रेकअप**			
		कार्यकारी	**गैर कार्यकारी**	**कुल**
1	वर्तमान देयता	10.23	19.33	29.56
2	गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	146.65	351.62	498.27
3	**31 मार्च 2022 को देयता**	156.88	370.95	527.83

नोटः यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**527.83**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-24.65
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	26.89
	प्रतिशत प्रभाव	5%
बी	**31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	26.68
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	-24.70
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	2,086	2,257
2	कुल मासिक वेतन (रु)	26.21	30.08
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	314.48	360.92
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.15	0.16
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	43.64	42.39
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	2,06,361	182986
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	1,21,390	60,513.50
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या	34,563	33,403
2	कुल मासिक वेतन (रु)	216.59	222.38
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,599.14	2,668.57
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.08
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.07	45.34
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	18,87,076	16,64,156
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	—	—
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
	छूट दर	6.85%	6.80%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

प्रतिरूप मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31.03.2022 को पीआरएमबी का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में.)

ए	(लाभ)/हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	वर्तमान सेवा लागत	13.49
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93
3	कटौती लागत/(ऋण)	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—
5	सेवा लागत	292.42
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	19.06
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	311.48
बी	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**	
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-50.08
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	32.57
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-17.51
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	-17.59
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-35.11
सी	**परिभाषित लाभ लागत**	
1	सेवा लागत	292.42
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	19.06
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-35.11
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	276.38
डी	**अनुमान के रूप में**	
1	छूट की दर	6.85%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	Not available

तालिका 2

निवल तुलन पत्र की स्थिति का विकास

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-597.57
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	358.13
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-239.44
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-239.44
बी	**निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**	
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-175.09

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
2	सेवा लागत	-292.42
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-19.06
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	35.11
5	नियोक्ता योगदान	212.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—
8	विनिवेश	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-239.44
सी	**अनुमान के रूप में**	
1	छूट की दर	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.65
2	वर्तमान सेवा लागत	13.49
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	34.43
4	कटौती लागत/(ऋण)	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	-50.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	28.85
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	3.72
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-10.42
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	597.57
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	123.56
2	अधिग्रहण समायोजन	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	15.37
4	नियोक्ता योगदान	212.02
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	17.59
6	भुगतान किया गया लाभ	-10.42
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	358.13

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2023	25.92
2	मार्च 31, 2024	28.52
3	मार्च 31, 2025	31.12
4	मार्च 31, 2026	33.74
5	मार्च 31, 2027	36.45
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032	219.29
7	10 साल से परे	1300.46
बी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	13 years
सी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**	597.57

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**597.57**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-35.55
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	39.38
	प्रतिशत प्रभाव	7.00%

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	2,086	2,257
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	2,692	2251
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	43.64	42.39
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	अनुपलब्ध	69.06
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	17.34	15.57
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	34,563	33,403
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	783	5147
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	45.07	45.34
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	N/A	67.99
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	20.63	20.74

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

धारणाएँ

धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
छूट की दर	6.85%	6.80%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	0.00%
मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	अनुपलब्ध	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)
औसत चिकित्सा लागत (रु)	अनुपलब्ध	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-रु 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- रु 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- रु 18,000 प्रति वर्ष।
जीवनसाथी की उम्र का अंतर	अनुपलब्ध	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
निकासी दर	0.30%	0.30%

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदर की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

4. अनभिज्ञ मद

(क) आकस्मिक देयताएँ

i. कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है

(रू. करोड़ में.)

क्रं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1,901.08	17,291.24	—	467.74	19,660.06
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	249.79	717.26	—	85.19	1,052.24

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(रू. करोड़ में.)

क्रं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	क. प्रारंभिक शेष से	1.85	32.18	—	10.86	44.89
	क. वर्ष के दौरान योग से	0.01	—	—	—	0.01
	क. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान (क+ख)	1.86	32.18	—	10.86	44.90
4	31.03.2022 को अंतिम शेष	2149.01	17,976.32	—	542.07	20,667.40

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग :

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए।

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है पुनर्रीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश रु.13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रु.13568.50 करोड़) पर स्थगन आदेश दिया है।

42 परियोजनाओं के संबंध में सीसीएल के पक्ष में डिमांड नोटिस जारी किया गया था और सीसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा इस मुद्दे को निपटाया जा रहा है, इसलिए, इसे सीसीएल के मुख्यालय के आकस्मिक दायित्व के तहत रखा गया है।

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	**केन्द्र सरकार:**		
	आयकर	1,050.02	809.10
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	153.83	134.81
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	941.66	954.78
	सेवा कर	3.51	2.39
	अन्य	—	—
	उप - कुल	**2,149.01**	**1,901.08**
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी:**		
	अधिशुल्क	2,365.64	1,715.72
	पर्यावरण मंजूरी / होल्डिंग टैक्स	13,568.50	13,568.50
	बिक्री कर/वैट	1,452..85	1,463.21
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	88.96	97.33
	एमएडीए और अन्य	475.37	421.48
	उप - कुल	**17,976.32**	**17,291.24**

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(रू. करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही	—	—
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	—	—
	अन्य	—	—
	उप- कुल	—	—
	अन्यः		
4	विविध	542.07	467.74
	उप- कुल	**542.07**	**467.74**
	कुल	**20667.40**	**19,660.06**

8.16 करोड़ रुपये का समायोजन, जो विगत वर्ष से संबंधित है, को इस वर्ष में इसके अतिरिक्त / निपटान स्तंभ में शामिल किया गया है।

ii. गारंटी

31.03.2022 को जारी बैंक गारंटीः रु. 433.11 करोड़ (विगत वर्ष 433.11 करोड़ रुपये)।

iii. साख पत्र

31.03.2022 को बकाया साख पत्रः शून्य (विगत वर्ष 6.42 करोड़ रुपये)।

(ख) प्रतिबद्धताएं

पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और 31.03.2022 को प्रदान नहीं की गईः रु 3881.83 करोड़ (विगत वर्ष 816.36 करोड़ रुपये)।

31.03.2022 को अन्य प्रतिबद्धताएं: रु 9783.74 करोड़ (विगत वर्ष रु 789.00 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज%	
			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	73.67 %	73.67 %

6. अन्य सूचनाएं

(क) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2022 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं:

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(रु. करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन /वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2022 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ती, संयंत्र एवं उपकरण:					
परिसंपत्ति पर हानि	63.49	9.30	(10.53)	—	62.26
नोट 4: प्रगति पर पूँजी कार्य:					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ:	15.54	5.06	(2.32)	—	18.28
नोट 5: अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ती:					
प्रावधान एवं हानि:	1.11	—	(0.65)	—	0.46
नोट 8: ऋण					
अन्य ऋण:	—	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ती :					
अन्य जमा एंव प्राप्य	—	—	—	—	—
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	—	—	—	—	—
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	15.80	—	(1.51)	—	14.29
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूँजी	0.16	—	—	—	0.16
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.53	—	—	—	0.53
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.89	—	—	—	0.89
अन्य अग्रिम एवं जमा	19.12	1.59	—	—	20.71
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधानः	288.26	—	—	—	288.26
नोट 21:- गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
एक्स- ग्रेसिया	244.13	250.70	(244.13)	—	250.70
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	131.90	112.51	(66.34)	—	178.07
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता X के प्रावधान	—	—	—	—	—
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	924.17	—	(23.85)	81.77	982.09

(ख) खंड रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगी हुई है। ब्याज और अन्य आय से होने वाली आय कुल राजस्व के 10% से कम है, इसलिए इसके लिए कोई अलग खंड मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ	1,696.92	1,221.28
(ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य रु.1000/ - प्रति शेयर)	1,805.23	1,299.23

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(घ) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड:

i. एलआईसीआई के समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।

ii. एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।

iii. एलआईसीआई के नई समूह छुट्टी नकदीकरण योजना।

iv. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।

v. कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

vi. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007

ए. संबंधित पक्षों की सूची

i. होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड

ii. सहयोगी कंपनियां

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

iii. अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

संबंधित पक्षों से लेन-देन

(रू. करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	अन्य /निवेश	चालू खाता शेष (देय/प्राप्य)	बकाया शेष (देय / प्राप्य))
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	147.09	43.11	—	—	—	381.31	(57.66)	—
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	135.18	—	64.84*
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	1.70	—	—	1.84
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	280.90**	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

* सीएमपीडीआईएल को रु. 64.84 करोड़ की देय बकाया राशि जीएसटी को छोड़कर है क्योंकि मूल बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जीएसटी सहित राशि रु 76.52 करोड़ होती है।

** सीसीएल बोर्ड ने 06.11.2021 को आयोजित अपनी 508वीं बोर्ड बैठक में 136.59 करोड़ रुपये के अग्रिम के जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के लिए रूपांतरण की सिफारिश की। सीसीएल बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 144.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी करने की भी मंजूरी दी। हालांकि, भारतीय लेखा मानक 32 के प्रावधान के अनुसार इसे इक्विटी में निवेश के रूप में माना गया है।

iv. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	इस तिथि से
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु (अतिरिक्त प्रभार के आधार पर)	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	01.01.2022
श्री एस.के. गोमस्ता	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	01.11.2021
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	01.07.2021
श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	निदेशक (कार्मिक)	23.07.2021
सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, कोयला मंत्रालय	सरकार के नामित निदेशक	03.01.2022
श्री विनय रंजन	सरकार के नामित निदेशक	05.08.2021
श्रीमती जजुला गौरी	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री हरबंस सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	1.49	3.36
	चिकित्सा लाभ	—	0.01
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.12	0.16
	ग्रैच्युटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.12	0.49
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	0.48	0.81
	एनपीएस में योगदान	0.07	0.09
iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.79	0.00
	कुल	**3.07**	**4.92**

टिप्पणी:

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटींग शुल्क	0.21	0.29

31.03.2022 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
i)	देय राशि	—	—
ii)	प्राप्य राशि	—	—

(ङ) तात्कालिक लेखांकन घोषणाएँ

कंपनी ने 24 मार्च 2021 की जीएसआर(ई) अधिसूचना के अनुपालन में अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक संशोधन शामिल किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताई गयी है कि- कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों समय-समय पर जारी में नए मानक या संशोधन को अधिसूचीत करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने जीएसआर 255 (ई) के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागु है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(च) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(छ) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(ज) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी-चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(झ) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी-परिसम्पत्तियों के अलावा दूसरी परिसम्पत्तियों तथा गैर-मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(ञ) चालू देयताएँ

जहाँ वास्तविक देयताएँ, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(ट) शेष पुष्टिकरण

नकद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएँ तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(ठ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

i. कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचीत भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

ii. लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की बेहतर समझ के लिए, खंड 2.12 अमूर्त संपत्ति और 2.18 कर्मचारी लाभ 2.24.2.3 अनुमान एवं धारणाओं में महत्वपूर्ण लेखा नीति को संशोधित/फिर से परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन के कारण 31.03.2022 को कोई पूर्वव्यापी वित्तीय प्रभाव नहीं है और साथ ही वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है। कृपया लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोटों- नोट-38 के खंड 7.24 को भी देखें।

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचीत भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट -2) को तैयार किया गया है।

लेखा नीति में परिवर्तन की तालिका

व्यापक श्रेणी	पुरानी लेखा नीति	नई लेखा नीति
2.12 **अमूर्त परिसंपत्तियां**	अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।	लाइनें हटाई गई
2.18.1 **अल्पकालिक लाभ**	सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वह कर्मचारी लाभ (टर्मिनेशन लाभ के अलावा) हैं जिसका पूरा निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बारह महीने से पहले अपेक्षित है। सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
2.18.3 **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**	एक परिभाषित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति उपरांत भविष्यनिधि एवं पेंशन भुगतान के लिए एक लाभकारी योजना है जिसके तहत विधि द्वारा अधिनियमित एक पृथक वैधानिक निकाय (कोयला खान भविष्यनिधि) द्वारा बनाए गए कोष में कंपनी एक निश्चित अंशदान करती है तथा कंपनी के पास भविष्य में अतिरिक्त राशि के भुगतान का कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं रहेगा।	एक परिभाषित योगदान योजना एक रोज़गार उपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

व्यापक श्रेणी	पुरानी लेखा नीति	नई लेखा नीति
	कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना और खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि को भी उसी आधार पर चिह्नित किया जाता है जो परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित है। इन लाभों के लिए कोई विशिष्ट निधि नहीं है।	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार उपरांत लाभ एवं समाप्ति लाभ के अलावा अन्य सभी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं।
		अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिनके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।
		अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है: (क) सेवा लागत (ख) निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज (ग) निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप
2.24.2.3	**परिभाषित लाभ योजनाएं**	**2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं**
		परिभाषित लाभ योजना की लागत एवं अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और दायित्व का वर्तमान मूल्य वास्तविक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक वास्तविक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण शामिल है; भविष्य के वेतन में वृद्धि एवं मृत्यु दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व उक्त पूर्वानुमान के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तनीय पैरामीटर डॉक्यूमेंट रेट है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन नियोजन पश्चात लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप ही सरकारी बांड की ब्याज दरों में मुद्रा पर विचार करता है। मृत्यु दर देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है।

(ड) लीज

i. ईसीएफडी ने 12.11.2020 को आयोजित अपनी 67वीं बैठक में सीसीएल और मेसर्स इंपीरियल फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड के बीच 2X10 मे.व. क्षमता के कथारा कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए दिनांक 14.10.2005 के अनुबंध समझौते को समाप्त करने की मंजूरी दी है।

ii. पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की 15.50 एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 7.90 करोड़ रु. (वि.व. 7.90 करोड़ रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 7.90 करोड़ (वि. व. रु. 7.90 करोड़) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य रु. (वि. व. शून्य रु.) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान रु. 2.79 करोड़ है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)	एक वर्ष तक	0.19	0.19
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.77	0.77
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	1.83	2.02
	कुल	**2.79**	**2.98**

iii. लीज समझौते के तहत ईआईपीएल को कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 4,968 रु. (वि.व. 4,968 रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 4,968 (वि. व. रु. 4,968) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य रु. (वि. व. शून्य रु.) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान रु. 0.96 लाख है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है::

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)	एक वर्ष तक	0.12	0.12
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.48	0.48
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	0.36	0.48
	कुल	**0.96**	**1.08**

(ढ) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 'परिचालन खंड' के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर खंड सुचना को प्रस्तुत करने के लिए परिचालन खंड का उपयोग किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया एवं फैसला लिया है कि वर्तमान में, कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन एवं परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निवल)	12,352.13	शून्य

ग्राहक अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निवल) वाले ग्राहक के नाम	राशि	देश
ग्राहक- 1	4,578.94	भारत
ग्राहक- 2	1,374.41	
अन्य	6,398.78	
कुल राजस्व (निवल)	**12,352.13**	

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

स्थान अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(रू. करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	8,793.55	शून्य

(ण) असंकलित राजस्व सूचना

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	12,352.13	10,774.32
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	12,352.13	10,774.32
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	8,444.78	7,949.34
- गैर-बिजली क्षेत्र	3,907.35	2,824.98
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	12,352.35	10,774.32
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	10,053.58	7,255.95
- ई-नीलामी	2,298.55	3,518.37
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	12,352.13	10,774.32
माल या सेवाओं का समय		
- एक समय में स्थानांतरित माल	12,352.13	10,774.32
- समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
- एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
- समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	12,352.13	10,774.32

(त) अनुपात

अनुपात	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू अनुपात	1.35	1.42
इन्वेंट्री पण्यावर्त अनुपात	9.36	7.64
प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	5.51	4.53
व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	1.88	1.85
निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	1.55	1.55
निवल लाभ अनुपात (%)	13.74	11.34
नियोजित पूँजी पर वापसी	0.15	0.15
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	0.21	0.18

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अनुपात	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश पर वापसी (आरओई)		
(क) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई	0.00	0.00
(ख) म्युचुअल फंड पर आरओआई	0.28	0.04
(ग) जमाओं पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित	0.04	0.04

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात तरलता अनुपात है जो वर्तमान संसाधनों को अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मापन करता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से भाग देकर की गई है।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंट्री बेची गई है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत / इन्वेंटरी के औसत मूल्य द्वारा की जाती है। जहां, बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बट्टे खाते में डालना- प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय- स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन) होती है।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात: प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा उपाय है जिसका उपयोग कंपनी के प्राप्य खातों, या ग्राहकों द्वारा बकाया धन को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। खाता प्राप्य टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात: व्यापार देयता टर्नओवर दर्शाता है कि एक कंपनी कितनी बार अपने खातों को एक अवधि के दौरान देयता का भुगतान करती है। व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय)।

निवल पूँजी टर्नओवर: निवल पूँजी टर्नओवर वह उपाय है जो व्यवसाय में नियोजित पूँजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को दर्शाता है और इसकी गणना स्टॉकहोल्डर की इक्विटी (शेयर कैपिटल + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित कुल वार्षिक कारोबार के अनुपात के रूप में की गई है।)

निवल लाभ अनुपात: शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ।

नियोजित पूँजी पर वापसी: ब्याज और पाठ से पहले की कमाई (ईबीआईटी) / नियोजित पूँजी जहां नियोजित पूँजी कुल संपत्ति-वर्तमान देनदारियां है।

इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) औसत शेयरधारक की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। जहां शुद्ध आय अवधि के लिए कर पश्चात लाभ है, औसत शेयरधारक की इक्विटी = (ओपनिंग इक्विटी + क्लोजिंग इक्विटी)/2

निवेश पर प्रतिलाभ: निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।

I. इक्विटी निवेश पर आरओआई असूचीबद्ध अनुषंगियों: अंशदान की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।

II. म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूँजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

III. जमा पर आरओआई (बैंक के साथ, आईसीडी सहित एफडी) = ब्याज आय / औसत निवेश।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक- 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले के विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने रु. 2.79 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2.79) की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी, परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृति पर, कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका WP 1754(c) दायर की और उक्त मामले को मध्यस्थता के लिए झालसा के पास भेजा गया। हालांकि, पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, इस प्रकार मध्यस्थता विफल रही। इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई थी। अंतिम सुनवाई की तारीख 30.09.2021 थी।

7.3 (क) ईआईपीएल द्वारा स्व-निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूँजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012-13 में रु. 94.33 करोड़ के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से रु. 83.03 करोड़ ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः रु. 75 करोड़ एवं रु. 25 करोड़ तर्द्ध भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 सं मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, रु. 94.33 करोड के अतिरिक्त, रु. 23.25 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 में किया गया था, जिसे 2012-13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 3.26 करोड़ अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए थी रु. 0.26 करोड़ के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है:

(i)	मार्च'08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क- जिसके संबंध में 2012-13 के वित्तीय विवरण में देयता का प्रावधान किया गया है।	रु. 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल'08 से मार्च'14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	रु. 23.25 करोड़
(iii)	ऊर्जा शुल्क समझी गयी के संबंध में रखी पुरानी राशि	रु. 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क	रु. 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015-16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी - रजरप्पा क्षेत्र)	रु. 0.26 करोड़
		रु. 152.46 करोड़
	घटाव: तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	रु. 183.03 करोड़
	निवल शेष राषि (नोट - 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	रु. 30.57 करोड़

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के रु.134.20 करोड़ सहित रु. 302.63 करोड़ के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जहाँ इसे 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

(ग) ईआईपीएल के साथ किए गए बिजली खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क रु. 90 प्रति टन था।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.1.83 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निवल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को दिनांक 17.11.2014 के पत्रांक जीएम (ई एंड एम) / डीएलएफ / 14 / 3530-36 के माध्यम से सूचीत किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागु युएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, रु. 38.69 करोड़ है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 1.64 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया था, जिससे कुल प्रावधान रु 40.33 करोड़ हो गए हैं। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

दिनांक 8 फरवरी, 1993 के पावर खरीद समझौता के धारा 2.6 के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा इआईपीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत रु. 0.25 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.71 करोड़) रूपए है।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स आईएफपीएल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 में 20 वर्षों की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप में रु.32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नहीं किया है। नतीजतन, वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की रु. 4.02 करोड़ की अंतर राशि एवं ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय रु. 2.42 करोड़ के लिए किया गया है। प्राप्य किराये के लिए रु.6.72 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। आगे किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ईसीएफडी के निर्णय के अनुसार समझौते को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था।

7.7 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी रु. 5.00 करोड़ की है। बाद में अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर रु. 500 करोड़ कर दिया गया है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। तुलन-पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने रु. 64.63 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, रु. 13.00 करोड़ एवं रु. 10.10 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2021 को जेसीआरएल का पेड-अप कैपिटल 87.73 करोड़ रू का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए जेसीआरएल ने रु. 3.03 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2.16 करोड़) का कर पूर्व लाभ कमाया है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

7.8 जेसीआरएल बोर्ड ने अपनी पेड-उप पूँजी को बढ़ाने एवं 136.59 करोड़ रुपये के अग्रिम को सीसीएल द्वारा देय योगदान राशि को रु 282.88 करोड़ के इक्विटी के लिए समायोजित करने का फैसला लिया, जिसे सीसीएल बोर्ड ने 04.05.2020 को आयोजित अपनी 485 वीं बैठक में भी सहमति दी है। इसके अलावा जेसीआरएल बोर्ड ने बैठक संख्या 30 दिनांक 01.02.2021 के माध्यम से "ब्याज मुक्त ऋण" विकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और मामले को सीसीएल बोर्ड के साथ उठाने का निर्देश दिया।

सीसीएल ने जेसीआरएल को 144.31 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण चुकाया है एवं शिवपुर कठौतीआ रेल लाइन के संबंध में पहले खर्च किए गए 136.59 करोड़ रुपये को समायोजित किया है। जेसीआरएल को रिपोर्टिंग तिथि पर कुल ब्याज मुक्त ऋण रु 280.90 करोड़ है।

7.9 क) सीसीएल ने निचे उल्लेखित के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ लीज समझौता किया है

दिनांक 05.06.2017 के समझौता सं. W466/भूमि पट्टा/कोनार साइडिंग के तहत बोकारो और करगली एरिया में कोनार साइडिंग के निर्माण के लिए जरुरी रेलवे जमीन के लिए किया है। लीज समझौता, 01.04.2016 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल ने पूरी अवधि के लिए ई.सी. रेलवे को रु.27.19 करोड़ का एकमुश्त पट्टा किराया जमा किया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'रेलवे साइडिंग' के तहत दर्शाया गया है।

ख) सीसीएल ने निचे उल्लेखित के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ लीज समझौता किया है

दिनांक 25.02.2017 के समझौता सं. W466/भूमि पट्टे/कुजू साइडिंग धनबाद के तहत कुजू एरिया में कुजू साइडिंग के निर्माण के लिए जरुरी रेलवे जमीन के लिए किया है। लीज समझौता, 01.04.2017 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल द्वारा देय रु. 95.34 करोड़ का पूरी अवधि के लिए एकमुश्त लीज रेंटल को ई.सी. रेलवे द्वारा समायोजन किया गया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'रेलवे साइडिंग' के तहत दर्शाया गया है।

7.10 सम्पति-सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, वास्तविक खपत विवरण के अभाव में क्षेत्र की इकाइयों को आंतरिक विभागीय प्रमाण पत्र के आधार पर बिजली लागत का वितरण किया गया है।

7.11 भंडार और पुर्जों की सूची का भौतिक लेखा, भंडार परीक्षकों द्वारा नियत समय पर सत्यापन किया जा रहा है। मार्च-21 के लिए सत्यापन पूरी की जा चुकी है।

7.12 क) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसीएल को आवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 75% रु.30.97 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में रु.9.91 करोड़ की राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की रु.286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया। रु.40.88 करोड़ (रु.30.97 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं रु.9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट-5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, रु.10.33 करोड़ की शेष राशि पूँजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 के अधिसूचना का अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पक्ष में रु.14577 लाख की राशि के बैंक गारंटी को सिलेक्टेड ढोरी जीओएम, ढोरी क्षेत्र और कारो ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र के संबंध में जारी किया गया।

ग) सहायक विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सब स्टेशन चतरा जेबीवीएनएल को आम्रपाली ओसीपी (बिंग्लट) एवं मगध ओसीपी (कुंडी पैच) के संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति सर्कल, हजारीबाग द्वारा जारी किया गया दिनांक 22.11.2019 के आदेश संख्या 1957/ईएसई(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 एवं 1955/ईएसई(एस) हजारीबाग के खिलाफ, रु 0.81 लाख की राशि का बैंक गारंटी जारी किया गया।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सिविल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागु होगा। तदनुसार, 07.12.2015

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा रु.286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से रु.236.13 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और रु.49.72 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

7.14 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध रु.106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर रु.71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक रु.77.53 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं रु.29.03 करोड़ रुपये की शेष राशि वसूली की प्रक्रिया में है।

29.03 करोड़ रुपये में से, 26.85 करोड़ रुपये परस्पर व्याप्त अवधि की मांग से संबंधित है, यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 में अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2013 की अवधि के लिए कथित टीसीएस देयता यानी 17 महीने के लिए होनी चाहिए थी, जबकि, यह जुलाई, 2012 से मार्च, 2013 तक यानी केवल 9 महीने के लिए लिया गया था। वित्त वर्ष 2013-14 में अप्रैल, 2013 से अगस्त, 2014 यानि 17 महीने की अवधि की कथित टीसीएस देनदारी ली गई थी, जबकि इसे केवल 12 महीनों के लिए मार्च, 2014 तक लिया जाना चाहिए था। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 यानि 4 माह की अवधि की कथित टीसीएस देनदारी का आदेश पारित किया गया। लेकिन आंकड़े अगस्त, 2017 तक लिए गए थे। चूंकि कोयले पर टीसीएस लागु किया गया था। 01.07.2012, त्रुटि को ठीक करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत एक सुधार याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है लेकिन आज तक विभाग को कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि, सीसीएल ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।

7.15 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी । सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में डब्ल्यूएमसीसी की कीमत रु. 11,500 प्रति टन 14.01.2017 के प्रभाव से अधिसूचीत की थी. यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस/पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

चूंकि एमओयू 31.03.2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14.01.2017 को जारी की गई थी, 14.01.2017 से 31.03.2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचीत मूल्य पर प्रेषण के लिए रु.155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में रु.126.16 करोड़ और आरआईएनएल के संबंध में रु.29.64 करोड़) का एक प्रावधान, वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये गए खातों में प्रावधान किया गया।

मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.07.2018 को रु.6,500 प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागु हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल/आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं। तदनुसार धुलाई वाले मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) के लिए मौजूदा मूल्य तंत्र की समीक्षा करने के लिए दिनांक 08.07.2019 को मेसर्स पीडब्लूसी प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश सं. वाशरी (सीसीएल)/डब्ल्यूओ/मूल्य तंत्र (डब्लूएमसीसी)/2019/745-50 जारी किया गया है। सीसीएल बोर्ड के समक्ष अंतिम रिपोर्ट रखने पर, बेहतर समग्र मूल्यांकन के लिए बीसीसीएल के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए रिपोर्ट को फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो प्रक्रियाधीन है।

7.16 सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने अपने पत्र संख्या. 5/सा.भू (सीसीएल) रामगढ़- 303/2012-519 (5)/रा. दिनांक 07.02.2020 द्वारा अध्यक्ष को कोल इंडिया लिमिटेड ने सीसीएल के कमान क्षेत्र अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के विरूद्ध 26218.15 करोड़ रुपये की मांग की है। मांग में पट्टा अवधि के लिए भूमि की पट्टा बंदोबस्ती के रूप में किराया, उपकर और सलामी शामिल है।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

सीसीएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सीबीए (ए-डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत किया जाता है और सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत भौतिक कब्जा लिया जाता है जो सभी भारों से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं था। हालांकि, कंपनी कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 में धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी जमीन के खिलाफ झारखण्ड सरकार को वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है। 5,392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए वर्तमान ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे के लिए अस्थायी दायित्व 778.62 करोड़ रुपये आता है और सीसीएल ने 1448.86 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान कर दिया है। जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के मध्यधीन 778.62 करोड़ रुपये की संभावित देयता, को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट -10 देखें)।

दिनांक 13.11.2021 को रांची में माननीय कोयला मंत्री एवं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई, और दिनांक 24.02.2022 के का.ज्ञा., उपरोक्त मामले पर हुई चर्चा को निम्नानुसार संलग्न किया गया है:

“मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने सूचीत किया कि संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा एवं सरकारी भूमि के खिलाफ भूमि की ग्रामीण कृषि दर से मांग की जाएगी तथा प्रति एकड़ भूमि का मुआवजा अन्तिम बंदोबस्त की भूमि दर का 1.52 गुना होगा।

इस मुद्दे पर भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्धता दिया एवं यह प्रतिबद्धता दिया है कि सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कोयला मंत्रालय के अधिकारी और मुख्य सचिव, झारखंड एक साथ बैठकर भुगतान की अनुसूची को तय तथा भूमि का भौतिक कब्जा पर निर्णय लेंगे।”

7.17 रेलिगारा खुली खदान, लाईयो - झारखंड खुली खदान और रोहिणी - करकट्टा खुली खदान के संबंध में सीटीओ और सीटीई की लंबित मंजूरी के चलते, ओबीआर लेखांकन को संशोधित स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुसार नहीं माना गया है।

7.18 दिनांक 21.05.2021 को आयोजित 24वीं ईसीएफडी बैठक में प्रबंधन ने रजहरा क्षेत्र के टोरी रेलवे साइडिंग को बंद करने का निर्णय लिया और विभागाध्यक्ष, एस एंड एम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सभी औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो, तो विचार किया जाएगा।

7.19 29.10.2020 को आयोजित 65वीं ईसीएफडी बैठक के निर्देशों के अनुपालन में, पूर्ववर्ती मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र को दो अलग-अलग क्षेत्रों मगध एवं संघमित्रा क्षेत्र और आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र, में विभाजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों क्षेत्रों का अलग-अलग वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

7.20 कंपनी द्वारा लगाए गए 0 से 3 किमी के लीड रेंज के लिए भूतल परिवहन शुल्क, एनटीपीसी के कुछ संयंत्रों द्वारा विवादित है। विवाद के समाधान के लिए सीसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एएमआरसीडी में मामले को स्थानांतरित कर दिया है। चूंकि मामला एएमआरसीडी के पास लंबित है, इसलिए 1.94 करोड़ की विवादित राशि के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, 5 अप्रैल 2022 को आयोजित तीसरे जीएम समन्वय के दौरान इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और यह अवगत कराया गया कि मामला अभी भी एएमआरसीडी के पास लंबित है, क्योंकि सीआईएल के पक्ष में निर्णय की उच्च संभावना है, इसलिए सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा किसी प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

7.21 दिनांक 24.04.2020 के निदेशक (का. एवं औ.), सीआईएल द्वारा जारी पत्र संख्या सीआईएल:डी(पी एंड आईआर): संप्रदाय:/005/37/25 के अनुसरण में कोलकाता डेस्क कार्यालय को जून 2020 में बंद कर दिया गया है। बंद होने के पश्चात, फर्नीचर और फिटिंग एवं कार्यालय उपकरण सहित सभी संपत्तियों सहित लेजर शेष को मुख्यालय, सीसीएल, रांची की खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7.22 कंपनी ने वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर ध्यान दिया है। कंपनी ने सूचना, आर्थिक पूर्वानुमान आदि के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

कंपनी को उम्मीद है कि वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली हो जाएगी। अत: वर्ष के दौरान किसी हानि की पहचान नहीं की गई है।

कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 10% और उठाव में 9.81% की सकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

ग्राहकों से वसूली में भी सुधार हुआ है और 01.04.2021 के 4213.61 करोड़ रुपये के कुल देनदार को घटा कर 2969.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

7.23 क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोल नेट सिस्टम से एसएपी में माइग्रेट किया और 31.02.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को एसएपी के आधार पर तैयार किए गए। एसएपी को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लागु किया गया है और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं/मॉड्यूल में शुरू से अंत तक ऑटोमेशन भी लाया गया है और स्थिरीकरण की प्रक्रिया/चरण में है। सभी व्यावसायिक लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एकीकरण में लगातार सुधार हो रहा है।

डेटा प्रवास करने की प्रक्रिया अब स्थिरीकरण चरण में है। यह स्थिरीकरण हो जाने के बाद, 31 मार्च 2022 के बाद पूरी प्रक्रिया का बाहरी एजेंसी द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

5 अप्रैल 2022 को सीआईएल कोलकाता में आयोजित तीसरी जीएम समन्वय बैठक के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने अवगत कराया कि प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में संशोधन पर विचार किया जा रहा है और इसे तदनुसार निपटाया जाएगा।y.

ख) कंपनी में एसएपी में प्रवास के समय, गैर-सक्रिय विक्रेताओं / ग्राहकों के संबंध में आईएफएससी कोड के साथ विक्रेता का नाम, पैन, जीएसटीआईएन, पता और बैंक खाता संख्या जैसी किसी भी पूर्व-आवश्यक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, विक्रेता/ग्राहक कोड नहीं बनाए जा सके। हालांकि, कोल नेट सिस्टम में उनके नाम के सामने प्रदर्शित होने वाली सभी शेष राशि को लीगेसी वेंडर/ग्राहक कोड का उपयोग करते हुए एसएपी में प्रवास कर दिया गया था। कोल नेट सिस्टम के अनुसार वित्तीय विवरणों की एक विशेष लाइन आइटम में प्रदर्शित होने वाली शेष राशि को एसएपी में बरकरार रखा गया है, इसलिए प्रस्तुति में कोई बदलाव नहीं आया है।

घरेलू विक्रेता/ग्राहक कोड के तहत सीधे कोई प्रविष्टि पोस्ट नहीं की जा सकती है। घरेलू विक्रेता/ग्राहक पर कोई प्रविष्टि पोस्ट करने के लिए, विक्रेता/ग्राहक कोड आवश्यक हैं। प्रवास के समय लीगेसी कोड का उपयोग करने का यही एकमात्र कारण है। जिस पल में वेंडर/ग्राहक कोड सैप में बनाया जाता है, उनके संबंधित शेष को लीगेसी कोड से उनके विशिष्ट कोड में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह उल्लेख करना उचित है कि यह कोल नेट ट्रायल में प्रदर्शित शेष राशि को एसएपी परीक्षण में बिना किसी खाता शीर्ष में कोई अंतर छोड़े स्थानांतरित करने की व्यवस्था है और इसे नियत समय में पूरा करने की उम्मीद है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट: 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति, सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड **भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन** **अभिमत** **हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी") एवं इसकी अनुषंगी की संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नकदी-प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के स्टैंडअलोन विवरणी पर नोट सम्मिलित है (आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न जिसे कंपनी ने कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं संघमित्रा, आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त, रजहरा, चरही क्षेत्रों का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है एवं शेष पांच (5) हमारे द्वारा अंकेक्षित किया गए हैं। कोलकाता क्रय कार्यालय बंद कर दिया गया है (नोट 38 खंड 7.21) देखें। हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे प्रदत्त स्पष्टीकरण अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की स्टैंडअलोन लाभ/हानि, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की स्टैंडअलोन दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। **अभिमत का आधार** हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियां वर्णित है। आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण की आवश्यकताअनुसार हमने एक आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत-आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। **मामलों की प्रमुखता** **निम्नलिखित मामलों पर हम ध्यान आकर्षित कराते हैं:**	
क) 42 खानों में पर्यावरणी स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ में आकस्मिक देयता के मद में रू.13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रू. 13568.50) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी का नोट सं. 38 अुनच्छेद 4 (ए)(1) देखें)।	वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में आकस्मिक देता के तहत इसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है(नोट 38 क अनुछेद 4(ए) के सन्दर्भ में)
ख) शेष ऋण राशि (नोट संख्या 8), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 9), अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट संख्या 11) एवं गैर-चालू परिसंपत्तियां (नोट संख्या 10), व्यापार देय (नोट संख्या 19), व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 13)) अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट नंबर 20) और अन्य मौजूदा देयताएँ (नोट नंबर 23) एवं अन्य गैर-चालू देयताएँ (नोट नंबर 22) को ज्यादातर मामलों में पुष्टि नहीं की गई हैं। इनमें खातों की पुस्तकों में अंतिम समायोजन/वर्ग-अप के लिए लंबित पिछले कई वर्षों से पड़े पुराने शेष भी शामिल हैं। ऐसी शेष राशि की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है	पार्टियों को व्यापर प्राप्ति, व्यापर के भुगतान और अग्रिमों के सम्बन्ध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किये गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सामंजस्य बयां पर भी हस्ताक्षर किये जाते हैं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
ग) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम कोकिंग-कोल (डब्लूएमसीसी)) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्यक किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। दिनांक 1/4/2017 से, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडी पी) अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके तहत सीसीएल, सेल/ आरआईएनएल को अधिसूचीत मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के पश्चात समझौता ज्ञापन नहीं होने के कारण, सेल/आरआईएनएल ने मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए बाहेर एजेंसी को नियुक्त करने अनुरोध किया। तदनुसार, सीसीएल ने पारदर्शी आयात-समता आधारित मूल्य प्रणाली के लिए पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति की एवं मामला को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के तहत, सीसीएल ने रु 6500 प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्ल्यूएमसीसी उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट- 38 के संख्या 7.16 देखें)
बाह्य एजेंसी द्वारा पारदर्शी आयात-समता आधारित मूल्य तंत्र के निर्धारण लंबित होने पर सेल ने मूल्य-प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशों को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागु करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सीसीएल ने निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचीत मूल्य के आधार पर माना जायेगा। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 38 में अनुच्छेद 7.15)	यह नोट-12 के अनुलग्नक का फुट नोट संख्या 4 के तहत पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है।
उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/ आरआईएनसल को की गई आपूर्ति के मद पर कीमत में अंतर पर रू. 414.87 करोड की अदत्त राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट- 38 के संख्या 7.20 देखें)
घ) कथारा वाशरी में 1995-96 से पड़े हुए 17230 मि. ट. (वि.व्. 83795 मिलियन टन) संदूषित कोयले की रेणी का निर्धारण लंबित है, जिसका वर्त्तमान मूल्य शून्य है। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरण नोट संख्या-12 को संलग्नक)। ङ) हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के नोट 38 के अनुच्छेद 7.22 पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं जिसमें कंपनी के परिचालन तथा प्रबंधन द्वारा आकलित नतीजों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।	यह वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट में पर्याप्त रूप से प्रकट हैं (नोट- 38 के संख्या 7.18 देखें)
च) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 38 का अनुच्छेद 7.16 का संदर्भ लें। झारखंड सरकार ने सीसीएल कमांड क्षेत्र अंतर्गत 36,179.30 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में 26,218.15 करोड़ रुपए का दावा किया है। राज्य के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन सरकारी भूमि के मुआवजे के लिए सीसीएल द्वारा गणना की गई अस्थायी देयता 5392.75 एकड़ भूमि के मुकाबले 778.62 करोड़ रुपये है। हालांकि, राज्य के अधिकारियों, झारखंड सरकार के साथ लंबित समाधान, भूमि के मुआवजे के खिलाफ देय कुल अंतिम देयता, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
मुख्य अंकेक्षण मामले हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
क्र.	**अंकेक्षण के प्रमुख मामले**	**अंकेक्षक की प्रतिक्रिया**	
1.	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजनt** खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है। अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्श की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात-प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी-कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है। तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निवल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर-चालू प्रावधान/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है। अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूची मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचीत मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया: स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। विश्लेषणात्मक प्रक्रियोओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'"** स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं। किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते/ ई-नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल/ स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है। अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है। हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल/ स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्वसंतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
	राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 24 को देखें	प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	
3.	**प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।** प्रावधान के स्तर के आकलन में उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चितता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट 38 अनुच्छेद 4(ए)(i) को देखें।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमारा ऑडिट विचाराधीन तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक निर्णय/ व्याख्या के अंतर्गत विश्लेषण करने पर केंद्रित था। — विभिन्न कर प्राधिकारियों /न्यायिक फोरम से प्राप्त अद्यतन आदेशों और/या पत्राचार की जांच तदनंतर कृत कारवाई। —मुकदमे/कर निर्धारण की अद्यतन स्थिति को समझना। —यहाँ प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह। —चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और संभावित बहिर्वाह। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**व्यवसाय के विभिन्न सोपनों में सैप प्रणाली का क्रियान्वयन** इस वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित व्यावसायिक लेन-देन हेतु पूर्व में उपयोग होने वाले कोलनेट प्रणाली के स्थान पर एक नयी आई टी प्रणाली का उपयोग किया है। कंपनी द्वारा उक्त नई प्रणाली का प्रयोग प्रक्रिया अनुरूप अपने लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है जो वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु मुख्य आईटी प्रणाली है तथा इसके कार्यप्रणाली में निरंतर विकास हो रहा है। नई आईटी प्रणाली का क्रियान्वयन से अंतरित प्रमुख वित्तीय आंकड़ों आंकड़ों की सत्यता, परिचालन अथवा महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आईटी से संबंधित नियंत्रणों के निगरानी में विकार जैसी त्रुटियां, विवरणी त्रुटियां तथा वित्तीय रिपोर्टिंग त्रुटियां जैसे अंतर्निहित हानि होने की संभावना है। परियोजना के वृहत आकार और एक नई ईआरपी प्रणाली में माइग्रेट करने में शामिल व्यापक जोखिमों के कारण तथा नई प्रणाली के अधीन उत्पन्न आंकड़ों और जानकारी में संक्रमणकालीन चरण की सीमाएं और बाधाएं हो सकती हैं, उक्त को प्रमुख लेखा परीक्षा संबंधित मामले के रूप में नोट किया गया है।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** - नई एसएपी/ईआरपी प्रणाली पर आधारित प्रणाली, संशोधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संबंधित नियंत्रणों और नियंत्रण गतिविधियों कंपनी की नई आईटी प्रणाली कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श किया गया। - महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ आईटी सामान्य नियंत्रण, आईटी अभिगम और कर्तव्यों के पृथक्करण की समझ प्राप्त की। - हमने सिस्टम माइग्रेशन के संबंध में नई आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन पर स्थापित नियंत्रणों तथा प्रमुख वित्तीय डेटा का पुरानी प्रणाली से नयी आईटी प्रणाली में अंतरण की समीक्षा की। - आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्य पर निर्भरता रखने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की समझ और मूल्यांकन प्राप्त किया; - सामान्य लेज़र, सब-लेजर, ग्रुपिंग, सब- ग्रुपिंग आदि के सैंपल के लिए पुराने तथा नए आईटी सिस्टम के मध्य डेटा अंतरण तथा सामंजस्य का स्वतंत्र परीक्षण किया, जिसमें यह पाया गया कि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार हैं। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** ऊपर की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, एसएपी के कार्यान्वयन का वित्तीय विवरणों पर भौतिक गलत वर्णन नहीं हुआ है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है। अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमारे लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित लोगों से संवाद करना होगा। **स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन की जवाबदेही** कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए कंपनी का निदेशकीय मंडल जवाबदेह हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक एवं उसके अंतर्गत नियम सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार अन्य विस्तृत आय सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव पर सत्य एवं समुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अधीन धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव एवं आस्तियों की सुरक्षा हेतु जवाबदेह हैं; समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राकक्लन तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन एवं रख-रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण एवं प्रस्तुति हेतु सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त हैं, जो पूर्व से ही कार्यान्वित हैं। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, प्रबंधन कार्यशील संस्थाओं की क्षमता के प्राकक्लन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागु हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक सञ्चालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाये, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो। निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है की कंपनी की वित्तीय सुचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवेदन जारी करें जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है।

लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्रापत करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण्। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है।
- प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितत्ता विधमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परीस्थितियों के अनुसार कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना समाप्त कर सकती है।
- स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय-सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो।

मटेरियलिटी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ-साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन-प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागु हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है। शासन-प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है। **अन्य मामले**	
(क) जैसा कि स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज में वित्तीय विवरणों में माना गया है, हमने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के रूप में स्टैंडअलोन इंड एएस में शामिल 11 (ग्यारह) शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का अंकेक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को 7490.26 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति एवं उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए 11984.59 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाते हैं। इन शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी संशोधित रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय में अब तक यह इन शाखाओं/क्षेत्रों के संबंध में शामिल राशियों, खुलासों से संबंधित है, और पूरी तरह से ऐसी शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ख) लेखा नीति के अनुसार कंपनी परिभाषित योगदान योजना निर्धारित करती है जिसमें कंपनी विधि अनुसार अधिनियम के तहत गठित कोयला खान भविष्य निधि निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948 यह निर्धारित करता है कि कोयला खदान में तैनात कर्मचारी को उपरोक्त अधिनियम के तहत विनियमित कोयला खान भविष्य निधि और कोयला खान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी द्वारा विभागीय मोड में तैनात कोयला कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी हैं और उपरोक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। तथापि, कंपनी की खदानों में इसके आउटसोर्सिंग ठेकेदारों द्वारा तैनात कोयला श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत पंजीकृत किया जाता है जो कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान का विचलन और गैर-अनुपालन है। पूरे मामले का संव्यवहार सीआईएल द्वारा किया जा रहा है।	मामले को सीआईएल में उठाया गया है।
(ग) मॉडल ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के खंड 9.2 और एनटीपीसी संयंत्र के एफएसए खंड 8.2 के अनुसार, 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित अपने ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला परिवहन शुल्क वसूलने की अनुमति प्रदान करता है। सीसीएल 0 से 3 किमी की लीड रेंज हेतु कोयला परिवहन शुल्क वसूल कर रही है। हालांकि, एनटीपीसी के कुछ क्षेत्रों ने एफएसए खंड की दलील देते हुए 0-3 किलोमीटर की लीड रेंज के हिस्से के लिए परिवहन शुल्क के दावों पर विवाद किया है। इस प्रकार, जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, संयंत्रों से बकाया वसूली योग्य है, इसलिए किसी भी प्रकार के प्रावधान, एएमआरसीडी निर्णय के परिणाम के बाद पश्चात ही मान्य होंगे। इसलिए, एनटीपीसी द्वारा विवादित 1.94 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध कोई समाधान नहीं किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन में 05 अप्रैल, 2022 को आयोजित तीसरी जीएम (वित्त) समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, विवाद के समाधान के लिए सीआईएल द्वारा मामला उठाया गया है और एएमआरसीडी के पास लंबित है।	सीआईएल ने विवाद के समाधान के लिए सभी सहायक कंपनियों की ओर से एएमआरसीडी में इस मामले को उठाया है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(घ) ईसी रेलवे ने सूचीत किया है कि रेलवे बोर्ड ने 11 निजी साइडिंग के संचालन के लिए पिछले कई वर्षों से सीसीएल द्वारा उपयोग की जाने वाली रेलवे भूमि के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क / लीजिंग शुल्क को नियमित करने की मंजूरी दी थी। तद्नुसार, 138.88 करोड़ रुपए के बकाया शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिए मांग की गई थी। रेलवे से कई बार याद दिलाने के बावजूद सीसीएल द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। ईसी रेलवे ने कंपनी द्वारा टोरी-शिवपुर लाइन के लिए जमा पूँजी अग्रिम राशि से बकाया देय राशि को समायोजित किया। हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, रु. 138.88 करोड़ के कुल अग्रिम को ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजित किया गया था, जिसमें से कुजू साइडिंग के भूमि लाइसेंस शुल्क से संबंधित रु 95.34 करोड़ को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और खातों में ले लिया गया है। रु. 43.54 करोड़ की शेष राशि अभी भी विवाद में हैं और इस मामले को सीआईएल ने सभी सहायक कंपनियों की ओर से रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है। विवाद के अंतिम परिणाम का परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं है।	ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजन से संबंधित मामले को सीआईएल द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ इसके समाधान और समायोजन के लिए उठाया गया है। हालांकि, ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजित रु. 138.88 करोड़ के कुल अग्रिम में से, कुजू साइडिंग के भूमि लाइसेंस शुल्क से संबंधित रु 95.34 करोड़ को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और खातों में ले लिया गया है।
(ङ) 20667.40 करोड़ (वि.व. 19660.06 करोड़) रुपये की आकस्मिक देयता में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों (आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अन्य) और राज्य सरकार (वैट, रॉयल्टी, पर्यावरण, अन्य) द्वारा उठाई गई विवादित मांगें शामिल हैं। जैसा कि नवीनतम मांग आदेश की तारीख तक उठाया गया है, इस राशि में मूलधन, ब्याज और जुर्माना शामिल है। मांग आदेश की नवीनतम तिथि से तुलन पत्र की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज एवं पेनल्टी की न तो गणना की गई है और न ही आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयता की कुल राशि पर परिणामी प्रभाव, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। (स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 के अनुछेद 4(ए)(I) देखें।)	प्रबंधन ने आकस्मिक देयता की समीक्षा की है और कानूनी विशेषज्ञों की राय पर भरोसा किया है और यह भारतीय लेखा मानक-37 की आवश्यकता अनुसार वित्तीय विवरणों में इसका उपयुक्त रूप से खुलासा किया गया है।
(च) नोट संख्या 23 देखें - "अन्य वर्तमान देनदारियां" - लेखा खातों में पिछले कई वर्षों से पड़े 16.32 करोड़ रुपये के सेवा कर की देयता शामिल है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मामला तत्कालीन सेवा कर विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंधित है, जिसमें जीटीए सेवाओं के तहत रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान किए गए सेवा कर की राशि को खनन सेवाओं/कार्गो हैंडलिंग जो फॉरवर्ड चार्ज के अधीन है के तहत कवर करने के आधार पर विवादित और मुकदमा चलाया गया था। विभाग ने तब विभिन्न सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए और सीसीएल को भी सह-नोटिस के रूप में संलग्न किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद, सीसीएल ने संबंधित कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार जीटीए के तहत अपनी देयता प्रदान करना जारी रखा, जिसमें कंपनी स्तर पर कुल देयता 16.32 करोड़ रु है। चूंकि, सेवा कर या संबंधित सेवा प्रदाताओं के अपीलीय प्राधिकारी से आज तक कोई आदेश/संचार प्राप्त नहीं हुआ है, वह अभी भी खातों की किताबों में दिखाई दे रहा है। सेवा कर के अपीलीय प्राधिकारी से इस तरह के आदेश / संचार लंबित, खातों की पुस्तकों में समायोजन की आवश्यकता, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।	मामला मुकदमेबाजी के अधीन है और आगे कोई भी उपचार मामले के परिणाम पर निर्भर है।
(छ) नोट संख्या 35 "अन्य व्यय" देखें - इसमें 39.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष- 21.20 करोड़) के विलंब शुल्क खर्च शामिल हैं। 199.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – 163.33 करोड़ रुपये) (नोट नंबर 19 – “व्यापार देय” के तहत) एवं 59.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – शून्य रुपये) का विलंब शुल्क अग्रिम (नोट संख्या 11 के तहत – अन्य चालू परिसंपत्तियां - राजस्व के लिए अग्रिम) कंपनी के खातों में दिखाई दे रहा है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, रेलवे अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विलंब शुल्क घंटों के आधार पर साइडिंग प्रबंधकों द्वारा विलंब शुल्क देयता को दर्ज किया जा रहा है। तद्नुसार, विलंब शुल्क व्यय एवं विलंब शुल्क देयता को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान जब रेलवे के दावे में विसंगति पाई गई, साइडिंग प्रबंधकों द्वारा विरोध किया गया। बिजली क्षेत्रों को कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने रेलवे को 59.85 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान किया। इसलिए, वित्तीय विवरणों में व्यापार देय और साथ ही अन्य चालू परिसंपत्तियों को अलग से दिखाया जा रहा है। रेलवे के साथ समाधान की प्रक्रिया चल रही है और तदनुसार तदर्थ भुगतान को विलंब शुल्क देयता के साथ समायोजित किया जाएगा। इस तरह के समाधान के लंबित होने तक कुल देयता (वास्तविक और या आकस्मिक देयता) या कुल परिसंपत्ति में कोई समायोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	बकाया का मिलान किया जा रहा है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

(ज) हमें इनपर पूर्ण विश्वास है:

i) खान बंदीकरण के व्यय हेतु प्रावधान के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गयी खान बंदीकरण योजना जिसे सीसीएल के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ii) प्रबंधन का मूल्यांकन/अनुमान, चाहे वो तकनीकी अथवा अचल परिसंपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान हो।

(झ) भारत के महालेखापरीक्षक और नियंत्रक की टिप्पणियों को शामिल करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर 14 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट संशोधित की जा रही है तथा क्रमशः "धारा '3' के अनुच्छेद (जे)" के बिन्दु संख्या (iv) (ए), (बी), और (सी)' तथा '(v) (ए), (बी), एवं (सी)' तथा "भाग II के क्रम सं '3', के अनुलग्नक 'ए' के अंतर्गत "लेखापरीक्षक का उत्तर" स्तंभ के क्रम संख्या 3 में "अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अंतर्गत "पिंडरा खुली खदान परियोजना के संबंध में अनुमोदित पीआर और एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है" से प्रारंभ अनुच्छेद के अंत में संशोधन तथा जोड़ने के लिए तथा "अन्य मामले पैरा" के बिंदु 'ए' में 'मत पैरा' के अंतर्गत पैरा 2 में 'रिपोर्ट' शब्द के बाद '(संशोधित)' शब्द जोड़ने और "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत धारा-3 के बिंदु 'बी' एवं 'सी' में, और "अन्य मामलों के पैराग्राफ" के तहत बिंदु (i) '{इस पैरा}' को जोड़ा गया है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट 14 मई, 2022 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मूल रिपोर्ट की तिथि के पश्चात घटित घटनाओं पर हमारी लेखा प्रक्रियाएं क्रमशः स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी में धारा '3' के अनुच्छेद (जे)" के बिन्दु संख्या (iv) (ए), (बी), और (सी)' तथा '(v) (ए), (बी), एवं (सी)' तथा "भाग II के क्रम सं '3', के अनुलग्नक 'ए' के अंतर्गत "लेखापरीक्षक का उत्तर" स्तंभ के क्रम संख्या 3 में "अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" तथा "अन्य मामले पैरा" के बिंदु 'ए' में 'मत पैरा' के अंतर्गत पैरा 2 में 'रिपोर्ट' शब्द के बाद '(संशोधित)' शब्द जोड़ने तथा "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत धारा-3 के बिंदु 'बी' एवं 'सी' में, और स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के "अन्य मामलों के पैराग्राफ" के तहत बिंदु (i) '{इस पैरा}' को जोड़ने मात्र तक सीमित है।

उपरोक्त "अन्य मामलों" से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश-अतिरिक्त निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं कंपनी की लेखा एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम **"अनुलग्नक-ए"** में प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा-143(11) के आलोक में, भारत सरकार वारा जनहित में जारी कंपनी (अंकेक्षीय प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, आदेश के अनुछेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट ब्यौरे, हम **"अनुलग्नक-बी"** में प्रदान करते हैं।
3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि:

   क. हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के मद सं. (ए), (बी) (सी), (डी), (इ) एवं (एफ) के साथ पढ़ा जाए।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
ख. हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के संशोधित प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।	
ग. अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा /क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का संशोधित अंकेक्षण प्रतिवेदन हमे प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।	
घ. शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखा/ क्षेत्र के वित्तीय विवरण सहित इस प्रतिवेदन का तुलन पत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरणी एवं इक्विटी में बदलाव की विवरणी, बही-खातों के सदृश्य है।	
ङ. हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।	
च. हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी किया गया प्रासंगिक नियमे का अनुपालन करते हैं:	
छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागु नहीं है।	
ज. हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
झ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणें के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में **"अनुलग्नक-सी"** में हमारी प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।	
ञ. अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधन के रूप में हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार:	
i. कंपनी की स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट-38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब दिया जायेगा जब उस पर फैसला आएगा।	
ii. कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान हेतु, यदि हो तो, दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए है एवं कंपनी के पास कोई डेरीवेटिव संविदा नहीं थे।	
iii. बंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।	
iv. (क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("मध्यस्थ") शामिल हैं को, या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो ऋण पर ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है , लिखित रूप में या चाहे अन्य रूप में दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से चिह्नित किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में उधार या निवेश करेगा जो किसी भी प्रकार से अंतिम लाभार्थी की ओर से सुरक्षा, कोई गारंटी या समरूप लाभ प्रदान करेगा	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"),से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं , कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी। (ग) परिस्थिति में उचित और उपयुक्त माने गए ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(सी) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर दिए गए (ए) और (बी) के अधीन, कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है। v. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है। (ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है। (ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।	
कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी** चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 000216C) ह/- **(सीए अनिल जैन)** पार्टनर (सदस्यता सं 079005) यूडीआईएन: 22079005ALOAFW2619 स्थान: रांची दिनांक: 24 जून, 2022	

अनुलग्नक "ए" जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

वर्ष 2021-22 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर प्रतिवेदन

भाग-I

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें। *वर्ष के दौरान कंपनी,आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी मेटेरियल लेखांकन लेनदेन हेतु वर्तमान कोलनेट प्रणाली को सैप-ईआरपी में स्विच किया गया है है तथा सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन सैप-ईआरपी सॉफ्टवेयर में संरक्षित की जा रही है। तदनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्तीय लेखा एवं नियंत्रण (एफ़आईसीओ), विक्रय एवं वितरण (एस एवं डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), मानव संपदा प्रबंधन (एचसीएम), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस) तथा संयंत्र रखरखाव (पीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए सूचना/डेटा का प्रवाह विभिन्न मॉड्यूलों से हो रहा है तथा ऑटोमेशन द्वारा सैप संरक्षित किया जा रहा है। सैप-ईआरपी स्थिर होने की प्रक्रिया में है तथा इसमें निरंतर सुधार हो रहा है।* *महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तनों की समझ और प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ आईटी सामान्य नियंत्रण बनाए गए थे और देखा कि इस संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ अंतिम कार्यान्वयन पर कुछ और नियंत्रणों की आवश्यकता होगी।* **हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एसएपी के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं:** **1. सीसीएल के वित्तीय विवरण बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) नामक एक प्रोग्राम के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं जो एसएपी में एकीकृत है। जीएल के समूहन को अपडेट कर दिया गया है लेकिन सीआईएल स्तर पर इसे जोड़ने का कार्य चालू है। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में बीआई समूहन का उपयोग वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जा रहा है।** **2. भण्डार मूल्यांकन: भण्डार का मूल्यांकन मैन्युअल रूप से किया जाता है।** **3. ओबीआर समायोजन: ओबीआर समायोजन की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है।** **4. बीमांकिक मूल्यांकन : बीमांकिक दायित्व के आंकड़े प्राप्त करने के बाद इसे मैन्युअल रूप से क्षेत्रों के बीच आवंटित किया जा रहा है।** **मद संख्या 2 3 और 4 का लेखा-जोखा एसएपी में की गई आवश्यक जर्नल प्रविष्टि को पास करके किया जाता है।** **5. वित्त मॉड्यूल से संबंधित देयता जैसे, बिजली, लेखा परीक्षा व्यय, विविध, छोटे खर्चे आदि, जिसके लिए कोई एमबी दर्ज नहीं है। इन देयताओं को जीआर/एसआर के माध्यम से नहीं लिया जाता है क्योंकि ऐसी देयताओं को सीधे फीको मॉड्यूल में दर्ज किया जाता है।** **6. सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अन्य एप्लिकेशन ईआरपी सिस्टम के साथ वर्तमान स्वरूप में किसी भी एकीकरण के बिना काम कर रहे हैं।** **जैसा कि ऊपर बताया गया है, एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।**	वर्ष के दौरान कंपनी ने कोल नेट सिस्टम से एसएपी में प्रवास किया और वर्तमान में सभी लेन-देन को एसएपी के माध्यम से दर्ज किया जा रहा है।
2.	क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्टे/ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है ?	कोई टिप्पणी नहीं।

	यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागु होता है) ***इसलिए लागु नहीं है क्यूंकि, हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या ऋणदाता द्वारा वर्ष के दौरान या किसी भी अवधि के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के लिए ऋण/ऋण/ब्याज आदि पर छूट/बट्टे खाते में डालने का ऐसा कोई मामला नहीं है।***	
3.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें। ***हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीसीएल को कोयला मंत्रालय के तहत सीसीओ से भंडारण सब्सिडी प्राप्त होती थी। पिछले तीन वर्षों से सीसीएल को ऐसी कोई सब्सिडी/अनुदान नहीं मिला है।*** ***टोरी शिवपुर रेल लाइन के योगदान एवं एनके क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए सीसीडीएसी से 30.09.2019 तक अनुदान प्राप्त किया गया है और इसे भारतीय लेखा मानक के अनुसार परिसंपत्ति के जीवन के आधार पर आय में मान्यता दी गई है (टिप्पणी- 22 देखें)। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीडीएसी से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।***	कोई टिप्पणी नहीं।

मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर प्रतिवेदन।

भाग-II

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1. क्या समरूप मानचित्र को ध्यान मे रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है? ***हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।***	कोई टिप्पणी नहीं।
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कंपनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है? ***हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सीसीएल के कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएफडी) ने 31.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में, बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र को इसे विभाजित करके दो अलग-अलग क्षेत्रों अर्थात् "मगध एवं संघमित्र क्षेत्र" और "आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र" में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और तदनुसार अधिसूचना जारी की गई थी।कंपनी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए विभाजन के समय संपत्ति और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। विभाजन की प्रभावी तिथि 31 दिसंबर 2021 को वित्तीय आधार पर की गई थी।***	कोई टिप्पणी नहीं।
3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें। ***हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 64 खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान की गतिविधियों के लिए 35.30 करोड़ रुपये (वि.व-194.72 करोड़) प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, 2 खदानों तापिन साउथ खुली खान एवं रजहरा खुली खान के संबंध में एस्क्रो खाता अभी तक नहीं खोला गया है। पिंद्रा खुली खान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।***	कोई टिप्पणी नहीं।
4. यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागु अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है? ***भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13568.50 करोड़ रू. (वि. व 13568.50 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 38 के अनुछेद 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता के तहत शामिल किया गया है।***	कोई टिप्पणी नहीं।

"अनुलग्नक-बी" जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 2 में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

		लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(i)	(क)	क. हमारे अकेक्षण के दौरान, यह दृष्टिगत हुआ कि कंपनी ने सामान्यतः फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण के कुछ मामलों को छोड़कर जिनका स्थान और पहचान चिन्ह का उल्लेख नहीं किया गया है, संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए समुचित अभिलेख है। यह भी देखा गया कि फर्नीचर के संबंध मे, फिक्सचर प्रकाश और फिटिंग को अचल सम्पत्तियों के रजिस्टर के साथ लिंक नहीं गया है। ख. क्षेत्र ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है।	क्षेत्र स्तर के साथ-साथ मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पिछले 3 वर्षों की सभी संपत्तियों और 3 साल से अधिक की 1 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
	(ख)	हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सर्वेयेड ऑफ परिसम्पत्तियों के अलावे अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख रूपये एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान किये गए परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचीत किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ग)	हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार, राष्ट्रीयकरण पूर्व अवधि में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण अधिनियम), 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश सं जीएसआर/345 ई दिनांकित 9 जुलाई 1973, नई दिल्ली द्वारा किया गया। भूमि एवं राजस्व विभाग एंव सीसीएल की वेबसाइट पर डीड उपलब्ध है। कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के साथ एस. ओ. सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भूमि विस्थापितों को भूमि के एवज में अंतिम मुवाअजे के भुगतान के पश्चात भूमि की मूल प्रति भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा गया है। शेष मामलों में, शीर्षक विलेख सीसीएल के संबंधित विभाग के पास रखे जाते हैं। ***हालांकि, पिपरवार, आम्रपाली चंद्रगुप्त और एनके क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षक ने बताया कि उनके आगे सत्यापन के लिए अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख उन्हें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हजारीबाग क्षेत्र और कुजू क्षेत्र के शाखा लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्हें सत्यापन के लिए क्रमशः 0.06 करोड़ रुपये और 0.02 करोड़ रुपये के भूमि मूल्य का स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है (बैलेंस शीट के नोट 3 देखें)। विवरण के अभाव में, जैसा कि कैरो 2020 के खंड के तहत आवश्यक है, संपत्ति के विवरण आदि के संबंध में, हमें उपलब्ध कराया जा सकता है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।*** ***इसके अलावा, प्रबंधन कंपनी द्वारा धारित भूमि वर्गीकरण-वार संपत्ति का विवरण प्रदान नहीं कर सका जैसे - धारित संपत्ति की तिथि/संपत्ति की प्रकृति/संपत्ति का स्थान/अधिग्रहण मूल्य/संपत्ति का कुल मूल्य/संपत्ति का कुल मूल्य, पीपीई-भूमि और अन्य भूमि के तहत संपत्ति रजिस्टर/वित्तीय विवरण में प्रदर्शित मूल्य का मिलान करना। इन परिस्थितियों में, हम विसंगतियों, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।***	कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत सीबी अधिनियम की धारा 9(1) के तहत अधिग्रहित भूमि को एसओ के साथ सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
	(घ)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या दोनों की अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।	
	(ङ)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(ii)	(क) कंपनी की नीतियों के अनुसार, अंतर-क्षेत्र माप दल द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र के संदर्भ में वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से कोयला, कोक, आदि का भौतिक सत्यापन किया गया है। अंतर-क्षेत्र माप दल ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में अंकेक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है यदि बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच +/- 5% तक भिन्नता है, तो बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन, यदि कोई हो, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	कंपनी के पास नियत अंतराल में मुख्य कार्यालय द्वारा विधिवत नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन करने की एक प्रणाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हमारे अंकेक्षण की तिथि तक स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वर्ष के दौरान स्टोर एवं पुर्जों की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
	हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। कोल कोक आदि एवं स्टोर और स्पेयर के इस तरह के सत्यापन में 10% या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है।	
	(ख) वर्ष के किसी भी समय किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थानों से कंपनी को कोई नई कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी यानी सीआईएल के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम से 55 करोड़ रुपये की एसबीआई से मौजूदा कैश क्रेडिट सुविधा है। उक्त सुविधा को 83 करोड़ रुपये की सीमा तक बुक डेट और कच्चे माल के स्टॉक, अर्ध-तैयार और तैयार माल, स्टोर और पुर्जों से संबंधित मौजूदा परिसंपत्तियों पर दृष्टिबंधक प्रभार बनाकर संपार्श्विक रूप से सुरक्षित किया गया है।	
	जैसा कि हमें सूचीत किया गया है, उक्त नकद ऋण सुविधाओं का उपयोग कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान उपरोक्त बैंकों के साथ सीआईएल द्वारा दाखिल त्रैमासिक विवरणी या विवरण, यदि कोई हो, हमारे सत्यापन के लिए हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
	इसके अलावा, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास एचडीएफसी बैंक से 750 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सुविधा, यूनियन बैंक से 68.00 करोड़ रुपये और केनरा बैंक से 54.45 करोड़ रुपये के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए शुल्क दर्ज हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बंद कर दिए गए थे। हालांकि, रिपोर्टिंग की तारीख तक शुल्क आरओसी से संतुष्ट नहीं हुए हैं।	
(iii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, निम्नलिखित के अलावा प्रदान नहीं किया है। (क) होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता बनाए रखना। (ख) सीसीएल की सहायक कंपनी जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण, 31 मार्च 2022 तक 280.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष- 136.59 करोड़ रुपये) परियोजना के पूरा होने पर चुकाने योग्य। वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7 देखें। (ग) 31 मार्च 2022 तक कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण/कार ऋण के लिए अग्रिम राशि 2.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष- 0.49 करोड़ रुपये) जिस पर नियमित रूप से ब्याज लगाया जाता है और कंपनी की नीति के अनुसार चुकाया जा रहा है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त ऋण/अग्रिम आदि कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(iv)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(v)	कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का विचार है कि व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि जैसे बकाया राशि, जमा राशि, सुरक्षा जमा और ग्राहकों / अन्य से अग्रिम जमा के रूप में, ये जमा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में नहीं आते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vi)	हमने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते एवं रिकॉर्ड बनाए एवं रखे गए हैं। हालांकि, हमने सटीकता या पूर्णता निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है। जैसा कि हमें सूचीत किया गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हमारे लेखा परीक्षा की तिथि तक लागत लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vii)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष निर्विवाद वैधानिक देयताएँ सहित बही खाते में वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध देयताएँ कंपनी द्वारा नियमित रूप से जमा की गई है। हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2022 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ख) उप-खंड (ए) में संदर्भित वैधानिक बकाया **जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है,** इसमें शामिल राशि और जिस फोरम में यह विवाद लंबित है, उसका उल्लेख **"परिशिष्ट-1"** है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(viii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के तहत कर अधिकारियों द्वारा किसी भी लेन-देन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकट करने की आवश्यकता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ix)	(क) ***कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी यानी सीआईएल के माध्यम से बैंकों के संघ से 55 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 55 करोड़) की क्रेडिट सुविधा के संबंध में, दस्तावेजों को सीआईएल में रखा जाता है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।*** (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था, उसके लिए सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया था। (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक आधार में किया गया है।	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। (च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(x)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अगला सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3 (x) अनुछेद (ए) लागु नहीं होता है। (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बहि एवं अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x) पैरा (बी) लागु नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xi)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है। (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। (ग) व्हिसल ब्लोअर नीति (18.10.2019 को आयोजित अपने 478वें बोर्ड में सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) के अनुसार, सीसीएल के पास व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को उचित और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक प्रणाली है, हालांकि, हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xii)	(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xii) लागु नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xiii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागु है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन के विवरण का खुलासा लागु लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों मेंकिया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xiv)	(क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है; (ख) हाँ, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया था;	कोई टिप्पणी नहीं।
(xv)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xv) लागु नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xvi)	(क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xvi) लागु नहीं है। (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। (ग) यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। (घ) कंपनी एक बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है और न ही इसमें एक से अधिक सीआईसी हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xvii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(xviii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xix)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में,तथा वित्तीय अनुपात के आधार पर,वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान,वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;	कोई टिप्पणी नहीं।
(xx)	(क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे नियम के साथ; में निर्दिष्ट निधि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अनुपालन में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अव्ययित राशि का कोई शेष नहीं था। (ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 के उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों की अवधि के अंदर एक विशेष खाते में 18.19 करोड़ रुपये (विगत वर्ष-शून्य) की अव्ययित सीएसआर राशि को स्थानांतरित कर दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xxi)	हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तहत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह खंड लागु नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)
यूडीआईएन – 22079005ALOAFW2619

स्थान: रांची
दिनांक: 24 जून, 2022

'अनुलग्नक-सी' जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हमने 31 मार्च 2022 तक "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड"("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी** इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधारित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख-रखाव, कंपनी प्रबंधन, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्ररूप, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित अऔर कुशल संचालन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण। **अंकेक्षक की जिम्मेदारी** हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागु होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये। हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यापतता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, उचित है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है। **वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ** वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य/नीति/प्रक्रिया अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है। **अभिमत** हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा- निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है। हालांकि, इनमें और सुधार की आवश्यकता है: i) कंपनी के जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दस्तावेज़ीकरण, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण एवं बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना, ii) विविध व्यय, अन्य वित्तीय आस्तियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन, अन्य चालू और गैर-वर्तमान आस्तियों, व्यापार देय और प्राप्य, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य चालू और गैर-वर्तमान देनदारियों के संबंध में नियंत्रणों की निगरानी को मजबूत करना। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।	
कृते **के. सी. टाक एंड कंपनी** चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 000216C) **(सीए अनिल जैन)** पार्टनर (सदस्यता सं 079005) यूडीआईएन – 22079005ALOAFW2619 स्थान: रांची दिनांक: 24 जून, 2022	

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ”अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट” के अनुच्छेद 2 में अनुलग्नक - ”बी” के खंड vii में उल्लेखीत परिशिष्ट-”1”

31.03.2022 को विवादित वैधानिक दायित्वों का विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

कर के प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान
रॉयल्टी मामले	62	प्रमाण पत्र कार्यालय - धनबाद, राँची, बोकारो, हज़ारीबाग़/ डीएमओ/ डीडी(एम)	84-85, 86-87, 90-91 to 99-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 to 06-07, 08-09, 09-10, 10-11 to 20-21	854.20	6.95
रॉयल्टी मामले	8	डिप्टी कमिशनर - हज़ारीबाग़, रामगढ	95-96, 96-97, 05-06, 08-09, 14-15, 16-17, 18-19, 19-20	5.53	1.96
रॉयल्टी मामले	7	कमिशनर - हजारीबाग	98-99, 05-06, 08-09, 10-11	142.23	13.24
रॉयल्टी मामले	27	उच्च न्यायालय, झारखंड	87-88, 90-91 to 94-95, 95-96, 96-97, 98-99, 02-03, 04-05, 05-06, 08-09, 10-11, to 18-19	1,316.27	5.83
रॉयल्टी मामले	4	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	91-92, 99-00, 08-09	47.40	14.12
	108			**2,365.64**	**42.09**
बिक्री कर मामले	8	वाणिज्यिक कर अधिकारी- रांची, रामगढ, हज़ारीबाग़, तेनुघाट	99-00 to 0102, 08-10, 2012-13	18.72	6.79
बिक्री कर मामले	168	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	89-90 to 17-18	260.41	43.93
बिक्री कर मामले	168	जेसीसीटी (ए), राँची	85-86, 90-91 to 16-17	172.51	43.22
बिक्री कर मामले	117	सीसीटी/डीसीसीटी, राँची	88-89 to 16-17	525.28	100.11
बिक्री कर मामले	70	सीसीटी/डीसीसीटी, हजारीबाग	96-97, 99-00 to 10-11, 13-14 to 17-18	119.28	21.42
बिक्री कर मामले	141	ट्रिब्यूनल, राँची	90-91 to 98-99, 00-01 to 16-17	352.77	85.54
बिक्री कर मामले	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	11-12	3.87	3.87
	673			**1,452.85**	**304.88**
विद्युत शुल्क मामले	38	डीसीसीटी	03-04 to 16-17	17.72	10.57
विद्युत शुल्क मामले	238	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1992-93 to 2017-18	57.18	15.78
विद्युत शुल्क मामले	9	सीसीटी, राँची	06-07 to 11-12, 14-15 to 17-18, 2008-09 to 2010-11	6.07	2.75
विद्युत शुल्क मामले	29	ट्रिब्यूनल, राँची	1993-94 to 1997-98, 2004-05 to 2017-18	4.81	2.02
विद्युत शुल्क मामले	8	उच्च न्यायालय, झारखंड	97-98 to 04-05	3.18	1.22
	322			**88.96**	**32.34**
प्रवेश शुल्क मामले	1	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	2006-07	25.00	0.00
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	14	कमिशनर, राँची	05-06 to 08-09 to 13-14 to 15-16, 2019, 2020	39.31	0.42
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	17	सीइएसटीएटी, कोलकाता	10-11 to 12-13, 2015-16, 2019-2020	118.03	2.88
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	17-18	941.66	0.00
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	0	अन्य		0.00	0.00
	32			**1,099.00**	**3.30**
आयकर मामले	1	डीसीआईटी, राँची	04-05	1.94	1.94
आयकर मामले	4	सीआईटी(ए), राँची	15-16, 17-18 to 19-20	555.29	189.01
आयकर मामले	11	आईटीएटी	06-07 to 16-17	492.65	576.82
आयकर मामले	14	अन्य	04-05, 07-08 to 13-14, 15-16 to 20-21	0.14	0.00
	30			1,050.02	767.77
			कुल	**6,081.47**	**1,150.39**

दिनांक 31.03.2022 को परिसंपत्तियां एवं देयता का समेकित विवरण

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.		विवरण	31.03.2022 को (अंकेक्षित)	31.03.2021 को (अंकेक्षित)
ए.	**इक्विटी एवं देयता**			
1.	**शेयरधारक का निधि**			
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	940.00	940.00
	(ख)	साधन पूर्ण तरह से इक्विटी स्वरुप में	75.00	—
	(ग)	अन्य इक्विटी	7,475.75	6,610.84
	(घ)	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
		उप कुल शेयरधारक का निधि	**8,490.78**	**7,550.84**
2	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**		—	—
3	**गैर नियंत्रण ब्याज**		24.45	23.92
4	**गैर चालू देयता**			
	(क)	वित्तीय देयता	146.25	84.40
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निवल)	—	—
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयता	496.58	537.33
	(घ)	प्रावधान	5,118.65	4,876.36
		उप-कुल गैर-चालू देयता	**5,761.48**	**5,498.09**
5	**चालू देयताएँ**			
	(क)	वित्तीय देयता	2,680.98	2,683.90
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निवल)	—	—
	(ग)	अन्य वर्तमान देयताएँ	3,037.80	2,889.76
	(घ)	प्रावधान	821.61	834.70
	उप-कुल चालू देयता		**6,540.39**	**6,408.36**
		कुल इक्विटी एवं देयता	**20,817.10**	**19,481.21**
बी.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्ति**			
	(क)	स्थाई परिसंपत्ति	7,493.00	7,202.85
	(ख)	समेकन सदभाव	—	—
	(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	679.47	674.14
	(घ)	वित्तीय परिसंपत्ति	1,367.06	1,251.02
	(ड.)	अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	2,299.82	1,299.63
	उप-कुल - गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**11,839.35**	**10,427.64**
2	**चालू परिसंपत्ति**			
	(क)	वित्तीय परिसंपत्ति	4,573.98	4,901.96
	(ख)	भंडार सूची	1,013.34	1,288.67
	(ग)	अन्य चालू परिसंपत्ति	3,218.40	2,711.22
	(घ)	अन्य कर परिसंपत्ति (निवल)	154.03	151.72
		उप-कुल चालू परिसंपत्तियां	**8,977.75**	**9,053.57**
		कुल परिसंपत्तियां	**20,817.10**	**19,481.21**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBJXR6440

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

दिनांक 31.03.2022 को परिसंपत्ती एवं देयता का समेकित परिणामों का विवरण

(रू. करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	6,122.32	5,098.53	4,544.72	18,585.25	15,900.51
	घटाव - अन्य लेवी	2,024.94	1,652.62	1,451.42	6,233.12	5,126.19
	(क) निवल विक्रय/संचालन से आय (लेवी का निवल)	**4,097.38**	**3,445.91**	**3,093.30**	**12,352.13**	**10,774.32**
	(ख) अन्य संचालित आय	316.55	318.27	2,86.53	1,134.29	990.57
	संचालन से कुल आय(निवल) (क +ख)	**4,413.93**	**3,764.18**	**3,379.83**	**13,486.42**	**11,764.89**
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	311.38	239.58	214.33	855.15	730.39
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(350.94)	(206.90)	121.68	278.86	(57.43)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,384.81	1,374.73	1,194.97	5,475.62	5,232.70
	(घ) मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	180.00	178.26	153.75	647.55	554.26
	(ङ) बिजली और ईंधन व्यय	68.29	62.03	70.06	261.55	236.64
	(च) सीएसआर व्यय	24.89	5.91	1.05	53.14	46.46
	(छ) मरम्मत	131.02	146.45	58.23	273.25	287.91
	(ज) ठेका व्यय	544.74	595.18	521.06	1,867.10	1,638.11
	(झ) अन्य व्यय	392.50	270.97	305.73	1,202.85	1,011.33
	(ञ) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	3.17	6.08	—	3.44	12.93
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	585.02	355.18	163.46	725.21	365.87
	कुल व्यय (क से ट तक)	**3,274.88**	**3,027.47**	**2,804.32**	**11,643.72**	**10,059.17**
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1-2)	1,139.05	736.71	575.51	1,842.70	1,705.72
4	अन्य आय	156.23	120.36	48.28	336.83	293.52
5	वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	1,295.28	857.07	623.79	2,179.53	1,999.24

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित परिणामों का विवरण (जारी...)

(रू. करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
6	वित्तीय व्यय	21.83	29.62	19.91	81.77	83.89
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5-6)	1,273.45	827.45	603.88	2,097.76	1,915.35
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7-8)	1,273.45	827.45	603.88	2,097.76	1,915.35
10	कर व्यय	244.78	405.11	133.05	398.82	692.78
11	वर्ष में निवल लाभ/हानि (9-10) [ए]	1,028.67	422.34	470.83	1,698.94	1,222.57
12	असाधारण मद (कर व्यय का निवल)	—	—	—		—
13	सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निवल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11+12)	1,028.67	422.34	470.83	1,698.94	1,222.57
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	—	—	—		—
15	अल्पसंख्यक हित	—	—	—		—
16	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (13+14+15)	1,028.67	422.34	470.83	1,698.94	1,222.57
17	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निवल कर) [बी]	(48.81)	(42.25)	(25.99)	(51.39)	(64.28)
18	कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए+बी]	979.86	380.09	444.84	1,647.55	1,158.29
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (शेयरों का अंकित मूल्य रु. 1000/- प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु रू. 1000/-) (वार्षिक नहीं किया गया)					
	(क) बेसिक	1,094.28	449.26	500.57	1,806.82	1,300.24
	(ख) डायलुटेड	1,094.28	449.26	500.57	1,806.82	1,300.24

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBJXR6440

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणिया	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियाँ					
गैर - चालू परिसंपत्तियाँ					
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3	5,737.64	5,532.03
(ख)	कार्यशील पूँजी		4	1,161.74	1,160.10
(ग)	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		5	573.69	499.79
(घ)	अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		6.1	8.66	10.93
(ङ.)	विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति		6.2	11.27	—
(च)	निवेश संपत्ति			—	—
(छ)	वित्तीय परिसंपत्तिया				
	(i)	निवेश	7	—	—
	(ii)	ऋण	8	2.06	0.49
	(iii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,365.00	1,250.53
(ज)	आस्थगित कर संपत्ति (निवल)			679.47	674.14
(झ)	अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया		10	2,299.82	1,299.63
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)				**11,839.35**	**10,427.64**
चालू परिसंपत्ति					
(क)	भंडार पूँजी		12	1,031.34	1,288.67
(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i)	निवेश	7	64.72	—
	(ii)	व्यापार प्राप्य	13	2,149.65	3,402.53
	(iii)	नकद और नकद समकक्ष	14	747.32	256.04
	(iv)	अन्य बैंक शेष	15	1,513.04	986.69
	(v)	ऋण	8	—	—
	(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	99.25	256.70
(ग)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)			154.03	151.72
(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां		11	3,218.40	2,711.22
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)				**8,977.75**	**9,053.57**
कुल परिसंपत्तियां (ए+बी)				**20,817.10**	**19,481.21**

31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र(जारी...)

(रू. करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2022 को	31.03.2021 को
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूँजी	16	940.00	940.00
(बी) साधन पूर्ण तरह से इक्विटी स्वरुप में		75.00	—
(सी) अन्य इक्विटी	17	7,475.78	6,610.84
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोग्य इक्विटी		8,490.78	7,550.84
गैर-अनियंत्रित ब्याज		24.45	23.92
कुल इक्विटी (ए)		**8,515.23**	**7,574.75**
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	—	—
(ii) पट्टा देयताएँ		—	—
(iii) व्यापार देयताएँ		—	—
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	146.25	84.40
(बी) प्रावधान	21	5,118.65	4,741.50
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	496.58	537.33
कुल गैर-चालू देयताएँ (बी)		**5,761.48**	**5363.23**
चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	—	55.00
(ii) व्यापार देयताएँ	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		6.98	—
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,550.75	1,360.82
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	1,123.25	1,268.08
(बी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	23	3,037.80	2,889.76
(सी) प्रावधान	21	821.61	834.70
(डी) चालू कर देयताएँ (निवल)		—	—
कुल गैर-चालू देयताएँ (सी)		**6,540.39**	**6,408.36**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (ए+बी+सी)		**20,817.10**	**19,481.21**
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां	38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।			

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBJXR6440

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

लाभ एवं हानि का समेकित तुलन विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

				टिप्पणियाँ	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व				**24**		
ए.	बिक्री (लेवियों का निवल)				12,352.13	10,744.32
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निवल)				1,134.29	990.57
	(I)	**संचालन से राजस्व (ए+बी)**			**13,486.42**	**11,764.89**
	(II)	**अन्य आय**		25	336.83	293.52
	(III)	**कुल आय (I+II)**			**13,823.25**	**12,058.41**
	(IV)	**व्यय**				
		उपयोग किये गए सामग्री की लागत		26	855.15	730.39
		तैयार माल के भंडार/कार्य प्रगति परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में		27	278.86	(57.43)
		कर्मचारी लाभ व्यय		28	5,475.62	5,232.70
		बिजली का खर्च			261.55	236.64
		कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय		29	53.14	46.46
		मरम्मती		30	273.25	287.91
		संविदात्मक व्यय		31	1,867.10	1,638.11
		वित्तीय लागत		32	81.77	83.89
		मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि			647.55	554.26
		प्रावधान		33	3.41	12.93
		बट्टे खाते डालना		34	0.03	—
		स्ट्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन			725.21	365.87
		अन्य व्यय		35	1,202.85	1,011.33
		कुल व्यय (IV)			11,725.49	**10,143.06**
	(V)	**असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (III-IV)**			2,097.76	**1,915.35**
	(VI)	असाधारण मद			—	—
	(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**			2,097.76	**1,915.35**
	(VIII)	कर व्यय		36		
		चालू कर			404.15	523.48
		स्थगित कर			(5.33)	169.30
	(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**			**1,698.94**	**1,222.57**
	(X)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ			—	—
	(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय			—	—
	(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)			—	—
	(XIII)	संयुक्त उद्यम सम्बद्ध के लाभ/(हानि)में हिस्सा			—	—
	(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**			**1,698.94**	**1,222.57**
	अन्य विस्तृत आय			37		
	ए	(i)	मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		(68.68)	(85.90)
		(ii)	लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मदों से संबंधित आयकर		(17.29)	(21.62)
	बी	(i)	मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
		(ii)	लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होने वाले मदों से संबंधित आयकर		—	—
	(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**			**(51.39)**	**(64.28)**

लाभ एवं हानि का समेकित तुलन विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(रू. करोड़ में)

			टिप्पणियाँ	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभकारी लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)**			1,647.55	**1,158.29**
	आरोपित लाभ :				
	कंपनी के स्वामी को			1,698.41	1,222.23
	गैर -नियंत्रित ब्याज को			0.53	0.34
				1,698.94	**1,222.57**
	अन्य आरोपित विस्तृत आय:				
	कंपनी के स्वामी को			(51.39)	(64.28)
	गैर -नियंत्रित ब्याज का			—	—
				(51.39)	**(64.28)**
	कुल आरोपित विस्तृत आय:				
	कंपनी के स्वामी को			1,647.02	1,157.95
	गैर -नियंत्रित ब्याज का			—	0.34
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए)) :**				
	(1)	बेसिक		1,806.82	1,300.24
	(2)	डायलूटेड		1,806.82	1,300.24
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित संचालन के लिए) :**				
	(1)	बेसिक		—	—
	(2)	डायलूटेड		—	—
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए):**				
	(1)	बेसिक		1,806.82	1,300.24
	(2)	डायलूटेड		1,806.82	1,300.24
महत्वपूर्ण लेखा नीति			2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां			38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।					

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBJXR6440

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**2,097.76**	**1,915.35**
समायोजन के लिए :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		647.55	554.26
ब्याज और लाभांश आय		(106.09)	(80.90)
वित्तीय लागत		81.77	83.89
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)\ हानि		(0.15)	1.52
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		—	4.88
अन्य प्रावधान		3.41	8.05
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(125.02)	(108.53)
स्ट्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन		725.21	365.87
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**3,324.44**	**2,744.39**
समायोजन के लिए :			
व्यापार प्राप्य (निवल प्रावधान)		1,252.88	(910.42)
भंडार सूची		257.33	(55.31)
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		(458.98)	(118.82)
व्यापार देय		196.91	(43.96)
वित्तीय एवं अन्य देयताएँ		(272.49)	1,074.67
संचालन से उत्पन्न नकद		**4,300.09**	**2,690.55**
आयकर का भुगतान / वापसी		(389.17)	(591.12)
संचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(ए)**	**3,910.92**	**2,099.43**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(1,963.01)	(1,591.33)
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में परिशिष्ट		(73.90)	(51.34)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		(0.64)	(4.64)
बैंक जमा पर में प्राप्ति/(निवेश)		(640.82)	(460.69)
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		(64.61)	0.48
सहायक कंपनी में निवेश		—	—
निवेश से ब्याज		76.57	80.10
ब्याज एवं लाभांश आय		8.85	0.01
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निवल राशि	**(बी)**	**(2,657.54)**	**(2,027.41)**

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रू. करोड़ में)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
वापसी/उधार में वृद्धि		—	**5.00**
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		—	(4.98)
साधन पूर्ण तरह से इक्विटी स्वरुप में		**20.00**	
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		**(782.08)**	—
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(सी)**	**(762.08)**	**0.02**
नकद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**491.28**	**72.04**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**256.04**	**184.00**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**747.32**	**256.04**

(कोष्ठ में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBJXR6440

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण - समेकित

क. इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2022 को

विवरण	01.04.2022 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2021 पर शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2022 पर शेष
₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

31.03.2021 को

विवरण	01.04.2021 पर शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनः वर्णित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2021 को शेष
₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2022 को

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्निधारण	इक्विटी के लिए जिम्मेदार इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2021 पर शेष	—	2,307.15	4,477.77	(174.08)	6,610.84	23.92	6,634.76
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2021 पर पुनर्लिखित शेष	—	**2,307.15**	**4,477.77**	**(174.08)**	**6,610.84**	**23.92**	**6,634.76**
कुल व्यापक लाभ	—	—	1,698.41	(51.39)	1,647.02	0.53	1,645.55
अंतरिम लाभांश	—	—	(404.20)	—	(402.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभांश	—	—	(377.88)	—	(377.88)	—	(377.88)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	84.85	(84.85)	—	—	—	—
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	—			—	—	—	
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—	—	—
बोनस शेयरों का निर्गम	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2022 पर शेष	—	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**	**24.45**	**7,500.23**
31.03.2021 को							
01.04.2020 पर शेष	—	2,246.09	3,316.31	(109.80)	5,452.60	23.87	5,4576.47
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2020 पर पुनर्लिखित शेष	**—**	**2,246.09**	**3,316.31**	**(109.80)**	5,452.60	**23.87**	**5,476.47**
कुल व्यापक लाभ	—	—	1,222.23	(64.28)	1,157.95	0.34	1,158.29
अंतरिम लाभांश	—	—	—	—	—	—	—
अंतिम लाभांश	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	**0.29**	—	0.29	**(0.29)**	—
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	—	61.06	(61.06)	—			—
निगम लाभांश कर	—	—	—	—	—	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—	—	—
बोनस शेयरों का निर्गम	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2021 पर शेष	—	**2,307.15**	**4,477.77**	**(174.08)**	**6,610.84**	**23.92**	**6,634.76**

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ
वित्तीय विवरणों पर टिप्पिणियाँ

नोट 1:निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड - 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट-भट्ठा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख-रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण को भारत में लागु लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचीत ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के अनुसार किया गया है।

ii. समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इनके:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2. 21 में लेखा नीति को देखें) ।

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों कोए जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया हैए करोड़ रू. में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कंपनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नो पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नो को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कंपनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कंपनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसम्पत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कंपनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कंपनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन-देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है। समूह की कंपनियों के बीच अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य-सम्पादन एवं घटनाओं के लिए सीआईएल के द्वारा अपनाये गये लेखा-नीतियों को ही सामान्य तौर पर सीसीएल के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीआईएल के घटक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, सीआईएल समेकित लेखा-नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर-चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निवल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निवल परिसम्पत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण स्टैंडअलोन तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निवल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन-देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा-नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन-देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन-देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसम्पत्ति को मौजूद समझा जाता है जबः :

(क) सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(ख) परिसम्पत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसम्पत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) परिसम्पत्ति नकद या नकद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसम्पत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जबः

(क) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(ख) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएँ को गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागु किया जाता हैः

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए); तथा

ङ) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण होंः

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती हैः

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग-अलग होने के कारण बढ़ता है एवं

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड-अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है:

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध शर्तों और प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- चर प्रतिफल;
- चर प्रतिफल के विवश अनुमान;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल.

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर-घटना पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन-देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग सामान या सेवा) को लेन-देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग-अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन-देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5: राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व

को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता हैः

ग) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागु करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है|

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागु करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागु करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागु करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैंः

क) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार हैः

ख) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक हैः

ग) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया हैः

घ) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैंः

ङ) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएँ

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल

का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, जिनकी अवधि 12 महीने या उससे कम की है हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की हो उन सभी पट्टों को छोड़, सारे पट्टों के लिए पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती हैए जब तक कि लागतों को अन्य लागु मानकों को लागु करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता हैए यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथाए पट्टेदार उपयोग करने हेतु अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पतियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे - संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के

द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुर्लिग्न विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन-देन में अन्य गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के लिए गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसम्पत्तियों या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब:

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है;
- खरीददार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है,
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है,
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, एवं
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है:

(क) इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर-वापसी योग्य सहित।

(ख) कोई लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के जरूरी शर्त

(ग) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान-सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रख-रखाव" के वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।.

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ-हानि को लाभ-हानि की श्रेणी में रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है:

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवनें	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर-संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग - सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसम्पत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निकाले गए परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/ निपटान महीने के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल); सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूँजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसम्पत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।..

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकी आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा-नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे-धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख-रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में पूँजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण
- भौगोलिक-रासायनिक तथा भौगोलिक-शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना
- खोजी वेधन, खाई-खुदाई एवं नमूना
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूँजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर तकनीकी व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूँजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूँजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूँजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूँजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है: जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(क) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(ख) कोयले को छूने के 2 साल, या

(ग) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूँजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूँजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में

समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है।

बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होते ही व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.13 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंप त्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसम्पत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नकद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूँजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन-देन लागत तथा जहां कहीं भी लागु उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.15.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन-देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसम्पत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कंपनी परिसम्पत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ एवं हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है:

(क) परिसम्पत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्ति रखना है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नकदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित

लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(क) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कंपनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसम्पत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे “बेमेल लेखा” कहा जाता है)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव साधन-दर-साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कंपनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कंपनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागु हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कंपनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब:

- परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या “पास-थ्रू” व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है: और या तो (ए) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कंपनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कंपनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कंपनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों की विकृति/हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टे

(घ) व्यापार प्राप्तियां या नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के सीमा के अंदर हुए लेन-देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कंपनी “सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य: तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के सीमा के अंदर हुए लेन-देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के ईसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन-देन लागतों का निवल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएँ शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ-हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कंपनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी

लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागु होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागु होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कंपनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निवल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया

बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूँजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कंपनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहां संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेन-देन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तियां इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागु होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागु किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कंपनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कंपनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु-अवधि के लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जिसके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्प-कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक सांविधिक निकाय द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कंपनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कंपनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निवल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कंपनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निवल राशि पर प्राप्त होनेवाली निवल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से - कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ-हानि विवरण में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की सूचीत मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता

पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला: ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन के निवल शेषों के तुलन पत्र में गैर-मौजूद परिसंपत्ति/गैर-मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन-पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।-

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्र	विचलन की स्वीकार्य सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति-सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति-सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति-सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निवल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक-फाइन्स को लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप-उत्पादनों को निवल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप-स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति-सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति-सूची

वर्कशॉप कार्यो जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यो के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति-सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएँ (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह

दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय-मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निवल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं धारणाएँ का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तीय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा धारणाएँ के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए धारणाएँ की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागु करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित विŸाीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा-नीतियों का प्रतिपादन

लेखा-नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन-देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागु होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागु करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन-देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा-नीति लागु करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि:

क) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय-निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

ख) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरणः:

- (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नकद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है;
- (ii) लेन-देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को;
- (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त;
- (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
- (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है

निर्णय-निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागु करने की योग्यता पर विचार करती है:

(क) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; तथा

(ख) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड-सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत

औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखा-नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तीय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग-अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तीय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के परिमाण एवं प्रकृति या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय चूक या गलत विवरण या अस्पष्ट करना उन आर्थिक फैसलों पर अलग-अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

01.04.2019 से लागु संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निवल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी धारणाएँ एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में धारणाएँ में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नकदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नकदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्तिप्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ-साथ अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्वान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ संभावित

समय-निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट - 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन धारणाएँ में परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी धारणाएँ की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु-दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु-दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाएँ में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूँजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन पन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, धारणाएँ एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/ खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित धारणाएँ के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय-मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण:

ए.	सीजीयू	नकद उत्पन्न करने वाली ईकाई	एल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नकद प्रवाह	एम.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	एन.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसइसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	पी.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक	क्यू.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आर.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि	एस.	सीएमपीडीआईएल	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड
आइ.	पीपीई	संपत्ति,संयंत्र तथा उपकरण	टी.	एनइसी	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान	यू.	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोल् मैनेजमेंट
के.	एसपीपीआई	प्रभावी ब्याज दर	वी.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन /रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2020 को	17.49	814.17	472.63	310.05	1,803.47	4.46	409.28	2,268.03	16.66	63.37	12.45	-	307.56	69.6	6,568.68
जोड़	-	855.72	-	14.26	114.15	1.28	78.23	304.26	1.09	7.17	3.70	-	51.70	14.64	1,446.20
विलोपन/समायोजन	-	-	(0.14)	(4.14)	(168.62)	-	-	-	-	(0.69)	0.01	-	-	(3.12)	(176.70)
31 मार्च, 2021 को	**17.49**	**1,669.89**	**472.49**	**320.17**	**1,749.00**	**5.74**	**487.51**	**2,572.29**	**17.75**	**69.85**	**16.16**	**-**	**359.26**	**80.58**	**7,838.18**
1 अप्रैल, 2021 को	17.49	1,669.89	472.49	320.17	1,749.00	5.74	487.51	**2,572.29**	17.75	69.85	16.16	-	359.26	80.58	7,838.18
जोड़	-	62.57	26.82	233.63	269.41	0.22	156.36	63.69	3.54	10.67	12.68	-	24.48	7.30	871.37
विलोपन/समायोजन	-	-	(9.42)	(0.05)	(93.75)	(0.33)	(0.29)	-	2.10	(5.63)	0.12	-	1.83	(1.29)	(106.71)
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,732.46**	**489.89**	**553.75**	**1,924.66**	**5.63**	**643.58**	2,635.98	**23.39**	**74.89**	**28.96**	**-**	**385.57**	86.59	**8,602.84**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2020 को	-	238.99	203.19	56.11	975.52	1.37	65.78	113.40	7.13	30.42	6.82	-	162.41	37.40	1,898.54
वर्ष के लिए शुल्क	-	107.37	37.46	13.90	150.68	0.50	30.04	153.01	1.80	10.86	1.22	-	37.77	-	544.61
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.25	(2.41)	3.84
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	(142.88)	-	0.78	-	(0.14)	(0.58)	0.06	-	1.92	-	(140.84)
31 मार्च, 2021 को	**-**	**346.36**	**240.65**	**70.01**	**983.32**	**1.87**	**96.60**	**266.41**	**8.79**	**40.70**	**8.10**	**-**	**208.35**	**34.99**	**2,306.15**
1 अप्रैल, 2021 को	-	346.36	240.65	70.01	983.32	1.87	96.60	266.41	8.79	40.70	8.10	-	208.35	34.99	2,306.15
वर्ष के लिए शुल्क	-	156.47	31.49	21.91	150.88	0.78	33.16	177.28	2.02	11.21	2.68	-	53.55	-	641.43
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.30	(10.53)	(1.23)
विलोपन/समायोजन	-	(0.07)	(1.23)	0.68	(78.84)	0.07	0.34	-	1.56	(5.50)	0.13	-	2.21	(0.50)	(81.15)
31 मार्च, 2022 को	**-**	**502.76**	**270.91**	**92.60**	**1,055.36**	**2.72**	**130.10**	**443.69**	**12.37**	**46.41**	**10.91**	**-**	**273.41**	**23.96**	**2,865.20**
निवल वहन राशि															
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,229.70**	**218.98**	**461.15**	**869.30**	**2.91**	**513.48**	**2,192.29**	**11.02**	**28.48**	**18.05**	**-**	**112.16**	**62.63**	**5,737.64**
31 मार्च, 2021 को	**17.49**	**1,323.53**	**231.84**	**250.16**	**765.68**	**3.87**	**390.91**	**2,305.88**	**8.96**	**29.15**	**8.06**	**-**	**150.91**	**45.59**	**5,532.03**

1. उन अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक है या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार# है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
अन्य भूमि	1,732.46	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि, के संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वत्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी स्वत्व विलेख पर अधिकार है एवं पूर्व स्वामित्व भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

2. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।

विवरण	पूर्व स्वमित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन /रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयरक्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2015 को	16.87	630.42	656.05	437.66	3,335.00	16.90	88.08	—	20.77	50.16	32.79	—	759.19	71.73	**6,115.62**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2015 को	—	372.29	176.30	270.57	2,239.44	15.24	73.22	—	15.18	36.96	26.36	—	652.32	—	**3,877.88**
निवल वहन राशि	**16.87**	**258.13**	**479.75**	**167.09**	**1,095.56**	**1.66**	**14.86**	**—**	**5.59**	**13.20**	**6.43**	**—**	**106.87**	**71.73**	**2,237.74**

3. अन्य भूमि में कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 और अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।

4. महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुछेद सं. 2.8. में उल्लेख अनुसार, मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। मूल्य के विभिन्न उपयोगी जीवन वाले कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए घटक लेखांकन को माना नहीं गया है।

5. सर्वेक्षण की गई आस्तियों के संबंध में रु. 10.53 करोड़ (वि. व. रु.2.41 करोड़) की हानि वापस ले ली गयी है।

6. पट्टा समझौतों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को कंपनी की कुछ संपत्तियों पर अधिकार लेने एवं उपयोग करने का अधिकार दिया है, जिसका सकल मूल्य रु 7.90 करोड़ एवं शून्य रुपये की डब्ल्यूडीवी है।

7. कुल मूल्यह्रास राशि 641.43 करोड़ रुपये (वि. व. रु. 544.61 करोड़) में अन्य खनन बुनियादी ढांचे से संबंधित रु.53.55 करोड़ (वि.व. 37.77 करोड़ रुपये) एवं 31.49 करोड़ रुपये (वि. व. 37.46 करोड़ रुपये) भूमि सुधार / स्थल बहाली लागत के लिए परिशोधन शामिल है।

8. सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में रुपये 3587.37 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी, जिसके लिए रु. 2984.00 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कर दिया गया है। ईसी रेलवे ने रु 2635.98 करोड़ का व्यय किया है जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में मान्यता दी गई है एवं रु. 348.02 करोड़ की शेष राशि को नोट 10 में पूँजी अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजना के विरुद्ध सीसीडीएसी से आज तक 605.05 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

9. रु. 778.62 करोड़ का भूमि मुआवजा राशि, अन्य भूमि के रूप में दिखाया गया है, जो समाधान के अधीन है (वित्तीय विवरण के नोट-38 का अनुछेद 7.16) |

10. अवधि के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए वर्ष के दौरान पूँजीकृत मूल्यह्रास रु शून्य (विगत वर्ष रु शून्य) शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(रू. करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़को, एवं पुलियों सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल, 2020 का	228.52	36.22	346.31	316.77	—	927.82
जोड	28.44	22.01	179.25	62.33	—	292.03
पूँजीकरण/विलोपन	(6.65)	(9.34)	(0.39)	(27.83)	—	(44.21)
31 मार्च, 2021 को	**250.31**	**48.89**	**525.17**	**351.27**	**—**	**1,175.64**
1 अप्रैल, 2021 को	250.31	48.89	525.17	351.27	—	1,175.64
जोड	44.38	183.39	33.21	12.68	—	273.66
पूँजीकरण/विलोपन	(218.59)	(11.32)	(19.33)	(20.04)	—	(269.28)
31 मार्च, 2022 को	**76.10**	**220.96**	**539.05**	**343.91**	—	**1,180.02**
संचित हानि						
1 अप्रैल, 2020 को	0.59	1.47	0.24	11.56	—	13.86
वर्ष के लिए शुल्क	**0.04**	0.07	(0.24)	0.80	—	0.67
हानि	—	—	—	2.81	—	2.81
विलोपन/समायोजन	—	(0.08)	—	(1.72)	—	(1.80)
31 मार्च, 2021 को	**0.63**	**1.46**	**—**	**13.45**	**—**	**15.54**
1 अप्रैल, 2021 को	0.63	1.46	—	13.45	—	15.54
वर्ष के लिए शुल्क	0.44	0.03	—	0.44		0.91
हानि	—	—	—	4.15	—	4.15
विलोपन/समायोजन	0.23	(0.09)	—	(2.46)	—	(2.32)
31 मार्च, 2022 को	**1.30**	**1.40**	**—**	**15.58**	**—**	**18.28**
निवल वहन राशि						
31 मार्च, 2022 को	**74.80**	**219.56**	**539.05**	**328.33**	**—**	**1,161.74**
31 मार्च, 2021 को	**249.68**	**47.43**	**525.17**	**337.82**	**—**	**1,160.10**

भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यह्रास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।

	बिल्डिंग जल आपूर्ति सड़कों एवं पुलियों सहित))	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि						
1 अप्रैल, 2015 को	62.53	132.02	136.74	188.12	—	519.41
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2015 को	10.52	12.29	45.74	36.84	—	105.39
निवल अग्रणीत राशि	**52.01**	**119.73**	**91.00**	**151.28**	**—**	**414.02**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

(रू. करोड़ में)

2. पूँजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूँजीगत कार्य प्रगति के लिए काल प्रभावन सूची:

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	43.42	20.92	6.52	5.24	76.10
संयंत्र एवं उपकरण	184.16	17.04	17.10	2.66	220.96
रेलवे साइडिंग	**111.36**	118.07	**97.79**	**211.83**	**539.05**
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	14.21	282.07	34.11	13.52	343.91
अन्य	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
परियोजना के नाम	—	—	—	—	—
कुल	**353.15**	**438.10**	**155.52**	**233.25**	**1180.02**

2. अतिदेय पूँजी-कार्य-प्रगति में

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)				
बिरसा में तालाब खुदाई	0.03	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वाटर एवं 16 बी टाइप क्वाटर का निर्माण	1.23	-	-	-
बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वार्टर एवं 12 सी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	3.12	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण	0.07	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र में 3.15 किमी एप्रोच रोड का निर्माण	2.01	-	-	-
केएसपी में सिंगल स्टोरी डी टाइप क्वार्टर का निर्माण		-	0.08	-
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.01
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.05
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.01
निर्माणाधीन भवन		-	-	0.25
प्रथम श्रेणी यूसी डब्ल्यू / एस बिल्डिंग		-	-	0.01
नए डब्ल्यूटीपी/एसटीपी/पीईटी के निर्माण एवं उन्नयन के लिए मेकॉन को भुगतान		-	-	0.20
कथारा मोड़ से कथारा तक मेन रोड का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण	0.81	-	-	-
प्रोजेक्ट अफसर कार्यालय आम्रपाली का निर्माण	1.35	-	-	-
प्री-फैब बिल्डिंग का निर्माण	12.01	-	-	-
डीएवी स्कूल का विस्तार		-	-	0.94
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	0.08	-	-	-

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

(रू. करोड़ में)

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
संयंत्र एवं उपकरण				
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना एवं डिजाइन सेवा				0.18
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के लिए सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई एनआईटी सेवाएं				0.11
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.14
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी की स्थापना के लिए एकीकृत बोली दस्तावेज तैयार करना				0.05
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई 58 इंजीनियरिंग दिन अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल रांची द्वारा प्रदान की गई पी एंड डी सेवाओं के लिए शुल्क		-	-	0.24
निर्माण मशीन संख्या 9025 से 9044 के तहत डब्ल्यू / बी	3.34	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
करगली रेलवे साइडिंग की सीमा दीवार का विस्तार	-	0.11	-	
रेलवे साइडिंग	-	-	-	74.44
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
सयाल मोड़ भुरकुंडा से पोटंगा तक, सौंडा सयाल उरीमारी, गिद्दी वाशरी सौंडा, सी/सौंडा के माध्यम से सौंडा डी एवं के.के. खदान से सयाल से खदान तक मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	3.85	-	-	-
उत्तर उरीमारी परियोजना के माध्यम से स्थल कार्यालय के लिए पहुँच सड़क	0.18	-	-	-
एकेके ओसीपी के माध्यम से 05 गहरे बोरवेल उपलब्ध कराना	-	0.08	-	-
एमडीआर-079 पर पुनर्संरेखित डायवर्जन पर बाइ-पास रोड का निर्माण	-	0.10	-	-
आरडी में विकास कार्य	-	-	-	2.71
गोविंदपुर फेस-II में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	2.34	-	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	1.90	-	-	-
राइट्स लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	31.69	-	-	-
एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	274.40	-	-	-
केदला वाशरी	0.33	-	-	-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	2.98	-	-	-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
परियोजना के नाम 1	-	-	-	-
अन्य				
परियोजना के नाम 1	-	-	-	-
कुल	**341.72**	**0.29**	**0.08**	**79.58**

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2020 को	449.12
जोड़	51.78
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2021 को	**500.90**
1 अप्रैल, 2021 को	500.90
जोड	100.90
विलोपन /समायोजन	(27.65)
31 मार्च, 2022 को	**574.15**
संचित मूल्यहास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2020 को	**0.67**
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	0.44
विलोपन/समायोजन	—
31 मार्च, 2021 को	**1.11**
1 अप्रैल, 2021 को	1.11
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन /समायोजन	(0.65)
31 मार्च, 2022 को	**0.46**
निवल वहन राशि	—
31 मार्च, 2022 को	**573.69**
31 मार्च, 2021 को	**499.79**
1. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्यहास को परिवर्तन की तिथि पर अग्रणीत मूल्य पर माना गया।	
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2015 को	176.04
संचित मूल्यहास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2015 को	2.21
निवल वहन राशि	**173.83**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति (जारी...)

(रू. करोड़ में)

2. अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के लिए काल प्रभावन सूची

	अन्वेषण के लिए राशि एवं मूल्यांकन की अवधि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:	223.00	39.94	40.25	269.18	572.37
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएं:			1.78		1.78
परियोजना के नाम					
कुल	**223**	**39.94**	**42.03**	**269.18**	**574.15**

3. अतिदेय अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:				
कारो वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.55	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.93	-	-
कोनार सब स्टेशन के लिए सीएमपीडीआईएल पूँजीगत व्यय	-	0.26	-	-
नई करगली वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा अप्रैल, 2018 के दौरान परियोजना नियोजन के लिए किया गया अनुसंधान एवं विकास कार्य	-	0.05	-	-
कुल	-	**1.78**	-	-

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6.1: अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2020 को	9.42	1.71	—	11.13
जोड़	2.88	5.57	—	8.45
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	**12.30**	**7.28**	—	**19.58**
1 अप्रैल, 2021 को	12.30	7.28	—	19.58
जोड़	0.02	—	—	0.02
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**12.32**	**7.28**	—	**19.60**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2020 को	6.76	—	—	6.76
वर्ष के लिए शुल्क	1.89	—	—	1.89
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	**8.65**	—	—	**8.65**
1 अप्रैल, 2021 को	8.65	—	—	8.65
वर्ष के लिए शुल्क	2.29	—	—	2.29
हानि	—	—	—	—
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**10.94**	—	—	**10.94**
निवल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2022 को	**1.38**	**7.28**	—	**8.66**
31 मार्च, 2021 को	**3.65**	**7.28**	—	**10.93**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसूला जाएगा।
2. भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में, 01.04.2015 को सकल मूल्य घटाव संचित मूल्य ह्रास को परिवर्तत की तिथि पर अग्रेणित मूल्य पर माना गया।

सकल वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2015 को	4.74	1.71	—	6.45
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2015 को	—	—	—	—
निवल अग्रेणित राशि	**4.74**	**1.71**	—	**6.45**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(रू. करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2020 को	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
जोड़	11.27	—	—	11.27
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	—	—	**11.27**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2020 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	—	—	—	—
निवल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	—	—	**11.27**
31 मार्च, 2021 को	—	—	—	—

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसूला जाएगा।

2. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए काल प्रभावन सूची

	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए राशि की अवधि के लिए				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर :	11.27	—	—	—	11.27
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:			—		—
परियोजना का नाम					
कुल	**11.27**	—	—	—	**11.27**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश

(रू. करोड़ में)

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू			
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स		—	—
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
ब्याज मुक्त ऋण		—	—
कुल		—	—
उद्धत निवेशों का निवल राशि:		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य:		—	—
अनुबद्ध निवेशों का निवल राशि		—	—
निवेश के मूल्य में निवल हानि		—	—

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(रू. करोड़ में)

विवरण	धारित शेयरों की संख्या चालू वर्ष/(विगत वर्ष)	एनएवी /फेस प्रति इकाई अंकित मूल्य (रु में)	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई लिक्विड नकद प्लान				
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	1,32,036.446/-	4897.0747/-	64.66	
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड	47.699/-	3333.0896/-	0.02	—
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड- लिक्विड	41.292/-	2549.7953/-	0.01	—
यूनियन म्यूचुअल फंड - लिक्विड	66.112/-	2050.9509/-	0.01	—
बीओआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड	72.574/-	2452.9344/-	0.02	
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान)			—	—
(व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
बड़े राज्यों के आधार पर विश्लेषण				
— यूपी			—	—
— हरियाणा			—	—
कुल			**64.72**	—
उद्धत निवेश का संकलित मूल्य:			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्य:			**64.72**	—
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्य:			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरण:

(रू. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमाच्य प्राप्त लाभांश	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	16,43,941.05	795.00	15,11,904.595	733.07
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	37,74,498.60	1,241.68	37,74,450.90	1,247.55
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	1,86,754.320	47.01	1,86,713.03	47.08
यूनियन म्यूचुअल फंड- लिक्विड	1,48,071.650	29.96	1,48,008.54	30.00
बीओबी म्यूचुअल फंड- लिक्विड	5,01,696.670	121.35	5,01,624.10	121.54
कुल	**62,54,962.290**	**2,235.00**	**61,22,701.172**	**2,179.24**

कंपनी लिक्विड स्कीम (ग्रोथ ऑप्शन) और अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
संबंधित पक्षों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— संदेहात्मक	—	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य को ऋण		
कॉरपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	2.06	0.49
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	2.06	0.49
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	2.06	0.49

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
उधारकर्ता का प्रकार	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधक	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8 : ऋण (जारी...)

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू		
संबंधित पक्षों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट एवं कर्मचारियों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—

संबंधित पार्टियों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(2)(viii) देखें।
2. कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों पर सुरक्षित किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
गैर चालू				
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि		—		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य		1,365.00		1,250.53
सुरक्षित जमा	—		—	
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—	—	—
अन्य जमा एवं प्राप्य	—		—	
घटाएं : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	—	—	—	—
कुल		**1,365.00**		**1,250.53**
चालू				
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
उपार्जित ब्याज		30.01		9.45
दावे और अन्य प्राप्य*	83.53		263.05	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	14.29	69.24	15.80	247.25
कुल		**99.25**		**256.70**

1. *चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन-देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन-देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान रु. 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से रु. 3.99 करोड़ की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है।रु. 3.99 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से रु. 2.58 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और रु. 1.41 करोड़ के शेष के विरूद्ध रु. 1.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंकों के पास जमा राशि रु. 1.365 करोड़ (विगत वर्ष रु. 1250.53करोड़) है, जिसमें एस्क्रो खाते पर रु. 408.77 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 365.52करोड़) का ब्याज शामिल है (नोट संख्या 21 देखें)|
3. बैंक जमा में अर्जित ब्याज के अंदर, खान बंदीकरण की योजना के तहत रु.शुन्य (विगत वर्ष रु. 6.68 करोड़) पर अर्जित ब्याज शामिल

4. एक्क्रो खाता शेष

प्रारंभिक दिनांक पर एक्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,250.53	1,285.68
जोड़: वर्ष के दौरान राशि शेष	106.52	115.55
जोड़: वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	43.25	43.72
घटाव: वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	35.30	194.42
अंतिम दिनांक पर एक्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	**1,365.00**	**1,250.53**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(i) पूँजी अग्रिम	1,542.97		667.61	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	0.16	1,542.81	0.16	667.45
(ii) **पूँजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम**				
(ए) अन्य जमा एवं एवं अग्रिम	6.61		6.60	
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	—	6.61	—	6.60
(बी) प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया व्यय		750.40		625.58
(सी) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		—		—
कुल		**2,299.82**		**1,299.63**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	पिछला वर्ष (रु. करोड़ में)	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	पिछला वर्ष (रु. करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक /सदस्य भी हैं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1. अग्रिम पूँजी में टोरी-शिवपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए ईसी रेलवे को दिया गया रु. 348.02 करोड़ (वि.व. 157.04 करोड़ रुपये) शामिल है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवाओं के लिए)	195.70		54.39	
	घटाव: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	0.53	195.17	0.53	53.86
(बी)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	1,506.49		1,329.39	
	घटाव: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	0.89	1,505.60	0.89	1,328.50
(सी)	अन्य अग्रिम एवं जमा	173.65		162.26	
	घटाव: अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता	20.71	152.94	19.12	143.14
(डी)	प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया व्यय		95.77		131.07
(ई)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		1,268.92		1,054.65
(एफ)	मेट क्रेडिट पात्रता		—		—
	कुल		**3,218.40**		**2,711.22**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	पिछला वर्ष (रु. करोड़ में)	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)	चालू वर्ष (रु. करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक /सदस्य भी हैं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1. खनिजों पर उपकर एवं अन्य कर (वैधीकरण) अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के आधार पर, कंपनी ने, 1992-93 में, ग्राहकों पर 4 अप्रैल, 1991 तक 100.33 करोड़ रुपये उपकर एवं बिक्री कर के पूरक बिल जारी किए। उक्त राशि ग्राहकों से वसूली योग्य है एवं दावा प्राप्य अन्य शीर्ष के तहत दिखाया गया है और संबंधित राशि को "अन्य चालू देयताओं" (नोट -23) शीर्ष के तहत रॉयल्टी एवं उपकर के लिए देय सांविधिक देय राशि में भी शामिल किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12: भंडार सूचीयाँ

(रू. करोड़ में)

		31.03.2022 को	31.03.2021 को
(ए)	कोयले का भंडार	881.21	1,163.03
	विकासाधीन कोयला	—	—
		881.21	**1,163.03**
(बी)	सामान एवं कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	144.46	121.22
	जोड़ः पारगमन पर भंडार	—	1.81
	सामान एवं कलपुर्जों का निवल भंडार (लागत पर)	**144.46**	**123.03**
(सी)	केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.75	0.65
(डी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	4.92	1.96
	कुल	**1,031.34**	**1,288.67**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रु. करोड़ में)

तालिका - ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले के इति भण्डार एवं खाता भण्डार के साथ मिलान

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2021 को प्रारंभिक भण्डार	106.12	784.54	1.21	—	104.91	784.54
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			—	—		
2. वर्ष में उत्पादन	688.46	17,149.59	—	—	688.46	17,149.59
3. उप-योग (1+2)	794.58	17,934.13	1.21	—	793.37	17,934.13
4. वर्ष के दौरान प्रेषण						
(क) बाहरी प्रेषण	663.02	16,595.76	—	—	663.02	16,595.76
(ख) वापसी को दिया गया कोयला	55.13	749.26	—	—	55.13	749.26
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—
योग (क)	**718.15**	**17,345.02**	—	—	**718.15**	**17,345.02**
5. प्राप्त भंडार	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11
6. मापित भण्डार	75.98	584.36	1.18	—	74.80	584.36
7. अन्तर (5—6)	0.45	4.75	0.03	—	0.42	4.75
8. अन्तर का विवरण						
(क) 5%के अन्दर अतिरिक्त	0.30	2.79	—	—	0.30	2.79
(ख) 5%के अन्दर कमी	0.75	7.54	0.03	—	0.72	7.54
(ग) 5% से परे अतिरक्त	—	—	—	—	—	—
(घ) 5% से परे कमी	—	—	—	—	—	—
9. खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6 —8 क +8 ख)	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य रु. करोड़ में)

तालिका - बी
कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
			कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	106.12	784.54	1.46	71.25	0.01	0.05	16.49	307.19	124.08	1,163.03
घटाव: गैर बिक्री योग्य कोयला/ मिश्रित कोयला	1.21	—	—	—	—	—	—	—	1.21	—
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (विक्रय योग्य)	104.91	784.54	1.46	71.25	0.01	0.05	16.49	307.19	122.87	1,163.03
उत्पादन	688.46	17,149.59	4.00	318.27	42.67	1,194.33	7.28	399.67	742.41	19,061.86
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	663.02	16,595.76	5.28	380.66	42.13	1,188.57	8.24	429.43	718.67	18,594.42
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	55.13	749.26	—	—	—	—	—	—	55.13	749.26
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इति भण्डार	75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21
घटाव: कमी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इति भण्डार (लिया गया)	75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में नॉन कोकिंग स्लरी एवं रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है, लेकिन प्रेषण की मात्रा में नॉन कोकिंग स्लरी 12047 एमटी (वि.व. शून्य) एवं रेजेक्ट्स (कोकिंग एवं नन कोकिंग) 102739 एम् टी(वि. व 147037 एम् टी) शामिल नहीं है।
2. 31.03.2022 को नन कोकिंग स्लरी, कोकिंग एवं नन कोकिंग रिजेक्ट्स का स्टॉक शेष क्रमशः 231247 मि. ट. (वि. व 242562 मि. ट.) एवं 6511890 मि. ट. (वि. व 6470427 मि. ट.) है, जिसका मूल्य तैयार बाजार की उपलब्धता के अभाव में शून्य पर है। बिक्री को वसूली योग्य आधार पर मान्यता दी जाती है।
3. कोयले के स्टॉक शेष को वॉल्यूमेट्रिक रूप से मापा जाता है एवं पहचाने गए रूपांतरण कारक को लागु करके वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। गणितीय रूप से निर्धारित रूपांतरण कारक को लागु करके वॉल्यूमेट्रिक माप की अंतर्निहित सन्निकटन त्रुटि और वजन में उसके बाद के रूपांतरण का ख्याल रखने के लिए, बुक स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक के बीच (+/-) 5% के अंतर को वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा कंपनी की लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है और 0.42 लाख टन मूल्य के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की निवल कमी रु 4.75 करोड़ को लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किया गया है।
4. कथारा वाशरी में 1995-96 से पड़े 83795 एमटी के दूषित स्वच्छ कोयले में से 56519 एमटी को वाश कोल पावर के रूप में भेजा गया है।. कथारा वाशरी में पड़े 17230एमटी के दूषित कोयले का मूल्य शून्य पर आंका गया है।
5. स्टॉक के मूल्य की गणना के लिए लागत का अनुमान अग्रिम स्ट्रिपिंग लागत में परिवर्तन को शामिल करके अद्यतन किया गया है और वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव 0.59 करोड़ रुपये है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अच्छा समझा गया सुरक्षित	—		—	
अच्छा समझा गया असुरक्षित	2,149.65		3,402.53	
ऋण में हानि	288.26		288.26	
	2,437.91		3,690.79	
घटाव: खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	288.26	2,149.65	288.26	3402.53
योग		**2,149.65**		**3402.53**

1. व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूची

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	892.16	351.17	793.56	214.78	(102.02)	2,149.65
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	288.26	288.26
कुल	892.16	351.17	793.56	214.78	186.24	2,437.91
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	288.26	288.26
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	154.78%	11.82%

2. व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

(रू. करोड़ में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	कोयला गुणवत्ता भेद
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	288.26	522.82
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए	—	132.57
शेष प्रावधान	288.26	655.39
घटाव: वापस लिए गए प्रावधान	—	123.40
31.03.2022 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**288.26**	**531.99**

3. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां, कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का निवल रु 531.99 करोड़ (रु 522.82 करोड़) है

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता में	0.39	0.39
चालू खाते में		
— ब्याज सहित (सीएलडी)	149.61	143.24
— गैर ब्याज सहित	597.30	112.39
नकद ऋण खाते में	—	—
(ख) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	0.02
(घ) हस्तगत नकद	—	—
(ड.) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(च) अग्रदाय खाता	0.01	—
उप-कुल नकद एवं नकद समान	**747.32**	**256.04**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निवल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**747.32**	**256.04**

नोट:

1. नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।
2. मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।
3. हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।
4. दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) के मामले में खातां सं. - 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई रु. 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	1,474.33	949.00
जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)*	38.71	37.69
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**1,513.04**	**986.69**

अन्य बैंक बैलेंस में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा एवं बैंक जमा शामिल हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के अंदर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

*** जमा में शामिल —**

i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 7.12 करोड़ रु ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट: 23) के साथ तदनरूपी देयता के रु. 2.70 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार रु. 31.59 करोड़ जमा किए गए हैं।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
अधिकृत		
रु. 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर	1,100.00	1,100.00
रु. 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)		
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रु. 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर	940.00	940.00
(रु. 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)		
	940.00	**940.00**

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।
2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कंपनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 1000/-)	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड	9399997 (9399997)	100 (100)	—

3. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
01.04.2017 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को शेष राशि	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2019 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2020 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2021 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2022 को शेष	94,00,000	940.00

4. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/- रु. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश से बड़ा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17: अन्य इक्विटी

(रु. करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई	कुल
01.04.2020 को शेष	2,246.09	3,316.31	(109.80)	5,452.60
लेखा नीति में परिवर्तन तथा पूर्व अवधि त्रुटि (निवल कर)	—	—	—	—
01.04.2020 को शेष	2,246.09	3,316.31	(109.80)	5,452.60
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	0.29	—	0.29
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,222.23	—	1,222.23
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)	—	—	(64.28)	(64.28)
विनियोग				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	61.06	(61.06)	—	—
अंतरिम लाभ	—	—	—	—
अंतिम लाभ	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
31.03.2021 को शेष	**2,307.15**	**4,477.77**	**(174.08)**	**6,610.84**
01.04.2021 को शेष	2,307.15	4,477.77	(174.08)	6,610.84
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,698.41		1,698.41
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निवल कर)	—	—	(51.39)	(51.39)
विनियोग :				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	84.85	(84.85)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभ	—	(377.88)	—	(377.88)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
31.03.2022 को शेष	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : उधार

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर-चालू		
सावधी ऋण	—	—
अन्य ऋण	—	—
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	—
चालू		
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
बैंको से		
— बैंक ओवरड्राफ्ट	—	—
— बैंकों से अन्य उधार	—	—
अन्य पार्टियों से	—	55.00
लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	—	—
कुल	**—**	**55.00**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	55.00
असुरक्षित	—	—

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि (करोड़ ₹ में)	गारंटी की प्रकृति
लागु नहीं	शून्य	लागु नहीं

1. नकद ऋण सुविधा

कंपनी के पास अपनी होल्डिंग कंपनी सीआईएल के माध्यम से बैंकरों के संघ (जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक है) से 55 करोड़ रुपये की नकद ऋण सुविधा है। उक्त सुविधाओं को रु. 83.00 करोड़ की सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों जिसमें बुक डेट और कच्चे माल के स्टॉक, अर्ध-तैयार और तैयार माल, स्टोर और पुर्जे जो प्लांट और उपकरण (उपभोज्य स्टोर एवं स्पेयर) से संबंधित नहीं हैं, पर दृष्टिबंधक प्रभार बनाकर सुरक्षित किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : व्यापार देयताएँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए	6.98	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	1,550.75	1,360.82
कुल	**1,557.73**	**1,360.82**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	1,557.73	1,360.82

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएँ

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	6.98	—	—	—	6.98
(ii) अन्य	1336.34	21.70	57.46	53.59	1469.09
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	—	—	—	81.66	81.66
(v) बिल न किए गए बकाया	—	—	—	—	—
कुल	**1,343.32**	**21.70**	**57.46**	**135.25**	**1,557.73**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	101.07	72.66
अग्रिम राशि	22.12	5.44
अन्य	23.06	6.30
कुल	**146.25**	**84.40**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	57.87	140.15
अदत्त लाभांश	—	—
प्रतिभूति जमा राशि	231.59	141.31
अग्रिम राशि	120.18	104.88
पूँजीगत व्यय के लिए देय*	177.69	402.33
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	485.94	409.62
अन्य	49.98	69.79
कुल	**1,123.25**	**1,268.08**

*निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है .

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : प्रावधान

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	610.99	917.80
अवकाश नकदीकरण	283.02	415.30
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	214.36	275.58
अन्य कर्मचारी लाभ	40.79	81.32
	1,149.16	1,690.00
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	982.09	924.17
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	2,987.40	2,262.19
अन्य	—	—
कुल	**5,118.65**	**4,876.36**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	197.13	353.59
अवकाश नकदीकरण	29.56	43.35
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	25.09	26.71
एक्स-ग्रेसिया	250.70	244.13
निष्पादन संबंधी वेतन	178.07	131.90
अन्य कर्मचारी लाभ	17.76	35.02
एनसीडब्ल्यूए -XI	123.30	—
अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण	—	—
	821.61	834.70
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	—	—
अन्य	—	—
कुल	**821.61**	**834.70**

टिप्पणी :

1. **स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण/भूमि का पुनर्ग्रहण का मिलान :**

01.04.2021/01.04.2020 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	472.49	472.63
जोड़ें: प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 31.03.2021/31.03.2020	451.68	612.37
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूँजीकृत सहित)	81.77	78.91
कम: वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	23.85	239.74
31.03.2022/31.03.2021 को खान बंदीकरण प्रावधान	**982.09**	**924.17**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के लिए अनुपात तौर पर 2020-21 के लिए दिया गया रु. 72500/- का प्रावधान किया गया है।
3. अवकाश नकदीकरण देयताओं का निवल व्यय निर्धारण रु. 215.25 करोड़ हुआ बीमांकिक देयताओं के विरूद्ध एलआईसी के पास जमा है।
4. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी-सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूँजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2022 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। रु. 1365.00 करोड़ (विगत वर्ष रु. 1250.53 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, रु. 408.778 करोड़ (विगत वर्ष रु. 365.52 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें रु. 982.09 करोड़ (विगत वर्ष रु. 924.17 करोड़) ब्याज सहित है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22 : अन्य गैर-चालू देयताएँ

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	—	—
आस्थगित आय*	496.58	537.33
कुल	**496.58**	**537.33**

*रेल लाइन / रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए रु. 605.05 करोड़ का अनुदान है एवं सड़क के सदृढ़ीकरण के लिए रु. 4.29 करोड़ दिया गया है। रेल कॉरिडोर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है और सड़क की 10 वर्ष है। परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को देखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में रु. 40.75 करोड़ की राशि को आय के रूप में अभिज्ञात की गयी है।

नोट 23 : अन्य चालू देयताएँ

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वैधानिक देय	1,051.27	921.19
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	1,985.98	1,965.88
अन्य देयताएँ	0.55	2.69
योग	**3,037.80**	**2,889.76**

नोट 24 : संचालन से आय

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
क.	**कोयले की बिक्री**		18,585.25		15,900.51
	घटाव: वैधानिक लेवी		6,233.12		5,126.19
	कोयले की बिक्री (निवल)(क)		**12352.13**		**10,774.32**
ख.	**अन्य संचालित आय**				
	लोडिंग एवं यातायात शुल्क	761.90		697.44	
	घटाव : वैधानिक लेवी	36.28	725.62	33.21	664.23
	निकासी सुविधा शुल्क	429.10		342.66	
	घटाव : वैधानिक लेवी	20.43	408.67	16.32	326.34
	अन्य संचालित आय (निवल)(ख)		**1,134.29**		**990.57**
संचालन से आय (क+ख)			**13,486.42**		**11,764.89**

विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट-38 के अंक 6(एम) में उल्लेख लिया गया है।

रु. 9.17 करोड़ (वि.व. 318.33 करोड़ रुपए प्रत्याहीत) के रेफरी/थर्ड पार्टी सैम्पलर से प्रतीक्षित परिणामों के लिए कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए अनुमानित प्रावधान(निवल विपर्यय) से कोयले की बिक्री कम कर दी गई है।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य आय

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय'	97.13	80.89
लाभांश आय	—	0.01
अन्य गैर संचालित आय		
एपेक्स शुल्क	—	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.15	—
विदेशी मुद्रा के लेन-देन से प्राप्ति	—	—
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	8.85	—
लीज लगान	0.19	4.11
वापस लिया गया देयता/प्रावधान*	125.02	108.53
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	0.11	—
विविध आय	105.38	99.98
कुल	**336.83**	**293.52**

1. ब्याज आय में एस्क्रौ एकाउन्ट पर रु. 41.38 करोड़ (विगत वर्ष रु. 47.62 करोड़) के ब्याज के साथ रु. शून्य (विगत वर्ष रु. 6.68 करोड़) के उपार्जित ब्याज शामिल है। (नोट सं - 09 देखें)

2. **ब्याज में आयकर वापसी पर ब्याज शून्य(वि. व. शून्य) शामिल है।**

(रु. करोड़ में)

वर्णन	2021-22	2020-21
पीआरपी	42.93	—
प्रतिभूति जमा/ इएमडी	4.42	2.70
एमसीपी	7.19	60.98
वेतन और मजदूरी	28.89	28.71
संविदात्मक और स्टोर देयता	37.02	15.52
अन्य	4.57	0.62
कुल	**125.02**	**108.53**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	264.84	170.98
लकड़ी	—	0.14
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	416.63	350.62
एचईएमएम् कलपुर्जे	130.15	161.35
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	43.53	47.30
कुल	**855.15**	**730.39**

नोट 27: तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचीयों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन		
कोयले का प्रारंभिक भंडार	1,163.03	1,103.27
कोयले का शेष भंडार	881.21	1,163.03
	281.82	**(59.76)**
बी. कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन		
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	1.96	4.29
कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	4.92	1.96
	(2.96)	**2.33**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी) {कमी/(अभिवृद्धि)}	**278.86**	**(57.43)**

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	4,247.07	3,863.35
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,022.67	1,168.60
कर्मचारी कल्याण व्यय	205.88	200.75
कुल	**5,475.62**	**5,232.70**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

(रु. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	53.14	46.46
कुल	**53.14**	**46.46**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का रु. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, रु. 50.25 करोड़ होता है। (विगत वर्ष रु. 46.46 करोड़)

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):

भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन	0.05	15.72
शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित	3.45	3.00
पर्यावरणीय स्थिरता	0.63	2.14
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	—	—
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	3.84	7.41
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	—	0.54
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.40	0.38
स्लम क्षेत्र का विकास	—	0.01
पेय जल	3.16	3.82
स्वास्थ सेवा	11.37	21.94
स्वच्छता	0.64	1.47
निःशक्तजनों का कल्याण	0.09	0.09
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.23	0.03
अन्य	0.95	0.05
कुल	**24.81**	**56.60**
जोड़ें: पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग वर्तमान अवधि में किया गया	**10.14**	—
कुल योग	**34.95**	**56.60**

गतिविधिवार खर्च किए गए सीएसआर व्यय के ब्योरे के साथ अभिज्ञात सीएसआर व्यय का मिलान

गतिविधि अनुसार व्यय की गयी सीएसआर राशि	34.95	56.60
घटाव: किया गया अतिरिक्त सीएसआर व्यय	—	10.14
जोड़: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	—	—
जोड़ें: चालू परियोजना पर अव्ययित सीएसआर राशि	18.19	—
वर्ष के दौरान अभिज्ञात सीएसआर व्यय	**53.14**	**46.46**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (जारी ...)

ख. सीआरएस व्यय का विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण				नकद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(ए)	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि					50.25
(बी)	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि					50.25
(सी)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः					
	(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण		1.39	0.98	2.37
	(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर		27.60	23.17	50.77
कुल				**28.99**	**24.15**	**53.14**

चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(रू. करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अनुसूची VII के निर्दिष्ट निधि में 6 महीने के अंदर जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	—	—	—	—	—

व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
2020-21	—	46.46	56.60	10.14
2021-22	10.14	50.25	24.81	(15.30)

चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि		समापन राशि	
	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाता से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2021-22	**—**	**—**	**50.25**	**34.95**	**—**	—	15.30

सीएसआर व्यय देयता के लिए प्रावधान

(रू. करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान समायोजन	समापन राशि
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (व्यापार देयता में शामिल - नोट संख्या 19)	23.67	3.77	1.97	25.47

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30: मरम्मतें

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	125.17	153.55
सयंत्र एवं मशीनरी	143.64	110.47
अन्य	4.44	23.89
कुल	**273.25**	**287.91**

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	522.47	552.92
वैगन लदायी	46.41	41.18
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,208.18	927.21
अन्य संविदात्मक काय	90.04	116.80
कुल	**1,867.10**	**1638.11**

नोट 32 : वित्तीय लागत

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	4.98
छूट पर रियायत	81.77	78.91
अन्य	—	—
कुल	**81.77**	**83.89**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33 : प्रावधान

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
भत्ता/ इसके लिए किया गया प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	—	4.88
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	5.40
भंडार एवं कल पुर्जे	3.41	2.65
अन्य	—	—
कुल	**3.41**	**12.93**

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निवल)

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	—	—
घटावः पहले दिए गए	—	—
	—	—
संदेहात्मक अग्रिम	0.03	—
घटावः पहले दिए गए	—	—
	0.03	—
कुल	**0.03**	—

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : अन्य व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	17.92	21.26
प्रशिक्षण व्यय	13.24	11.09
टेलीफोन एवं डाक	14.43	6.77
विज्ञापन एवं प्रकाशन	1.89	1.90
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	39.29	21.20
सुरक्षा व्यय	315.98	285.87
सीआईएल का सेवा शुल्क	137.70	62.59
किराया शुल्क	72.41	55.90
सीएमपीडीआइ के लिए कंसल्टेंसी चार्ज	93.59	74.54
कानूनी व्यय	1.62	1.76
परामर्श शुल्क	1.90	1.49
अंडर लोडिंग शुल्क	150.73	154.28
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	—	1.52
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.30	0.37
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.40	0.23
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.12	0.19
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.30	3.15
पुनर्वास शुल्क	43.12	39.20
किराया	0.50	0.57
दरें एवं कर	151.68	152.58
बीमा	0.94	0.71
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
अन्य बचाव / सुरक्षा खर्च	2.10	2.49
समाप्त किराया/सुरक्षा किराया	0.15	0.15
साइडिंग रख-रखाव शुल्क	18.55	22.83
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.20	—
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	9.94	6.41
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	110.85	82.28
कुल	**1,202.85**	**1,011.33**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार रु. 43.12 करोड़ रुपये(वि. व. 39.20 करोड़ रुपये) के पुनर्वास शुल्क को 6 रूपए प्रति टन कोयला लदान के आधार पर डेबिट किया जाता है।
2. विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि प्रदान करने के लिए उत्पादित कोयले पर सीआईएल से प्राप्त विकलन ज्ञाप के आधार पर सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा लगाया गया रु. 137.70 करोड़ (वि.व. 62.59 करोड़ रुपये)सेवा शुल्क @ रु 20 प्रति टन (वि.व. 10 रुपये प्रति टन)।

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : कर व्यय

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	404.15	523.32
आस्थगित कर	(5.33)	169.30
पूर्व के वर्ष	—	0.16
कुल	**398.82**	**692.78**
कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा कर सामंजस्य		
कर से पूर्व लाभ	**2,097.76**	**1,915.35**
कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर	528.21	482.23
कर का प्रभावः		
कर छूट प्राप्त आय	—	—
कर उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति	—	—
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(124.06)	41.09
पिछले वर्ष के लिए समायोजन	—	0.16
आस्थगित कर देयता आस्थगित कर	(5.33)	169.30
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**398.82**	**692.78**
प्रभावी आयकर दर	**19.01%**	**36.17%**
आस्थगित कर देयताएँ:		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	215.65	213.32
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	501.37	438.39
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	131.88	114.85
कुल आस्थगित कर संपत्ति (ए)	**848.90**	**766.56**
आस्थगित कर देयता :		
अचल संपत्तियों से संबंधित	169.43	92.42
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता (बी)	**169.43**	**92.42**
निवल (सी = ए-बी)	**679.47**	**674.14**
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (डी)	—	—
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयता) (सी+डी)	**679.47**	**674.14**

31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(रु. करोड़ में)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनः मापन	(68.68)	(85.90)
	कुल (ए)	**(68.68)**	**(85.90)**
(बी)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	(17.29)	(21.62)
	कुल (बी)	**(17.29)**	**(21.62)**
	कुल (सी = ए - बी)	**(51.39)**	**(64.28)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर आयकर में चालू कर में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (17.29) करोड़ (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (21.62) करोड़ एवं /या आस्थगित कर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (शून्य) करोड़ (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु. (शून्य) करोड़, शामिल है।

नोटः 38: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

1. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(रू. करोड़ में)

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश* :	—	—	—	—
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	2.06	—	0.49
जमा एवं प्राप्य	—	1,464.25	—	1,507.23
व्यापार प्राप्य	—	2,149.65	—	3,402.53
नकद एवं नकद समतुल्य	—	747.32	—	256.04
अन्य बैंक शेष	—	1,513.04	—	986.69
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	—
व्यापार देय	—	1,557.73	—	1,360.82
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	474.96	—	324.29
अन्य देयताएँ	—	794.54	—	1,028.19

** ऊपर शामिल नहीं, अनुषंगी पर इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31.03.2022 पर रु.345.53 करोड़ है (31.03.2021 पर रु. 64.63 करोड़)।*

(ख) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। (ख)परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(रू. करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश :				
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2022 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	2.06	—	0.49
जमा एवं प्राप्य	—	1,464.25	—	1,507.23
व्यापार प्राप्य	—	2,149.65	—	3,402.53
नकद एवं नकद समनुल्य	—	747.32	—	256.04
अन्य बैंक शेष	—	1,513.04	—	986.69
वित्तीय देयताएँ				
उधार	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1,557.73	—	1,360.82
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	474.96	—	324.29
अन्य देयता	—	794.54	—	1028.19

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1: चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निवल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

चरण 2: वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3: यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएँ के संबंध में लागु हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापना।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ङ) अमूर्त लागत पर मापित वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है एवं अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चरण के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का उद्देश्य, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफलता से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताएँ में व्यापार और अन्य देयताएँ शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना एवं इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान उजागर होता है और प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करता है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

क. ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम प्रबंध :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन-पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले का ई-नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई-नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय-समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कंपनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31.03.2022 को

(रू. करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	474.62	416.39	352.96	963.37	274.31	515.23	2,996.88
अनुमानित हानि दर (%)	(0.14)	(0.11)	0.51	15.25	21.70	100.00*	27.62
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	(0.68)	(0.46)	1.80	142.80	59.53	329.00	531.99

31-03-2021 को

(रू. करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	1,020.24	1150.88	654.94	812.77	116.48	458.30	4,213.61
अनुमानित हानि दर (%)	16.00	9.37	6.30	7.18	64.10	100.00*	19.25
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	1.59	107.80	41.28	58.39	74.67	239.09	522.82

* अग्रिम के साथ ग्राहकों के खिलाफ प्रावधान शामिल है

हानि भत्ता प्रावधान का पुनः मिलान - व्यापर प्राप्य

(रू. करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2021 को हानि के लिए प्रावधान	288.26	522.82
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	—	9.17
31.03.2022 में हानि के लिए प्रावधान	288.26	531.99

वित्तीय परिसंपत्तियाँ के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में धारणाएँ पर आधारित किया गया है। कंपनी के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार कंपनी हानि की गणना के लिए, इन धारणाएँ के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

ख. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक उधार को कोयला, भंडार और कोयला के स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और पुस्तक ऋण के खिलाफ प्रभारी बनाकर बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सुरक्षित किया गया है। सीसीएल को उपलब्ध कुल कार्यशील पूँजी ऋण सीमा रू. 55.00 करोड़ है जिसमे निधि आधारित सीमा रू. 83.00 करोड़ है। इसके अलावा, रू. 2000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

ग. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागु किया जाता है।

(ख) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कंपनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख-रखाव करना, कंपनी की नीति है।

कंपनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूँजी प्रबंधन

सरकारी स्वामित्व होने के कारण कंपनी अपने पूँजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्तियां प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कंपनी का पूँजीगत ढांचा इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक - 19)

3.1 परिभाषित लाभ योजनाए:

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी में पात्र कार्मिकों के लिए नियोजन उपरांत परिभाषित लाभ योजना (“प्रतिभूति योजना“) का लाभ प्रदान करती है। प्रतिभूति योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं यथा संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कंपनी से अलग होने के समय प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5

वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की प्रतिभूति राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन* अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) जिसकी सीमा अधिकतम रु. 0.20 करोड़ रुपये होगी। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाएँ में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना लागु है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे कंपनी के अस्पताल/पैनल में सम्मिलित अस्पतालों या आउट पेशेंट/डोर्मेट्री में अधिकारियों व उनके पति या पत्नी को कॉमन कोल कैडर योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति या समय-समय पर निर्मित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जातीं है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में बिना किसी ऊपरी सीमा के, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

3.2 परिभाषित अंशदान योजनाएं

i) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि एवं पेंशन कोष में भुगतान करती है अर्थात भविष्य निधि एवं पेंशन कोष के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का क्रमशः 12% और 7% कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को भुगतान करती है। 31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान फंड के लिए योगदान 622.98 करोड़ रुपये (598.39 करोड़ रुपये) लाभ और हानि के विवरण (नोट 28) में दिया गया है।

ii) सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना(सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक अंश के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है तथा इसे प्रभारित व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण सूचीत किया गया है।

iii) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को एकमात्र उक्त उद्देश्य से गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का बाध्यता है कि अधिकारी के भविष्य निधि, प्रतिभूति, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान को घटाकर कंपनी का अंशदान अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक न हो। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

3.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

i) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान की छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75%ईएल

जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है।

ii) जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचीत किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

iii) सेटलमेंट भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

iv) ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) बीमा लिया है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

v) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000/- और 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

vi) खान दुर्घटना लाभ अनुसार आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत संदत्त लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है जो 7.11.2019 से प्रभावी है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब एक घटना होता है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित योगदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नानुसार हैं:

i) निधिक

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- चिकित्सा लाभ
- भविष्य निधि
- पेंशन योजनायें

ii) अनिधिक

- लाइफ कवर स्कीम
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूर्ति

दिनांक 31.03.2022 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि रु.3980.61 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	01.04.2021 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/ समायोजन	31.03.2022 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2,757.22	39.51	2,796.73
अवकाश	586.71	-58.88	527.83
लाइफ कवर स्कीम	10.46	-10.46	0
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	7.83	4.01	11.84
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	16.53	-4.31	12.22
सामूहिक व्यक्तिगत बीमा स्कीम	0.14	-0.14	0
एलटीसी	44.16	-9.74	34.42
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	285.05	-59.11	225.94
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	13.6	358.03	371.63
खान दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में आश्रितों को क्षतिपूर्ति	32.82	-32.82	0
कुल	**3,754.52**	**226.09**	**3,980.61**

3.4 बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है

31.03.2022 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन
भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1
31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	135.05	135.70
2	विगत सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	135.05	135.70
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	54.25	57.61

7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	189.30	193.31
बी	अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	127.00	99.67
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(55.26)	10.51
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	71.74	110.18
4	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	14.15	(6.39)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.90	103.79
सी	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	135.05	135.70
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	54.25	57.61
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.90	103.79
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	275.20	297.10
डी	धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट की दर	अनुपलब्ध	6.85%
2	वेतन वृद्धि की दर	अनुपलब्ध	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2022 को निवल तुलन पत्र की स्थिति

(रू. करोड़ में)

ए	निवल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-2,757.22	-2,796.73
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	1,586.11	1,988.60
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-1,171.11	-808.12
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1,171.11	-808.12
बी	निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-946.95	-1,171.11
2	सेवा लागत	-135.05	-135.70
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-54.25	-57.61
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-85.90	-103.79
5	नियोक्ता योगदान	51.04	471.07
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	189.01
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1,171.11	-808.12
सी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट दर 6.85% 6.80%	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,686.86	2,757.22
2	वर्तमान सेवा लागत	135.05	135.70
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	173.44	175.78
4	कटौती (ऋण)/लागत	—	—
5	निपटान (ऋण)/लागत	—	—
6	पिछली सेवा कास्ट-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	127.00	99.67
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	-55.26	10.50
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	-189.01
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-309.87	-193.14
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	2,757.22	2,796.73
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1,739.91	1,586.11
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	119.18	118.17
4	नियोक्ता योगदान	51.04	471.07
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-14.15	6.39
6	भुगतान किया गया लाभ	-309.87	-193.14
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	1,586.11	1,988.60

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

ए	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2023	203.73
2	मार्च 31, 2024	209.89
3	मार्च 31, 2025	218.47
4	मार्च 31, 2026	255.79
5	मार्च 31, 2027	304.70
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032	1,570.43
7	10 साल से परे	2,641.19
बी	**31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	64.03
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	8 वर्ष
डी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**	2,026.14
ई	**31 मार्च 2022 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय एवं राज्य)	0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड सहित)	0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
4	संपत्ति	0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%

6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद			100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद			0.00%
8	अन्य			0.00%
	कुल			**100.00%**
एफ	**31 मार्च 2022 तक वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**			
		कार्यकारी	**गैर कार्यकारी**	**कुल**
1	चालू देयताएँ	19.78	177.36	197.14
2	गैर-चालू संपत्ति/(देयता)	162.88	2,436.71	2,599.59
3	**31 मार्च 2022 तक देयताएँ**	182.66	2,614.07	2,796.73

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक19 के अनुछेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**2,796.73**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-101.97
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	109.11
	प्रतिशत प्रभाव	4%
बी	**31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	43.14
	प्रतिशत प्रभाव	2%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	-45.80
	प्रतिशत प्रभाव	-2%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	2,086	2,257
2	कुल मासिक वेतन (रु)	26.21	30.08
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	314.48	360.92
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.15	0.16
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	43.64	42.39
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	17.34	15.57
	गैर कार्यकारीगण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2022**
1	कर्मचारियों की संख्या	34,563	33,403
2	कुल मासिक वेतन (रु)	216.59	222.38
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,599.14	2,668.57
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.07	0.08
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.07	45.34
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	20.63	20.74
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
	छूट दर	6.85%	6.80%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31.03.2022 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	78.30	88.13
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	78.30	88.13
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	15.83	21.90
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	123.80	21.89
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	217.93	131.91
बी	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2022**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	134.17	17.32
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-14.79	2.56
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	119.38	19.88
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	4.42	2.00
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
सी	**परिभाषित लाभ लागत**	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2022**
1	सेवा लागत	78.30	88.13

2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	15.83	21.90
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	123.80	21.89
5	**परिभाषित लाभ लागत**	217.93	131.91
डी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट की दर	अनुपलब्ध	6.85%
2	वेतन वृद्धि की दर	अनुपलब्ध	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2022 तक निवल तुलन पत्र की स्थिति

(रू. करोड़ में.)

ए	निवल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-586.71	-527.83
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	128.06	215.25
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-458.65	-312.58
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-458.65	-312.58
बी	निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-309.22	-458.65
2	सेवा लागत	-78.30	-88.13
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-15.83	-21.90
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-123.80	-21.89
5	नियोक्ता योगदान	68.50	140.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	137.97
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-458.65	-312.58
सी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	छूट दर 6.85% 6.80%	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	515.36	586.71
2	वर्तमान सेवा लागत	78.30	88.13
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	29.95	33.33
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—

6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	134.17	17.32
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	-14.79	2.56
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	-137.97
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-156.28	-62.24
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	586.71	527.83
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	206.14	128.06
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	14.12	11.44
4	नियोक्ता योगदान	68.50	140.00
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-4.42	-2.00
6	भुगतान किया गया लाभ	-156.28	-62.24
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	128.06	215.25

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(रु. करोड़ में.)

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2023	30.55
2	मार्च 31, 2024	37.02
3	मार्च 31, 2025	41.63
4	मार्च 31, 2026	43.90
5	मार्च 31, 2027	48.72
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032	238.92
7	10 साल से परे	838.24
बी	**31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	139.19
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	10 वर्ष
डी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**	301.75
ई	**31 मार्च 2022 तक योजना संपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर बॉन्ड सहित)	0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
4	संपत्ति	0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद	100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद	0.00%
8	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

एफ	**31 मार्च 2022 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता की ब्रेकअप**			
		कार्यकारी	**गैर कार्यकारी**	**कुल**
1	वर्तमान देयता	10.23	19.33	29.56
2	गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	146.65	351.62	498.27
3	**31 मार्च 2022 को देयता**	156.88	370.95	527.83

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**527.83**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-24.65
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	26.89
	प्रतिशत प्रभाव	5%
बी	**31 मार्च 2022 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	26.68
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	-24.70
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	2,086	2,257
2	कुल मासिक वेतन (रु)	26.21	30.08
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	314.48	360.92
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.15	0.16
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	43.64	42.39
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	2,06,361	182986
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	1,21,390	60,513.50

	गैर कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या	34,563	33,403
2	कुल मासिक वेतन (रु)	216.59	222.38
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,599.14	2,668.57
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.08
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.07	45.34
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	18,87,076	16,64,156
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	—	—
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
	छूट दर	6.85%	6.80%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषति लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतमि	भारतीय आश्वषति लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतमि

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

प्रतिरूप मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31.03.2022 को पीआरएमबी का बीमांकिक मूल्यांकन
भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में.)

ए	(लाभ)/हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	वर्तमान सेवा लागत	13.49
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93
3	कटौती लागत/(ऋण)	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—
5	सेवा लागत	292.42
6	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निवल ब्याज	19.06
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	311.48
बी	अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-50.08
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	32.57
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-17.51
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	-17.59
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-35.11
सी	परिभाषित लाभ लागत	
1	सेवा लागत	292.42
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /(परिसंपत्ति)	19.06
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-35.11
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	276.38
डी	अनुमान के रूप में	
1	छूट की दर	6.85%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध

तालिका 2

निवल तुलन पत्र की स्थिति का विकास

(रू. करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-597.57
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	358.13

3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-239.44
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-239.44
बी	**निवल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**	
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-175.09
2	सेवा लागत	-292.42
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	-19.06
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	35.11
5	नियोक्ता योगदान	212.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—
8	विनिवेश	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-239.44
सी	**अनुमान के रूप में**	
1	छूट की दर	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%

तालिका 3

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रू. करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.65
2	वर्तमान सेवा लागत	13.49
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	34.43
4	कटौती लागत/(ऋण)	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	-50.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	28.85
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	3.72
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-10.42
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	597.57
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	123.56
2	अधिग्रहण समायोजन	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	15.37
4	नियोक्ता योगदान	212.02
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	17.59
6	भुगतान किया गया लाभ	-10.42
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	358.13

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

ए	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2023	25.92
2	मार्च 31, 2024	28.52
3	मार्च 31, 2025	31.12
4	मार्च 31, 2026	33.74
5	मार्च 31, 2027	36.45
6	मार्च, 2028 से मार्च 31, 2032	219.29
7	10 साल से परे	1300.46
बी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	13 वर्ष
सी	**31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व**	597.57

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**597.57**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2022 तक छूट दर**	**6.80%**
1	छूट दर में 0.05% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	-35.55
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
2	छूट दर में 0.05% की कमी से डीबीओ पर असर	39.38
	प्रतिशत प्रभाव	7.00%

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	2,086	2,257
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	2,692	2,251
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	43.64	42.39
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	अनुपलब्ध	69.06
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	17.34	15.57
	गैर कार्यकारीगण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2022**
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	34,563	33,403
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	783	5147
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	45.07	45.34
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	अनुपलब्ध	67.99
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	20.63	20.74

धारणाएँ

धारणाएँ	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
छूट की दर	6.85%	6.80%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	0.00%
मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	अनुपलब्ध	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

औसत चिकित्सा लागत (रु)	अनुपलब्ध	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-रु 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- रु 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- रु 18,000 प्रति वर्ष।
जीवनसाथी की उम्र का अंतर	अनुपलब्ध	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
निकासी दर	0.30%	0.30%

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

4. अनभिज्ञ मद

(क) आकस्मिक देयताएँ

i) कंपनी के विरुद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है

(रू. करोड़ में.)

क्रं.	विवरण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1,901.86	17,291.24	—	467.74	19,660.84
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	249.78	717.26	—	85.19	1,052.23
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	क. प्रारंभिक शेष से	1.85	32.19	—	10.86	44.90
	ख. वर्ष के दौरान योग से	0.01	—	—	—	0.01
	ग. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान (क+ख)	1.86	32.19	—	10.86	44.91
4	31.03.2022 को अंतिम शेष	2149.78	17,976.32	—	542.07	20,668.16

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग :

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से अधिक उत्पादन करने के आरोप में सामूहिक हित बनाम भारतीय संघ तथा अन्य (2014 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 41 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए |

कंपनी नें उपर्युक मांग के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णयन प्राधिकारी, माननीय कोयला प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है पुनर्रीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.01.2018 के अंतरिम

आदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर अगले आदेश तक मांग आदेश रु.13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रु.13568.50 करोड़) पर स्थगन आदेश दिया है |

42 परियोजनाओं के संबंध में सीसीएल के पक्ष में डिमांड नोटिस जारी किया गया था और सीसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा इस मुद्दे को निपटाया जा रहा है, इसलिए, इसे सीसीएल के मुख्यालय के आकस्मिक दायित्व के तहत रखा गया है।

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	केन्द्र सरकार:		
	आयकर	1,050.80	809.10
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	153.83	134.81
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	941.66	954.78
	सेवा कर	3.51	2.39
1	अन्य	—	—
	उप - कुल	**2,149.78**	**1,901.08**
	राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी:		
	अधिशुल्क	2,365.64	1,715.72
	पर्यावरण मंजूरी / होल्डिंग टैक्स	13,568.50	13,568.50
	बिक्री कर/वैट	1,452..85	1,463.21
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	88.95	97.33
	एमएडीए और अन्य	475.36	421.48
2	**उप - कुल**	**17,976.32**	**17,291.24**
	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	—	—
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	—	—
	अन्य	—	—
3	**उप- कुल**	—	—
	अन्य:		
	विविध	542.07	467.74
4	**उप- कुल**	**542.07**	**467.74**
	कुल	**20,668.16**	**19,660.06**

8.16 करोड़ रुपये का समायोजन, जो विगत वर्ष से संबंधित है, को इस वर्ष में इसके अतिरिक्त / निपटान स्तंभ में शामिल किया गया है।

II. गारंटी

31.03.2022 को जारी बैंक गारंटीः रु. 433.11 करोड़ (विगत वर्ष 433.11 करोड़ रुपये)।

III. साख पत्र

31.03.2022 को बकाया साख पत्रः शून्य (विगत वर्ष 6.42 करोड़ रुपये)।

(ख) प्रतिबद्धताएं

पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और 31.03.2022 को प्रदान नहीं की गईः रु 3881.83 करोड़ (विगत वर्ष 816.36 करोड़ रुपये)।

31.03.2022 को अन्य प्रतिबद्धताएं: रु 9783.74 करोड़ (विगत वर्ष रु 789.00 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज%	
			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	73.67 %	73.67 %

सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यमों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी।

उद्यमों के नाम	निबल संपत्ति यानी कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी	
	समेकित निबल संपत्ति के% के रूप में	राशि (रुपये करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के% के रूप में	राशि (रुपये करोड़ में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (रुपये करोड़ में)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	95.00	8,066.46	99.91	1,645.53	100.00	(51.39)
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	5.29	448.77	0.12	2.02	—	—
घटाएं:- अल्पसंख्यक हित . में	0.29	24.45	0.03	0.53	—	—
सभी सहायक कंपनियां	100.00	8,490.78	100.00	1,647.02	100.00	(51.39)
कुल						

6. अन्य सूचनाएं

(क) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2022 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में.)

प्रावधान	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन /वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2022 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ती, संयंत्र एवं उपकरण:					
परिसंपत्ति पर हानि	63.49	9.30	(10.53)	—	62.26
नोट 4: प्रगति पर पूँजी कार्य:					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ:	15.54	5.06	(2.32)	—	18.28
नोट 5: अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ती:					
प्रावधान एवं हानि:	1.11	—	(0.65)	—	0.46
नोट 8: ऋण					
अन्य ऋण:	—	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ती :					
अन्य जमा एंव प्राप्य	—	—	—	—	—
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	—	—	—	—	—
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	15.80	—	(1.51)	—	14.29
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूँजी	0.16	—	—	—	0.16

(रू. करोड़ में.)

प्रावधान	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन /वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2022 को अंतिम शेष
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.53	—	—	—	0.53
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.89	—	—	—	0.89
अन्य अग्रिम एवं जमा	19.12	1.59	—	—	20.71
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधानः	288.26	—	—	—	288.26
नोट 21:- गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
एक्स- ग्रेसिया	244.13	250.70	(244.13)	—	250.70
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	131.90	112.51	(66.34)	—	178.07
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता X के प्रावधान	—	—	—	—	—
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	924.17	—	(23.85)	81.77	982.09

(ख) खंड रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगी हुई है। ब्याज और अन्य आय से होने वाली आय कुल राजस्व के 10% से कम है, इसलिए इसके लिए कोई अलग खंड मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ	1,698.41	1,222.23
(ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य रु.1000/ - प्रति शेयर)	1,806.82	1,300.24

(घ) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड:

i) एलआईसीआई के समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।

ii) एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।

iii) एलआईसीआई के नई समूह छुट्टी नकदीकरण योजना।

iv) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।

v) कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

vi) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007

ए. संबंधित पक्षों की सूची

i) होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड

ii) सहयोगी कंपनियां

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)

2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

iii) अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

संबंधित पक्षों से लेन-देन

(रू. करोड़ में.)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	अन्य / निवेश	चालू खाता शेष (देय/ प्राप्य)	बकाया शेष (देय / प्राप्य))
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	147.09	43.11	—	—	—	316.17	(57.66)	—
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	135.18	—	64.84*
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	1.70	—	—	1.84
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	280.90**	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* सीएमपीडीआईएल को रु. 64.84 करोड़ की देय बकाया राशि जीएसटी को छोड़कर है क्योंकि मूल बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जीएसटी सहित राशि रु 76.52 करोड़ होती है।

** सीसीएल बोर्ड ने 06.11.2021 को आयोजित अपनी 508वीं बोर्ड बैठक में 136.59 करोड़ रुपये के अग्रिम के जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के लिए रूपांतरण की सिफारिश की। सीसीएल बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 144.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी करने की भी मंजूरी दी। हालांकि, भारतीय लेखा मानक 32 के प्रावधान के अनुसार इसे इक्विटी में निवेश के रूप में माना गया है।

iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	इस तिथि से
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु (अतिरिक्त प्रभार के आधार पर)	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	01.01.2022
श्री एस.के. गोमस्ता	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	01.11.2021
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	01.07.2021
श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	निदेशक (कार्मिक)	23.07.2021
सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, कोयला मंत्रालय	सरकार के नामित निदेशक	03.01.2022
श्री विनय रंजन	सरकार के नामित निदेशक	05.08.2021
श्रीमती जजुला गौरी	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री हरबंस सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री शशांक शेखर झा	निदेशक	15.06.2018
श्री रमेश कुमार झा	निदेशक	01.01.2022

नाम	पदनाम	इस तिथि से
श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	20.01.2020
श्री रविशंकर बिदर्थी	निदेशक	02.03.2020
श्री अशोक कुमार गोयल	निदेशक	01.10.2021
श्री प्रणव कुमार	निदेशक	12.10.2021
श्री प्रदीप कुमार सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29.01.2022
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रू. करोड़ में.)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	1.49	3.36
	चिकित्सा लाभ	—	0.01
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.12	0.16
	ग्रैचुइटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.12	0.49
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	0.48	0.81
	एनपीएस में योगदान	0.07	0.09
iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.79	0.00
	कुल	**3.07**	**4.92**

टिप्पणी:

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(रू. करोड़ में.)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटींग शुल्क	0.21	0.29

31.03.2022 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(रू. करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
i)	देय राशि	—	—
ii)	प्राप्य राशि	—	—

(ङ) हाल के लेखांकन घोषणाएँ

कंपनी ने 24 मार्च 2021 की जीएसआर(ई) अधिसूचना के अनुपालन में अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक संशोधन शामिल किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताई गयी है कि- कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों समय-समय पर जारी में नए मानक या संशोधन को अधिसूचीत करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने जीएसआर 255 (ई) के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागु है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(च) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(छ) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(ज) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी-चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(झ) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी-परिसम्पत्तियों के अलावा दूसरी परिसम्पत्तियों तथा गैर-मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(ञ) चालू देयताएँ

जहाँ वास्तविक देयताएँ, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(ट) शेष पुष्टिकरण

नकद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएँ तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(ठ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

i) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचीत भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की बेहतर समझ के लिए, खंड 2.12 अमूर्त संपत्ति और 2.18 कर्मचारी लाभ 2.24.2.3 अनुमान एवं धारणाओं में महत्वपूर्ण लेखा नीति को संशोधित/फिर से परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन के कारण 31.03.2022 को कोई पूर्वव्यापी वित्तीय प्रभाव नहीं है और साथ ही वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है। कृपया लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोटों- नोट-38 के खंड 7.24 को भी देखें।

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचीत भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट -2) को तैयार किया गया है।

लेखा नीति में परिवर्तन की तालिका

व्यापक श्रेणी	पुरानी लेखा नीति	नई लेखा नीति
2.12 **अमूर्त परिसंपत्तियां**	अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।	लाइनें हटाई गई
2.18.1 **अल्पकालिक लाभ**	सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वह कर्मचारी लाभ (टर्मिनेशन लाभ के अलावा) हैं जिसका पूरा निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बारह महीने से पहले अपेक्षित है। सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
	एक परिभाषित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति उपरांत भविष्यनिधि एवं पेंशन भुगतान के लिए एक लाभकारी योजना है जिसके तहत विधि द्वारा अधिनियमित एक पृथक वैधानिक निकाय (कोयला खान भविष्यनिधि) द्वारा बनाए गए कोष में कंपनी एक निश्चित अंशदान करती है तथा कंपनी के पास भविष्य में अतिरिक्त राशि के भुगतान का कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं रहेगा।	एक परिभाषित योगदान योजना एक रोज़गार उपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।
2.18.3 **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**	कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना और खान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि को भी उसी आधार पर चिह्नित किया जाता है जो परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित है। इन लाभों के लिए कोई विशिष्ट निधि नहीं है।	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार उपरांत लाभ एवं समाप्ति लाभ के अलावा अन्य सभी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं।
		अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिनके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है: (क) सेवा लागत (ख) निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज (ग) निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप
2.24.2.3	**परिभाषित लाभ योजनाएं**	**2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं**
		परिभाषित लाभ योजना की लागत एवं अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और दायित्व का वर्तमान मूल्य वास्तविक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक वास्तविक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण शामिल है; भविष्य के वेतन में वृद्धि एवं मृत्यु दर शामिल है।

व्यापक श्रेणी	पुरानी लेखा नीति	नई लेखा नीति
		मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व उक्त पूर्वानुमान के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। सभी अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तनीय पैरामीटर डॉक्यूमेंट रेट है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन नियोजन पश्चात लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप ही सरकारी बांड की ब्याज दरों में मुद्रा पर विचार करता है।
		मृत्यु दर देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है।

(ड) लीज

i) ईसीएफडी ने 12.11.2020 को आयोजित अपनी 67वीं बैठक में सीसीएल और मेसर्स इंपीरियल फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड के बीच 2X10 मे.व. क्षमता के कथारा कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए दिनांक 14.10.2005 के अनुबंध समझौते को समाप्त करने की मंजूरी दी है।

ii) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की 15.50 एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 7.90 करोड़ रु. (वि.व. 7.90 करोड़ रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 7.90 करोड़ (वि. व. रु. 7.90 करोड़) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य रु. (वि. व. शून्य रु.) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान रु. 2.79 करोड़ है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)	एक वर्ष तक	0.19	0.19
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.77	0.77
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	1.83	2.02
	कुल	**2.79**	**2.98**

iii) लीज समझौते के तहत ईआईपीएल को कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 4,968 रु. (वि.व. 4,968 रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 4,968 (वि. व. रु. 4,968) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य रु. (वि. व. शून्य रु.) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान रु. 0.96 लाख है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)	एक वर्ष तक	0.12	0.12
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.48	0.48
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	0.36	0.48
	कुल	**0.96**	**1.08**

(ढ) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 'परिचालन खंड' के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर खंड सुचना को प्रस्तुत करने के लिए परिचालन खंड का उपयोग किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया एवं फैसला लिया है कि वर्तमान में, कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन एवं परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है :

(रू. करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निवल)	12,352.13	शून्य

ग्राहक अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निवल) वाले ग्राहक के नाम	राशि	देश
ग्राहक- 1	4,578.94	भारत
ग्राहक- 2	1,374.41	
अन्य	6,398.78	
कुल राजस्व (निवल)	**12,352.13**	

स्थान अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(रू. करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	8,977.75	शून्य

(ण) असंकलित राजस्व सूचना

(रू. करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	12,352.13	10,774.32
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**12,352.13**	**10,774.32**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	8,444.78	7,949.34
- गैर-बिजली क्षेत्र	3,907.35	2,824.98
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**12,352.13**	**10,774.32**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	10,053.58	7,255.95
- ई-नीलामी	2,298.55	3,518.37
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**12,352.13**	**10,774.32**
माल या सेवाओं का समय		
- एक समय में स्थानांतरित माल	12,352.13	10,774.32
- समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
- एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
- समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**12,352.13**	**10,774.32**

(त) अनुपात

अनुपात	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू अनुपात	1.37	1.41
इन्वेंट्री पण्यावर्त अनुपात	9.36	7.64
प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	5.51	4.53
व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	1.88	1.85
निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	1.54	1.55
निवल लाभ अनुपात (%)	13.75	11.35
नियोजित पूँजी पर वापसी	0.15	0.15
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	0.21	0.18
निवेश पर वापसी (आरओई)		
(क) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई	0.00	0.00
(ख) म्युचुअल फंड पर आरओआई	0.28	0.04
(ग) जमाओं पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित	0.04	0.04

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात तरलता अनुपात है जो वर्तमान संसाधनों को अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मापन करता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से भाग देकर की गई है।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंट्री बेची गई है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत / इन्वेंटरी के औसत मूल्य द्वारा की जाती है। जहां, बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बट्टे खाते में डालना- प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय- स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन) होती है।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात: प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा उपाय है जिसका उपयोग कंपनी के प्राप्य खातों, या ग्राहकों द्वारा बकाया धन को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। खाता प्राप्य टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात: व्यापार देयता टर्नओवर दर्शाता है कि एक कंपनी कितनी बार अपने खातों को एक अवधि के दौरान देयता का भुगतान करती है। व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय)।

निवल पूँजी टर्नओवर: निवल पूंजी टर्नओवर वह उपाय है जो व्यवसाय में नियोजित पूँजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को दर्शाता है और इसकी गणना स्टॉकहोल्डर की इक्विटी (शेयर कैपिटल + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित कुल वार्षिक कारोबार के अनुपात के रूप में की गई है।)

निवल लाभ अनुपात: शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ।

नियोजित पूँजी पर वापसी: ब्याज और पाठ से पहले की कमाई (ईबीआईटी) / नियोजित पूँजी जहां नियोजित पूँजी कुल संपत्ति-वर्तमान देनदारियां है।

इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) औसत शेयरधारक की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। जहां शुद्ध आय अवधि के लिए कर पश्चात लाभ है, औसत शेयरधारक की इक्विटी = (ओपनिंग इक्विटी + क्लोजिंग इक्विटी)/2

निवेश पर प्रतिलाभ: निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।

i. इक्विटी निवेश पर आरओआई असूचीबद्ध अनुषंगियों: अंशदान की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।

ii. म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूँजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

iii. जमा पर आरओआई (बैंक के साथ, आईसीडी सहित एफडी) = ब्याज आय / औसत निवेश।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक- 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 वर्ष 1989 में रजरप्पा क्षेत्र के 9 लाख टन कोयले के विक्रय को अयोग्य घोषित किया इसके संबंध में झारखंड सरकार ने रु. 2.79 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2.79) की रॉयल्टी की मांग रखी। कंपनी (सीसीएल) ने खान आयुक्त, झारखंड के समक्ष अपील दायर करने को प्राथमिकता दी, परंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृति पर, कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका WP 1754(c) दायर की और उक्त मामले को मध्यस्थता के लिए झालसा के पास भेजा गया। हालांकि, पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, इस प्रकार मध्यस्थता विफल रही। इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई थी। अंतिम सुनवाई की तारीख 30.09.2021 थी।

7.3 (क) ईआईपीएल द्वारा स्व-निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूँजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्युत नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 एवं 23.11.12 को उपरोक्त अपील के संदर्भ में जारी किए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में कंपनी ने मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए 2012-13 में रु. 94.33 करोड़ के देयता हेतु लेखाकृत किया था। जिसमें से रु. 83.03 करोड़ ईआईपीएल (पूर्व में डीएलएफ पावर लिमिटेड), को अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मानी हुई ऊर्जा शुल्क रोक कर, भुगतान का दिया गया है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः रु. 75 करोड़ एवं रु. 25 करोड़ तद्र्थ भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 08 सं मार्च, 14 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, रु. 94.33 करोड के अतिरिक्त, रु. 23.25 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 में किया गया था, जिसे 2012-13 के वित्तीय विवरण में पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 3.26 करोड़ अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए थी रु. 0.26 करोड़ के अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। ईआईपीएल से शेष प्राप्ति योग्य राशि इस प्रकार है:

(i) मार्च'08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क- जिसके संबंध में 2012-13 के वित्तीय विवरण में देयता का प्रावधान किया गया है।	रु.	94.33 करोड़
(ii) अप्रैल'08 से मार्च'14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	रु.	23.25 करोड़
(iii) ऊर्जा शुल्क समझी गयी के संबंध में रखी पुरानी राशि	रु.	31.36 करोड़
(iv) वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क	रु.	3.26 करोड़
(v) वर्ष 2015-16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी - रजरप्पा क्षेत्र)	रु.	0.26 करोड़
	रु.	152.46 करोड़
घटाव: तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	रु.	183.03 करोड़
निवल शेष राषि (नोट - 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	रु.	30.57 करोड़

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के रु.134.20 करोड़ सहित रु. 302.63 करोड़ के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जहाँ इसे 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

(ग) ईआईपीएल के साथ किए गए बिजली खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क रु. 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.1.83 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निवल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को दिनांक 17.11.2014 के पत्रांक जीएम (ई एंड एम) / डीएलएफ / 14 / 3530-36के माध्यम से सूचीत किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागु युएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, रु. 38.69 करोड़ है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 1.64 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया था, जिससे कुल प्रावधान रु 40.33 करोड़ हो गए हैं। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

दिनांक 8 फरवरी, 1993 के पावर खरीद समझौता के धारा 2.6 के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा इआईपीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.4 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत रु. 0.25 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.71 करोड़) रूपए है।

7.5 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के आलोक में प्राप्त होने योग्य क्षतिपूर्ति का लेखांकन रसीद के आधार पर किया गया है।

7.6 मेसर्स आईएफपीएल के साथ लीज समझौता वर्ष 2005 में 20 वर्षों की अवधि के लिए दर्ज किया गया था, और यह 2025 तक मान्य है। समझौते के अनुसार, कंपनी वाशरी रिजेक्ट्स की आपूर्ति करेगी और आईएफपीएल कथारा एरिया की बिजली आपूर्ति करेगी। लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, आईएफपीएल लीज किराए के रूप में रु.32 लाख प्रति माह का भुगतान करेगा। आईएफपीएल ने जुलाई 2018 को परिचालन निलंबित कर दिया है और लीज किराया का भुगतान नहीं किया है। नतीजतन, वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान लीज किराया प्राप्य की रु. 4.02 करोड़ की अंतर राशि एवं ऊर्जा व्यय के लिए आईएफपीएल को देय रु. 2.42 करोड़ के लिए किया गया है। प्राप्य किराये के लिए रु.6.72 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। आगे किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ईसीएफडी के निर्णय के अनुसार समझौते को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था।

7.7 झारखंड राज्य में विकास, वित्तीय एवं रेलवे आधारभूत कार्यों के लिए सीसीएल, इरकॉन अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के बीच दिनांक 07.05.2015 हस्ताक्षर किए गए एमओयू के आलोक में 31.08.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अनुषंगी कंपनी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के नाम से गठित किया है जिसकी अधिकृत पूँजी रु. 5.00 करोड़ की है। बाद में अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर रु. 500 करोड़ कर दिया गया है। सीसीएल के एमओए के अनुसार सीसीएल, इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर पैटर्न क्रमशः 64 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। तुलन-पत्र की तारीख पर, जेसीआरएल ने रु. 64.63 करोड़ के शेयरों का आवंटन कंपनी को किया है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के संबंध में, रु. 13.00 करोड़ एवं रु. 10.10 करोड़ के शेयर क्रमशः आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2021 को जेसीआरएल का पेड-अप कैपिटल 87.73 करोड़ रू का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 129(3) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी बनाया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए जेसीआरएल ने रु. 3.03 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2.16 करोड़) का कर पूर्व लाभ कमाया है।

7.8 जेसीआरएल बोर्ड ने अपनी पेड-उप पूँजी को बढ़ाने एवं 136.59 करोड़ रुपये के अग्रिम को सीसीएल द्वारा देय योगदान राशि को रु 282.88 करोड़ के इक्विटी के लिए समायोजित करने का फैसला लिया, जिसे सीसीएल बोर्ड ने 04.05.2020 को आयोजित अपनी 485 वीं बैठक में भी सहमति दी है। इसके अलावा जेसीआरएल बोर्ड ने बैठक संख्या 30 दिनांक 01.02.2021 के माध्यम से "ब्याज मुक्त ऋण" विकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और मामले को सीसीएल बोर्ड के साथ उठाने का निर्देश दिया।

सीसीएल ने जेसीआरएल को 144.31 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण चुकाया है एवं शिवपुर कठौतीआ रेल लाइन के संबंध में पहले खर्च किए गए 136.59 करोड़ रुपये को समायोजित किया है। जेसीआरएल को रिपोर्टिंग तिथि पर कुल ब्याज मुक्त ऋण रु 280.90 करोड़ है।

7.9 क) सीसीएल ने निचे उल्लेखित के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ लीज समझौता किया है दिनांक 05.06.2017 के समझौता सं. W466/भूमि पट्टा/कोनार साइडिंग के तहत बोकारो और करगली एरिया में कोनार साइडिंग के निर्माण के लिए जरुरी रेलवे जमीन के लिए किया है। लीज समझौता, 01.04.2016 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल ने पूरी अवधि के लिए ई.सी. रेलवे को रु.27.19 करोड़ का एकमुश्त पट्टा किराया जमा किया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'रेलवे साइडिंग' के तहत दर्शाया गया है।

ख) सीसीएल ने निचे उल्लेखित के लिए पूर्व मध्य रेलवे के साथ लीज समझौता किया है दिनांक 25.02.2017 के समझौता सं. W466/भूमि पट्टे/कुजू साइडिंग धनबाद के तहत कुजू एरिया में कुजू साइडिंग के निर्माण के लिए जरुरी रेलवे जमीन के लिए किया है। लीज समझौता, 01.04.2017 से 35 वर्ष की अवधि के लिए है। सीसीएल द्वारा देय रु. 95.34 करोड़ का पूरी अवधि के लिए एकमुश्त लीज रेंटल को ई.सी. रेलवे द्वारा समायोजन किया गया है। पट्टे के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि को भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार नोट 3 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 'रेलवे साइडिंग' के तहत दर्शाया गया है।

7.10 सम्पति-सूची के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, वास्तविक खपत विवरण के अभाव में क्षेत्र की इकाइयों को आंतरिक विभागीय प्रमाण पत्र के आधार पर बिजली लागत का वितरण किया गया है।

7.11 भंडार और पुर्जों की सूची का भौतिक लेखा, भंडार परीक्षकों द्वारा नियत समय पर सत्यापन किया जा रहा है। मार्च-21 के लिए सत्यापन पूरी की जा चुकी है।

7.12 क) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसीएल को आवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 75% रु.30.97 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में रु.9.91 करोड़ की राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की रु.286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया। रु.40.88 करोड़ (रु.30.97 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं रु.9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट-5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, रु.10.33 करोड़ की शेष राशि पूँजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 के अधिसूचना का अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पक्ष में रु.14577 लाख की राशि के बैंक गारंटी को सिलेक्टेड ढोरी जीओएम, ढोरी क्षेत्र और कारो ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र के संबंध में जारी किया गया।

ग) सहायक विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सब स्टेशन चतरा जेबीवीएनएल को आम्रपाली ओसीपी (बिंग्लट) एवं मगध ओसीपी (कुंडी पैच) के संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति सर्कल, हजारीबाग द्वारा जारी किया गया दिनांक 22.11.2019 के आदेश संख्या 1957/ईएसई(एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 एवं 1955/ईएसई(एस) हजारीबाग के खिलाफ, रु 0.81 लाख की राशि का बैंक गारंटी जारी किया गया।

7.13 13.10.2017 के आदेश के अनुसार 2016 के हस्तांतरित मामले (सिविल) संख्या 43 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ 07.12.2015 को डीएमएफ ट्रस्ट की स्थापना की तारीख से और उसके बाद झारखंड राज्य में लागु होगा। तदनुसार, 07.12.2015 से पहले की अवधि से संबंधित राज्य सरकार के साथ जमा रु.286.31 करोड़ रुपये की राशि कंपनी द्वारा देय डीएमएफ से वापस/समायोजित की जाएगी। कहा गया राशि में से रु.236.13 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है/समायोजित की गई है और रु.49.72 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्य सरकार से अभी तक वापस/समायोजित नहीं की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों ने रिफंड/समायोजन प्राप्त करने के लिए संबंधित डीएमओ के पास दावा किया है।

7.14 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध रु.106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर रु.71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक रु.77.53 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं रु.29.03 करोड़ रुपये की शेष राशि वसूली की प्रक्रिया में है।

29.03 करोड़ रुपये में से, 26.85 करोड़ रुपये परस्पर व्याप्त अवधि की मांग से संबंधित है, यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 में अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2013 की अवधि के लिए कथित टीसीएस देयता यानी 17 महीने के लिए होनी चाहिए थी, जबकि, यह जुलाई, 2012 से मार्च, 2013

तक यानी केवल 9 महीने के लिए लिया गया था। वित्त वर्ष 2013-14 में अप्रैल, 2013 से अगस्त, 2014 यानि 17 महीने की अवधि की कथित टीसीएस देनदारी ली गई थी, जबकि इसे केवल 12 महीनों के लिए मार्च, 2014 तक लिया जाना चाहिए था। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 यानि 4 माह की अवधि की कथित टीसीएस देनदारी का आदेश पारित किया गया। लेकिन आंकड़े अगस्त, 2017 तक लिए गए थे। चूंकि कोयले पर टीसीएस लागु किया गया था। 01.07.2012, त्रुटि को ठीक करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत एक सुधार याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है लेकिन आज तक विभाग को कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि, सीसीएल ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।

7.15 सीसीएल, सेल और आरआईएनएल को धुली हुई मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति के लिए, 31.03.2017 तक वैधता के साथ सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत, आपूर्ति की जाती थी । सीआईएल के अनुसार, सीसीएल ने दस्तावेज के अनुपालन में डब्ल्यूएमसीसी की कीमत रु. 11,500 प्रति टन 14.01.2017 के प्रभाव से अधिसूचीत की थी. यह कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित, आयात समानता के अनुसरण में ऐश सामग्री के तर्ज पर बोनस/पेनल्टी क्लॉज साथ किया गया था।

चूंकि एमओयू 31.03.2017 तक मान्य था, लेकिन मूल्य अधिसूचना 14.01.2017 को जारी की गई थी, 14.01.2017 से 31.03.2017 के इस अवधि के लिए एमओयू मूल्य के अंतर के लिए और सूचीत मूल्य पर प्रेषण के लिए रु.155.80 करोड़ की राशि(सेल के संबंध में रु.126.16 करोड़ और आरआईएनएल के संबंध में रु.29.64 करोड़) का एक प्रावधान, वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये गए खातों में प्रावधान किया गया।

मेसर्स सेल के दोहराए गए अनुरोधों के बाद, सीसीएल बोर्ड ने दिनांक 28.07.2018 को रु.6,500 प्रति की तदर्थ कीमत पर डब्लूएमसीसी की आपूर्ति करने पर सहमति, एक शर्त पर व्यक्त की, के साथ कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की स्थापना के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट लागु हो जानी चाहिए और तदनुसार सेल/आरआईएनएल सीसीएल बोर्ड के निर्णय से सहमत हो गए हैं। तदनुसार धुलाई वाले मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) के लिए मौजूदा मूल्य तंत्र की समीक्षा करने के लिए दिनांक 08.07.2019 को मेसर्स पीडब्लूसी प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश सं. वाशरी (सीसीएल)/डब्ल्यूओ/मूल्य तंत्र (डब्लूएमसीसी)/2019/745-50 जारी किया गया है। सीसीएल बोर्ड के समक्ष अंतिम रिपोर्ट रखने पर, बेहतर समग्र मूल्यांकन के लिए बीसीसीएल के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए रिपोर्ट को फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो प्रक्रियाधीन है।

7.16 सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने अपने पत्र संख्या. 5/सा.भू (सीसीएल) रामगढ़- 303/2012-519 (5)/रा. दिनांक 07.02.2020 द्वारा अध्यक्ष को कोल इंडिया लिमिटेड ने सीसीएल के कमान क्षेत्र अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के विरूद्ध 26218.15 करोड़ रुपये की मांग की है। मांग में पट्टा अवधि के लिए भूमि की पट्टा बंदोबस्ती के रूप में किराया, उपकर और सलामी शामिल है।

सीसीएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सीबीए (ए-डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत किया जाता है और सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत भौतिक कब्जा लिया जाता है जो सभी भारों से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं था। हालांकि, कंपनी कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 में धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी जमीन के खिलाफ झारखण्ड सरकार को वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है। 5,392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए वर्तमान ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे के लिए अस्थायी दायित्व 778.62 करोड़ रुपये आता है और सीसीएल ने 1448.86 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान कर दिया है। जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के मध्यधीन 778.62 करोड़ रुपये की संभावित देयता, को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट -10 देखें)।

दिनांक 13.11.2021 को रांची में माननीय कोयला मंत्री एवं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई, और दिनांक 24.02.2022 के का.ज्ञा., उपरोक्त मामले पर हुई चर्चा को निम्नानुसार संलग्न किया गया है:

"मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने सूचीत किया कि संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा एवं सरकारी भूमि के खिलाफ भूमि की ग्रामीण कृषि दर से मांग की जाएगी तथा प्रति एकड़ भूमि का मुआवजा अन्तिम बंदोबस्त की भूमि दर का 1.52 गुना होगा।

इस मुद्दे पर भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्धता दिया एवं यह प्रतिबद्धता दिया है कि सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कोयला मंत्रालय के अधिकारी और मुख्य सचिव, झारखंड एक साथ बैठकर भुगतान की अनुसूची को तय तथा भूमि का भौतिक कब्जा पर निर्णय लेंगे।"

7.17 रेलिगारा खुली खदान, लाईयो - झारखंड खुली खदान और रोहिणी - करकट्टा खुली खदान के संबंध में सीटीओ और सीटीई की लंबित मंजूरी के चलते, ओबीआर लेखांकन को संशोधित स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुसार नहीं माना गया है।

7.18 दिनांक 21.05.2021 को आयोजित 24वीं ईसीएफडी बैठक में प्रबंधन ने रजहरा क्षेत्र के टोरी रेलवे साइडिंग को बंद करने का निर्णय लिया और विभागाध्यक्ष, एस एंड एम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सभी औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो, तो विचार किया जाएगा।

7.19 29.10.2020 को आयोजित 65वीं ईसीएफडी बैठक के निर्देशों के अनुपालन में, पूर्ववर्ती मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र को दो अलग-अलग क्षेत्रों मगध एवं संघमित्रा क्षेत्र और आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र, में विभाजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों क्षेत्रों का अलग-अलग वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

7.20 कंपनी द्वारा लगाए गए 0 से 3 किमी के लीड रेंज के लिए भूतल परिवहन शुल्क, एनटीपीसी के कुछ संयंत्रों द्वारा विवादित है। विवाद के समाधान के लिए सीसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एएमआरसीडी में मामले को स्थानांतरित कर दिया है। चूंकि मामला एएमआरसीडी के पास लंबित है, इसलिए 1.94 करोड़ की विवादित राशि के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, 5 अप्रैल 2022 को आयोजित तीसरे जीएम समन्वय के दौरान इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और यह अवगत कराया गया कि मामला अभी भी एएमआरसीडी के पास लंबित है, क्योंकि सीआईएल के पक्ष में निर्णय की उच्च संभावना है, इसलिए सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा किसी प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

7.21 दिनांक 24.04.2020 के निदेशक (का. एवं औ.), सीआईएल द्वारा जारी पत्र संख्या सीआईएल:डी(पी एंड आईआर): संप्रदाय:/005/37/25 के अनुसरण में कोलकाता डेस्क कार्यालय को जून 2020 में बंद कर दिया गया है। बंद होने के पश्चात, फर्नीचर और फिटिंग एवं कार्यालय उपकरण सहित सभी संपत्तियों सहित लेजर शेष को मुख्यालय, सीसीएल, रांची की खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7.22 कंपनी ने वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों पर ध्यान दिया है। कंपनी ने सूचना, आर्थिक पूर्वानुमान आदि के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और कंपनी को उम्मीद है कि वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली हो जाएगी। अत: वर्ष के दौरान किसी हानि की पहचान नहीं की गई है।

कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 10% और उठाव में 9.81% की सकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

ग्राहकों से वसूली में भी सुधार हुआ है और 01.04.2021 के 4213.61 करोड़ रुपये के कुल देनदार को घटा कर 2969.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

7.23 क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोल नेट सिस्टम से एसएपी में माइग्रेट किया और 31.02.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को एसएपी के आधार पर तैयार किए गए। एसएपी को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लागु किया गया है और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं/मॉड्यूल में शुरू से अंत तक ऑटोमेशन भी लाया गया है और स्थिरीकरण की प्रक्रिया/चरण में है। सभी व्यावसायिक लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एकीकरण में लगातार सुधार हो रहा है।

डेटा प्रवास करने की प्रक्रिया अब स्थिरीकरण चरण में है। यह स्थिरीकरण हो जाने के बाद, 31 मार्च 2022 के बाद पूरी प्रक्रिया का बाहरी एजेंसी द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

5 अप्रैल 2022 को सीआईएल कोलकाता में आयोजित तीसरी जीएम समन्वय बैठक के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने अवगत कराया कि प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में संशोधन पर विचार किया जा रहा है और इसे तदनुसार निपटाया जाएगा।

ख) कंपनी में एसएपी में प्रवास के समय, गैर-सक्रिय विक्रेताओं / ग्राहकों के संबंध में आईएफएससी कोड के साथ विक्रेता का नाम, पैन, जीएसटीआईएन, पता और बैंक खाता संख्या जैसी किसी भी पूर्व-आवश्यक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, विक्रेता/ग्राहक कोड नहीं बनाए जा सके। हालांकि, कोल नेट सिस्टम में उनके नाम के सामने प्रदर्शित होने वाली सभी शेष राशि को लीगेसी वेंडर/ग्राहक कोड का उपयोग करते हुए एसएपी में प्रवास कर दिया गया था। कोल नेट सिस्टम के अनुसार वित्तीय विवरणों की एक विशेष लाइन आइटम में प्रदर्शित होने वाली शेष राशि को एसएपी में बरकरार रखा गया है, इसलिए प्रस्तुति में कोई बदलाव नहीं आया है।

घरेलू विक्रेता/ग्राहक कोड के तहत सीधे कोई प्रविष्टि पोस्ट नहीं की जा सकती है। घरेलू विक्रेता/ग्राहक पर कोई प्रविष्टि पोस्ट करने के लिए, विक्रेता/ग्राहक कोड आवश्यक हैं। प्रवास के समय लीगेसी कोड का उपयोग करने का यही एकमात्र कारण है। जिस पल में वेंडर/ग्राहक कोड सैप में बनाया जाता है, उनके संबंधित शेष को लीगेसी कोड से उनके विशिष्ट कोड में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह उल्लेख करना उचित है कि यह कोल नेट ट्रायल में प्रदर्शित शेष राशि को एसएपी परीक्षण में बिना किसी खाता शीर्ष में कोई अंतर छोड़े स्थानांतरित करने की व्यवस्था है और इसे नियत समय में पूरा करने की उम्मीद है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C

ह/-
सीए अनिल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं 079005
यूडीआईएन: 22079005AJBGGT2761

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(के.आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 07915732

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह/-
(रवि प्रकाश)
कंपनी सचिव

स्थान: रांची
दिनांक: 14 मई, 2022

निदेशकीय प्रतिवेदन परिशिष्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति, सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड **भारतीय लेखा मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन** **अभिमत** हमने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात"नियंत्रक कंपनी") एवं इसकी अनुषंगी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगियों को 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), जिसमें 31 मार्च, 2022 तक समेकित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी, समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरणी, समेकित महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक की समेकित विवरणी पर नोट (इसमें इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित है। हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण एवं अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार के आधार अनुसार, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की समेकित लाभ/हानि, समेकित नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समापत होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की समेकित दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। **अभिमत का आधार** हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियां वर्णित है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उसके नियमों के तहत समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए हमने अपनी अनय नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। **मामलों की प्रमुखता** **निम्नलिखित मामलों पर हम ध्यान आकर्षित कराते हैं:** क) 42 खानों में पर्यावरणी स्वीकृति की सीमा से अधिक कोयला खनन के सन्दर्भ में आकस्मिक देयता के मद में रू.13568.50 करोड़ (विगत वर्ष रू. 13568.50) का अर्थदंड। (भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी का नोट सं. 38 अुनच्छेद 4 (ए)(1) देखें)। ख) शेष ऋण राशि (नोट संख्या 8), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट संख्या 9), अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट संख्या 11) एवं गैर-चालू परिसंपत्तियां (नोट संख्या 10), व्यापार देय (नोट संख्या 19), व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 13)) अन्य वित्तीय देयताएं (नोट नंबर 20) और अन्य मौजूदा देयताएं (नोट नंबर 23) एवं अन्य गैर-चालू देयताएं (नोट नंबर 22) को ज्यादातर मामलों में पुष्टि नहीं की गई हैं। इनमें खातों की पुस्तकों में अंतिम समायोजन/वर्ग-अप के लिए लंबित पिछले कई वर्षों से पड़े पुराने शेष भी शामिल हैं। ऐसी शेष राशि की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है। ग) सीसीएल द्वारा मेसर्स सेल एवं मेसर्स आरआईएनएल को एमओयू के अधीन पारस्परिक सहमत मूल्य पर परिष्कृत मध्यम कोकिंग-कोल (डब्लूएमसीसी)) की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके पश्चात सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के मध्यक किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। दिनांक 1/4/2017 से, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडी पी) अंतर्गत सीसीएल द्वारा आयात समता-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुसार डब्लूएमसीसी मूल्य संशोधित किया जा रहा है, जिसके तहत सीसीएल, सेल/ आरआईएनएल को अधिसूचित मूल्य पर चालान निर्गत कर रहा है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2017-18 के पश्चात समझौता ज्ञापन नहीं होने के कारण, सेल/आरआईएनएल ने मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए बाहेर एजेंसी को नियुक्त करने अनुरोध किया। तदनुसार, सीसीएल ने पारदर्शी आयात-समता आधारित मूल्य प्रणाली के लिए पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति की एवं मामला को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, 28/07/2018 से अंतरिम व्यवस्था के तहत, सीसीएल ने रु 6500 प्रति टन के तदर्थ मूल्य पर डब्ल्यूएमसीसी उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है।

बाह्य एजेंसी द्वारा पारदर्शी आयात-समता आधारित मूल्य तंत्र के निर्धारण लंबित होने पर सेल ने मूल्य-प्रणाली के निर्धारण हेतु बाह्य एजेंसी की सिफारिशों को दिनांक 28.07.2018 के बजाय 01/04/2017 से लागू करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सीसीएल ने निर्णय लिया गया कि बाह्य एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य 28/07/2018 से प्रभावी होगा एवं तदनुसार, तदर्थ मूल्य की प्रयोज्यता पूर्व का विक्रय, त्रैमासिक संशोधन के अधिसूचित मूल्य के आधार पर माना जायेगा।

(समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 38 में अनुच्छेद 7.15)

उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 01/04/2017 से 30/06/2018 तक की अवधि में सीसीएल द्वारा सेल/आरआईएनसल को की गई आपूर्ति के मद पर कीमत में अंतर पर रू. 414.87 करोड की अदत्त राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।

घ) कथारा वाशरी में 1995-96 से पड़े हुए 17230 मि. ट. (वि.व्. 83795 मिलियन टन) संदूषित कोयले की रेणी का निर्धारण लंबित है, जिसका वर्त्तमान मूल्य शून्य है।

(समेकित भारतीय लेखा मानक विवरण नोट संख्या-12 को संलग्नक)।

ङ) हम समेकित भारतीय लेखा मानक के नोट 38 के अनुच्छेद 7.22 पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं जिसमें कंपनी समूह के परिचालन तथा प्रबंधन द्वारा आकलित नतीजों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

उपरोक्त मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।

च) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 38 का अनुच्छेद 7.16 का संदर्भ लें।

झारखंड सरकार ने सीसीएल कमांड क्षेत्र अंतर्गत 36,179.30 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में 26,218.15 करोड़ रु का दावा किया है। राज्य के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन सरकारी भूमि के मुआवजे के लिए सीसीएल द्वारा गणना की गई अस्थायी देयता 5392.75 एकड़ भूमि के मुकाबले 778.62 करोड़ रु है। हालांकि, राज्य के अधिकारियों, झारखंड सरकार के साथ लंबित समाधान, भूमि के मुआवजे के खिलाफ देय कुल अंतिम देयता, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।

इस मामले से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।

मुख्य अंकेक्षण मामले

हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

क्र.	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	अंकेक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन** खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया: स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
	अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्श की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात-प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी-कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है। तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर-चालू प्रावधान/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है। अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचि मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है। **समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें**	वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'** समेकित भारतीय लेखा मानक में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं। किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते/ ई-नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल/ स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है। अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण के नोट 24 को देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है। हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल/ स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्व संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है। प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
3.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रावधान के स्तर के आकलन में उच्च स्तरीय निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चितता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 38 अनुच्छेद 4(ए)(i) को देखें।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** हमारा ऑडिट विचाराधीन तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक निर्णय/ व्याख्या के अंतर्गत विश्लेषण करने पर केंद्रित था। • विभिन्न कर प्राधिकारियों /न्यायिक फोरम से प्राप्त अद्यतन आदेशों और/या पत्राचार की जांच तदनंतर कृत कारवाई। • मुकदमे/कर निर्धारण की अद्यतन स्थिति को समझना। • यहाँ प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह। • चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और संभावित बहिर्वाह। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**व्यवसाय के विभिन्न सोपनों में सैप प्रणाली का क्रियान्वयन** इस वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित व्यावसायिक लेन-देन हेतु पूर्व में उपयोग होने वाले कोलनेट प्रणाली के स्थान पर एक नयी आई टी प्रणाली का उपयोग किया है। कंपनी द्वारा उक्त नई प्रणाली का प्रयोग प्रक्रिया अनुरूप अपने लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है जो वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु हो रहा है। नई आईटी प्रणाली का क्रियान्वयन से अंतरित प्रमुख वित्तीय आंकड़ों आंकड़ों की सत्यता, परिचालन अथवा महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आईटी से संबंधित नियंत्रणों के निगरानी में विकार जैसी त्रुटियां, विवरणी त्रुटियां तथा वित्तीय रिपोर्टिंग त्रुटियां जैसे अंतर्निहित हानि होने की संभावना है। परियोजना के वृहत आकार और एक नई ईआरपी प्रणाली में माइग्रेट करने में शामिल व्यापक जोखिमों के कारण तथा नई प्रणाली के अधीन उत्पन्न आंकड़ों और जानकारी में संक्रमणकालीन चरण की सीमाएं और बाधाएं हो सकती हैं, उक्त को प्रमुख लेखा परीक्षा संबंधित मामले के रूप में नोट किया गया है।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:** • नई एसएपी/ईआरपी प्रणाली पर आधारित प्रणाली, संशोधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संबंधित नियंत्रणों और नियंत्रण गतिविधियों कंपनी की नई आईटी प्रणाली कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श किया गया। • महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ सामान्य आईटी नियंत्रण, आईटी अभिगम और कर्तव्यों के पृथक्करण की समझ प्राप्त की। • हमने सिस्टम माइग्रेशन के संबंध में नई आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन पर स्थापित नियंत्रणों तथा प्रमुख वित्तीय डेटा का पुरानी प्रणाली से नयी आईटी प्रणाली में अंतरण की समीक्षा की। • आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्य पर निर्भरता रखने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की समझ और मूल्यांकन प्राप्त किया; • सामान्य लेज़र, सब-लेजर, ग्रुपिंग, सब- ग्रुपिंग आदि के सैंपल के लिए पुराने तथा नए आईटी सिस्टम के मध्य डेटा अंतरण तथा सामंजस्य का स्वतंत्र परीक्षण किया, जिसमें यह पाया गया कि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार हैं। **अंकेक्षण निष्कर्ष:** ऊपर की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, एसएपी के कार्यान्वयन का वित्तीय विवरणों पर भौतिक गलत वर्णन नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है। अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमारे लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित लोगों से संवाद करना होगा। **समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन-प्रभारी की जवाबदेही** कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, नियंत्रक कंपनी के निदेशकीय मंडल वित्तीय विवरणी के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए जवाबदेह है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रावह पर सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। उक्त समूह में सम्मिलित कंपनी से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य नियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रवधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जवाबदेह है। समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राक्कलन तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को कार्यान्वयन एवं रख-रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, समेकित भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण और प्रस्तुति हेतु सतय व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से उतपन्न मेटेरिअल अशुद्धियों से मुक्त है, जिनकी प्रयुक्ति नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का निर्माण किया गया है। समेकित भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, समूह में सम्मिलित कंपनी से सम्बद्ध निदेशकी मंडल कार्यशील संस्थाओं क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागू हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक संचालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाए, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो, समूह से सम्मिलित कंपनी से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है कि समूह एवं सहयोगियों एवं संयुक्त नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें। **समेकित वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी** हमारा उद्देश्य इस बारे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवदेन जारी करें जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है। लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम:	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	• समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्रापत करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है। • अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या समुह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है। • प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन। • प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितत्ता विधमान है जो समुह द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परीस्थितियों के अनुसार समुह कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना समाप्त कर सकती है। • समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय-सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो। मटेरियलिटी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ-साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन-प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है। हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है। शासन-प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है। **अन्य मामले**	
(क)	हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिसका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कुल 451.48 करोड़ रुपये की संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 2022 को कुल राजस्व रु. 3.14 करोड़ और शुद्ध नकदी प्रवाह रु. 53.07 करोड़ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में माना गया है, इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी (संशोधित) रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक जैसा कि यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	
(ख)	लेखा नीति के अनुसार कंपनी परिभाषित योगदान योजना निर्धारित करती है जिसमें कंपनी विधि अनुसार अधिनियम के तहत गठित कोयला खान भविष्य निधि निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948 यह निर्धारित करता है कि कोयला खदान में तैनात कर्मचारी को उपरोक्त अधिनियम के तहत विनियमित कोयला खान भविष्य निधि और कोयला खान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी द्वारा विभागीय मोड में तैनात कोयला कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी हैं और उपरोक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। तथापि, कंपनी की खदानों में इसके आउटसोर्सिंग ठेकेदारों द्वारा तैनात कोयला श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत पंजीकृत किया जाता है जो कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान का विचलन और गैर-अनुपालन है। पूरे मामले का संव्यवहार सीआईएल द्वारा किया जा रहा है।	मामले को सीआईएल में उठाया गया है।
(ग)	मॉडल ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के खंड 9.2 और एनटीपीसी संयंत्र के एफएसए खंड 8.2 के अनुसार, 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित अपने ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला परिवहन शुल्क वसूलने की अनुमति प्रदान करता है। सीसीएल 0 से 3 किमी की लीड रेंज हेतु कोयला परिवहन शुल्क वसूल कर रही है। हालांकि, एनटीपीसी के कुछ क्षेत्रों ने एफएसए खंड की दलील देते हुए 0-3 किलोमीटर की लीड रेंज के हिस्से के लिए परिवहन शुल्क के दावों पर विवाद किया है। इस प्रकार, जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, संयंत्रों से बकाया वसूली योग्य है, इसलिए किसी भी प्रकार के प्रावधान, एएमआरसीडी निर्णय के परिणाम के बाद पश्चात ही मान्य होंगे। इसलिए, एनटीपीसी द्वारा विवादित 1.94 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध कोई समाधान नहीं किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन में 05 अप्रैल, 2022 को आयोजित तीसरी जीएम (वित्त) समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, विवाद के समाधान के लिए सीआईएल द्वारा मामला उठाया गया है और एएमआरसीडी के पास लंबित है।	सीआईएल ने विवाद के समाधान के लिए सभी सहायक कंपनियों की ओर से एएमआरसीडी में इस मामले को उठाया है।
(घ)	ईसी रेलवे ने सूचित किया है कि रेलवे बोर्ड ने 11 निजी साइडिंग के संचालन के लिए पिछले कई वर्षों से सीसीएल द्वारा उपयोग की जाने वाली रेलवे भूमि के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क / लीजिंग शुल्क को नियमित करने की मंजूरी दी थी। तद्नुसार, 138.88 करोड़ रुपए के बकाया शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिए मांग की गई थी। रेलवे से कई बार याद दिलाने के बावजूद सीसीएल द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। ईसी रेलवे ने कंपनी द्वारा टोरी-शिवपुर लाइन के लिए जमा पूंजी अग्रिम राशि से बकाया देय राशि को समायोजित किया। हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, रु. 138.88 करोड़ के कुल अग्रिम को ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजित किया गया था, जिसमें से कुजू साइडिंग के भूमि लाइसेंस शुल्क से संबंधित रु 95.34 करोड़ को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और खातों में ले लिया गया है। रु. 43.54 करोड़ की शेष राशि अभी भी विवाद में हैं और इस मामले को सीआईएल ने सभी सहायक कंपनियों की ओर से रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है। विवाद के अंतिम परिणाम का परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं है।	ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजन से संबंधित मामले को सीआईएल द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ इसके समाधान और समायोजन के लिए उठाया गया है। हालांकि, ईसी रेलवे द्वारा एकतरफा समायोजित रु. 138.88 करोड़ के कुल अग्रिम में से, कुजू साइडिंग के भूमि लाइसेंस शुल्क से संबंधित रु 95.34 करोड़ को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और खातों में ले लिया गया है।
(ड़)	20667.40 करोड़ (वि.व. 19660.06 करोड़) रुपये की आकस्मिक देयता में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों (आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अन्य) और राज्य सरकार (वैट, रॉयल्टी, पर्यावरण, अन्य) द्वारा उठाई गई विवादित मांगें शामिल हैं। जैसा कि नवीनतम मांग आदेश की तारीख तक उठाया गया है, इस राशि में मूलधन, ब्याज और जुर्माना शामिल है। मांग आदेश की नवीनतम तिथि से तुलन पत्र की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज एवं पेनल्टी की न तो गणना की गई है और न ही आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयता की कुल राशि पर परिणामी प्रभाव, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है। (समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 के अनुछेद 4(ए)(I) देखें।)	प्रबंधन ने आकस्मिक देयता की समीक्षा की है और कानूनी विशेषज्ञों की राय पर भरोसा किया है और यह भारतीय लेखा मानक-37 की आवश्यकता अनुसार वित्तीय विवरणों में इसका उपयुक्त रूप से खुलासा किया गया है।
(च)	नोट संख्या 23 देखें - "अन्य वर्तमान देनदारियां" - लेखा खातों में पिछले कई वर्षों से पड़े 16.32 करोड़ रुपये के सेवा कर की देयता शामिल है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मामला तत्कालीन सेवा कर विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंधित है, जिसमें जीटीए सेवाओं के तहत रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान किए गए सेवा कर की राशि को खनन सेवाओं/कार्गो हैंडलिंग जो फॉरवर्ड चार्ज के अधीन है के तहत कवर करने के आधार पर विवादित और मुकदमा चलाया गया था। विभाग ने तब विभिन्न सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए और सीसीएल को भी सह-नोटिस के रूप में संलग्न किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद, सीसीएल ने संबंधित	मामला मुकदमेबाजी के अधीन है और आगे कोई भी उपचार मामले के परिणाम पर निर्भर है।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार जीटीए के तहत अपनी देयता प्रदान करना जारी रखा, जिसमें कंपनी स्तर पर कुल देयता 16.32 करोड़ रु है। चूंकि, सेवा कर या संबंधित सेवा प्रदाताओं के अपीलीय प्राधिकारी से आज तक कोई आदेश/संचार प्राप्त नहीं हुआ है, वह अभी भी खातों की किताबों में दिखाई दे रहा है। सेवा कर के अपीलीय प्राधिकारी से इस तरह के आदेश / संचार लंबित, खातों की पुस्तकों में समायोजन की आवश्यकता, यदि कोई हो, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।	
(छ)	नोट संख्या 35 "अन्य व्यय" देखें - इसमें 39.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष- 21.20 करोड़) के विलंब शुल्क खर्च शामिल हैं। 199.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – 163.33 करोड़ रुपये) (नोट नंबर 19 – “व्यापार देय” के तहत) एवं 59.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – शून्य रुपये) का विलंब शुल्क अग्रिम (नोट संख्या 11 के तहत – अन्य चालू परिसंपत्तियां - राजस्व के लिए अग्रिम) कंपनी के खातों में दिखाई दे रहा है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, रेलवे अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विलंब शुल्क घंटों के आधार पर साइडिंग प्रबंधकों द्वारा विलंब शुल्क देयता को दर्ज किया जा रहा है। तद्नुसार, विलंब शुल्क व्यय एवं विलंब शुल्क देयता को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान जब रेलवे के दावे में विसंगति पाई गई, साइडिंग प्रबंधकों द्वारा विरोध किया गया। बिजली क्षेत्रों को कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने रेलवे को 59.85 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान किया। इसलिए, वित्तीय विवरणों में व्यापार देय और साथ ही अन्य चालू परिसंपत्तियों को अलग से दिखाया जा रहा है। रेलवे के साथ समाधान की प्रक्रिया चल रही है और तदनुसार तदर्थ भुगतान को विलंब शुल्क देयता के साथ समायोजित किया जाएगा। इस तरह के समाधान के लंबित होने तक कुल देयता (वास्तविक और या आकस्मिक देयता) या कुल परिसंपत्ति में कोई समायोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	बकाया का मिलान किया जा रहा है।
(ज)	**हमें इनपर पूर्ण विश्वास है:** i. खान बंदीकरण के व्यय हेतु प्रावधान के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गयी खान बंदीकरण योजना जिसे सीसीएल के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है। ii. प्रबंधन का मूल्यांकन/अनुमान, चाहे वो तकनीकी अथवा अचल परिसंपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान हो।	
(झ)	भारत के महालेखापरीक्षक और नियंत्रक की टिप्पणियों को शामिल करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय विवरणी पर 14 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट संशोधित की जा रही है तथा क्रमशः "धारा '3' के अनुच्छेद (जे)" के बिन्दु संख्या (iv) (ए), (बी), और (सी)' तथा '(v) (ए), (बी), एवं (सी)' तथा “भाग II के क्रम सं '3', के अनुलग्नक 'ए' के अंतर्गत “लेखापरीक्षक का उत्तर” स्तंभ के क्रम संख्या 3 में “अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अंतर्गत "पिंडरा खुली खदान परियोजना के संबंध में अनुमोदित पीआर और एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है” से प्रारंभ अनुच्छेद के अंत में संशोधन तथा जोड़ने के लिए तथा "अन्य मामले पैरा" के बिंदु 'ए' में 'मत पैरा' के अंतर्गत पैरा 2 में 'रिपोर्ट' शब्द के बाद '(संशोधित)' शब्द जोड़ने और "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत धारा-3 के बिंदु 'बी' एवं 'सी' में, और "अन्य मामलों के पैराग्राफ" के तहत बिंदु (i) '{इस पैरा}' को जोड़ा गया है। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन 14 मई, 2022 के समेकित वित्तीय विवरणों पर मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन का स्थान लेती है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल '(iv) (ए), (बी), और (सी)' और '(वी) (ए), (बी) और (ग)' खंड '3' में, पैरा (जे)" और "लेखापरीक्षक के उत्तर कॉलम में किए गए संशोधन क्र.सं. 3, "भाग- II,-अनुलग्नक 'ए' में अतिरिक्त निर्देश" के तहत "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत और 'रिपोर्ट' शब्द के बाद 'रिपोर्ट' शब्द को बिंदु 'ए' और में जोड़ना "अन्य मामले के अनुछेद" के तहत अंतिम अनुछेद, "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के तहत खंड 3 के बिंदु "बी" और "सी" में और "खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन" में। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुलग्नक बी" के तहत "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत, और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के "अन्य मामलों के पैराग्राफ" के तहत बिंदु (i) जोड़ना को समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी प्रतिवेदन, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन और वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है और वित्तीय विवरण/जानकारी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं समुह की लेखा एवं वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम **"अनुलग्नक-ए"** में प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (II) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश ("सीएआरओ"), 2020 के अनुच्छेद 3 (xxi) एवं 4 के निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में मामला जिसे हमारे द्वारा शामिल किया जाना है तथा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल इसकी सहायक कंपनी की में, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, जिसके लिए हमें समूह की कंपनियों के सीएआरओ रिपोर्ट की धाराओं को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, जहां संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी अभियोग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना दी गई हैं, उन्हें हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

क्र	नाम	सीआइएन	होल्डिंग कं./ अनुषंगी / एसोसिएट / जेवी	कारो रिपोर्ट का खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1	सीसीएल	U10200JH 1956GOI 000581	होल्डिंग कंपनी	खंड 3(i) (ए) (ए) 3(i)(सी) 3(ii)(ए) 3(ii)(बी) 3(ix)(ए)
2	जेसीआरएल	U45201JH 2015GOI 00313	अनुषंगी कं	शून्य

3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि:

क. हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के मद सं. (ए), (बी) (सी), (डी), (इ) एवं (एफ) के साथ पढ़ा जाए।

ख. हमारे अभिमत में, समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के संशोधित प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

ग. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित होल्डिंग कंपनी (शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित क्षेत्रों सहित) एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत भारत में निगमित इसकी अनुषंगी कंपनी के खातों पर प्रतिवेदन (संशोधित) हमें भेजी गई है और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से निपटा गया है।

घ. समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ङ. हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

च. हमारे अभिमत में, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
ज.	हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
झ.	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणें के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में "अनुलग्नक-बी" में हमारी प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असमब्द्ध राय व्यक्त करती है।	
ञ.	अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधन के रूप में हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार:	
i.	समूह के लंबित मुकदमों का खुलासा समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट 38 में किया गया है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, उन्हें निर्धारित/निपटाए जाने पर प्रभावी किया जाएगा।	
ii.	व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई भौतिक पूर्वाभास योग्य हानियां हो, तो लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।	
iii.	प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।	
iv.	(क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("मध्यस्थ") शामिल हैं को, या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो ऋण पर ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है लिखित रूप में या चाहे अन्य रूप में दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से चिह्नित किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में उधार या निवेश करेगा जो किसी भी प्रकार से अंतिम लाभार्थी की ओर से सुरक्षा, कोई गारंटी या समरूप लाभ प्रदान करेगा। (ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"), से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रुप में दर्ज किया गया हो या नहीं , कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी। (ग) वैसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थिति में उचित व योग्य माना गया है के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं दृष्टिगत हुआ है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(सी) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत अभ्यावेदन, जैसा ऊपर (ए) तथा (बी) में वर्णित है, में किसी प्रकार की भौतिक मिथ्या कथन सम्मिलित है।	
v.	(क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है। (ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है। (ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।	

कृते के.सी. टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

ह/-
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)
यूडीआईएन: 22079005ALOAFW2619

स्थान: रांची
दिनांक: 24 जून, 2022

अनुलग्नक "ए" जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें। ***वर्ष के दौरान कंपनी,आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी मेटेरियल लेखांकन लेनदेन हेतु वर्तमान कोलनेट प्रणाली को सैप-ईआरपी में स्विच किया गया है है तथा सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन सैप-ईआरपी सॉफ्टवेयर में संरक्षित की जा रही है। तदनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्तीय लेखा एवं नियंत्रण (एफ़आईसीओ), विक्रय एवं वितरण (एस एवं डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), मानव संपदा प्रबंधन (एचसीएम), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस) तथा संयंत्र रखरखाव (पीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए सूचना/डेटा का प्रवाह विभिन्न मॉड्यूलों से हो रहा है तथा ऑटोमेशन द्वारा सैप संरक्षित किया जा रहा है। सैप-ईआरपी स्थिर होने की प्रक्रिया में है तथा इसमें निरंतर सुधार हो रहा है।*** ***महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तनों की समझ और प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ आईटी सामान्य नियंत्रण बनाए गए थे और देखा कि इस संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ अंतिम कार्यान्वियन पर कुछ और नियंत्रणों की आवश्यकता होगी।*** ***हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एसएपी के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं:*** ***1. सीसीएल के वित्तीय विवरण बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) नामक एक प्रोग्राम के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं जो एसएपी में एकीकृत है। जीएल के समूहन को अपडेट कर दिया गया है लेकिन सीआईएल स्तर पर इसे जोड़ने का कार्य चालू है। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में बीआई समूहन का उपयोग वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जा रहा है।*** ***2. भण्डार मूल्यांकन: भण्डार का मूल्यांकन मैन्युअल रूप से किया जाता है।*** ***3. ओबीआर समायोजन: ओबीआर समायोजन की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है।*** ***4. बीमांकिक मूल्यांकन : बीमांकिक दायित्व के आंकड़े प्राप्त करने के बाद इसे मैन्युअल रूप से क्षेत्रों के बीच आवंटित किया जा रहा है।*** ***मद संख्या 2 3 और 4 का लेखा-जोखा एसएपी में की गई आवश्यक जर्नल प्रविष्टि को पास करके किया जाता है।*** ***5. वित्त मॉड्यूल से संबंधित देयता जैसे, बिजली, लेखा परीक्षा व्यय, विविध, छोटे खर्चे आदि, जिसके लिए कोई एमबी दर्ज नहीं है। इन देयताओं को जीआर/एसआर के माध्यम से नहीं लिया जाता है क्योंकि ऐसी देयताओं को सीधे फीको मॉड्यूल में दर्ज किया जाता है।*** ***6. व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, सुर्पाक, माइनेक्स, ऑटो कैड एवं सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अन्य एप्लिकेशन ईआरपी सिस्टम के साथ वर्तमान स्वरूप में किसी भी एकीकरण के बिना काम कर रहे हैं।*** ***जैसा कि ऊपर बताया गया है, एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।***	वर्ष के दौरान कंपनी ने कोल नेट सिस्टम से एसएपी में प्रवास किया और वर्तमान में सभी लेन-देन को एसएपी के माध्यम से दर्ज किया जा रहा है।
2.	क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है) ***इसलिए लागू नहीं है क्यूंकि, हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या ऋणदाता द्वारा वर्ष के दौरान या किसी भी अवधि के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के लिए ऋण/ऋण/ब्याज आदि पर छूट/बट्टे खाते में डालने का ऐसा कोई मामला नहीं है।***	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
3.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें। ***हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीसीएल को कोयला मंत्रालय के तहत सीसीओ से भंडारण सब्सिडी प्राप्त होती थी। पिछले तीन वर्षों से सीसीएल को ऐसी कोई सब्सिडी/अनुदान नहीं मिला है।*** ***तोरी शिवपुर रेल लाइन के योगदान एवं एनके क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए सीसीडीएसी से 30.09.2019 तक अनुदान प्राप्त किया गया है और इसे भारतीय लेखा मानक के अनुसार परिसंपत्ति के जीवन के आधार पर आय में मान्यता दी गई है (टिप्पणी- 22 देखें)। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीडीएसी से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।***	कोई टिप्पणी नहीं।

भाग -II
अतिरिक्त निर्देश

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या समरूप मानचित्र को ध्यान मे रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	
	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीआईएल वार्षिक कोयले शेयर मापन के दिशा निर्देश के मुताबिक स्टॉक मापन का आकलन किया गया है, जो माप रिपोर्ट के साथ आया है और यह भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कंपनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	
	हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सीसीएल के कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएफडी) ने 31.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में, बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए मगध एवं आम्रपाली क्षेत्र को इसे विभाजित करके दो अलग-अलग क्षेत्रों अर्थात् "मगध एवं संघमित्र क्षेत्र" और "आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त क्षेत्र" में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और तदनुसार अधिसूचना जारी की गई थी।कंपनी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए विभाजन के समय संपत्ति और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। विभाजन की प्रभावी तिथि 31 दिसंबर 2021 को वित्तीय आधार पर की गई थी।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	
	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 64 खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान की गतिविधियों के लिए 35.30 करोड़ रुपये (वि.व-194.72 करोड़) प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, 2 खदानों तापिन साउथ खुली खान एवं रजहरा खुली खान के संबंध में एस्क्रो खाता अभी तक नहीं खोला गया है। पिंद्रा खुली खान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागु अवैध खनन के प्रभाव को विधिवत विचार तथा गणना किया गया है?	
	भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13568.50 करोड़ रु. (वि. व 13568.50 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उक्त मांग को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 38 के अनुछेद 4 (ए) (1) में आकस्मिक देयता के तहत शामिल किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

'अनुलग्नक-बी' जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
31 मार्च, 2022 तक और समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसे इसके बाद ("होल्डिंग कंपनी") कहा गया है, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है और उस तिथि के अनुसार, इसकी अनुषंगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी	
इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधारित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख-रखाव, कंपनी प्रबंधन, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्ररूप, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित अझैर कुशल संचालन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण।	
अंकेक्षक की जिम्मेदारी	
हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागु होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये।	
हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यापतता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।	
हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, उचित है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य/नीति/प्रक्रिया अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा- निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है।

हालांकि, इनमें और सुधार की आवश्यकता है: i) कंपनी के जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दस्तावेज़ीकरण, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण एवं बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना, ii) विविध व्यय, अन्य वित्तीय आस्तियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन, अन्य चालू और गैर-वर्तमान आस्तियों, व्यापार देय और प्राप्य, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य चालू और गैर-वर्तमान देनदारियों के संबंध में नियंत्रणों की निगरानी को मजबूत करना।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते **के.सी. टाक एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 000216C)

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
(सदस्यता सं 079005)
यूडीआईएन – 207900JALOCFH3384

स्थान: रांची
दिनांक: 24 जून, 2022

प्रपत्र ए ओ सी - 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के संदर्भ में)

अनुषंगियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तिय विवरण की मुख्य विशेषताओ का विवरण

खण्ड 'ए': अनुषंगियों

(प्रत्येक अनुषंगी से सम्बद्ध राशि (करोड़ रू. में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत)

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	अनुषंगी के अधिग्रहण के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागु नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागु नहीं
6.	शेयर पूँजी	:	रू. 87.73 करोड़
7.	इक्विटी स्वरुप में पूर्ण प्रपत्र	:	रू. 355.90 करोड़
8.	भंडार और अधिशेष	:	रू. 5.14 करोड़
9.	कुल सम्पत्ती	:	रू. 451.48 करोड़
10.	कुल देनदारी	:	रू. 2.71 करोड़
11.	निवेश	:	-
12.	कारोबार	:	-
13.	कर से पहले लाभ	:	रू. 3.03 करोड़
14.	कर का प्रावधान	:	रू. 1.01 करोड़
15.	कर के बाद लाभ	:	रू. 2.02 करोड़
16.	प्रस्तावित लाभांश	:	-
17.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	73.67%

कंपनी सचिव **महाप्रबंधक (वित्त)**

टिप्पणियाँ

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

(सीआईएन: U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस,
राँची - 834 029
झारखंड

@CCLRanchi

@CentralCoalfieldsLimited

centralcoalfieldltd

Central Coalfields Limited

@cclranchi

Semaphore Technologies Pvt. Ltd.